अष्टम माला, खंड 47, अंक 16

बुधवार, 15 मार्च, 1989
24 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)



(खण्ड 47 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 47, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 16, बुधवार, 15 मार्च, 1989/24 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 286 से 288, 290 और 292 से 295	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 285, 289, 291, 296 से 298 और 300 से 305	25-36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2691 से 2740, 2742 से 2813, 2815 से 2824, 2826 से 2831 और 2833 से 2880	36-197
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	197-198, 223-225
ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	198-222
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
61वां प्रतिवेदन	226
कार्य-मंत्रणा समिति	
67वां प्रतिवेदन	226
वर्ष 1989-90 के लिए पंजाब बजट के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब के बारे में वक्तव्य	
श्री एच० के० एल० भगत	226
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	230-232, 242-257
12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठे छात्रों को गणित का प्रश्न-पत्र "पाठ्यक्रम से बाहर" आने के कारण हुई भारी कठिनाई	
श्री पी० आर० कुमारमंगलम्	230, 231, 243-247
श्री एल० पी० शाही	230-231, 255-257
प्रो० सैफुद्दीन सोज	247-251
श्री हरीश रावत	251-254
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	244-246

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

पृष्ठ

सभा की सेवा से सदस्यों के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव 233-239

सदस्य की भर्त्सना के बारे में प्रस्ताव 239-242

नियम 377 के अधीन मामले 257-260

(एक) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बसई तालुका में नलासोपाड़ा (पूर्व) तथा बम्बई के मलाड (पूर्व) के कुरूर गांव में डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री अनूपचन्द शाह 257-258

(दो) अहमदाबाद में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों के बंद हो जाने को ध्यान में रखते हुए वहां कुछ वैसी ही विशेष रियायतें, जैसी कि पिछड़े जिलों को दी जाती है, दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरुभाई मेहता 258

(तीन) पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर को अधिक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्त 258

(चार) बिहार में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की एक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस 258-259

(पांच) भाखड़ा और पोंग बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों का शीघ्र पुनर्वास किए जाने तथा पुलों और सड़कों का निर्माण किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर 259

(छः) बिहार के मधुबनी जिले के हथकरघा बुनकरों को दिए गए "अल्पावधि ऋणों" को "दीर्घावधि ऋणों" में बदले जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी 259-260

सामान्य बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा 260-272

श्री दिग्विजय सिंह 260-265

श्री के० प्रधानी 265-267

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल 267-268

श्री के० एस० राव 269-272

पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा 273-280

जम्मू और कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों के शरणार्थियों को वित्तीय सहायता

श्री जनक राज गुप्त 273-276

श्री सन्तोष मोहन देव 276-277, 279-280

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) . . . 277

डा० गौरी शंकर राजहंस 277-278

श्री शांताराम नायक 278

श्री हरीश रावत 278-279

लोक सभा

बुधवार, 15 मार्च, 1989/24 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में सफेदा और अन्य वृक्षों की कटाई

[अनुवाद]

*286. डा० जी० विजय राजा राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान सफेदे के और अन्य प्रकार के कितने वृक्ष काटे गए और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) काटे गए वृक्षों की हानि को पूरा करने के लिए उन स्थानों पर कितने वृक्ष लगाए गए ; और

(ग) दिल्ली में हरियाली को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली में पिछले तीन महीनों के दौरान सफेदे व दूसरे प्रकार के लगभग 1,823 वृक्ष काटे गए हैं। वृक्षों को काटे जाने के बारे में दिए गए कारण इस प्रकार हैं :

(1) वृक्षों का पुराना हो जाना।

(2) गमोसिस नामक बीमारी का फैलना।

(3) मानव जीवन को खतरा।

(4) सड़क को चौड़ा करने या अन्य निर्माण गतिविधियों पर प्रभाव।

(5) ऊपर से गुजरने वाली अधिक शक्तिशाली विद्युत लाइनों को बाधा पहुंचना।

(ख) 1988-89 के दौरान अब तक संघ शासित प्रदेश दिल्ली में 60 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं जिनमें दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाए गए 6.22 लाख वृक्ष भी शामिल हैं।

(ग) दिल्ली में हरियाली को नष्ट होने से बचाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) वृक्षों को भूमि की सतह से सटा काटा जाता है ताकि वे पुन: अंकुरित हो सकें।

(2) ऊसर एवं बंजर भूमियों तथा साथ ही जलसंभर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) उप राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जा सकता।

(4) दिल्ली में वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने के बारे में नियम बनाने के प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

(5) वृक्षों की कटाई से संबंधित सभी मामलों में उप राज्यपाल को सलाह देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक स्थाई समिति का गठन किया है।

डा० जी० विजयराघव राव : हम दिल्ली से लेकर एक ग्राम स्तर तक हरियाली की मांग करते रहे हैं क्योंकि इसका परिस्थितिकीय संतुलन से गहरा संबंध है। हाल ही में दिल्ली में बहुत से पेड़ काटे गए हैं। इस नए किस्म के पेड़ लगाने का क्या कारण है। यह नई जानकारी कौन सी है जिसके कारण आपने ये पेड़ काटे हैं ? ये नए किस्म के पेड़ क्या हैं जो इन पेड़ों के स्थान पर लगाए जाने हैं। उन्हें खाली हुए क्षेत्र को भरने में कितना समय लगेगा ?

श्री शिवाउर्रहमान अंसारी : मैंने सभा पटल पर रखे अपने विवरण में इन कारणों के बारे में बताया है। यदि माननीय सदस्य की रुचि हो तो मैं उन कारणों को फिर से पढ़कर सुनाता हूं। ये इस प्रकार हैं :

(1) पेड़ों का पुराना होना।

(2) गमोसिस नामक बीमारी का फैलना।

(3) मानव जीवन के लिए खतरनाक।

(4) सड़कों को चौड़ा करने या अन्य निर्माण कामों के मार्ग में बाधा।

(5) उच्च शक्ति बिजली के तारों को बाधा पहुंचाना।

जहां तक दिल्ली में हरियाली बनाए रखने का संबंध है, इस बारे में अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1988-89 में ही दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 60 लाख पेड़ लगाए गए हैं जिन में से 6.22 लाख दिल्ली नगर निगम द्वारा उगाए गए हैं। ये सभी कदम दिल्ली को अधिक हरा बनाने के लिए उगाए गए हैं ; और इन कारणों से थोड़े से पेड़ ही काटे गए हैं।

डा० जी० विजय राघव राव : क्या पहले यूकिलिपटस की लकड़ी का इस्तेमाल यूकिलिपटस तेल और रेयन तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता था ; यदि हां, तो विदेशी

मुद्रा के रूप में हमें कितना धन प्राप्त हो रहा है ; तथा भविष्य में रेयन तैयार करने के लिए इसका विकल्प क्या होगा।

श्री शिवाउर्रहमान अंसारी : मुझे खेद है कि मैं विदेशी मुद्रा से संबंधित भाग का उत्तर नहीं दे सकता। यूक्टिलिपटस के पेड़ के कई उपयोग हैं। दवाओं तथा अन्यथा इसका काफी उपयोग है। यूक्टिलिपटस पेड़ का इस्तेमाल कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हाल ही में पता चला है कि यूक्टिलिपटस के पेड़ का उपयोग फर्निचर बनाने के लिए लकड़ी के रूप में भी हो सकता है।

श्री अच्युत मुखराम : माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली में हरियाली नष्ट करने का एक कारण पुराने पेड़ों का काटा जाना है। हम पिछले दस वर्षों से देश भर में हरियाली बढ़ाने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि हरियाली के लक्ष्य को पूरा करने का एक तरीका पेड़ लगाना है। माननीय मंत्री जी तथा कोई भी व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि पेड़ों का लगाया जाना ही पर्याप्त नहीं है ; वास्तव में वह तो पहला तरीका है। क्या मंत्री महोदय विशेष रूप से यह आश्वासन देंगे कि वह दिल्ली के लिए भी हिमाचल प्रदेश की भांति भूतपूर्व सैनिकों की एक इकालोजीकल बटालियन तैयार की जाएगी जो न केवल पेड़ लगाने का काम करेंगे बल्कि उन पेड़ों की देखभाल भी करेंगे तथा एक निर्धारित अवधि के पश्चात, जैसे एक या दो वर्ष के बाद लोगों के गैर-सरकारी निकायों को यह पेड़ सौंप देगी जो आगे उनकी देख भाल करेंगे, क्योंकि केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है ?

श्री शिवाउर्रहमान अंसारी : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना

*287. डा० ए०के० पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) पुणे में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना प्राकृतिक चिकित्सा के सभी पहलुओं में अनुसंधान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जा रही है।

डा० ए० के० पटेल : मानवीय बीमारियों के इलाज के लिए कई चिकित्सा पद्धतियां हैं और प्राकृतिक चिकित्सा उनमें से एक है। आजकल, एलोपेथी, जो कि इलाज की मुख्य चिकित्सा पद्धति है, दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और लोग सस्ता और बेहतर इलाज चाहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक पुराना विज्ञान है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए क्या कदम उठाना चाहती है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

कुमारी सरोज खापर्डे : जहां भी प्राकृतिक चिकित्सा इलाज उपलब्ध है तथा जो कोई भी

इसे सुदृढ़ बनाने के लिए आगे आता है सरकार उसकी ओर काफी ध्यान दे रही है और उन्हें सहायता दे रही है।

डा०पु०के० पटेल : प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए पुणे में स्थित संस्थान को कितनी राशि दी गई है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं यह बताना चाहती हूं कि सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक चिकित्सा के दो कालेज हैं। एक है गांधी नेचर क्योर कालेज, हैदराबाद तथा दूसरा है नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी। पुणे संस्थान के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है कि मंत्रालय ने उसे कितनी सहायता दी है। पुणे प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को अब तक 28 लाख रुपए की राशि दी गई है।

श्री सी०पी० ठाकुर : माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि भारत में बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आयुर्वेद, सिद्धि, प्राकृतिक चिकित्सा, इलैक्ट्रोपैथी, इलैक्ट्रो-होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति के तुलनात्मक गुण-दोषों का मूल्यांकन करने का कोई प्रयत्न कर रही है। भारत एक गरीब देश है और सभी चिकित्सा पद्धतियों पर अपने साधनों को बेकार व्यय नहीं कर सकता।

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य ने देश में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न उठाया है। मैं यह कहूंगी कि सरकार, देश में सभी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है।

श्री एम०रघुमा रेड्डी : महोदय, प्राकृतिक चिकित्सा हमारे देश में सबसे प्राचीन है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराना सौ दिन नया नौ दिन। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए प्रतिवर्ष कितना आवंटन किया जा रहा है; किन-किन राज्यों में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान हैं, क्या हैदराबाद में भी कोई संस्थान है और यदि हां तो इसे प्रतिवर्ष कितनी राशि आवंटित की जा रही है। मैं इन सबका ब्यौरा चाहता हूं।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, इसके दो कालेज हैं, एक है गांधी नेचर क्योर कालेज, हैदराबाद तथा दूसरा है नेशनल कालेज ऑफ नेचरोपैथी, एण्ड रिसर्च, लखनऊ। गांधी नेचर क्योर कालेज, हैदराबाद को पहले कुल व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता था। चूंकि, 1 मई, 1987 से आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, इसलिए 1986-87 के बाद से हमने वित्तीय सहायता नहीं दी है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, मंत्री जी ने मेरे आधे प्रश्न का जवाब दिया है। उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब नहीं दिया है।

कालाजार रोग के संबंध में भारतीय सर्वेक्षक स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट

*288. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सर्वेक्षक स्वास्थ्य संघ द्वारा कालाजार रोग के सम्बन्ध में तैयार की गई रिपोर्ट की जानकारी है और यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में कालाजार रोग से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत के स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ द्वारा काला आजार पर तैयार की गई रिपोर्ट को सरकार ने देखा है।

इस रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :—

—प्राकृतिक इतिहास और जानपदिक रोगविज्ञान।

—रोग के पुन: फैलने के कारण।

—बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रभावित जिले।

—निदान व उपचार की अपर्याप्त सुविधाएं।

—रोग के निवारण व नियन्त्रण के उपाय एवं रोगियों का उपचार।

काला आजार के नियन्त्रण के लिए यह कार्य योजना सोची गई है :

—कीटनाशक छिड़काव के जरिए रोग के फैलने को रोकना।

—काला आजार के रोगियों का शीघ्र निदान और उपचार करना।

—स्वास्थ्य शिक्षा।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, विवरण से ही पता चलता है कि उसे रिपोर्ट से उद्धृत किया गया है जो सभा पटल पर रखी गई है। कालाजार के नियन्त्रण के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है। यह अत्यन्त भयानक रोग है जो निर्धनों को प्रभावित करता है तथा बंगाल और बिहार में बीस से अधिक जिले इससे प्रभावित हैं। इसका एक चक्र है। कालाजार के नियन्त्रण की कार्य योजना में कीटनाशक छिड़काव द्वारा इसे फैलने से रोकना, कालाजार के रोगियों का शीघ्र निदान और इलाज तथा स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था है। इसे कैसे नियन्त्रित किया जाए इस बारे में तीन मुद्दे उठाए गए हैं। इस बारे में मुझे सन्देह है कि उन्होंने कोई कार्य योजना तैयार की है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने देश में ऐसे मामलों की संख्या का अनुमान लगाया है तथा सोडियम एण्टीमोनी ग्लूकोमेट या वैकल्पिक पेन्टामाइडिन, जिसका इस्तेमाल इसके इलाज के लिए होता है, की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाया गया है तथा क्या उन्होंने उसकी सप्लाई की व्यवस्था की है।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, माननीय सदस्य को सरकार की कार्य योजना के सम्बन्ध में सन्देह है। मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि 60·280 करोड़ रुपए की लागत वाली एक कार्य योजना तैयार की गई है। योजना आयोग से, कालाजार कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। योजना आयोग ने सूचित किया है कि कालाजार नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1989-90 में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी रखा जाए।

महोदय, जहां तक पेंटामाइडिन औषधि के आयात का सम्बन्ध है—नि:सन्देह यह एक महंगी

दवाई है जिसका आयात किया जाता है—हम इस प्रकार के इलाज को देश में ही उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से ऐसा लगता है कि योजना आयोग की रुचि मौतों को कम करने या रोग उन्मूलन करने में नहीं है यदि वह इसका इलाज सामान्य मलेरिया कार्यक्रम के अंग के रूप में करते हैं। हमारी जानकारी में यह एक घातक ज्वर है और सरकार के इस प्रकार के रवैये को देखकर खेद होता है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे निपटने के मामले में गम्भीर है ? या सरकार योजना आयोग के इन्कार के आधार पर यह कह देगी कि वह कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि पेंटामाइडिन, जिसका आयात किया जाता है, महंगी दवाई हो। किन्तु क्या जीवन सस्ता है ? यह सवाल मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि औषधि का मूल्य अथवा भुगतान संतुलन भारत में व्यक्ति के जीवन से अधिक महत्त्वपूर्ण है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राष्ट्रीय कालाजार नियन्त्रण कार्यक्रम बनाया है और क्या यह वही कार्य योजना है जिसका जिक्र मंत्री महोदया ने अभी सभा में किया था और उन्होंने जो 60 करोड़ रुपए से अधिक राशि निर्धारित की थी क्या वास्तव में यह राशि आवंटित की गई है या योजना आयोग की सिफारिशों के कारण उस योजना को अभी छोड़ दिया गया है। शायद मंत्री महोदया यह उत्तर नहीं देंगी कि वह योजना आयोग की सिफारिशों के कारण असहाय हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : कालाजार नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए सरकार पहले ही 1 करोड़ रुपए दे चुकी है। हमने बिहार को 50 लाख रुपए दिए हैं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : यह बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने 50 लाख रुपए आवंटित किए हैं जबकि उन्होंने स्वयं इस कार्यक्रम के लिए 60 करोड़ रुपए रखे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हस्तक्षेप करके कम से कम मंत्री महोदय को यह कहें कि वह इस कार्यक्रम को अधिक गंभीरता से लें क्योंकि कालाजार के कारण लोग मर रहे हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : हमारी वित्तीय कठिनाइयां हैं और आठवीं योजना में हम निश्चय ही उसके लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करेंगे।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : मेरे विचार से यह शर्म की बात है और इसकी निन्दा की जानी चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

*290. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के राज्य-वार कितने गोदाम हैं; और

(ख) क्या और अधिक गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एस० मैठा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं की अलग-अलग राज्यवार संख्या और निर्माणाधीन/निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षमता (1.1.1989 को स्थिति के अनुसार)

(हजार मीटरी टन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं की संख्या	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माणाधीन क्षमता	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित क्षमता	कुल क्षमता स्तम्भ (4) + स्तम्भ (5)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	93	60·00	—	60·00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	—	2·50	2·50
3.	असम	47	—	20·00	20·00
4.	बिहार	79	—	20·00	20·00
5.	गोवा	5	—	—	—
6.	गुजरात	31	—	—	—
7.	हरियाणा	87	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	13	7·50	23·34	30·84
9.	जम्मू तथा कश्मीर	10	22·50	42·50	65·00
10.	कर्नाटक	46	35·00	—	35·00
11.	केरल	35	—	35·00	35·00
12.	मध्य प्रदेश	121	5·00	—	5·00
13.	महाराष्ट्र	25	45·00	—	45·00
14.	मणिपुर	7	—	—	—
15.	मेघालय	4	—	—	—
16.	मिजोरम	4	8·00	5·00	13·00
17.	नागालैंड	3	5·00	7·50	12·50
18.	उड़ीसा	37	—	10·00	10·00
19.	पंजाब	211	19·98	—	19·98

1 2	3	4	5	6
20. राजस्थान	74	27·91	—	27·91
21. सिक्किम	2	6·67	3·33	10·00
22. तमिलनाडु	57	—	—	—
23. त्रिपुरा	7	14·44	10·00	24·44
24. उत्तर प्रदेश	206	74·31	15·00	89·31
25. पश्चिम बंगाल	170	10·00	18·34	28·34
26. अण्डमान तथा निकोबार	—	—	5·00	5·00
27. चण्डीगढ़	9	—	—	—
28. दिल्ली	11	5·00	—	5·00
29. पांडिचेरी	4	—	—	—
जोड़	1401	346·31	217 51	563·82

डा० फुलरेणु गुहा : उत्तर में यह बताया गया है कि निगम द्वारा 2.18 लाख टन क्षमता का निर्माण करने का विचार है। मैं यह जानना चाहती हूं कि प्रस्तावित क्षमता का निर्माण कब शुरू होगा और यह काम कब पूरा होगा ?

श्री डी० एस० बैंठा : कुल प्रस्तावित क्षमता कई घटकों पर निर्भर होगी। कुछ स्थानों पर भूमि-अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अन्य कई स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। अत: एक निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

डा० फुलरेणु गुहा : यह देखा गया है कि देश के कई भागों में गोदामों की कमी के कारण धान और गेहूं खुले में पड़ा है। क्या नए गोदामों के निर्माण के बाद सारा धान और गेहूं उनमें रखा जाएगा ? क्या विभिन्न क्षेत्रों से समय पर धान और गेहूं लदकर गोदामों में भरने की कोई उचित व्यवस्था है ? मैंने विशेष रूप से 'समय पर' का जिक्र किया है।

श्री डी० एस० बैंठा : यह सच नहीं है कि धान और गेहूं खुले में पड़ा है। हम आश्वासन देते हैं कि इसकी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और अभी भी इसकी व्यवस्था है। इसकी पर्याप्त क्षमता है और इसकी कोई कमी नहीं है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वे 2.9 लाख से अधिक क्षमता वाले कुछ और गोदाम बनाने पर विचार कर रहे हैं। यह विस्तार होने वाला है और यह प्रक्रिया जारी है। क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सदस्यों के विरोध तथा उनके द्वारा इस संबंध में अभ्यावेदन

दिए जाने के बावजूद वहां बनाए गए गोदामों को किराये पर दे रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गोदाम क्यों किराए पर दे रहा है।

श्री डी० एल० बैठा : महोदय, कई स्थान ऐसे हैं जहां हमें इसकी क्षमता की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी क्षमता है और कुछ क्षमता फालतू होती है अत: हम अपनी किफायत के लिए गोदाम किराए पर दे रहे हैं। लेकिन जिन स्थानों पर क्षमता उपलब्ध नहीं है, हम अपने गोदाम बना रहे हैं। अत: यह जगह की जरूरत पर निर्भर है।

श्री जीवतराम पाणिग्रही : महोदय, कुछ स्थानों पर गोदामों की कमी के कारण धान आदि की मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती है, जैसा कि उड़ीसा में हुआ है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या कई स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट गोदाम किराए पर ले रहा है और यदि हां तो इस पर कितनी राशि खर्च होती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे गोदाम किराए पर दे रहे हैं किन्तु मैं जानता हूं कि कुछ स्थानों पर वे किराए पर गोदाम ले भी रहे हैं। वे प्राइवेट गोदाम किराए पर ले रहे हैं। अत: उनके पास तीन तरह के गोदाम हैं। उनकी अपनी क्षमता है, वे गोदाम किराए पर दे रहे हैं और वे प्राइवेट गोदाम भी किराए पर ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्राइवेट गोदाम किराए पर लेने पर उन्हें कितना खर्च करना पड़ रहा है। जिन स्थानों पर गोदाम कम हैं, जैसा कि उड़ीसा में है, नए गोदाम के निर्माण, विशेषकर हीराकुड क्षेत्र में, के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री डी० एल० बैठा : महोदय, जहां तक इस स्थान विशेष का संबंध है, मुझे उसके लिए एक अलग नोटिस चाहिए।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मंत्री जी के उत्तर में केरल के बारे यह कहा गया है कि 35 गोदामों का निर्माण किया जा चुका है, निर्माणाधीन क्षमता शून्य है, बढ़ाने की क्षमता 35 है और कुल क्षमता भी 35 है। अत: यह उतनी ही है। यद्यपि निगम का विचार 35 गोदाम बनाने का है, उन्होंने अब तक किसी गोदाम का निर्माण शुरू नहीं किया है, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। मैं जानता हूं कि तिरूवला में सर्वेक्षण किया गया था और गोदाम के निर्माण के सभी प्रबंध कर लिए गए थे। केरल जैसे राज्य में, जहां सार्विधिक रूप से राशन व्यवस्था है, राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह भारतीय खाद्य निगम से ये वस्तुएं प्राप्त करके बेचें और भारतीय खाद्य निगम को ये सप्लाई करनी होती है। केरल कमी वाला राज्य है। हमारी कुल आवश्यकता के 48% के लिए हमें अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है और भारतीय खाद्य निगम को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। लेकिन मुझे खेद है कि पहले से निर्मित गोदामों की संख्या 35 है, प्रस्तावित गोदामों की संख्या भी 35 है किन्तु विवरण के अनुसार अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि वे केरल में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित गोदामों का निर्माण कार्य कब शुरू कराने जा रहे हैं ?

श्री डी० एल० बैठा : महोदय, यह एक सामान्य प्रश्न है। स्थान विशेष की जानकारी के लिए मुझे पृथक नोटिस चाहिए।

यमुना में प्रदूषण

+

*292. श्री एच० एम० नन्जे गौडा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ इसके आसपास अनधिकृत बस्तियों की संख्या में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप यमुना नदी एक गन्दे नाले का रूप धारण कर रही है, जैसाकि 20 फरवरी, 1989 को "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यमुना नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) दिल्ली में यमुना नदी मुख्यतया घरेलू अपशिष्ट जल के विसर्जन के कारण सर्वाधिक प्रदूषित हुई है।

(ख) यमुना नदी के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए अनेक स्कीमें चलाई गई हैं, जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) घरेलू कूड़ा-करकट की सफाई के लिए मलजल शोधन संयंत्रों के निर्माण और उनमें वृद्धि करने की योजनाएं।

(2) सीवर बिछाने, उनकी मरम्मत और रख-रखाव के लिए स्कीमें।

(3) प्रदूषण भार को कम करने के लिए यमुना में गिरने वाले बड़े नालों से कूड़ा-करकट रोकने के लिए स्कीमें।

(4) मलजल को शोधन संयंत्रों में डालने के लिए मलजल पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण की स्कीमें।

(5) नदी में बहिस्रावों के बहाव को रोकने के लिए औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति नीचे दी गई है :

(1) केशोपुर और रिठाला के मलजल शोधन संयंत्रों की क्षमता में 70 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम०जी०डी०) तक वृद्धि करने के लिए निर्माण कार्यों को

1989 तक पूरा किया जाना है। कोरोनेशन पिल्लर शोधन संयंत्र का जीर्णोद्धार और उनकी क्षमता में वृद्धि करने की एक स्कीम मंजूर कर दी गई।

(2) 3 नालों के अन्तिम छोर पर आक्सीडेशन तालाब बनाए गए हैं।

(3) मलजल को यमुना नदी से दूर डालने के लिए सीवर बिछाए गए हैं।

(4) ट्रंक सीवरों से गाद निकालने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है ताकि उनकी वहन क्षमता में वृद्धि की जा सके। विभिन्न ट्रंक सीवरों की सफाई के लिए 23 मशीनों को लगाया गया है।

(5) यमुना में 7 बड़े नालों से गिरने वाले कूड़ा-करकट को ट्रंक सीवरों में रोक दिया गया है। 3 नालों के मलजल को स्रोत पर ही काफी हद तक रोक दिया गया है।

(6) रोहिणी और हैदरपुरी में दो बड़े पंपिंग स्टेशनों को पूरा किया गया और इन्हें चालू किया गया। शाहदरा में जाग्रति पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूरा होने वाला है। मानसरोवर पार्क, अरुण नगर और गीता कालोनी में तीन बड़े पम्पिंग स्टेशनों को स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। अवंतिका में मलजल पम्पिंग स्टेशन का काम प्रगति पर है।

(7) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरू हो गई है।

(2) नदी जल गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं तथा वजीरपुर, नोएडा ब्रिज और ओखला बैरेज स्थित तीन निगरानी स्टेशनों से नदी जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।

(3) बड़े प्रदूषक उद्योगों से होने वाले बहिस्राव के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित कर दिए गए हैं।

(4) संघ शासित प्रदेश, दिल्ली में उद्योगों को निर्धारित समय के भीतर बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने और अपने बहिस्रावों को निर्धारित मानकों के अनुसार शोधित करने के लिए कहा गया है।

(5) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अन्तर्गत बड़े दोषी उद्योगों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए हैं और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत एक उद्योग को पर्याप्त शोधन सुविधाएं लगाने के निदेश दे दिये गये हैं।

श्री एच० एम० नन्जे गौडा : महोदय, मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है। उन्होंने बताया कि बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं की कुल अनुमानित

लागत कितनी है और अब तक उन्होंने कितना खर्च किया है, कितना खर्च किया जाना बाकी है और ये योजनाएँ कब तक पूरी की जा सकती हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, दिल्ली प्रशासन द्वारा जो योजनाएँ शुरू की गई हैं वे निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ योजनाएँ इस वर्ष, अर्थात 1989, के अंत तक पूरी हो जाएंगी। कुछ का निर्माण कार्य 1992 तक चलेगा। महोदय यदि माननीय सदस्य इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूंगा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : सभी योजनाओं पर कितना खर्च किया जा चुका है और कितना खर्च और करना पड़ेगा ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, उत्तर प्रदेश में जल-मल निकास में सुधार के लिए 4.27 करोड़ रुपये की लागत से 84 योजनाएँ शुरू की गई हैं। दिल्ली नगर निगम ने मल-जल निकास सुविधाओं में और गंदे पानी को साफ करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 140.23 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। महोदय, ये योजनाएँ विभिन्न चरणों में हैं और जैसा मैंने कहा है वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी तथा कुछ का कार्य 1990-92 तक चलेगा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि बड़े दोषी उद्योगों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए हैं। क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि किन किन उद्योगों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए हैं और क्या ऐसे भी कुछ उद्योग हैं जो अधिक बहिस्राव करके प्रदूषण के लिए दोषी हैं ? क्या ऐसे उद्योगों को संघ राज्यक्षेत्र से बाहर ले जाने पर विचार किया गया है और क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि संघ राज्यक्षेत्र में और नए उद्योग लगाने की अनुमति न दी जाए ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, जहां तक उद्योगों का संबंध है, बड़े पैमाने और छोटे पैमाने की 9 इकाइयां हैं जिन्होंने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाए हैं। 5 इकाइयां ऐसी हैं जिन्होंने निर्धारित मानदंडों के अनुसार बहिस्राव शोधन संयंत्र नहीं लगाए हैं। 21 इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मैं हर इकाई के कार्यनिष्पादन तथा उन इकाइयों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बता सकता हूं। महोदय इस समय ऐसी 33 इकाइयां हैं। पहले ऐसी 21 इकाइयां थीं। स्वतंत्र भारत इकाई का बहिस्राव शोधन संयंत्र अपर्याप्त है। बोर्ड ने उन्हें बहिस्राव शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के निदेश दिए हैं। अत: ऐसी 33 इकाइयां हैं। मैं इस बारे में विस्तार में बता सकता हूं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं अथवा माननीय सदस्य तक यह पहुंचा सकता हूं। जहां तक उद्योगों के स्थलों का संबंध है, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि जब उद्योग लगाने का प्रस्ताव रखा जाए तो हम यह देखें कि क्या वह उद्योग विशेष उस क्षेत्र विशेष में लगाया जाना चाहिए या नहीं, उस क्षेत्र की वहन क्षमता कितनी है और उस क्षेत्र की पर्यावरण और परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, यह खबर छपने से मैंने यह प्रश्न पूछा उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब यमुना नदी दिल्ली की सीमा में आती है तो उसका पानी टैस्ट किया जाये तो 100 मिलीमीटर में सात हजार पांच सौ बैक्टीरिया बीमारियों के रहते हैं। जब यह नदी दिल्ली

क्रास करके जाती है तो उस 100 मिली मीटर पानी में चौबीस मिलियन यानि दो करोड़ चालीस लाख बैक्टीरिया रहते हैं, यह तो बहुत भयानक बात है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यमुना में दिल्ली में जो पानी आता है, उसे हम वजीराबाद के ऊपर अपस्ट्रीम में पीने के योग्य बनाकर ही दिल्ली में सप्लाई करते हैं। वह पानी काफी अच्छा होता है और क्लोरिनेशन के बाद पीने के योग्य बनाया जाता है। यह बात सही है कि जिस वक्त वह पानी यमुना में दिल्ली से पास होता है, आगे जाने पर उस में पौल्यूशन की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। यमुना के पानी में पौल्यूशन सीवरेज की वजह से होता है। दिल्ली प्रशासन ने वैसे तो कई कदम उठाए हैं, सीवरेज को इम्प्रूव करने के लिए एफ्लूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है और कई सारी स्कीम्स इम्पलीमैंटेशन में हैं। जहां तक क्लोरोडाइन का सवाल है, वजीराबाद अपस्ट्रीम में 21 हजार क्लोरोडाइन की मात्रा पायी जाती है, रिंग रोड पर 8 लाख 70 हजार और आगरा कैनाल में 15 लाख 60 हजार क्लोरोडाइन की मात्रा पायी गई है। यह बात सही है कि जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्लोरोफार्म की मात्रा बढ़ती जाती है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पौल्यूशन यदि कोई फैलाता है तो वह दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन है, जिसके सारे सीवर यमुना में जाकर गिरते हैं। बीस साल से बराबर यह बात कही जा रही है कि हम इसकी सफाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बैल्ट को साफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इस मद में अब तक कितना पैसा रखा और उसमें से कितना पैसा खर्च किया गया, सालाना आंकड़े क्या हैं। आपने कहा कि एफ्लूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट साल भर में तैयार हो जायेंगे, लेकिन आज तक एक भी तैयार नहीं हुआ। आज हालत यह है कि लोग यमुना में नहाने के लिए जरूर जाते हैं लेकिन नहा नहीं सकते, बेशक उनकी धार्मिक भावनाएं यमुना से जुड़ी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सालाना आपने इस मद में कितना पैसा एलाट किया और उसमें से कितना खर्च किया गया।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : म्युनिसिपल कारपोरेशन ने इस मद में कितना पैसा रखा, कितना खर्च किया, उसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। मैं सिर्फ यह बतला सकता हूं कि बहुत सी स्कीमें हैं जो म्युनिसिपल कारपोरेशन ने ली हुई हैं और उन पर काम जारी है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना हैं जबकि हर बार आश्वासन दे दिया जाता है। यह डिटेल्स तो आपके पास होने चाहिए कि हर साल इस मद में कितना पैसा रखा गया और कितना खर्च हुआ। पैसा जाता कहां है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं अभी आपको छठी और सातवीं योजना में वर्ष वार किए गए व्यय के बारे में जानकारी दूंगा।

छठी पंचवर्षीय योजना में, परिव्यय 65·60 करोड़ रुपए था और व्यय 50·41 करोड़ रुपए किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 140·23 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 1985-86 में 19·92 करोड़ रुपए ही व्यय हुआ। 1986-87 में 19·88 करोड़ और 1987-88 में 20·93 करोड़

रुपए तथा 1988-89 में जनवरी 1989 तक 17·68 करोड़ रुपए व्यय किए गए। कुल व्यय 78.41 करोड़ रुपए था।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं कि जो गन्दा पानी केशवपुर ड्रेन का नजफगढ़ नाले में पड़ता है, उसको मंगलपुर ड्रेन में डाला जाए जिससे ट्यूबवैलों में पानी की सतह ऊपर आ जाए और किसानों को पानी मिल जाए। पिछले साल दिल्ली प्रशासन ने सूखे में वह पानी मंगलपुर ड्रेन में डाला था लेकिन इस साल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि डेसू वालों ने कमर्शियल बिल लगा दिया है। वह 30 हजार रुपए का बिल भी जमा करा दिया है, लेकिन पानी अभी तक वहां नहीं डाला गया है। इसलिए मेरी मांग है कि उस गन्दे पानी को मंगलपुर ड्रेन में डाल दिया जाए जिससे गन्दा पानी जमना में न जाए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली प्रशासन ने कुछ स्कीमें बनाई हैं, लेकिन उनपर तेजी से काम नहीं हो रहा है। मेरा मंत्री से पूछना है कि आप उन स्कीमों को तेजी से चलाइए जिससे वह पानी खेतों में दिया जाए जिससे फसल अच्छी हो ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : सर, इन सारी स्कीम्स का परपज ही यही है कि पानी को ट्रीट करके जमना में न डालकर के इरीगेशन परपजेज के लिए या दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए जो हमारी सीवरेज लाइन से आता है। उसी के लिए हम दिल्ली प्रशासन और म्युनिसिपल कार्पोरेशन की पब्लिक ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, यह बात सही है कि उस तेजी से हमारे डवलपमैंट के कार्य, काफी खर्च करने के बाद भी, हम उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और बैकलॉग रह जाता है। यह एक वाकया है और इसमें लम्बे वक्त तक पैसा खर्च करने के बाद हम इस सिचुएशन को मीट कर सकेंगे बशर्ते पापुलेशन को किसी न किसी पाइण्ट पर फिक्स कर दिया जाए। इसके अलावा अनऑथोराइज्ड कालोनीज का मसला है जिनमें कोई सीवरेज लाइन्स नहीं होती हैं, प्लानिंग नहीं होती है। कालोनाइजर्स उन कालोनीज को बना देते हैं। उनमें भी सीवरेज डालने में, डिवलेप करने में काफी दिक्कत आती है।

शिशु मृत्यु दर में उतार-चढ़ाव तथा रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम

*293. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 0-4 वर्ष के आयु वर्ग में इस समय अनुमानत: कितने बच्चों की मृत्यु होती है और तत्संबंधी सारे देश के तथा राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में उतार-चढ़ाव के बारे में अध्ययन करने के लिए नमूने के तौर पर कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 तक व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न आयु वर्ग के कितने प्रतिशत बच्चों को रोग प्रतिरक्षण के लिए टीके लगाए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के नवीनतम अनुमानों (1986) के अनुसार समूचे देश में 0-4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार 36·6 है। बड़े राज्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न उपाबंध-1 में दिया गया है।

शिशु मृत्यु दर (0-1 वर्ग) और बाल मृत्यु दर (0-4 वर्ष) नमूना पंजीयन पद्धति से प्राप्त की जाती है और पिछले वर्षों के दौरान इसमें कमी का रुख दिखाई दिया है।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985 में 30 जिलों में शुरू किया गया था और उत्तरोत्तर इसका विस्तार 304 जिलों में किया गया है जो कार्यान्वयन के गहन चरण में हैं। देश के शेष जिलों को भी 1989-90 के दौरान गहन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा। रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए जिलों में 85 प्रतिशत शिशुओं (0-1 वर्ष) को रोग प्रतिरक्षण प्रदान किया जाता है। गहन चरण वाले जिलों से भिन्न जिलों में भी प्रतिरक्षण स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1985 से जन्में कुल बच्चों और रोग प्रतिरक्षित किए बच्चों (दिसम्बर, 1985 तक) की अनुमानित संख्या संलग्न उपाबन्ध-2 में दी गई है।

उपाबंध—1

बड़े राज्यों में 0-4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित मृत्यु दर, 1986

बड़े राज्य	0-4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित मृत्यु दर
1	2
आन्ध्र प्रदेश	29·1
असम	40·4
बिहार	43·3
गुजरात	37·4
हरियाणा	29·1
हिमाचल प्रदेश	27·1
जम्मू व कश्मीर	29·0
कर्नाटक	24·5
केरल	8·1
मध्य प्रदेश	50·0
महाराष्ट्र	20·6

1	2
उड़ीसा	43·9
पंजाब	24·1
राजस्थान	41·4
तमिलनाडु	25·1
उत्तर प्रदेश	54·3
पश्चिम बंगाल	25·6
भारत	36·6

स्रोत—भारत के महापंजीयक

उपाबंध-2

1985 तक जन्मे अनुमानित बच्चों और रोग प्रतिरक्षण किए गए (दिसम्बर, 1988 तक) बच्चों की कुल संख्या

(आंकड़े दस लाख में)

वर्ष	वर्ष के दौरान जन्मे अनुमानित बच्चों की संख्या	उन शिशुओं की संख्या जिनका रोग प्रतिरक्षण किया गया				प्रतिशत			
		डी.पी.टी.	पोलियो	बी.सी.जी.	खसरा	डी.पी.टी.	पोलियो	बी.सी.जी.	खसरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1985-86	23·00	15·18	13·19	6·62	0 32	66·00	57·35	28·78	1·39
1986-87	22·92	12·99	11·14	11·81	3·21	56·67	48·60	51·52	16·18
1987-88*	22·83	16·50	13·81	16·17	10·05	72·27	60·49	70·82	44·02
1988-89* दिसम्बर, 88 तक	17·06	11·81	10·95	11·92	7·94	69·22	64·18	69·87	46·54

*आंकड़े अनन्तिम

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वक्तव्य के पहले उपाबन्ध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 0-4 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की अखिल भारतीय मृत्यु दर 36·6 की तुलना में केरल ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है जहां पर यह दर अत्यन्त कम अर्थात 8·1 है। हमारे यहां ऐसे कुछ राज्य है जहां यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

ये राज्य कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। दूसरी ओर ऐसे मुख्य राज्य हैं जिनकी औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इससे कोई राजनैतिक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूं। लेकिन यह विचित्र संयोग है कि कम औसत वाले अधिकतर राज्य विपक्ष द्वारा शासित हैं और अधिक औसत वाले राज्य कांग्रेस-शासित हैं। लेकिन इसके अलावा मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन दो श्रेणियों के राज्यों में इस अत्यधिक अन्तर के कारणों पर कोई अध्ययन किया गया है और क्या इससे कुछ सीख मिली है जो आमतौर पर लागू की जा सके और केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन के अन्तर्गत उसे सारे देश में लागू किया जा सके।

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा आंकड़ों की व्याख्या के फलस्वरूप प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो राज्य प्रतिरक्षण और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को महत्व देते हैं वहां मृत्यु दर कम है और जो राज्य विभिन्न कारणों संभवत: वित्तीय कारण, कमजोर बुनियादी ढांचा आदि की वजह से इनकी उपेक्षा करते हैं वे यह कार्य अधिक अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम उनसे लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। हमारे यहां एक मूल्यांकन व्यवस्था है जो इन बातों का संकेत देती है और इन पर प्रकाश डालती है। राज्य सरकारों से लगातार सलाह की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि क्या हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि एक कारण तो यह है कि कुछ टीके शीतल स्थान पर रखने होते हैं। इस सम्बन्ध में विद्युत की भी मुख्य भूमिका है कि टीके उचित स्थिति में हैं या नहीं, और क्या अन्य उपकरणों का पर्याप्त रूप से रखरखाव हो रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर जहां पर बुनियादी ढांचा बेहतर है, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की इच्छा है महिलाओं में साक्षरता दर अधिक है, कार्यक्रम अच्छी तरह आयोजित किया जाता है वहां बेहतर परिणाम मिलते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : इसमें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमें यह समीक्षा उन राज्यों के पास भेजनी चाहिए जो इस कार्यक्रम पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि जब मैं बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम के आंकड़े और इसकी प्रगति को देखता हूं तो पाता हूं कि बच्चों को डिपथेरिया, पोलियो, तपेदिक और खसरे से बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं : क्या इस कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ? क्योंकि मैं समझता हूं कि सिर्फ कागजी जानकारी पर पूर्णतया निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अनेक मामलों में तो कागजी आंकड़े ही हैं। लेकिन इसकी वास्तविक जांच तो यह होगी कि क्या डिप्थेरिया, तपेदिक, और पोलियो जैसी बीमारियों की घटनाएं वास्तव में भी कम हुई हैं और इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या कई वर्षों से चल रहे बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम के प्रभाव को इन बीमारियों के घटित होने की तुलना में आंका गया है और क्या वे इनके विरुद्ध आबादी को उन्मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर असहमत हूं कि ये कामचलाऊ आंकड़े हैं। ये आंकड़े राज्य सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों से एकत्रित किए गए हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह मेरे प्रश्न का मुख्य भाग नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसका अभिप्राय यह है कि ये आंकड़े यथासंभव विश्वसनीय हैं और उन्हें राज्य सरकारों से उचित तरीके से एकत्रित किया गया है और इन्हें कम न समझा जाए। कार्यक्रम के प्रभाव के संबंध में जिन बीमारियों का माननीय सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है उनके लिए हुए प्रतिरक्षण के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन पूर्ण रूप से कार्यक्रम का वर्ष के दौरान पूर्ण प्रभाव काफी संतोषजनक रहा है जिसके मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं। उदाहरणतः शिशुओं की मृत्यु दर इस प्रकार है (शिशु का मतलब जन्म से एक वर्ष के बच्चे हैं)।

1981	110
1982	105
1983	105
1984	104
1985	97

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने यह नहीं पूछा था। मैंने कहा था कि हम जनसंख्या को डिफ्थेरिया, पोलियो और तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरक्षित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुल मिला कर जनसंख्या में ये तीनों बीमारियां कम हुई हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें एकत्रित करना संभव नहीं है लेकिन कुल परिणाम यह है कि मृत्यु दर में कमी हुई है। इसका यह मतलब है कि ये कार्यक्रम प्रभावी रहे हैं। जिन विभिन्न बीमारियों के लिए यह प्रतिरक्षण किया गया है उनमें वृद्धि नहीं हुई है। वे कम हो रही हैं। कुल परिणाम यह है कि मृत्यु दर हर वर्ष कम हो रही है। प्रत्येक बीमारी के लिए आंकड़े देना संभव नहीं है। कुल मिलाकर उनमें काफी कमी आई है और इसके फलस्वरूप कुल मृत्यु दर में कमी आई है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को नहीं समझ सके हैं। मैं जनसंख्या में ऐसी घटनाओं का पूर्णरूप से उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि बच्चे बाद में बच्चक बनते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम के बावजूद बाल मृत्यु दर अधिकतर राज्यों में कम नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई नया कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहती है ताकि जिन राज्यों में बाल मृत्युदर कम नहीं हुई है वहां इसे काफी कम किया जा सके।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने पहले कुछ संभव कारण बताए थे कि कुछ राज्यों ने अन्य राज्यों जैसा अच्छा कार्य क्यों नहीं किया। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने एक प्रौद्योगिकी मिशन व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए भी बनाया है। इस वर्ष हम चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों को इसके अन्तर्गत लाएंगे।

पहले ही काफी जिले हैं और पूरा देश इसके अन्तर्गत लाया जाएगा। जो राज्य अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम उनकी सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। टीकों की सप्लाई काफी [illegible] है। यद्यपि बुनियादी ढांचे की कठिनाइयां हैं जैसा कि मैंने ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत कर्मचारियों तथा सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का उल्लेख किया था, फिर भी हम [illegible] से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपने काम में सुधार लाएं।

डा० ए० कलानिधि : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से वाकिफ है कि शिशु-मृत्युदर और इसकी उच्च दर का मुख्य कारण शिशु-अतिसार है और यदि हां तो क्या शिशु-अतिसार तथा इससे होने वाली शिशु-मृत्युदर की अत्यधिक प्रतिशत को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्तन-पान को प्रचार माध्यमों द्वारा लोकप्रिय बनाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, अतिसार विशेषरूप से शिशुओं और बच्चों के लिए अत्यंत गंभीर समस्या है। विशेषरूप से बच्चों में अतिसार के कारण निर्जलन रोकने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। उदाहरण के लिए हमने मुख द्वारा निर्जलन दूर करने का उपचार करने के उपाय किए हैं। इस उपचार का अत्यधिक प्रसार हुआ है। हम हरेक प्रभावित व्यक्ति को ओ०आर०एस० थैलियां दे रहे हैं। इन ओ०आर०एस० थैलियों के निर्माण में सुधार लाया जा रहा है। ये थैलियां वास्तव में विभिन्न रसायनों का योग हैं जो पानी में घुल जाएंगे ताकि अतिसार से होने वाला निर्जलन [illegible] संभव कम हो जाए। हम इस बारे में [illegible] हैं कि इस आपदा पर यथासंभव नियंत्रण किया जाए। इसे नियंत्रित करने के लिए दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं और मुख से निर्जलन दूर करने के उपचार को काफी आसान और व्यापक रूप में उपयोग किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों में छोटे परिवार की धारणा को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन

*294. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों में छोटे परिवार की धारणा को बढ़ावा देने हेतु आरम्भ की गई नकद प्रोत्साहन स्कीम की समीक्षा करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, समान दरों पर प्रोत्साहन की राशि का भुगतान किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोटे परिवार का आदर्श अपनाने के लिए नकद प्रोत्साहन देने की योजना की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट इस समय स्माल फैमिली नॉर्म अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के हिसाब से इंसेंटिव देती है। यदि एक चपरासी इसको अपनाता है तो उसको अलग इंसेंटिव मिलता है और यदि एक आफिसर इसको अपनाता है तो उसको रेट आफ

इंसेंटिव केश एकमुश्त रूप में मिलता है। इससे स्माल फैमिली, नार्म अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों में असंतोष है। मैं तो यह कहूंगा कि यह अपने आप में तर्कसंगत भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विभेद को समाप्त करने के विषय में सरकार कोई सोच-विचार कर रही है और जो रिव्यु होगा उसमें क्या इसको समाप्त किया जायेगा ?

कुमारी सरोज खापर्डे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सूचना बहुत सराहनीय है। जब कभी दुबारा इस पर विचार करेंगे तो माननीय सदस्य की सूचना को ध्यान में रखेंगे।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, इस समय न केवल यह विभेद है बल्कि दिक्कत और आई है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनसे यह कहा जाता है कि आप यदि इतने परिवार नियोजन के केसिज नहीं लायेंगे तो तनख्वाह रोक दी जायेगी। इतना ही नहीं कईयों को इंसेंटिव तक नहीं दिया जा रहा है और कई तरीके से कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है ताकि वह निर्धारित संख्या में फैमिली प्लानिंग के केस लायें। इससे कर्मचारियों के बीच में विशेषतौर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच में बड़ा गहरा असंतोष व्याप्त है। स्थिति 1976 की तरह विस्फोटक होती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह राज्य सरकारों को यह निर्देश देंगे कि किसी तरीके की जोर-जबर्दस्ती परिवार नियोजन कार्यक्रम के संचालन में न डाली जाये ?

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, राज्य सरकारों के पास भिन्न-भिन्न स्कीमें हैं। उन स्कीमों के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम राज्य सरकार अपनी ओर से अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये चलाती है लेकिन माननीय सदस्य ने यहां पर जिस शिकायत का उल्लेख किया है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी तक इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास पहुंची नहीं हैं।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मैंने खुद लिख कर भेजा है। राज्य सरकारें कहती हैं कि हमारा प्लान एलोकेशन काट लिया जाता है। यदि इतनी सीमा तक परिवार नियोजन करवायेंगे··· (व्यवधान)··

कुमारी सरोज खापर्डे : यह सारी वालंटरी स्कीमें होती हैं। हम नहीं समझते कि राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की जबर्दस्ती होती है।

[अनुवाद]

डा० टी० कल्पना देवी : महोदय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों के पश्चात परिवार नियोजन अपनाने के लिए दो वेतन वृद्धि दी जाती हैं। लेकिन बेरोजगार लोगों को आपरेशन कराने के पश्चात कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं मिलता हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय 20,000 से 60,000 रुपये तक अवकाश मिलते हैं। लेकिन यह सुविधा ग्रामीण लोगों को उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है कि ग्रामीण लोगों को छोटे परिवार की प्रणाली अपनाने के लिए राष्ट्रीय बचत बैंकों और डाकघरों के माध्यम से 5 वर्षों के लिए 50 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जायें ?

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्या के द्वारा पूछे गये प्रश्न के संबंध में मैं समझती हूं यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह राज्य के लोगों को क्या प्रत्साहन देती है···(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।...(व्यवधान)

डा० दिग्विजय सिंह : परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए 13 वर्ष पूर्व विभिन्न प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। प्रस्तावित प्रोत्साहनों की एक पूर्ण सूची मंत्रालयों द्वारा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर बनाई गई थी। इन 13 वर्षों के बाद से ना तो कोई नया प्रोत्साहन दिया गया है और ना ही इस विषय में सोचा गया है। इसलिए पिछले पांच वर्षों से मैं इस सदन में प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों के बारे में ही बोलता रहा हूं जिसमें इस पर चर्चा के लिए 1985 में प्रस्तुत किया गया गैर-सरकारी विधेयक भी शामिल है। यह अभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका है क्योंकि गैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत कराने का मतलब लाटरी निकल जाने के समान है। मैंने मंत्रालय से पूछा है कि "क्या वह सरकारी कार्य-समय में गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा की अनुमति देंगे ? मैं निवेदन करूंगा कि गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा का समय दिया जाये।...(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ी समस्या है। हम इस पर आधे-घंटे की चर्चा चाहते हैं। यह एक ज्वलंत समस्या है।...(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड : भारत पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने अपनी पहली योजना में परिवार नियोजन के लिए धन उपलब्ध कराया। फिर भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहे हैं। यहां तक कि 40 वर्षों के पश्चात् भी हम एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी/रोजगार नहीं दे पाये हैं। इन परिस्थितियों में क्या मैं महोदया से जान सकता हूं कि वह मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कितना समय लेंगी ? महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही एक विधेयक पारित कर के राष्ट्रपति की सम्मति के लिए प्रस्तुत कर दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि अनिवार्य नसबंदी के संबंध में इस विधेयक का क्या हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने यह विधेयक 1976 में पारित कर दिया था।

कुमारी सरोज खापर्डे : मुझे इस प्रश्न के लिए पृथक नोटिस दिया जाना चाहिये।

विदेशों से आवास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

[हिन्दी]

*295. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों से आवास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का विचार है, जिसका देश के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ती और बहु-प्रयोजनीय आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों की प्रौद्योगिकी इस प्रयोजन के लिए उपयोगी समझी जाती है ;

(ग) क्या इस मामले पर कुछ देशों के साथ विचार-विमर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) इस देश की जलवायु परिस्थितियों एवं भू-भाग के अनुकूल परिवर्तनशील एवं कम-लागत की कई स्वदेशी आवासीय प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी०बी०आर० आई०) इत्यादि जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा पहले ही विकास किया गया है। इन प्रौद्योगिकियों में से अनेकों का सर्वेक्षण किया गया है तथा इन्हें क्षेत्र में लागू किया गया है। तथापि, विभिन्न द्विपक्षीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत, विभिन्न देशों की आवासीय प्रौद्योगिकियों के बारे में ज्ञान एवं जानकारी पर चर्चा की जाती है तथा उनका आदान-प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है, हाउस में आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि दो केन्द्रीय संगठनों द्वारा ऐसी टैक्नोलोजी डवलप की गई है जिसके आधार पर आदीवासी क्षेत्रों और दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे और सस्ते मकान बनाये जा सकते हैं लेकिन जो टैक्नोलोजी डवलप की गई है, अब तक वह राज्य सरकारों को नहीं दी जायेगी, क्योंकि राज्य सरकारें ही हाउस बिल्डिंग के क्षेत्र में सबसे मेजर वर्क करती हैं तब तक इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचेगा। क्या यह टैक्नोलोजी राज्य सरकारों को दी गई हैं, राज्य सरकार के हाउस बिल्डिंग आर्गेनाइजेशंस को दी गई हैं और यदि दी गई हैं तो कहां-कहां इनको लागू किया गया है ?

श्री बलबीर सिंह : माननीय सदस्य का जो पूछना है उसमें नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन ने 1987 के मध्य तक 91 स्थानों पर डिमांस्ट्रेशन किया और वह राज्यों पर ही किया गया, उनके ही सहयोग से यह किया गया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी लेटेस्ट टैक्नालाजी है उसको हम एडाप्ट कर रहे हैं, खासकर ग्रामीण अंचलों में, वहां का मटीरियल और उसके साथ साथ वहां की क्या क्लाइमेटिक कण्डीशंस हैं और लोग किस तरह से वहां पर मकान बनाना चाहते हैं, उसी तरह से हमारे यहां एन०बी०ओ०, सी०बी०आर०आई०, एस०ई०आर०सी०, मद्रास ऐसी जो संस्थायें हैं, उनके द्वारा हम उन क्षेत्रों में डिमांस्ट्रेशन भी करते हैं और लोगों को एजुकेट भी करते हैं।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, कुछ देशों ने अपने यहां ऐसी टैक्नालाजी डवलप की है जिसमें स्थानीय मटीरियल के आधार पर हल्के और सस्ते मकान बनाए जा सकते हैं, क्या ऐसे देशों के साथ—विशेषरूप से पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ—टैक्नालाजी के आदान-प्रदान के सन्दर्भ में कोई बातचीत हुई है ? यदि हुई है तो कृपया बतायें।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी लेटेस्ट फरवरी, 1989 में ईस्ट-जर्मनी के साथ हमारी बात हुई है, खासकर फ्लाई-एश से भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए, और इसके साथ ही साथ पश्चिम जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर, आस्ट्रिया—इन देशों की कुछ कम्पनियां हैं

जिनके साथ बातचीत भी हो रही है और साथ ही साथ टैक्नालाजी के आदान-प्रदान पर भी बातचीत हुई है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : माननीय मंत्री पिछले चार-पांच वर्षों से अनेकों प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अभी वह बता रहे थे कि पश्चिम जर्मनी और भारत के बीच तकनीकी सलाह-मशविरा संपन्न हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले चार सालों में उन्होंने अन्य राष्ट्र के साथ प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान का एक भी ऐसा समझौता किया है जिसमें सस्ते मकान बनाने की विधि अपनाई गई हो और क्या उन्होंने इस तकनीक के माध्यम से पिछले चार सालों में कोई मकान बनाये हैं।

[हिन्दी]

श्री बलवीर सिंह : मैं समझता हूं हमारे यहां इतनी अच्छी टैक्नालाजी है हमारे कन्ट्री के नीड्स के लिए, और हमारे एन०बी०ओ०, सी०बी०आर०आई० जैसी संस्थायें देश के हर कोने में डिमांस्ट्रेशन करती हैं—वहां क्या क्लाइमेटिक कण्डीशंस हैं, क्या लोकल मैटीरियल्स हैं, उनके आधार पर करती हैं। इसके साथ-साथ हम दूसरी कन्ट्रीज के साथ कोलाबरेशन भी करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बी० शीवनाडीश्वर राव : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि एक जाने-माने उद्योगपति और नवीनतम विचार रखने वाले व्यक्ति श्री जी० डी० नायडु ने भारत सरकार के समक्ष बहुत कम लागत पर बहुत सस्ते मकान बनाने का एक प्रस्ताव रखा था। यदि ऐसा है तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों से उन डिजाइनों और माडलों को अपनाने की सिफारिश करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार ने थर्मल पावर स्टेशनों से निकलने वाली फ्लाई-ऐश को ईंट बनाने में इस्तेमाल में लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं, जिससे थर्मल पावर स्टेशनों की समस्या का निदान हो सके और साथ ही साथ ईंटों का भी निर्माण हो सके। इस संबंध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं?

[हिन्दी]

श्री बलवीर सिंह : अध्यक्ष जी, जहां तक श्री जी०डी० नायडू का प्रश्न है, इसके लिए कृपया हमें सेपरेट नोटिस दें ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है।

जहां तक लेटेस्ट टैक्नालाजी का सवाल है, एन०बी०ओ० या और ऐसी जो दूसरी संस्थायें हैं, उनके द्वारा हम इसका प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : इस देश में जहां हजारों लोगों के पास सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है, कुछ लोग आलीशान भवनों का निर्माण कर रहे हैं। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का इस प्रकार का कोई कानून लाने का विचार है जिससे कि मकान के आकार की सीमा निर्धारित की जा सके और एक व्यक्ति द्वारा मकान बनाने पर किये जाने वाले खर्चों की सीमा निर्धारित की जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चावल की भूसी से तेल निकालना

*285. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने की कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की है, जैसा कि 1 नवम्बर, 1988 के "डेक्कन हेरल्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रौद्योगिकी को और जनता में चावल की भूसी के तेल को खाद्य तेल के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी०एफ०टी०आर०आई०) मैसूर ने हाईड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करके चावल की भूसी के स्थिरीकरण की एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। भूसी के अम्ल उपचार से खाद्य ग्रेड तेल के निष्कर्षण में सहायता मिलती है। इस पद्धति में कक्ष तापमान पर भूसी के साथ हाईड्रोक्लोरिक अम्ल (भार में 4%) मिलाया जाता है। संयंत्र-स्थितियों में इस प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) (1) उक्त प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच खाद्य तेल के रूप में चावल की भूसी के तेल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक विचार-गोष्ठियां/संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं।

(2) चावल की भूसी के स्थिरीकरण की प्रौद्योगिकी को सरकार की गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(3) खाद्य ग्रेड चावल की भूसी के तेल के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया किए गए हैं।

वनस्पति तेल का उत्पादन

*289. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनस्पति तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु नीति बनाने के लिए कितनी अन्तर्मंत्रालयीय समन्वय समितियां गठित की गई हैं; और

(ख) इन समितियों द्वारा तैयार की गई नीतियों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक किए गए कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्य संबंधी समिति तिलहनों/तेलों के बारे में प्रमुख नीतिगत निर्णय लेती है। तिलहनों संबंधी अधिकार प्राप्त समिति, जिसके मंत्रिमण्डल सचिव अध्यक्ष और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव सदस्य हैं, का गठन विशेष रूप से देश में वनस्पति तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीति तैयार करने हेतु किया गया है। मूल्यों की परिवीक्षा से संबंधित सचिवों की विशेष कार्यवाही समिति तथा सचिवों की समिति, जिनकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं, तिलहनों/तेलों

के विषय पर भी, जो कि विचारार्थ महत्वपूर्ण मदों में से एक है, विचार-विमर्श करती है। इस सम्बन्ध में गठित की गई अन्य महत्वपूर्ण अन्तर-मंत्रालयीय समन्वय समितियां इस प्रकार हैं :—

1. तिलहनों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी मिशन की स्थायी समिति।
2. तिलहनों की उत्पादन प्रौद्योगिकी से संबंधित लघु मिशन-I।
3. फसल कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी से संबंधित लघु मिशन-II।
4. किसानों को, विशेषकर आपूर्ति प्रौद्योगिकी, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई, ऋण आदि के सम्बन्ध में दी जाने वाली सेवाओं को मजबूत करने के लिए लघु मिशन-III।
5. फसल कटाई पश्चात सेवाओं, जिसमें किसानों को मूल्य-समर्थन देना तथा संसाधन उद्योग को वित्तीय व अन्य समर्थन देना शामिल है, के लिए प्रोत्साहनों में सुधार हेतु लघु मिशन-IV।
6. चावल की भूसी के तेल के उत्पादन से संबंधित समन्वय समिति।
7. सोयाबीन संसाधन से संबंधित समन्वय समिति।
8. वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों से संबंधित समन्वय समिति।
9. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति।
10. खाद्य तेलों तथा वनस्पति उद्योग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याओं की पुनरीक्षा करने के लिए समन्वय समिति।

2. इन समितियों का व्यापक उद्देश्य तिलहनों/तेलों के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा अब तक इस्तेमाल न किए गए स्त्रोतों से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का यथासंभव सीमा तक उपयोग करना और साथ ही इन वस्तुओं में सुधार लाना है। इन समितियों की प्रगति/उपलब्धियों का पता गत चार वर्षों के दौरान तिलहनों/तेलों के बढ़े हुए उत्पादन से लगता है जो निम्नवत है :—

वर्ष	तिलहनों का उत्पादन (लाख मी०टनों में)	खाद्य तेलों का उत्पादन (लाख मी०टनों में)*
1	2	3
1985-86	108.32	31.01
1986-87	112.70	33.48
1987-88	123.78	37.67
1988-89 (अनुमानित)	156.00	46.60

*इसमें गैर-पारम्परिक स्त्रोतों से प्राप्त खाद्य तेल शामिल है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

*291. **चौधरी खुर्शीद अहमद :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नकद तथा वस्तुओं के रूप में राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी गई और गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता में वर्ष-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) वर्ष 1986 तथा 1987 की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी हुई ;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान राज्य सरकारों ने कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए दी गई सहायता की कितने प्रतिशत राशि का उपयोग किया तथा केन्द्रीय सहायता का यदि पूर्ण उपयोग न किया गया हो, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि कुष्ठ रोग से मुक्त हुए रोगियों के पुनर्वास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो उसकी तुलना में वर्ष 1988 के अंत तक कितने प्रतिशत रोगियों का पुनर्वास किया गया; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य से कम लोगों के पुनर्वास के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ). पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता का भुगतान किया गया है :—

वर्ष	रोकड़	भुगतान की गई रकम		पिछले वर्ष के मुकाबले
		सामग्री रूप में	कुल (लाख रुपये में)	प्रतिशत वृद्धि (+) प्रतिशत कमी (—)
1985-86	764.14	467.58	1231.72	—
1986-87	773.18	435.00	1208.18	(—) 1.91
1987-88	1097.50	372.50	1470.00	(+) 21.87

कुष्ठ को व्याप्तता दर 1961 में 0.58 प्रतिशत, 1971 में 0.58 प्रतिशत और 1981 में 0.57 प्रतिशत थी। वार्षिक आधार पर व्याप्तता दरें उपलब्ध नहीं हैं। 1988 में पता लगे रोगियों की संख्या में 1987 के मुकाबले बहुत कम वृद्धि हुई है। यह कार्यक्रम कार्यकलापों में हुई वृद्धि, स्थानिकमारी वाले नए जिलों में बहु-औषध उपचार के विस्तार और अतिरिक्त कुष्ठ स्टाफ के

सृजन से हुआ है। पिछले तीन वर्षों में पता लगाए गए रोगियों की संख्या वर्षवार इस प्रकार है :

1985-86 4,77,152

1986-87 5,07,958

1987-88 5,19,434

ठीक किए गए कुष्ठ के रोगियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है और 1987-88 के दौरान छुट्टी किए गए रोगियों की दर पता लगे नए रोगियों की दर से 10 प्रतिशत अधिक थी।

राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान भुगतान की गई केन्द्रीय सहायता की धनराशियों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

75 पुनर्रचनाकारी सर्वेक्षण यूनिटें और 13 कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन यूनिटें कुष्ठ के ठीक किए गए रोगियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कल्याण मंत्रालय कुष्ठ के ठीक किए गए व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे छह प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। 1987-88 के दौरान लाभार्थियों की संख्या 899 थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ठीक किए गए कुष्ठ रोगियों को फिर से बसाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

आर० एच० डी० रोधी टीकों के प्रयोग से उत्पन्न विवाद

*296. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मानव शरीर पर आर० एच० डी० रोधी टीके के प्रभाव का पता लगाने के लिए इस टीके के विरोध संबंधी विवाद के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा महाराष्ट्र खाद्य और औषध प्रशासन द्वारा इस विषय में दिए गए तर्कों की भी जांच की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). एंटी-आर० एच० डी० वेक्सीनों (एंटी डी० इम्यूनोग्लोबुलिन) से संबंधित मुख्य-मुख्य विवादास्पद मुद्दे इस प्रकार हैं :—

1. क्या निर्मित रक्त उत्पादों को एलिसा और वैस्टर्न ब्लॉट जांचों द्वारा एच० आई० वी० प्रतिपिंडों की दृष्टि से जांच की जा सकती है ?

2. क्या एंटी-डी० इम्यूनोग्लोबुलिन निर्माण की प्रक्रिया में मानव इम्यूनोडेफीसिएंसी वायरस निष्क्रिय होता है ?

3. क्या एंटी-डी इम्युनोग्लोबुलिन (टीके), जो वितरण से वापस उठा लिए गए हैं, यदि उनके उपयोग की अनुमति दी जाए तो उनसे एड्स रोग होने की संभावना है।

इन मुद्दों तथा की जाने वाली उपयुक्त कार्रवाई पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता

में 6 अक्तूबर, 89 को हुई विशेषज्ञों की बैठक में विचार किया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विचार संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

I. अत्यन्त विशिष्टता में एलिसा जांच/एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे उत्पाद में, जहां प्रोटीन्स गहन मात्रा में उपस्थित होते हैं, यह कभी-कभी गलत परिणाम दे सकता है। तथापि, महंगा वैस्टर्न ब्लॉट टेस्ट उन्नत और अत्यंत विशिष्ट है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मैसर्स भारत सीरम वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड के बैच 6/88 के एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन के संबंधित नमूनों के एलिसा और वैस्टर्न ब्लॉट, दोनों, परीक्षण किए। परिणाम पूर्णतया और स्पष्टतया पाजिटिव थे। इससे ये संकेत मिले कि यह वैक्सीन रक्तदाताओं के रक्त से तैयार की गई थी जिनमें से कम से कम कुछ व्यक्ति एड्स वायरस से संक्रमित थे और उन्हें सीरो-पॉजिटिव पाया गया था। इसलिए वैक्सीनों के उस विशिष्ट लाट की प्रयोग न की गई सभी शीशियों को वापिस उठाने की सलाह दी गई थी।

II. वैक्सीन के नमूनों में एड्स के वायरस निहित हैं या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए ई० आई० ए० नामक जांच की गई थी। परिणाम नकारात्मक थे। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि इन वैक्सीनों में प्रयोग किया गया मूल रक्त एड्स वायरस से संक्रमित था, तथापि, निर्माण और शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान एड्स के वायरस शायद नष्ट हो गये थे।

III. 1981-85 वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप में निर्मित वैक्सीनों सहित अनेक रक्त उत्पाद, जो एच० आई० वी० प्रतिबिंबों की दृष्टि से सकारात्मक पाये गये थे, अनेक रोगियों को दिये गये। इनमें से अनेक यूरोप में अनेकों रोगियों को दिए गए थे। बड़ी संख्या में रोगियों को खोजा गया और उनकी जांच की गई। उनमें से किसी में भी एड्स संक्रमण के लक्षण नहीं देखे गये।

IV. यद्यपि यह वैक्सीन एड्स वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के रक्त से तैयार किया गया था, तथापि भय के कोई कारण नहीं हैं क्योंकि इस वैक्सीन से एड्स वायरस संक्रमण के फैलने की आशा नहीं है। भविष्य में कड़ा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि रक्त उत्पादों का उत्पादन करने में केवल स्वस्थ व्यक्तियों से लिए गये स्वच्छ रक्त का उपयोग किया जाए।

महाराष्ट्र में खाद्य और औषध प्रशासन आयुक्त ने मैसर्स भारत सीरम और वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उठाये गये विभिन्न तकनीकी मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इनका संबंध मुख्यतः एंटी-डी इम्युनोग्लोबुलिन के निर्माण की प्रक्रिया में एच. आई. वी. प्रतिपिंडों तथा एड्स वायरस की निष्क्रियता की दृष्टि से अंतिम रक्त उत्पादों की जांच के लिए एलिसा एवं वैस्टर्न ब्लॉट जांच की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता से है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन ने जो तर्क दिए हैं, उन पर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है।

(I) ऐसा समझा जाता है कि एंटी-डी इम्युनोग्लोबुलिन निर्माण के लिए कोहन इथामोल प्रभाजन प्रक्रिया एड्स वायरस को निष्क्रिय बना देती है। तथापि, मैसर्स भारत सीरम और वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(II) यदि एंटीजन के लिए ई० आई० ए० जांच से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस उत्पाद में एड्स वायरस है। लेकिन, इसके विपरीत यह सही नहीं है क्योंकि तनूकरण के परिणामस्वरूप इन उत्पादों में कभी-कभी वायरस की बहुत ही कम मात्रा हो सकती है क्योंकि जांच के द्वारा भी इनका पता नहीं लग पाता।

(III) संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में रक्त उत्पादों का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रक्त की जांच उच्च स्तर की रही है। मैसर्स भारत सीरम और वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड तथा कुछ अन्य स्थानीय विनिर्माताओं के मामले में उन रक्तदाताओं का पता लगाने तथा उनकी पुन: जांच करने के लिए प्रयास किए गए थे जिनके रक्त का एंटी-डी इम्युनोग्लोबुलिन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया था। अनेक ऐसे रक्तदाताओं के रक्त के एच० आई० वी० एंटीबॉडीज के लिए सकारात्मक पाया गया है।

इस मामले के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए विशेषज्ञों की बैठक इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पर्याप्त सावधानी के रूप में तथा इस बात को देखते हुए कि प्रत्येक रक्तस्राव की एच० आई० वी० एंटीबॉडीज के लिए विशिष्ट रूप से जांच नहीं की गई तथा अनेक रक्तदाताओं के सीरम को पॉजीटिव पाया गया है, उन उत्पादों को जिनके वितरण पर रोक लगा दी गई है, नष्ट कर दिया जाए।

सागौन वृक्ष उत्पादक क्षेत्रों का सर्वेक्षण

*297. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष रूप से मणिपुर बर्मा सीमा पर सागौन वृक्ष उत्पादक क्षेत्रों का कोई व्यापक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मणिपुर-बर्मा सीमा क्षेत्र में सागौन लकड़ी के संरक्षण तथा विकास हेतु कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री खियाउरंहमान अंसारी) : (क) और (ख). पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषरूप से मणिपुर-बर्मा सीमा पर, में सागौन वृक्षों के उत्पादन वाले क्षेत्रों का अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). मणिपुर-बर्मा सीमा क्षेत्र में सागौन की लकड़ी के संरक्षण और विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में मणिपुर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वन भूमि के संरक्षण और विकास करने की जिम्मेदारी राज्य वन विभाग की है।

वन्यजीवों की खालों और हड्डियों का अवैध व्यापार

*298. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्यजीवों की खालों और हड्डियों का व्यापक व्यापार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस अवैध व्यापार के सिलसिले में पिछले बारह महीनों के दौरान राज्यवार कितने लोग गिरफ्तार किए गए और ये गिरफ्तारियां इससे पहले के तीन वर्षों के दौरान की गई गिरफ्तारियों की तुलना में कितनी कम या अधिक हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री मिमाउर्रहमान अंसारी) : (क) कभी-कभी वन्यजीवों की खालें और हड्डियों के अवैध व्यापार के मामले पकड़े जाते हैं ।

(ख) इस व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :

(1) वन्यजीवों के शिकार एवं व्यापार के नियन्त्रण के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत नियमों का प्रावधान ।

(2) वन्य पशुओं और उनसे होने वाले उत्पादों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्यात नीति और वन्य प्राणिजात तथा वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उनका कड़ाई से पालन किया जाता है ।

(3) भारत सरकार के अन्तर्गत वन्यजीव प्रभाग को 4 क्षेत्रीय और 3 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का सृजन करके उपयुक्त रूप से मजबूत बनाया गया है ।

(4) चोरी छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत सहायता दी जाती है ।

(5) चोरी छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापारियों के बारे में सूचना देने पर नकद पुरस्कार देने की स्कीम आरम्भ की गई है ।

(6) राज्य स्तर पर पुलिस और वन्यजीव अधिकारियों तथा केन्द्र में सीमा शुल्क विभाग एवं राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ।

(घ) राज्यवार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भवनों में स्थित सभी कार्य स्थलों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

*300. **श्री पी०आर० एस० वेंकटेशन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई वैज्ञानिक जानकारी को देखते हुए अमरीका में पब्लिक सिटीजन हैल्थ रिसर्च ग्रुप ने अमरीकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन से सभी भवनों में स्थित ऐसे सभी कार्य स्थलों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा है, जहां धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति कार्य करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि भवनों में स्थित कार्यस्थलों में धूम्रपान न करने वालों को धूम्रपान के कारण दूषित वातावरण में श्वास न लेना पड़े ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) धूम्रपान रोधी उपायों संबंधी कानून के मसौदे को अन्तिम रूप देते समय काम करने के स्थान पर धूम्रपान पर नियंत्रण लगाने की बात को ध्यान में रखा जाएगा ताकि धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों को निष्क्रिय धूम्रपान के खतरों तथा कष्टों से बचाया जा सके।

फालतू भूमि की बिक्री

*301. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई में कपड़ा मिलों की फालतू भूमि की बिक्री की अनुमति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई अनुदेश अथवा सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो बम्बई में गैर-सरकारी मिलों और राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की कुल देयताएं क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की भूमि की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है और क्या यह धनराशि बैंक ऋणों की वापसी, श्रमिकों को देय राशि के भुगतान और इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त होगी ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां। एन० टी० सी० ने बेशी भूमि की बिक्री के बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं।

(ख) सरकार प्राइवेट मिलों की देयताओं के बारे में जानकारी नहीं रखती। लेकिन 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार, एन०टी०सी० की राष्ट्रीयकृत मिलों के सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋण 333.70 करोड़ रुपए के थे।

(ग) बेशी भूमि की बिक्री से बम्बई स्थित मिलों को मिल सकने वाली प्रत्याशित राशि विभिन्न कारणों पर निर्भर है जैसे बेशी भूमि को अभिज्ञात करना, भूमि प्रयोग तथा क्रेता प्रतिक्रिया आदि। इसीलिए यह राशि अभी इस अवस्था में नहीं बताई जा सकती। यह भी बता पाना संभव नहीं है कि क्या बिक्री से प्रत्याशित वसूली, जब कभी भी वह होगी, इतनी होगी, कि उससे बैंक ऋणों की वापसी कामगारों की देयताओं का भुगतान तथा मिलों का आधुनिकीकरण कवर हो जाएगा।

पंजाब में कपड़ा मिलों का बंद होना

*302. **श्री जी० एस० वासवराजू** :

श्री शांतिलाल पटेल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पुरानी कपड़ा मिलें बंद होने की स्थिति में हैं। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इन कपड़ा मिलों की सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 28 फरवरी 1989 की स्थिति के अनुसार पंजाब में संगठित क्षेत्र में किसी वस्त्र मिल के बंद होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नसबन्दी आपरेशनों से हुई मौतें

*303. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मामलों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशनों के परिणामस्वरूप मौतें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मौतो के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन मामलों में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान सर्जिकल आपरेशनों के कारण दर्ज मौतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को अक्तूबर, 1988 में हिदायतें जारी की गई हैं कि वे शल्यक्रिया द्वारा नसबन्दी के कारण हुई प्रत्येक मौत की जांच करने के लिए ज़िला स्तर पर समितियां गठित करें। इस समिति के कार्यकरण की देख-रेख राज्य स्तर की समिति द्वारा की जाएगी। सरकार का इन हिदायतों के अनुपालन के बारे में निकट भविष्य में राज्यों के साथ समीक्षा करने का विचार है।

विवरण

1985-86, 1986-87 और 1987-1988 के वर्षों में दर्ज की गई मौतें

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	47	42	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	3	5	3
4.	बिहार	सूचना अप्राप्त	सूचना अप्राप्त	सूचना अप्राप्त
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	54	27	31
7.	हरियाणा	12	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	5	2	1
9.	जम्मू व कश्मीर	सूचना अप्राप्त	सूचना अप्राप्त	सूचना अप्राप्त

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	43	64	43
11.	केरल	5	4	5
12.	मध्य प्रदेश	37	37	38
13.	महाराष्ट्र	58	48	36
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	19	32	28
19.	पंजाब	15	15	14
20.	राजस्थान	38	23	23
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	सूचना अप्राप्त	सूचना अप्राप्त	85
23.	त्रिपुरा	2	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	58	51	27
25.	पश्चिम बंगाल	19	9	18
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादरा व नागर हवेली	—	1	—
29.	दमण व द्वीव	—	—	—
30.	दिल्ली	—	1	2
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचैरी	5	2	3
33.	रक्षा मंत्रालय	—	—	—
34.	रेल मंत्रालय	4	3	—
	कुल	424	373	397

—=शून्य

खाद्यान्नों की कम सप्लाई

*304. श्री शरद दिघे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं तथा चावल की कम सप्लाई के कारण बम्बई में राशन की दुकानों पर फरवरी, 1989 से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार राज्यों को गेहूं तथा चावल का समग्र रूप से आबंटन करती है। विभिन्न शहरों/जिलों में उनके भीतरी वितरण का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। फरवरी तथा मार्च, 1989 में महाराष्ट्र को केन्द्रीय आबंटन तथा राज्य सरकार द्वारा बम्बई/थाणे राशनिंग क्षेत्र के लिए किए गए आबंटन नीचे दिए गए हैं—

(मी० टन में)

		महाराष्ट्र को केन्द्रीय आबंटन	महाराष्ट्र राज्य द्वारा बम्बई/थाणे राशनिंग क्षेत्र को आबंटन
फरवरी, 1989	गेहूं	94,500	34,000
	चावल	52,000	17,000
मार्च, 1989	गेहूं	1,00,000	36,000
	चावल	52,000	20,000

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं तथा चावल के केन्द्रीय आबंटन, स्टाक की समग्र उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। ये आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

दक्षिणी भारत में भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाना

*305. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिणी राज्यों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है ; और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण दक्षिणी राज्यों के लिए बंगलौर में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिये एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार बंगलौर में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिये एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सभी आधारभूत सुविधायें सुलभ करने हेतु सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ).

केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार के सहयोग से बंगलौर में एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया है जिसके लिए कर्नाटक सरकार भूमि और आवर्ती व्यय वहन करेगी। आयुर्वेद और सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी को केन्द्रीय अनुसंधान परिषदें इन राज्यों में क्षेत्रीय केन्द्र और वैज्ञानिक अनुसंधान यूनिटें बनाती हैं। आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा पद्धति संस्थान स्थापित करने के बारे में तमिलनाडु सरकार से और होम्योपैथी शिक्षा में स्नातकोत्तर सुविधाओं की व्यवस्था के लिए केरल सरकार से विचार-विमर्श चल रहा है। हैदराबाद में एक केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लिए पर्याप्त स्थान वाले अपने भवन की व्यवस्था करके उसे सुदृढ़ किया जा रहा है। ये विशिष्ट कार्य विभिन्न पद्धतियों के लिए भेषज संहिता तैयार करने, पुस्तकालय और उपकरणों आदि के लिए स्नातकपूर्व कालेजों को सहायता अनुदान देने जैसी स्कीमों के अतिरिक्त हैं जो भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के मामले

2691. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के कितने मामले भेजे गये;

(ग) इन मामलों में वर्ष-वार कितने अधिकारी सम्मिलित पाए गए और इन अधिकारियों को किस रूप में दण्डित किया गया; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार कितने कर्मचारी बर्खास्त किये गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख)

1985	16 मामले
1986	18 मामले
1987	46 मामले

(ग)

वर्ष	इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या
1985	60
1986	74
1987	134

1985 में भेजे गए मामलों में से चार अधिकारियों पर अभिलेखबद्ध चेतावनी का दण्ड दिया गया है। 1986 में भेजे गए मामले में से सात अधिकारियों पर उनकी वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया है और दो अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का दण्ड दिया गया है। 1987 में भेजे गए मामलों से नौ अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई है।

(घ) कनिष्ठ

वर्ष	बर्खास्त	हटाना	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत
1985	1	—	—
1986	—	—	—
1987	—	1	1
वरिष्ठ			
1985	1	—	—
1986	—	—	—
1987	—	—	2
चतुर्थ श्रेणी			
1985	—	1	—
1986	—	—	—
1987	—	—	—

मुफ्त/रियायती दर पर सरकारी आवास का प्रावधान

2692. **श्री वरसराम भारद्वाज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, भूतपूर्व मंत्रियों, सामाजिक तथा अन्य संघों/संगठनों को मुफ्त अथवा रियायती दरों पर आवंटित किये गये मकानों, अपार्टमेंटों और कार्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां-कहां स्थित हैं, इसका किराया प्रभार कितना है तथा इन्हें कब से आवंटित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दी में लिखे गये पत्र

2693. **श्री आर० एन० भोये** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक हिन्दी भाषी राज्य को तथा भाग 'ख' में उल्लिखित राज्यों को कुल कितने पत्र लिखे गये और उनमें से मूल रूप में कितने पत्र हिन्दी में तथा कितने पत्र अंग्रेजी में लिखे गये;

(ख) क्या इन राज्यों को अंग्रेजी में पत्र लिखे गये थे, यदि हां, तो उन्हें हिन्दी में पत्र न लिखने के क्या कारण थे ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में से प्रत्येक से हिन्दी तथा अंग्रेजी में कितने-कितने पत्र प्राप्त हुये ;

(घ) इन राज्यों से हिन्दी में प्राप्त हुये पत्रों में से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में और कितने पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया और सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में न दिये जाने के क्या कारण थे ; और

(ङ) सरकार ने ऐसे राज्यों के साथ पत्र व्यवहार हिन्दी में करने संबंधी राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ). "क" और "ख" क्षेत्रों के राज्यों को 1988 में भेजे गए कुल 25,012 पत्रों में से 3887 पत्र हिन्दी में तथा 21,125 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। हिन्दी में प्राप्त कुल 12716 पत्रों में से 5469 पत्रों का उत्तर हिन्दी में तथा 369 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। शेष पत्रों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा गया। राज्यवार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) मंत्रालय में सभी अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्यों के साथ केवल हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करें। हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं जिनमें कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये जांच-बिन्दु बनाए गए हैं। देवनागरी के टाइपराइटरों की खरीद बढ़ाई जा रही है, हिन्दी में उत्कृष्ट टिप्पण और आलेखन के लिए कर्मचारियों को हर वर्ष प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं ; वार्षिक कार्यक्रम में इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में जागरूकता पैदा की जाती है।

उचित दर दुकानों के कार्यकरण पर निगरानी

2694. **श्री एच० डी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर दुकानों के कार्यकरण पर निगरानी रखने और देश के विभिन्न भागों, विशेषकर कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी की गई वस्तुओं के अन्यत्र वितरित हो जाने पर रोक लगाने के लिए कोई पद्धति तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने के लिए कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख). उचित दर दुकानों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें कर्नाटक शामिल है, को सलाह दी गई है कि वे :

(क) ब्लाक, जिला तथा राज्य मुख्यालयों के स्तरों पर उचित दर दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा उपभोक्ताओं को उनकी उपलब्धता के बारे में अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त परिवीक्षा प्रणाली बनाएं।

(ख) अधिकारियों के लिए निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करें। इस प्रकार के निरीक्षणों के दौरान उपयोग के लिए नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा एक चेक-लिस्ट का सुझाव दिया गया है।

(ग) की गई जांच/छापों के परिणामों की पुनरीक्षा करें तथा निरीक्षणों/छापों के दौरान पाई गई कमजोरियों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही करें।

(घ) उचित दर-दुकानों के तंत्र के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मदों के वितरण की देखभाल करने के लिए सतर्कता/परामर्शदात्री समितियां गठित करें।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के दूसरे कानूनों के उपबंधों को लागू करें, ताकि कदाचारों को नियंत्रित किया जा सके तथा उनके बारे में दण्ड दिया जा सके।

(ग) उचित दर-दुकानें राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रक्षासनों द्वारा जारी विनियमों के अनुसार कार्य करती हैं।

महाराष्ट्र में "मैरीन पार्क"

2695. **श्री० मधु दंडवते** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिंधु दुर्ग जिले में मालवान तट पर "मैरीन पार्क" के निर्माण की योजना को पहले ही मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री बियाउरंहुमान अन्सारी) : (क) और (ख). फिलहाल केन्द्र सरकार मलवान, महाराष्ट्र में "मैरिन पार्क" के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का विस्तार

2696. **श्री कुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में मुझपिलांगड, दिक्कोडो तथा निलीश्वरम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की मौजूदा भंडारण क्षमता को बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की विकास योजनाओं के लिए कोई आबंटन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम का अपनी वर्तमान भंडारण क्षमता में दिक्कोडी में 5,000 मीटरी टन और निलीश्वरम, मवेक्लीकरा और करुणागापल्ली में प्रत्येक 10,000 मीटरी टन का विस्तार करने का विचार है। मुजापीलांगड में वर्तमान क्षमता में फिलहाल विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). केरल में वर्तमान भण्डारण क्षमता में विस्तार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1988-89 के दौरान 30 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को अनुदान सहायता

[हिन्दी]

2697. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के नालन्दा जिले में बिहार शरीफ में बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को अनुदान सहायता राशि देने में बिचौलिये सक्रिय हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बीड़ी श्रमिकों को अनुदान सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने और इन्हें स्वीकृत कराने के लिए इन बिचौलियों को आवश्यक भुगतान करना पड़ता है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप गैर बीड़ी श्रमिक भी इस कल्याण योजना के अंतर्गत बिचौलियों के द्वारा अनुदान सहायता प्राप्त कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ). नालन्दा जिले में बिहार शरीफ के एक निवासी से शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच की जा रही है ।

दिल्ली में उचित दर दुकानें और तेल डिपो

2698. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का इस वर्ष दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास कालोनियों में उचित दर की नई दुकानें और मिट्टी के तेल के डिपो खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० एल० बैठा) : (क) और (ख). जब भी स्थिति की मांग होती है, दिल्ली प्रशासन द्वारा नई उचित दर की दुकानें तथा मिट्टी के तेल के डिपो खोले जाते हैं ।

पटसन का निर्यात

[अनुवाद]

2699. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को पटसन का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान पटसन के निर्यात से कुल कितनी आय होने का अनुमान है ; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान पटसन निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). पटसन माल का निर्यात लगभग एक सौ देशों को किया जाता है । इनमें से बड़े आयातक देश हैं—सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, पश्चिमी यूरोप के देश, सुदूर-पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीकी देश । वर्ष 1988-89 के दौरान 225 करोड़ रु० की अनुमानित निर्यात आय हुई । वर्ष 1989-90 के लिए 225 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य रखा गया है ।

हुडको द्वारा राज्यों को सहायता

2700. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हुडको द्वारा वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों को दिए गए ऋणों की कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : वर्ष 1987-88 और 1988-89 (31.1.89 की स्थिति के अनुसार) के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है ।

विवरण-1

वर्ष 1987-88 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण राशि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण (लाख रुपये में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	4261.38
असम	184.40
बिहार	1832.01
गुजरात	3859.14
हरियाणा	456.57
हिमाचल प्रदेश	166.82
जम्मू तथा कश्मीर	489.41
कर्नाटक	4293.99
केरल	4456.99
मध्य प्रदेश	3633.36
महाराष्ट्र	3513.68
मणिपुर	0.00
मेघालय	0.00
नागालैण्ड	248.69
उड़ीसा	1211.21
पंजाब	1132 95
राजस्थान	3089.18

1	2
त्रिपिकल	0.00
तमिलनाडु	4536.61
त्रिपुरा	57.00
उत्तर प्रदेश	9499.64
पश्चिम बंगाल	979.96
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	88.90
चण्डीगढ़	898.24
दादर तथा नगर हवेली	9.00
दिल्ली	322.53
गोवा	38.25
पाण्डिचेरी	162.17
योग :	49673.08

विवरण-2

चालू वर्ष 1988-89 (31-1-89) तक के दौरान स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	ऋण की स्वीकृत राशि (लाखों रुपये में)
1	2
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	43.94
आन्ध्र प्रदेश	4530.32
अरुणाचल प्रदेश	119.50
असम	207.75
बिहार	2614.57
चण्डीगढ़	510.89
दिल्ली	534.23
गोवा	104.57

1	2
गुजरात	5428.55
हिमाचल प्रदेश	1046.95
हरियाणा	1395.68
जम्मू तथा कश्मीर	1035.38
केरल	1609.90
कर्नाटक	1422.99
महाराष्ट्र	1812.86
मध्य प्रदेश	1667.40
मिजोरम	225.00
नागालैंड	300.00
उड़ीसा	1148.36
पांडिचेरी	60.38
पंजाब	3596.37
राजस्थान	1418.19
तमिलनाडु	5062.00
उत्तर प्रदेश	3078.93
पश्चिम बंगाल	1497.43
योग :	45472.74

प्रसव के समय महिलाओं की राजधानी मृत्यु-दर

2701. श्री विजय एन० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रसव के समय विभिन्न कारणों से हुई महिलाओं की मौतों का रिकार्ड रखती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी मृत्यु दर क्या रही;

(ग) वह मृत्यु दर बहुत अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इतनी अधिक मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). भारत के महापंजीयक द्वारा चुने गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य गांवों में मौत के कारणों पर किए गये वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए मातृ मृत्यु के नवीनतम उपलब्ध विशिष्ट कारण निम्न प्रकार हैं—

विशिष्ट कारण	1984	1985	1986
1	2	3	4
गर्भपात	10.8	11.5	0.0
विषाक्तता	10.8	6.7	11.9
रक्ताल्पता	23.3	23.1	17.0
गर्भावस्था एवं प्रसूतिकाल का रक्त स्त्राव	18.8	15.9	21.6
शिशु की कुस्थिति जिसके कारण माता की मृत्यु हुई	6.2	7.7	6.2
प्रसूतिकाल में पूतिता	10.8	13.9	13.1
वर्गीकरणीय नहीं	19.3	21.2	22.2
योग	100.0	100.0	100.0

यह नमूना सर्वेक्षण राज्यवार अनुमान देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों के एक नेटवर्क की स्थापना करने, चिकित्सा और अर्धचिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिकों (पुरुष और महिला दोनों) को प्रशिक्षण देने, दाइयों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें किट सप्लाई करने के लिए राज्य क्षेत्र की प्लानों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के भाग के रूप में कार्यकलापों के एक पैकेज के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं। उप केन्द्रों की स्थापना और सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक 5000 ग्रामीण आबादी तथा आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में 3000 आबादी के लिए एक-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति के फलस्वरूप प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव के बाद की परिचर्या में सुधार होगा। कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है और सलाह दी गई है कि वे खतरे वाले रोगियों का पता लगाकर उन्हें सुयोग्य चिकित्सक एवं संस्था को रेफर करें। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसवोत्तर कार्यक्रम का विस्तार करने, रोगप्रतिरक्षण के लिए स्कीमों को तेज करने, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी अपनाने समन्वित बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एस०) के अन्तर्गत पूरक आहार की व्यवस्था करने, पोषण की कमी के कारण रक्ताल्पता की रोकथाम करने जैसे कुछ अन्य कदम सरकार ने मातृ-मृत्यु दर को कम करने के लिए उठाए हैं।

प्रत्येक जिले के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2702. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम की खराब स्थिति और विविध भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विशेष श्रेणी वाले राज्यों के प्रत्येक जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो आज तक की तारीख की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रत्येक राज्य में कितने जिले हैं और प्रत्येक राज्य में उनका क्या नाम है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बनाया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एल बैठा) : (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में असम, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम के कुछेक पहाड़ी जिलों और दूर-दराज के इलाकों में भण्डारण क्षमता का निर्माण शुरू किया है। इसके अलावा, केन्द्रीय भाण्डागार निगम का भी भारतीय खाद्य निगम के प्रयोग हेतु उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का विचार है। उत्तर प्रदेश राज्य भांडागार निगम भी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ भंडारण क्षमता का निर्माण कर रहा है।

1.1.1989 को स्थिति के अनुसार इन राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के पास निम्नानुसार ढकी हुई भंडारण क्षमता थी :—

क्र०सं०	राज्य	भण्डारण क्षमता (हजार मीटरी टन में)
1.	असम	298.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00
3.	मेघालय	19.10
4.	मणिपुर	19.00
5.	मिजोरम	10.29
6.	नागालैंड	8.41
7.	त्रिपुरा	24.67
8.	जम्मू तथा कश्मीर	67.29
9.	हिमाचल प्रदेश	14.29
10.	उत्तर प्रदेश	2,694.63
11.	सिक्किम	1.20

इन राज्यों में निर्माणाधीन/निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षमता का केन्द्र-वार ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम के पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में निर्माणाधीन/निर्माण के लिए प्रस्तावित केन्द्र-वार क्षमता

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र	निर्माणाधीन/निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षमता (मीटरी टन में)	एजेन्सी
1	2	3	4
एक असम			
1.	गुवाहाटी	20,000	मा०खा०नि०
दो अरुणाचल प्रदेश			
1.	पास्सीघाट	2,500	मा०खा०नि०
तीन त्रिपुरा			
1.	कुमारघाट	4,440	मा०खा०नि०
2.	धर्मनगर	10,000	मा०खा०नि०
3.	अगरतला	10,000	मा०खा०नि०
चार मिजोरम			
1.	लुंगलई	3,000	मा०खा०नि०
2.	लांगतलई	5,000	मा०खा०नि०
3.	आइजोल	5,000	मा०खा०नि०
पांच नागालैंड			
1.	मोकुकचुंग	2,500	मा०खा०नि०
2.	तुयेनसंग	2,500	मा०खा०नि०
3.	दीमापुर	2,500	मा०खा०नि०
4.	कोहिमा	2,500	मा०खा०नि०
5.	मोन	2,500	मा०खा०नि०
छः सिक्किम			
1.	रंगपू	10,000	मा०खा०नि०

1	2	3	4
सात जम्मू तथा कश्मीर			
1.	कठुआ	19,000	भा०खा०नि०
2.	लेह	2,500	भा०खा०नि०
3.	कारगिल	2,500	भा०खा०नि०
4.	राजौरी	2,500	भा०खा०नि०
5.	चाचा	10,000	भा०खी०नि०
6.	श्रीनगर	25,000	भा०खा०नि०
7.	बारामूला	5,000	भा०खा०नि०
8.	पूंछ	2,500	भा०खा०नि०
9.	रामबाग	2,500	भा०खा०नि०
10.	किश्तवार	2,500	भा०खा०नि०
आठ हिमाचल प्रदेश			
1.	नूरपुर	5,000	भा०खा०नि०
2.	ऊना	2,500	भा०खा०नि०
3.	शिमला	2,500	भा०खा०नि०
4.	वैजनाथ	5,000	भा०खा०नि०
5.	परवानु	10,000	भा०खा०नि०
6.	हमीरपुर	1,670	भा०खा०नि०
7.	चम्बा	2,500	भा०खा०नि०
8.	कुल्लु	1,670	भा०खा०नि०
9.	मंडी	5,000	हे०वे०का
10.	शिमला	5,000	हे०वे०का०
11.	सोलन	3,000	हे०वे०का०

1	2	3	4
नौ	उत्तर प्रदेश		
1.	बाजपुर	10,000	भा०खा०नि०
2.	पिथौरागढ़	5,000	भा०खा०नि०
3.	टनकपुर	10,000	से०वे०का०
4.	काशीपुर	10,000	से०वे०का०
5.	खटीमा	10,000	से०वे०का०
6.	श्रीनगर	5,000	से०वे०का०
7.	हलद्वानी	10,000	उ०प्र०रा०भा०नि०
8.	किछा	10,000	उ०प्र०रा०भा०नि०
9.	अल्मोडा	5,000	उ०प्र०रा०भा०नि०
10.	गोपेश्वर	2,500	उ०प्र०रा०भा०नि०
11.	न्यू टिहरी	2,500	उ०प्र०रा०भा०नि०

भा०खा०नि० = भारतीय खाद्य निगम

से०वे०का० = सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

उ०प्र०रा०भा०नि० = उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम

स्वयंसेवी संगठनों को परिवार नियोजन अभियान हेतु अनुदान

2703. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी शिक्षा के बारे में अभियान चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कोई अनुदान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). जनसंख्या नियंत्रण शिक्षा के लिए अभियान चलाने हेतु 1987-88 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को कोई विशिष्ट अनुदान नहीं दिये गये थे।

बहरहाल, स्वैच्छिक संगठनों की परियोजनाएं जिनके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है उनमें जनसंख्या शिक्षा का एक अंतर्निर्मित घटक होता है जैसे पारस्परिक संचार/प्रेरणा आदि। जिन स्वैच्छिक संगठनों को पारस्परिक संचार/प्रेरणा आदि के लिए 1987-88 के दौरान सहायता अनुदान दिया गया है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1987-88 के दौरान जनसंख्या शिक्षण शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम
1	2
1.	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन (प्रस०सी०यो०सी०ई०) लोदी रोड, नई दिल्ली
2.	भारतीय चाय संघ की असम शाखा (ए०बी०आई०टी०ए०) गुवाहाटी
3.	वस्त्र श्रम संघ, अहमदाबाद
4.	अखिल भारत नियोक्ता संघ, नई दिल्ली
5.	भारतीय नियोक्ता संघ, बम्बई
6.	कर्नाटक चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री संघ, बंगलौर
7.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
8.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, मद्रास
9.	सेवा ग्रामीण, झगदिया
10.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इंदौर
11.	ए०बी०आर०वी०, कोयम्बतूर
12.	ए०डब्ल्यु०ए०आर०ई०, हैदराबाद
13.	स्त्रीहितकारिणी, बम्बई
14.	चाइल्ड इन नीड संस्थान, 24 परगना, पश्चिम बंगाल
15.	सार्वजनिक परिवार कल्याण और सेवा समिति, ग्वालियर
16.	चिन्मया तपोवन न्यास, सिद्धवाड़ी
17.	रेडक्रास होम्योपैथिक परिषद, गुड़गांव
18.	कृषि ग्राम विकास केन्द्र, रांची बिहार
19.	गुरु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, भटिंडा
20.	सेवाधाम न्यास, पुणे
21.	बड़ोदा सिटिजन काऊंसिल, बड़ौदा
22.	वाम इंडिया, कलकत्ता
23.	नूतन भारती, मदनगढ़

1	2
24.	रामकृष्ण आश्रम धर्मार्थ अस्पताल, तिरुवनन्तपुरम
25.	न्यू कन्ट्री वेल्फेयर सोसाइटी, मद्रास
26.	बाल स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता
27.	मोरादाबाद धर्मार्थ न्यास, मोरादाबाद
28.	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद
29.	चुरहट बाल कल्याण सोसाइटी, चुरहट
30.	के०ई०एम० अस्पताल, पुणे
31.	दक्षिण कनरा चिकित्सा राहत सोसाइटी, मणिपाल
32.	सिवागिरी श्री नारायण चिकित्सा मिशन, वरकला, केरल
33.	वह ऋषि दयानन्द प्रसूति एवं सामान्य अस्पताल, यमुना
34.	क्रिश्चियन मैडिकल कालेज, वेलोर (तमिलनाडु)
35.	भारतीय परिवार नियोजन संघ, बम्बई
36.	एस०ओ०एस० चिल्ड्रेन विलेज आफ इंडिया, नई दिल्ली
37.	क्वीलोन सर्विस सोसाइटी, क्वीलोन (केरल)
38.	स्त्री रोग और प्रसूति रोग विज्ञान का 31वां अखिल भारत सम्मेलन, जयपुर
39.	वर्किंग वोमेन फार्म, (इंडिया), केरल
40.	भारतीय परिवार नियोजन संघ, बम्बई, कलकत्ता परियोजना के लिए
41.	जनसंख्या अध्ययन का भारतीय संघ मार्फत इंडियन इकोनोमिक ग्रोथ, नई दिल्ली
42.	जनसंख्या विकास के लिए सांसदों का भारतीय संघ, नई दिल्ली
43.	श्रमिक शिक्षा तथा समाज अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
44.	रोटरी क्लब आफ दिल्ली, नई दिल्ली
45.	कंग्रेशन आफ द सिस्टर आफ द क्रास आफ चवोनाद, टिरची
46.	इंडिया हाऊस डिवलपमेंट, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा (उ०प्र०)
47.	भारतीय चिकित्सा संघ, महिला शाखा, बम्बई
48.	स्त्री सेवा मंदिर, मद्रास
49.	मानव हितों का ग्रामीण केन्द्र, चुरबचैर, जिला—सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
50.	डा० महास्कार चिकित्सा संघ, अमल्नेर, महाराष्ट्र
51.	विवेकानन्द शिक्षा सोसायटी, कलकत्ता
52.	अग्रेरियन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केन्द्र, उत्तर प्रदेश
53.	पिपुल्स एक्शन डेवलेपमेंट सोसाइटी, पेट्टीवेचालई, तमिलनाडु

1	2
54.	सावला, बीजापुर, कर्नाटक
55.	अखिल भारत महिला सम्मेलन, नई दिल्ली
56.	नंदेड चिकित्सा संघ, नंदेड, महाराष्ट्र
57.	महिला जागृति अभियान सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, अहमदाबाद
58.	केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ
59.	अहमदाबाद सिला समाज कल्याण संघ, बादरा अहमदाबाद
60.	सी०आई०एन०आई०, दौलतपुर, पश्चिम बंगाल

खाद्य एवं पोषण आहार संबंधी विस्तार केन्द्र

2704. **श्री बीजल्लभ पट्टिशाही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामुदायिक खाद्य एवं पोषण आहार संबंधी विस्तार केन्द्र स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्रवार ऐसे केन्द्रों की संख्या क्या है ;

(ग) इनको सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उड़ीसा में ऐसे केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) क्या सरकार का उड़ीसा में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एन० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ऐसे 33 केन्द्र हैं। इनके स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ये केन्द्र मुख्यतया गृहिणियों को फलों और सब्जियों का गृहस्तरीय परिरक्षण करने के संबंध में शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं। ये केन्द्र फलों और सब्जियों का गृहस्तरीय परिरक्षण करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश कर तथा घरेलू खपत के लिए विचायन सुविधायें जुटाया कर घरेलू स्तर पर फलों और सब्जियों की प्रचुरता के मौसम के दौरान फलों और सब्जियों का परिरक्षण करने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, इन केन्द्रों द्वारा पोषाहार शिक्षा भी दी जाती है।

(घ) उड़ीसा में ऐसा ही एक केन्द्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

आल इंडिया रेडियो विस्तार केन्द्रों के स्थान

राज्य	स्थान
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
	2. विजयवाड़ा
	3. विशाखापत्तनम
2. असम	4. गुवाहाटी
3. बिहार	5. पटना
	6. रांची
4. गोवा	7. पणजी
5. गुजरात	8. सूरत
6. हरियाणा	9. हिसार
	10. फरीदाबाद
7. हिमाचल प्रदेश	11. शिमला
8. कर्नाटक	12. बंगलौर
9. केरल	13. तिरुवेंद्रम
	14. एर्नाकुलम
10. मध्य प्रदेश	15. भोपाल
	16. रायपुर
	17. जबलपुर
11. महाराष्ट्र	18. बम्बई
	19. पुणे
	20. नागपुर
12. मणिपुर	21. इम्फाल
13. मेघालय	22. शिलांग
14. उड़ीसा	23. भुवनेश्वर
15. पंजाब	24. लुधियाना
16. राजस्थान	25. जयपुर
	26. उदयपुर

1	2
17. तमिलनाडु	27. मद्रास
	28. मदुरै
18. पश्चिम बंगाल	29. कलकत्ता
संघ शासित प्रदेश	
1. चण्डीगढ़	30. चण्डीगढ़
2. दिल्ली	31. माडपुरी
	32. सिलवई नगर
	33. मुसाबी बाग

बेरोजगार हुए श्रमिक

2705. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित नई कपड़ा नीति के कारण बड़ी संख्या में कपड़ा श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार हुए श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). यद्यपि तालाबंदी के परिणामस्वरूप बेकार हुए वस्त्र कामगारों की संख्या में लगभग 60 हजार की वृद्धि हो गई है, परन्तु नीति इस वृद्धि के लिए सीधी उत्तरदायी नहीं है।

(ग) सरकार ने 5 जून 1985 से बन्द होने के लिए बंद हुई इन मिलों के कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए एक वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि की स्थापना की है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसी तालाबंदी द्वारा विस्थापित श्रमिकों को पुनः रोजगार प्रदान करने की योजनाएं बनाएं।

भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा वृक्षों का विवरण तैयार करने का लक्ष्य

2706. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1986-87, और 1987-88 के दौरान उड़ीसा में वृक्षों का विवरण तैयार करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाजीरहमान अंसारी) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण ने उड़ीसा में वृक्षों की सूची तैयार करने के लिए अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास का दौरा

2707. **श्री एल० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1988 में स्वास्थ्य राज्यमंत्री के सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के दौरे के दौरान वर्कस यूनियन, मद्रास (इण्टक) द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ज्ञापन में उठाई गई मांगें और उन पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

1. मांगकर्ताओं द्वारा की गई मांग के अनुसार मदों को शामिल करना।

2. चिकित्सा सामग्री भंडार, मद्रास में निर्माण के लिए पशु चिकित्सा से संबंधित मदों को शामिल करना।

1 और 2 चिकित्सा सामग्री भंडारों की सूची में हाल ही में संशोधन किया गया है और चिकित्सा सामग्री को इस सूची में पर्याप्त संख्या में मालिकाना मदें शामिल हैं। तथापि, जब कभी इस सूची में संशोधन किया जाएगा, इन मदों पर विचार किया जाएगा।

3. अस्पतालों द्वारा आमतौर पर मांगे जाने वाले सम्पाकों के निर्माण में विविधता लाना।

निर्वाच कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए कोई योजना स्कीम नहीं है क्योंकि चिकित्सा सामग्री भण्डार मूल रूप से भण्डारण और वितरण एजेंसियां हैं।

4. परिक्रमा निधि का सृजन करना और चिकित्सा सामग्री भण्डार को एक सरकारी कम्पनी में परिवर्तित करना।

परिक्रमा निधि का सृजन करने और चिकित्सा सामग्री भण्डार को एक कम्पनी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया था। यह निर्णय संसदीय प्राक्कलन समिति को भी स्पष्ट कर दिया गया था।

5. अतिरिक्त स्टाफ को मंजूरी

चिकित्सा-सामग्री भण्डार, मद्रास के कार्य का अध्ययन किया गया था जिसमें अतिरिक्त स्टाफ की सिफारिश नहीं की गई है।

'होम्योपैथिक फार्माकोपिया' की अधिसूचना

2708. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'होम्योपैथिक फार्माकोपिया' के अधिकृत रूप से अभी तक कितने खंडों की अधिसूचना जारी की गई है; और

(ख) इस फार्माकोपिया में मोनोग्राफों का किस आधार पर मूल्यांकन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारत सरकार द्वारा अब तक 5 भारतीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता खंडों का प्रकाशन किया गया है और समय-समय पर संशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची में भारतीय होम्योपैथी फार्माकोपिया के संबंध में एक प्रविष्टि शामिल कर ली गई है परन्तु उक्त अनुसूची में भारतीय होम्योपैथी फार्माकोपिया के विभिन्न खंडों के बारे में विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) अन्तिम मोनोग्राफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला में अनेक परीक्षण करने और होम्योपैथी समिति की विभिन्न बैठकों में चर्चा के बाद तैयार किए जाते हैं।

अंशकालीन महिला अटेंडेंट के पारिश्रमिक में समानता

2709. श्री प्रकाश वी०पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों से सम्बद्ध अंशकालीन महिला अटेन्डेंटों तथा ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और उपकेन्द्रों से सम्बद्ध स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के कर्तव्य समान हैं;

(ख) क्या भाग (क) की स्थिति सभी राज्यों में विद्यमान है ;

(ग) क्या उनके पारिश्रमिकों, विशेषकर महाराष्ट्र में अन्तर हैं और इसके परिणामस्वरूप परिवार नियोजन के कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इनके पारिश्रमिकों में समानता लाने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता को 50/- रुपए के मासिक मानदेय पर उप-केन्द्रों के स्वीकृत ढांचे में शामिल किया गया है। सभी राज्यों को महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) की सहायता के लिए इस सुविधा को अपनाने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार ने स्वैच्छिक कार्यकर्ता को अपने संसाधनों से मानदेय को बढ़ाने का निर्णय किया है। भारत सरकार का केन्द्रीय राशि से देय मानदेय की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

"साजूर मोरे" मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल

2710. श्री आयनल अबेदिन : क्या श्रम मंत्री "साजूर मोरे" मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल के बारे में 8 अगस्त, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बीड़ी मजदूरों के लिए प्रस्तावित 50 बिस्तरों वाले टी०बी० अस्पताल का निर्माण करने हेतु आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ;

(च) क्या [illegible] सरकार के सहयोग से आयोजित हैं/किए जाएंगे तो क्या ऐसे सहयोग का अनुरोध किया गया है ; और

(छ) इस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राजा किशन मानवेन्द्र) : (क) तकनीकी तथा वित्तीय पहलू सामान्यतः जैसे की स्थल समीक्षा, भूमि अधिग्रहण तथा स्थल के अधिग्रहण, उसे तैयार करने की लागत, अस्पताल भवन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की लागत तथा स्टाफ की उपलब्धता आदि से सम्बन्धित होते हैं।

(ख) तञ्जूर मोरे में अस्पताल के लिए स्थल के बारे में संगत सूचना एकत्र करने और उसका मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण के मामले में राज्य सरकार का सहयोग मांगा गया है।

(घ) इस मामले पर राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है।

सुन्दरबन क्षेत्र में बाघों से ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना

2711. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में बाघ संरक्षण परियोजना के बाघों ने एक बार फिर से काफी संख्या में ग्रामीणों एवं उनके पशुओं को शिकार बनाना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बाघ संरक्षण परियोजना में कांटेदार तार लगाने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) कांटेदार तार लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाजीराव आंबालकर) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि सुन्दरबन बाघ रिजर्व के बाघों द्वारा मारे गए ग्रामवासियों और पशुओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) से (घ). सुन्दरबन बाघ रिजर्व के चारों ओर कांटेदार तार लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रामाकृष्णापुरम में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

2712. श्री हरिश्चन्द्र सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री रामाकृष्णापुरम में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में 3 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामाकृष्णापुरम में मोहन सिंह मार्ग में गलियारों में रास्ता रोकने सहित सरकारी भूमि के अतिक्रमण और उस पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा

2713. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी कालोनी नई दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में सरकारी क्वार्टरों में सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कालोनी में टाइप-वार कितने-कितने क्वार्टरों में गैर पात्र व्यक्ति क्रमश: एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्षों से रह रहे हैं और तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और

(ग) अनधिकृत रूप से इन क्वार्टरों में रह रहे लोगों को इनमें से शीघ्र हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग). लोदी कालोनी में 25 क्वार्टर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अनधिकृत कब्जे में हैं, जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

टाइप	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष
"बी"	5	2	1
"सी"	5	4	3
"डी"	5	—	—

25 मामलों में से, 4 मामले न्यायाधीन हैं तथा 2 मामलों में सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों ने अपने नाम में आबंटन के लिए आवेदन किया है। शेष 19 मामलों में क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में हैं तथा लोक (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखल करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

ग्रामीण कृषि आयोग

2714. श्री रामस्वरूप राम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए ग्रामीण कृषि आयोग स्थापित किया है ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम के उपबंधों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों को आयोग में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो आयोग में राजभाषा अधिनियम से संबंधित नियमों तथा विनियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग). सरकार ने अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग गठित किया था जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण श्रमिकों के हितों के लिए बनाए गए मौजूदा विधान तथा अन्य उपबंधों का अध्ययन तथा इन उपायों और उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था तथा वितरण पद्धति का भी अध्ययन करेगा। सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आयोग के लिए स्वीकृत स्टाफ पहले ही भर्ती कर लिया गया है तथा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर तथा क्षेत्र "क" और "ख" में आने वाले राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र यथा-संभव हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं।

"गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति"

2715. श्री के० एस० राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं के लिए भी पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). नए उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करके मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को परिचालित कर दिए गए हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अभिनिर्धारित प्रदूषक उद्योगों की उन 20 श्रेणियों के आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के लिए अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय मंजूरी लेने का प्रावधान है। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त निजी क्षेत्र की परियोजनाओं पर भी लागू होते हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह प्रावधान है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदला जाएगा :—

1. राज्य उद्योग निदेशक इस बात की पुष्टि करता है कि सक्षम राज्य प्राधिकारी ने परियोजना स्थल को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मंजूर कर दिया है।

2. उद्यमी राज्य और केन्द्र सरकार दोनों को यह वचन देता है कि वह प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरण लगाएगा एवं निर्धारित उपायों का कार्यान्वयन करेगा।

3. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह प्रमाणित किया है कि प्रस्ताव पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुकूल है और लगाए गए उपकरण अथवा लगाने के लिए प्रस्तावित उपकरण आवश्यकतानुसार पर्याप्त और समुचित हैं।

फिलहाल, पूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और समीक्षा के पश्चात् केन्द्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ताप विद्युत, जल-विद्युत, पत्तन और बन्दरगाह, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है। इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में ऐसे विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन तकनीकों के लिए क्षमता तैयार करना और यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वित्तीय संस्थाएं ऐसी परियोजनाओं की साख बढ़ाने के समय इन पहलुओं की जांच करें।

"खानों तथा इस्पात उद्योग में पर्यावरणीय स्तर में गिरावट को रोकना"

2716. **श्री महेश्वर तांती** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खनन और इस्पात उद्योग में पर्यावरणीय स्तर में गिरावट को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) खनन और इस्पात उद्योग में पर्यावरणीय अवक्रमण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

(1) खनन और इस्पात उद्योगों में केन्द्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नई परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाता है। उन परियोजनाओं को मंजूर नहीं किया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल नहीं होती हैं। यदि इन्हें पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूर किया जाता है तो उनके कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाते हैं।

(2) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियमावली, 1960 में आवश्यक संशोधन किये गये हैं जिससे पर्यावरणीय प्रबन्ध घटक अब खनन योजनाओं का एक भाग है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनन पट्टा मंजूर करने से पहले विचार किया जाता है।

(3) पुरानी और परित्यक्त खानों के सुधार के मामलों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है।

(4) उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए सामान्य पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धान्त इस्पात उद्योगों पर भी लागू होते हैं।

(5) खनन के लिए पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करके जारी किये गये हैं।

(6) खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित अध्ययन करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए खान प्रबन्ध अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है।

(7) इस मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर खनन के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कई अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए गए हैं।

गन्ने की बकाया राशि

2717. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के लिए, वर्ष-वार, देश में विभिन्न गन्ना मिलों द्वारा किसानों को देय गन्ने की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1981-82, 1983-84 तथा 1987-88 के दौरान चीनी का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान चीनी के उत्पादन में कोई गिरावट आई थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 15-2-1989 को स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया राशि निम्नानुसार है :

चीनी वर्ष	गन्ने के मूल्य की बकाया राशि (करोड़ रुपये में)
1985-86	0.44
1986-87	1.05
1987-88	3.46

15-2-1989 को स्थिति के अनुसार चालू मौसम के दौरान बकायों की राशि 17.4% है जबकि 1987-88 मौसम में उसी तारीख तक यह राशि 16.3% थी।

(ख) चीनी का उत्पादन निम्नानुसार हुआ है :—

चीनी वर्ष	लाख मीटरी टन
1981-82	84.38
1983-84	59.16
1987-88	91.10

(ग) जी हां। देश के कुछ उत्तरी भागों में सूखे की स्थिति होने और कम रिकवरी होने के कारण 1983-84 मौसम में उत्पादन को धक्का पहुंचा था। तथापि, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप आवर्ती उतार-चढ़ाव को रोका जा सका और भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद 1987-88 मौसम में उत्पादन चरम सीमा तक पहुंच गया।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्यों का विविधीकरण

2718. श्री बक्कम पुरुषोत्तमन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्यों का विविधीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम द्वारा अपने कार्यों के परम्परागत क्षेत्रों से बाहर किन-किन परियोजनाओं को पहले ही शुरू किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पीछले तीन दशकों से सिविल निर्माण गतिविधियों में लगा हुआ है, वह अपने मूल लक्ष्यों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में एक मुख्य निर्माण कम्पनी के रूप में कार्य करता चला आ रहा है, समय-समय पर यह चयनित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए योजनायें शुरू करता है।

चीनी का उत्पादन और इसका आयात

2719. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के सीजन के दौरान गन्ने और चीनी का कितना-कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया तथा इसका आयात किन-किन देशों से किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में चीनी का औसत अवतरण मूल्य कितना था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 1987-88 फसली/चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान गन्ने और चीनी का उत्पादन क्रमशः 196.7 मिलियन मीटरी टन और 91.10 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ख) और (ग). 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के वित्तीय वर्षों के दौरान चीनी की आयात की गई वर्षवार मात्रा, जिन देशों से चीनी का आयात किया गया और चीनी का औसत उतरान मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वित्तीय वर्ष	आयात की गई मात्रा (लाख मीटरी टन में)	औसत उतरान मूल्य रुपये प्रति मीटरी टन	जिन देशों से चीनी का आयात किया गया।
1	2	3	4
1985-86	20.22	3739	ई० ई० सी०, अर्जेंटीना, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, क्यूबा, पोलैंड, यूगोस्लाविया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चैकोस्लोवाकिया, फिलीपीन, मलेशिया और वियतनाम
1986-87	7.81	5114	ई० ई० सी०, बुल्गारिया, ब्राजील, चीन, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, क्यूबा, पोलैंड, यूगोस्लाविया, मलेशिया और मौरिशस

1	2	3	4
1987-88	6.56	5347	ई० ई० सी० वुल्गारिया, ब्राजील, दक्षिणी कोरिया, आईलैंड, और क्यूबा
1988-89	कोई आयात नहीं किया गया		

हथकरघा से बनी वस्तुओं का निर्यात

2720. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री वी० तुलसीराम :

श्री पी० एम० सईद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने हथकरघा से बनी कुछ वस्तुओं को 1 जनवरी, 1989 से छूट प्राप्त श्रेणी से निकाल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी पत्तनों अथवा समुद्र पार भेजा गया अनुमानत: कितने मूल्य का माल रुका पड़ा है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या स्थिति उत्पन्न हुई है ;

(घ) तत्संगत निर्यात करार के संदर्भ में वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ङ). संयुक्त राज्य अमरीका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने अभी हाल में हथकरघा मेड-अप्स के प्रेषित माल को इस आधार पर रोक लिया कि उनमें मशीन की सिलाई है और इसीलिए इनके लिए वीसा की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसका यह मत है कि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय वस्त्र करार के अनुसार ऐसी वस्तुओं की संयुक्त राज्य अमरीका के बाजार में कोटामुक्त पहुंच होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमारे वाशिंगटन स्थित राजदूतावास के जरिए अपना विरोध संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को व्यक्त कर दिया है। इस मसले पर परामर्श करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल ने अभी हाल में संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की। भारत सरकार इस मामले के यथाशीघ्र समाधान के लिए सभी उपायों का पता लगा रही है।

चीनी मिलों को लाइसेंस मंजूर करने में छूट

2721. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई चीनी नीति के अंतर्गत चीनी मिलों को लाइसेंस मंजूर करने के लिए कोई छूट दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी नहीं। तथापि, ढील देने विषयक नीति की सीमित समीक्षा सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जाना

2722. **श्री विष्णु मोदी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास वर्ष 1974 से स्वामित्व प्रमाण पत्र लेने के कितने आवेदनपत्र लंबित पड़े हैं ; और

(ख) लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 1.1.1989 की स्थिति के अनुसार 321।

(ख) गैर समाधेय मदों, संयोजित फीस का भुगतान आदि के संमजन जैसी अपेक्षिताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मालिकों को नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जाते हैं। इसलिए लम्बित मामलों में कब्जा प्रमाण पत्र देना मालिकों द्वारा इन अपेक्षिताओं को पूर्ण करने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा।

पटसन सलाहकार समिति

[हिन्दी]

2723. **डॉ० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वस्त्र सलाहकार समिति की तरह से पटसन सलाहकार बोर्ड गठित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की शक्तियां क्या हैं, और उक्त बोर्ड का गठन कब तक किया जायेगा ; और

(ग) यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). सरकार ने दिनांक 11-1-1989 के संकल्प द्वारा पटसन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड सरकार को सामान्यतः पटसन (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) प्रादेश, 1961 के कार्यक्षेत्र में आने वाले पटसन से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देगा, इसमें पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन प्राक्कलन भी शामिल हैं।

जिलों में पेयजल की व्यवस्था

[अनुवाद]

2724. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे जिलों के

नाम और संख्या कितनी है जहां 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं थी ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या सुधार हुआ है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : प्रत्येक जिले में शहरी परिवारों के लिए उपलब्ध कुएं, नल, हैंडपम्प आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, के बारे में सूचना 1981 की जनगणना में उपलब्ध है। शहरी परिवारों के लिए उपलब्ध स्रोतों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के आधार पर, सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मार्च, 1981 तथा मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार लाभान्वित शहरी जलपूर्ति की स्थिति

(जनसंख्या हजारों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार लाभान्वयन		मार्च, 1987 के अनुसार लाभान्वयन	
		शहरी जलपूर्ति जनसंख्या	प्रतिशत	शहरी जलपूर्ति जनसंख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	20	47.61	120	100
2.	असम	530	25.89	881	37.53
3.	हरियाणा	1130	39.97	3211	100
4.	केरल	60	24.89	142	49.47
5.	मिजोरम	10	8.196	26	18.57
6.	उड़ीसा	1070	34.40	1326	37.11
7.	सिक्किम	24	46.15	98	67.12
8.	त्रिपुरा	110	48.67	183	53.19

राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

[हिन्दी]

2725. श्री के० एम० प्रधान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य भण्डारण की कमी की आशंका को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन में भारी कमी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान प्रत्येक महीने आवंटित खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैठा) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्यान्नों के आवंटन की केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं, चावल की नयी फसल की आमद होने पर बढ़ी हुई बाजार उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति के केवल अनुपूरक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए फरवरी, 1988 में समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के फलस्वरूप अधिकांश राज्यों के चावल के कोटे को एक-समान रूप से 20 प्रतिशत कम कर दिया गया था और गेहूं के कोटे को 5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1988 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के किए गए आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है।

1988 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के मासवार आवंटन

(हजार मीटरी टनों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जन०,88	फर०,88	मार्च,88	अप्रैल, 88	मई,88	जून,88	जुलाई, 88	अग०,88	सित०,88	अक्तू०, 88	नव०,88	दिस०, 88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	121.0	91 0	81.0	65.0	65.0	70.0	80.0	80.0	85.0	90.0	90.0	80.0
अरुणाचल प्रदेश	7.3	7.3	7.3	8.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
असम	81.4	76.4	70 4	50 0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
बिहार	150.0	130.0	110.0	82.0	87.0	65.0	65.0	65.0	85.0	65.0	65.0	65.0
गोवा	5.55	5.55	5.55	5.55	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
गुजरात	110.0	95 0	12,00	95 0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0
हरियाणा	33.5	43.5	33.5	33.5	33.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
हिमाचल प्रदेश	16.5	21.5	21.5	23.0	23.0	18.0	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
जम्मू तथा कश्मीर	50.0	45.0	34.0	34.0	34.0	30.0	30.0	35.0	40.0	40.0	40.0	40.0
कर्नाटक	85.0	80.0	75.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	60.0	65.0	65.0	65.0

	180.0	170.0	145.0	145.0	145.0	140.0	140.0	160.0	140.0	140.0	140.0	140.0
मध्य प्रदेश	85.0	75.0	55.0	45.0	45.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	55.0
महाराष्ट्र	170.0	160.0	140.0	140.0	140.0	140.0	145.0	145.0	150.0	155.0	155.0	155.0
मणिपुर	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
मेघालय	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
मिजोरम	7.55	7.55	7.55	8.55	8.55	8.55	7 55	7.55	7.55	7.55	8.55	8.55
नागालैंड	11.0	9.5	9.5	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
उड़ीसा	53.0	43 0	43.0	40.0	45.0	45.0	50.0	50.0	55.0	50.0	50.0	50.0
पंजाब	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
राजस्थान	124.0	134.0	104.0	84.0	84.0	104.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
सिक्किम	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	5.75	4.75	4.75	4.75	4.75
तमिलनाडु	80.0	110.0	80.0	110.0	80.0	70.0	80.0	80.0	80.0	95.0	110.0	110.0
त्रिपुरा	17.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15 0	15.0	15 0	15.0
उत्तर प्रदेश	185.0	150.0	140.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
पश्चिम बंगाल	251.0	236.0	200.0	165.0	165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	5.1	—	—	6.1	—	—	6.1	—	—	6.1	—	—
चण्डीगढ़	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
लाचुंग-लाचेन-थांगु-कोंगेरी	0.81	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.81	0.3–	0.6	0.1	0.6	0.6
रमथांग-लाचुंग सीमा	32.69	0.60	0.6	0.3	[illegible]	0.6	[illegible]	[illegible]	0.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
सिक्की [illegible]	72.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	72.0	72.0	75.0	99.0	75.0	75.0
कुमालीन	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.88	[illegible]	[illegible]
चांगेरी-रे	3.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.75	2.75	2.75
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

'वनीकरण के लिए आवंटन'

[अनुवाद]

2726. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान वनीकरण कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ; और

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए वनीकरण कार्यक्रम के लिए बिहार को अनुमानत: कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाजीरंहुमाल अन्तारी) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान वनीकरण कार्यकलापों के लिए आवंटित राज्य-वार धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बिहार राज्य में वर्ष 1989-90 के दौरान वनीकरण कार्यकलापों के लिए राज्यवार योजना परिव्यय लगभग 1575 लाख रुपए होने की आशा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषी भूमि विकास बोर्ड, कृषि विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्र परियोजनाओं के अधीन आवंटित धनराशि भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए राज्यवार आवंटन की अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान वनीकरण के लिए आवंटित राज्यवार धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3538.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	451.75
3.	असम	2188.00
4.	बिहार	5298.00
5.	गोआ	118.00
6.	गुजरात	3168.00
7.	हरियाणा	1921.50
8.	हिमाचल प्रदेश	2257.50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1124.63

1	2	3
10.	कर्नाटक	2710.50
11.	केरल	2374.00
12.	मध्य प्रदेश	4672.80
13.	महाराष्ट्र	4194.25
14.	मणिपुर	703.50
15.	मेघालय	756.00
16.	मिजोरम	658.00
17.	नागालैण्ड	518.00
18.	उड़ीसा	2667.25
19.	पंजाब	1035.25
20.	राजस्थान	3202.00
21.	सिक्किम	235.00
22.	तमिलनाडु	3479.50
23.	त्रिपुरा	462.75
24.	उत्तर प्रदेश	7589.75
25.	पश्चिम बंगाल	3292.88
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	259.50
27.	चण्डीगढ़	23.50
28.	दादरा नगर हवेली	111.25
29.	दिल्ली	85.50
30.	दमन एवं द्वीव	45.00
31.	लक्षद्वीप	7.25
32.	पांडिचेरी	48.00
	योग :	59196.01

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड तथा कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अधीन 28 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

पर्यावरणीय विकास के लिए "दक्षेस" राष्ट्रों की बैठक

2727. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र की पारिस्थितिकी की सुरक्षा तथा पर्यावरणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के अंतर्गत सात दक्षिण एशियाई देशों की फरवरी, 1989 में एक बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सदस्य देशों ने क्या-क्या विभिन्न प्रस्ताव रखे ; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाजीरहुवान अन्नादुरै) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में मकानों के लिए ऋण

2728. **श्री पी० एम० सईद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार मकानों के निर्माण के लिये उन निर्धन व्यक्तियों को आसान शर्तों पर ऋण देती है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में प्लाट आवंटित किये गये हैं ; और,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं को रोजगार

2729. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, केन्द्रीय प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा निर्धारित रिक्त पदों के अनुसार, प्रशिक्षुओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1063 अवस्थित स्थानों में से, दिनांक 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार, 650 शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार और क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण की केन्द्रीय प्रतिष्ठानों और राज्य निदेशक, उड़ीसा के साथ एक संयुक्त बैठक हुई थी और उन्होंने स्थिति में सुधार करने का वचन दिया है ।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी आवासों का आवंटन

2730. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी-कर्मचारियों/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों से प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी आवासों के आवंटन के लिए नई योजनाएं तैयार और स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, इसे इन पर कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं; ब्यौरा दें

(ग) उक्त योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा और लागू किया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अत्यधिक पंजीकृत, जिनमें सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी हैं, के कारण सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई नई योजना चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मयूर विहार में शापिंग सेन्टर का निर्माण

2731. प्रो० राजकुमार भोरे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण मयूर विहार एक्सटेंशन फेज-दो में शापिंग सेन्टर का निर्माण करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शापिंग सेन्टर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मयूर विहार फेस-II में निम्नलिखित विपणन केन्द्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव है :—

	दिल्ली विकास प्राधिकरण क्षेत्र	सहकारी समिति क्षेत्र	योग
सुविधाजनक विपणन केन्द्र	5	1	6
स्थानीय विपणन केन्द्र	1	1	2
	6	2	8

(ग) मयूर विहार फेस-II दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास क्षेत्र

इस क्षेत्र में सुनियोजित 6 विपणन केन्द्रों में से, पाकेट "बी" में एक विपणन केन्द्र पहले ही पूरा कर दिया गया है। ब्लाक "ए" में एक विपणन केन्द्र निर्माणाधीन है और अन्य तीन विपणन केन्द्रों की आयोजना बनाई जा रही है और ये शीघ्र ही आरम्भ कर दिये जायेंगे। ये विपणन केन्द्र वर्ष 1989-90 के दौरान पूर्ण होने की आशा है। छठा विपणन केन्द्र वर्ष 1989-90 के दौरान प्राथमिकता पर आयोजना बनाने के लिए शामिल किया गया है। इस विपणन केन्द्र का कार्य आयोजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात आरम्भ किया जाएगा और यह 1990-91 तक पूर्ण होने की आशा है।

मयूर विहार फेस-II सहकारी समिति क्षेत्र

सुविधाजनक विपणन केन्द्र के लिए इस स्थल का अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमणों को हटाने के बाद कार्य आरम्भ किया जायेगा। यह विपणन केन्द्र वर्ष 1989-90 के दौरान आयोजना के लिए प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है और आयोजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा 1990-91 में पूर्ण होने की आशा है।

रुई का उत्पादन

2732. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई की मांग में वृद्धि होने के साथ-साथ और देश में रुई का उत्पादन कम हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने अथवा आयात करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). रुई के उत्पादन में बढ़ोतरी का रुख देखा गया है, हालांकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तीव्र उतार चढ़ाव रहा। रुई की घरेलू खपत भी बढ़ रही है। चालू रुई वर्ष के दौरान लगभग 102 लाख गांठों के उत्पादन तथा घरेलू खपत का अनुमान है और इसीलिए शायद रुई के आयात की आवश्यकता नहीं होगी।

देश में नपुंसक लोगों की संख्या

[हिन्दी]

2733. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली औषधियों के नाम पर युवकों को नपुंसक बनाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं, यदि हां, तो देश में इस प्रकार के कितने गिरोह काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे नपुंसक लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इनकी खरीद बिक्री का कार्य भी किया जा रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). औषधों के सेवन के कारण युवा व्यक्तियों के नपुंसक होने की घटनाएं सरकार को सूचित नहीं की गई हैं।

वैसे, आयुर्विज्ञान की पुस्तकों में बताया गया है कि "मैन्थियान अवरोधक भेषज वैज्ञानिक गुण वाली ऐसी औषधों जैसे कि क्लोनिडाइन (अति रक्तदाबरोधी), ग्वानेथिडाइन (अवसाद रोधी), मेथिलडोपा (अतिरक्तदाब रोधी), बेथानिडाइन (अतिरक्तदाबरोधी), डेब्रिसोक्विन (मलेरिया रोधी), इमिप्रेक्सिन (अवसाद रोधी), फेनेलजिन (अवसादरोधी), और थायोराइजजाइन (प्रशान्तक) के गौण प्रभाव के रूप में युवा व्यक्तियों में नपुंसकता हो जाती है।

नपुंसकता और हिजड़ा पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। यद्यपि, नपुंसकता का अर्थ मैथुन क्रिया संबंधी किसी समस्या से है, तथापि हिजड़ा शब्द का प्रयोग उस जन्मजात समस्या के लिए किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष में पुरुष और स्त्री दोनों के गौण यौन लक्षण होते हैं।

हिजड़ों, उनकी खरीद और बिक्री और देश में उनके अड्डों की संख्या से संबंधित मामला बुनियादी तौर पर सामाजिक समस्या है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

"ओपन हार्ट सर्जरी" संबंधी सुविधा

[अनुवाद]

2734. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ओपन हार्ट सर्जरी संबंधी सुविधा कहां-कहां पर उपलब्ध है ;

(ख) क्या राजस्थान के किसी मेडिकल कालेज अथवा अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी संबंधी सुविधा उपलब्ध है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में राजस्थान को यदि कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई हो तो कितनी सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). देश में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा वाले संस्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) भारत सरकार इस बात के प्रयास कर रही है कि आधुनिक और परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक हार्ट उपकरण वाले हृदय केन्द्र अधिक संख्या में हों जहां कैथेटराइजेशन एंजियोग्राफी और एंजिप्लास्टी और कोरोनरी बाई-पास सर्जरी और अन्य हृदय रोगों, जिसमें इस्कीमिक हृदय रोग शामिल है, का उपचार किया जा सके ।

(घ) चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य विषय है और राज्य के सभी चिकित्सा कालेज/अस्पताल संबंधित राज्य सरकारों के, प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होते हैं, इसलिए वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी ।

विवरण

बाई-पास कोरोनरी सर्जरी की सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों की सूची

1. सदर्न रेलवेज हैडक्वार्टर्स हास्पीटल पेरम्बूर, मद्रास ।
2. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल वेल्लोर ।
3. के०इ०एम० अस्पताल, बम्बई ।
4. जसलोक अस्पताल, बम्बई ।
5. श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड टेक्नोलाजी, त्रिवेन्द्रम ।
6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
7. गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली ।
8. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ।
9. बम्बई अस्पताल, बम्बई ।
10. एपोलो अस्पताल, बम्बई ।

11. नानावती अस्पताल, बम्बई ।

12. ब्रीच कैंडी अस्पताल, बम्बई ।

13. कस्तूरबा अस्पताल, मनिपाल, कर्नाटक ।

14. बतरा अस्पताल, नई दिल्ली ।

15. नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली ।

16. डी० सन्तराम अस्पताल, इन्दौर ।

17. एस्कोर्ट हार्ट केयर सैन्टर, नई दिल्ली ।

हथकरघा बुनकरों के लिये निर्धारित वस्तुएं

2735. **श्री सी० सम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों के लिये निर्धारित वस्तुओं का विद्युत करघों द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों में स्थित विद्युत चालित करघा एककों के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दौरे के समय यह देखा गया कि कुछ विद्युत चालित करघे उन मदों का विनिर्माण कर रहे थे जो हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण), अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत हथकरघों पर उत्पादन के लिए आरक्षित की गयी हैं। विद्युत चालित करघों पर उत्पादित की जा रही कुछ प्रतिबंधित मदें है : काटन चेक शर्टिंग, साड़ी के किनारों में असाधारण आच्छादन के साथ सूती और रेशमी साड़ियां, किनारों सहित सूती बिछावन, लो रीड पिक फैब्रिक जिसमें प्रमाणी तथा पट्टी के कपड़े, चैक की लुंगियां, अंगवस्त्रम तथा गमछे आदि शामिल हैं ।

(ग) भारत सरकार ने हथकरघा आरक्षण आदेशों के प्रवर्तन के लिए दिल्ली, पुणे तथा कोयम्बटूर में अलग-अलग कार्यालय स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तथा केरल की सरकारों को प्रवर्तन कार्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता भी दी गई है। आरक्षण आदेशों का समुचित प्रवर्तन नहीं हो सका क्योंकि विद्युत चालित करघा मालिकों के ऐसोसिएशनों तथा अलग-अलग एककों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश ले लिए गए थे। मामले अब सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हैं। इन रुकावटों के बावजूद प्रवर्तन अधिकारियों ने उन 135 विद्युत चालित करघा एककों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने आरक्षण आदेशों का उल्लंघन किया तथा जो न्यायालयों के स्थगन आदेशों में कवर नहीं हुए ।

मिश्रित धागे वाले कपड़ों के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति

2736. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित धागे वाले कपड़ों के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के फलस्वरूप कपड़ा मिलें अधिक उत्पादन करने और अधिक लाभ कमाने में सफल हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका कपड़ा उद्योग पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप विशुद्ध सूती कपड़ा बनाने वाली मिलें बंद होती जा रही हैं ; और

(घ) विशुद्ध सूती कपड़ा बनाने वाली सभी मिलों को मिश्रित धागे वाले कपड़े बनाने वाली मिलों में परिवर्तित करने के क्या प्रयास किये जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके प्रभाव का सही निर्धारण करना तथा मात्रा बताना कठिन है ।

(ग) केवल सूती फैब्रिक ही बनाने वाली मिलों के बंद होने के अनेक कारण हैं जिनमें विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा भी शामिल है ।

(घ) पूर्ण रेशा लोचशीलता की पहले ही अनुमति दे दी गयी है । फिर भी, सूती मिलों के लिए यह ऐच्छिक है कि वे इस सुविधा का तथा साथ ही वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं ।

नकली औषध बनाने वाली कम्पनियां

[हिन्दी]

2737. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1989 को समाप्त होने वाले गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में नकली औषध बनाने वाली कितनी कम्पनियों का पता लगाया गया है ;

(ख) इन औषध कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी कम्पनियों द्वारा नकली औषधों के निर्माण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस में मंत्रालय उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान औषधों के 31 नमूने नकली पाए गए हैं । दिल्ली में पिछले एक वर्ष के दौरान नकली औषध और प्रसाधन सामग्री तैयार करने वाली एक फैक्टरी का पता लगाया गया था ।

(ख) जैसे ही बाजार में बेची जा रही नकली औषधों के बारे में सूचना मिलती है, औषध नियंत्रण तंत्र द्वारा जांच की जाती है और यदि प्रथम दृष्टि में किसी मामले का पता चलता है तो मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई की जाती है ।

(ग) केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सलाह देती रही है कि वे नकली औषधों के निर्माण को रोकने के लिए अपने औषध नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करें । इस संबंध में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

1. नकली औषधों का निर्माण करने के लिए संशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियमों के अनुसार दण्ड में वृद्धि कर दी गई है ।

2. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की हाल ही में हुई बैठक में संकल्प पारित किए गए हैं जिसमें राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे औषध नियंत्रण संगठनों को सुदृढ़ करें और पर्याप्त

जांच सुविधाएं स्थापित करें तथा राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा अलर्ट आसूचना एवं कानूनी सेलों की स्थापना करें। परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र में औषध नियंत्रण संगठन का सुदृढ़ बढ़ाया जाना चाहिए और उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

खाद्य भण्डार की आवश्यकता

[अनुवाद]

2738. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित दर दुकान प्रणाली को कार्यरत बनाये रखने के लिये वर्ष 1989-90 के दौरान आवश्यक गेहूं तथा चावल के भण्डार की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खरीद में कोई कमी होने का अनुमान है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कमी में इस खरीद को खुले बाजार से खरीद कर पूरा किया जाएगा ; और

(ङ) क्या इस अंतर को पूरा करने के लिये आयात करने का भी प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वी० एन० गैडगिल) : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए गेहूं और चावल की आवश्यकता का मूल्यांकन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्रत्येक मास प्राप्त हुई मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, अतीत में उठान की प्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की तार्किक आवश्यकताओं और बाजार-उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ). वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि चावल की वसूली मिल मालिकों और व्यापारियों पर सांविधिक लेवी लगाकर तथा गेहूं और धान की वसूली सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के आधार पर की जाती है।

(ङ) भारत सरकार देश की खाद्य स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है और यदि आवश्यक समझा जाएगा तो वह खाद्यान्नों का आयात करने के अपने विकल्प का इस्तेमाल करेगी।

केरल में रेशम उद्योग

2739. श्री सी०एच० विजयराघवन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बड़े पैमाने पर रेशम उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन जिलों को चुना गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी हां।

(ख) वह क्षेत्र जिनमें रेशम उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, इस प्रकार हैं :—

इडुक्की, पालघाट, कासरगौड, कैन्नानूर, वायनाड, अलेप्पी और कोट्टायम।

(ग) राज्य में रेशम उत्पादन बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) 2 अनुसन्धान विस्तार केन्द्र स्थापित किये गए हैं, जिनमें से एक पालघाट जिले में तथा दूसरा कोट्टायम जिले में है।

(2) वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य को 76 ट्रक शहतूत की कलमें तथा 4,99,600 पौध सप्लाई किए गए हैं।

(3) केरल सरकार ने जो रेशम रीलिंग एकक स्थापित किया है, उसे चलाने के लिये तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया है।

(4) रेशम उत्पादन विकास को प्रोत्साहित करने के लिये 4 प्रमुख स्वैच्छिक अभिकरणों को शहतूत की कलमों/पौध, कृषक-प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों का आयोजन, उन्नत चरखों की सप्लाई आदि के जरिये तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता दी गई है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) को राज सहायता

2740. **श्री एस०जी बोलप** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी०ए०बी०ओ) लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार से 5 रुपये प्रति मीटर की राज सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कुल कितनी धन-राशि राज सहायता के रूप में दी गई है;

(ग) क्या कपड़ा निगम को राज सहायता मिलने के बावजूद प्रति वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) के अन्तर्गत मिलों को अन्य एन०टी०सी० मिलों की तरह 1.50 रुपए से 2.50 रुपए प्रति मीटर की दर पर केवल कन्ट्रोल के कपड़े पर राज-सहायता दी जा रही है। वर्ष 1987-88 के दौरान एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) को कन्ट्रोल के कपड़े पर राज-सहायता के रूप में 282.20 लाख रुपए की राशि वितरित की गई थी।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) को 28.16 करोड़ रुपए का निवल घाटा हुआ था।

(घ) एन०टी०सी० के संस्थागत वित्त, उत्पाद सुधार और विविधीकरण आदि उपायों की सहायता से, चुनिन्दा आधुनिकीकरण पर आधारित एक नई व्यापक परिवर्तन की नीति बनाई गई है, जिससे घाटा उठाने वाले एककों के कार्य-निष्पादन को सुधारा जा सके।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए जापान तथा स्विटजरलैंड से ऋण

[हिन्दी]

2742. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को जापान से 50 करोड़ रुपए ऋण के रूप में मिलने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इस ऋण का उपयोग करने की अनुमति मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में निगम का अनुरोध कब प्राप्त हुआ था; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ). जापान से वस्त्र मशीनों की सप्लाई के रूप में येन ऋण प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रस्ताव की अभी जांच-बीन की जा रही है ।

"उड़ीसा में फैरो क्रोम संयंत्र से उत्पन्न प्रदूषण"

[अनुवाद]

2743. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जोड़ा में स्थापित फैरो क्रोम संयंत्र पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत इस संयंत्र के पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई नोटिस जारी किया है अथवा कार्यवाही की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस वायु प्रदूषण से जोड़ा के आसपास कितना क्षेत्र प्रभावित होने का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जोड़ा में कोई फैरो-क्रोम संयंत्र नहीं है । तथापि जोड़ा में एक फैरो-मैंगनीज संयंत्र है जिसमें उद्योग द्वारा लगाए गए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाए अपर्याप्त हैं ।

(ख) से (घ). उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग को समयबद्ध आधार पर पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के बारे में नोटिस जारी किया है ।

(ङ) संयंत्र के चारों ओर आवासीय क्षेत्र में धुल कणों का परिवेशी स्तर निर्धारित मानकों से अधिक है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

[हिन्दी]

2744. श्री मदन पांडे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माणाधीन फ्लैट बन कर तैयार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को इन फ्लैटों का आवंटन कर दिया जायेगा; और कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इन फ्लैटों के आवंटन में देरी के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). 1.4.88 की स्थिति के अनुसार 56,481 फ्लैट निर्माणाधीन थे जिनमें से 5,614 फ्लैट 31.12.88 को पूर्ण हो गये हैं। यह आशा है कि मार्च, 1989 के अन्त तक कुल 21,473 फ्लैट पूर्ण हो जायेंगे। शेष फ्लैटों का निर्माण कार्य आगामी मार्च तक पूर्ण हो जायेगा। 18,341 फ्लैटों को 31.3.89 तक आवंटित कर दिये जाने की आशा है। फ्लैटों के निर्माण तथा उनके आवंटन के बीच हमेशा काफी अन्तराल होता है क्योंकि यद्यपि कुछ फ्लैटों का निर्माण पूरा हो गया है फिर भी सभी मामलों में, संबंधित नागरिक प्राधिकरणों द्वारा फ्लैटों को पूर्ण करते समय जलपूर्ति, मल-निर्यास तथा विद्युत जैसी सेवायें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इसके अलावा फ्लैटों के आवंटन के लिए आवंटिती को कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण करनी होती हैं।

मृत व्यक्ति के गुर्दे दान करना अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाना

[अनुवाद]

2745. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 नवम्बर, 1988 को हैदराबाद में "इंडियन सोसाइटी आफ नेफरोलाजी" के दक्षिणी क्षेत्र के सातवें वार्षिक सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि "कैडावर किडनी बैंक" की स्थापना के लिए मृत व्यक्ति के गुर्दे दान करना अनिवार्य बनाने के लिये कानून बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

दुर्घटना में मारे गये श्रमिक

2746. श्री बी० तुलसीराम :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संगठनों और फैक्टरियों में होने वाले विस्फोटों तथा दुर्घटनाओं में मरने

वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान मारे गए, गंभीर रूप से घायल तथा हमेशा के लिये विकलांग हुए श्रमिकों की संख्या का राज्यवार तथा उद्योगवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को दिए गए मुआवजे की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम संराज्य मंत्री (श्री राज्य किशन सहगल) : (क) वर्ष 1985 से 1987 तक के दौरान औद्योगिक चोटों और मृत्यु की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	औद्योगिक चोटों की संख्या	अपमृत्यु की संख्या
1985	279126	887
1986	276616	927
1987	236696	896

(ख) सेज में औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में कर्मचार वार ब्यौरा संकलित किए जाते हैं इस लिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत अधिसूचित का मुआवजा दिया जाता है जिसको राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है। इस सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती है।

[illegible]

[हिन्दी]

2747. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सरकराव महादेव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है और किस किस तारीख से तथा किन किन कारणों से प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाता है ?

श्रम संराज्य मंत्री (श्री राज्य किशन सहगल) : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद 24 में यह निश्चित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी कारखाने या खान या अन्य किसी जोखिमपूर्ण नियोजन में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिये। तदनुसार बालकों के नियोजन की संलग्न विवरण में दिए अनुसार बहुत से अधिनियमनों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ग) बाल श्रमिक (प्रतिषिद्ध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 में निम्नानुसार प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए शास्तियों की व्यवस्था है :—

जो भी धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में किसी बालक को काम पर नियोजित करता है या किसी बालक को काम की अनुमति देता है, कारावास के साथ दंडनीय होगा जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी लेकिन जिसे एक वर्ष या जुर्माने के साथ बढ़ाया जाए जो कि दस हजार रुपये से अन्यून होगा लेकिन जिसे बीस हजार रुपये या दोनों के रूप में बढ़ाया जा सकता है। जो कोई भी धारा 3 के अन्तर्गत किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है, बाद में ऐसा ही अपराध करने पर वह कारावास सहित दंडनीय होगा जिसकी अवधि छह माह से अन्यून होगी लेकिन जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

बाल श्रमिक (प्रतिषिद्ध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के कारण, उपरोक्त दाण्डिक उपबंध कारखाना, अधिनियम, 1940 की धारा 67; खान अधिनियम, 1952 की धारा 40; मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 109; और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की धारा 21 के अधीन किए गए अपराध के लिए भी लागू होते हैं। शिशुता अधिनियम 1961 की धारा 3 का उल्लंघन करने के लिए दांडिक उपबंध इस अधिनियम की धारा 30 तथा 31 में निहित हैं। बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में इस अधिनियम की धारा 24 के उल्लंघन के लिए दांडिक उपबंध निहित हैं। दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में बालकों के नियोजन के लिए दांडिक उपबंध विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियमित संबंधित विधानों में निहित हैं।

विवरण

(i) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट नियोजनों में बालकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया गया है। यह अधिनियम 23.12.86 से लागू है।

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 67 में कारखानों में 14 वर्ष से कम बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है। यह अधिनियम 1.4.49 से लागू है।

(iii) खान अधिनियम, 1952 की धारा 40(1) में खानों में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। यह अधिनियम 1.7.1952 से लागू है।

(iv) भारतीय मरचेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 109 में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर 15 वर्ष से कम के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। यह अधिनियम 1.1.1961 से लागू है।

(v) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की धारा 21 में उन बालकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया गया है जिन्होंने 15 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। यह अधिनियम 31.3.1962 में लागू है।

(vi) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 3 में 14 वर्ष से कम के प्रशिक्षु व्यक्तियों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया गया है। यह अधिनियम 1.3.1962 से लागू है।

(vii) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम 1966 की धारा 24 में बालकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया गया है। यह अधिनियम 1968 से 1970 के बीच विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तारीखों को लागू हुआ है।

(viii) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए गए विभिन्न दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियमों में दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में कुछ आयु से कम (विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न आयु) के बालकों के नियोजन को भी प्रतिषिद्ध किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2748. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा गोदाम किन-किन स्थानों पर बनाए गए;

(ग) हिमाचल प्रदेश में किराये के गोदामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिमाचल प्रदेश को राज्य में स्थित भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक डिपो से कितना खाद्यान्न भेजा गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एम० बैठा) : (क) चालू वर्ष 1988 के दौरान हिमाचल प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय पूल के स्टाक से 2.27 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किये गए थे। तथापि, राज्य सरकार ने इस आवंटन के प्रति 1.90 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उठान किया था।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1988 के दौरान हिमाचल प्रदेश में ऊना में 2 500 मी० टन और नूरपूर में 5,000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य शुरू किया है। इन क्षमताओं के क्रमश: 31.3.1989 और 31.3.1990 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) 1.1.1989 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश में 14,290 मीट्रिक टन की क्षमता के लिये गोदाम किराये पर लिये थे, जिसमें से 13,420 मीटरी टन की क्षमता राज्य सरकार से और 870 मीटरी टन की क्षमता प्राइवेट पार्टियों से किराये पर ली गई थी।

(घ) भारतीय खाद्य निगम पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में स्थित अपने डिपुओं से हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न प्रेषित करता है। 1988 के दौरान किए गए डिपोवार प्रेषणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	डिपो	प्रेषित किये गए खाद्यान्नों की मात्रा (मीटरी टन में)
1	2	3
पंजाब	1. लुधियाना	10,803
	2. होशियारपुर	37,983

क्र.	1	2	3
		3. अमृतसर	13,514
		4. मुक्तसरपुर	18,906
		5. पटियाला	28,595
		6. जालन्धर	8,827
		7. कपूरथला	9,749
	हरियाणा	8. अम्बाला छावनी	3,143
		9. [illegible]	12,117
		10. सधौरा	9,179
		11. बरारा	8,536
		12. नारायणगढ़	12,054
		13. करनाल	676
		14. लाडवा	62
		15. कुरुक्षेत्र	195
		16. उन्ड	106
	[illegible]	17. [illegible]	35,410
			2,02,385

फालतू भूमि का निपटान

[अनुवाद]

2749. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई और अहमदाबाद की कुछ कपड़ा मिलों को अपनी फालतू शहरी भूमि का निपटान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तौरतरीका क्या है; और

(ग) क्या इस नीति का अन्य शहरों की मिलों के मामलों में लागू किया जाएगा ?

वस्त्र राज्यमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). सरकार ने पूरे देश में एन०टी०सी० मिलों को वह जमीन सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार बेचने की अनुमति दे दी है जो उनकी आवश्यकता से अधिक हो। ऐसा इसलिये किया गया है ताकि आधुनिकीकरण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये धनराशि जुटाई जा सके। इस प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा अन्य पार्टियों को की जाने वाली बिक्री के लिये सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी।

देश में बेरोजगार

2750. श्री वी० सुब्बा रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य को एक मौलिक अधिकार बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दत्तात्रेय बंडारू) : (क) सातवीं योजना के अनुसार मार्च, 1985 में 5+ आयु वर्ग के व्यक्तियों में सामान्य स्तर की बेरोजगारी 92 लाख थी। बाद की अवधि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद के कैंसर अस्पताल का दर्जा बढ़ाना

2751. श्री एम०रघुमा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के कैंसर अस्पताल में कैंसर के रोगियों का इलाज करने के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हैदराबाद के कैंसर अस्पताल का दर्जा बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). एम०एन०जे० कैंसर अस्पताल और रेडियम संस्थान, हैदराबाद में रेडियोथिरेपी की सुविधाएं एवं सर्जिकल कैंसर विज्ञान और मेडिकल कैंसर विज्ञान की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"मध्य प्रदेश के गुरेना जिले में वन्य जीवन अभयारण्य"

[हिन्दी]

2752. श्री कल्लोलीलाल भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन के गुरेना जिले में स्थापित वन्यजीवन अभयारण्य के विकास के लिये वर्ष 1980 से आज तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है, और वास्तविक रूप से अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ख) इसके विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाजीरहमान अंसारी) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की स्थापना के बारे में राज्य सरकार ने अधिसूचना दिसम्बर, 1982 में जारी की थी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रस्ताव सितम्बर, 1988 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकार को 0.40 लाख रुपये की धनराशि मंजूर कर दी गई है।

बीड़ी कामगार कल्याण कोष

2753. **श्री डालचन्द्र जैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार बीड़ी कामगार कल्याण कोष में जमा की गई धनराशि, और मदवार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) लाभ-भोगी बीड़ी कामगारों की, राज्यवार, संख्या क्या है और बीड़ी कामगारों की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत कामगारों को इस कोष से लाभ प्राप्त हुआ; और

(ग) बीड़ी कामगारों को और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास विचाराधीन प्रस्तावों, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए राज्य वार एकत्रित उपकर लगभग संलग्न विवरण-1 में दिए अनुसार है। मद वार व्यय के ब्यौरे राज्य-वार न रखकर क्षेत्रवार रखे जाते हैं। एक क्षेत्र में एक या अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र वार व्यय (लगभग) के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) राज्यों में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या और उन बीड़ी कर्मकारों की संख्या जिन्हें पहचान पत्र जारी किए गए हैं संलग्न विवरण-3 में दी गई है। पहचान पत्र-धारी अधिकांश बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों को बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत उपलब्ध चिकित्सा आवास शिक्षा, मनोरंजन और परिवार कल्याण सुविधाएं प्राप्य हैं।

(ग) बीड़ी कर्मकारों को और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1988-89 में 24 नए औषधालयों को मंजूरी दी गई है।

फर्रुखाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में गुरसहायगंज में 10 पलंगों वाले एक अस्पताल को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

चार नई योजनाएं, अर्थात सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप बीमा योजना, महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति लाभ योजना, बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप आवास योजना और बीड़ी कर्मकारों को नसबन्दी के लिए अतिरिक्त आर्थिक सुधावजे के अनुतान की योजना शुरू की गई हैं। बजट प्रावधानों को प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है ताकि विद्यमान योजनाओं के लाभों को भी और अधिक बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों को दिया जा सके।

विवरण-1

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान विनिर्मित बीड़ियों पर राज्यवार एकत्र उपकर

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1985-86 रुपये	1986-87 रुपये	1987-88 रुपये
1.	आन्ध्र प्रदेश	56,06,257	59,76,179	1,86,92,918
2.	बिहार	19,14,128	19,43,380	60,01,229
3.	चंडीगढ़	39	22	24
4.	गुजरात	88,651	88,413	2,77,631
5.	कर्नाटक	56,46,196	57,18,556	1,73,05,952
6.	केरल	14,07,467	14,03,148	45,23,044
7.	मेघालय	39,867	38,768	76,389
8.	महाराष्ट्र	32,27,315	39,14,127	93,23,068
9.	मध्य प्रदेश	79,75,731	81,32,382	2,39,34,651
10.	उड़ीसा	3,75,660	4,01,931	11,93,934
11.	राजस्थान	3,99,660	4,06,224	12,53,274
12.	तमिलनाडु	53,08,116	88,29,127	1,75,05,605
13.	उत्तर प्रदेश	22,40,320	26,01,711	79,44,403
14.	पश्चिम बंगाल	30,34,381	31,88,684	1,08,76,482

विवरण-2

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान की गई प्रगति और बीड़ीकार वाले क्षेत्रों

(आंकड़े लाखों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	कुल	टिप्पणी
1.	इलाहाबाद	4·51	11·98	4·41	0·11	0·46	21·50	
2.	बंगलौर	4·75	37·36	9.18	—	0·32	51·61	
3.	भुवनेश्वर	4·55	26·17	6.52	0·18	0·28	37·70	कलकत्ता क्षेत्र से संबंधित
4.	भीलवाड़ा	1·76	12·94	4·89	0·04	—	19·63	आंकड़े भी शामिल हैं।
5.	कलकत्ता	यह क्षेत्र वर्ष 1986-87 में बनाया गया था।						
6.	हैदराबाद	3·32	19·11	9·99	—	0·08	32·50	
7.	जबलपुर	3·63	19·27	8·92	0·09	0·23	32·14	
8.	करमा	1·59	11·03	4·00	0·30	—	17·22	
9.	नागपुर	5·03	10·95	16·91	—	0·24	33·13	

पाद टिप्पण —उपरोक्त के अलावा, वर्ष 1985-86 के दौरान "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" के लिए आवास योजना के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में 9·56 लाख रुपये की राशि दी गई और बीड़ी कर्मकारों को आवास के लिए 0·64 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई।

वर्ष 1986-87

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	[illegible]	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	कुल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इलाहाबाद	4·80	13·27	7·00	0·16	0·69	25·92	
2.	बंगलौर	6·19	41·54	14·64	—	1·92	64·29	
3.	भीलवाड़ा	3·10	18.20	8·25	0·21	4·50	34·46	
4.	भुवनेश्वर	3·58	21·40	2·80	0·04	0·20	28·02	
5.	कलकत्ता	6·29	13·31	10·11	—	0·25	29·96	
6.	हैदराबाद	3·29	25·41	8·40	0·01	0·01	37·20	
7.	जबलपुर	4·40	19·42	11·81	0·01	0·15	35.79	
8.	करमा	1·84	11·39	6·03	0·30	—	19·56	
9.	नागपुर	7·00	20·07	15·50	—	0·05	42·62	

पाद टिप्पण : उपरोक्त के अलावा, वर्ष 1986-87 के दौरान "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" के लिए आवास योजना के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में 4·50 लाख रुपए की राशि दी गई, गोदाम, वर्कशेडों के विनिर्माण के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के रूप में 0·15 लाख रुपए की राशि दी गई और बीड़ी कर्मकारों को आवास के लिए 2·40 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में दी गई।

वर्ष 1987-88

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	कुल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इलाहाबाद	4·97	15·19	7·70	0·13	0·42	28·41	
2.	बंगलौर	6·85	50·05	16·64	—	0·27	73·81	
3.	भीलवाड़ा	3·37	19·81	8·10	0·56	—	31·84	
4.	भुवनेश्वर	2·87	19·56	3·18	0·09	0·04	25·75	
5.	कलकत्ता	4·96	21·77	10·18	—	0·03	36·95	
6.	हैदराबाद	4·55	30·80	9·41	—	—	44·76	
7.	जबलपुर	7·46	31·12	14·08	0·27	0·08	53·02	
8.	करमा	1·72	12·85	5·96	0·01	—	20·54	
9.	नागपुर	7·39	20·33	17·40	0·07	0·45	45·64	

पाद टिप्पण : उपरोक्त के अलावा, वर्ष 1987-88 के दौरान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में 48·00 लाख रुपए की राशि दी गई, गोदाम वर्कशेडों के विनिर्माण के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के रूप में 0·35 लाख रुपए की राशि दी गई और बीड़ी कर्मकारों को आवास के लिए 2·98 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में दी गई।

विवरण-3

बीड़ी कर्मकारों और जारी किए गए परिचय पत्रों की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण
(राज्य-वार)

राज्य	बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या (लाखों में)	जारी किए गए परिचय-पत्रों की अनुमानित संख्या (लाखों में)
1. कर्नाटक	3.55	3.50
2. केरल	1.11	1.00
3. उत्तर प्रदेश	4.50	2.00
4. राजस्थान	1.16	0.65
5. गुजरात	0.75	0.15
6. उड़ीसा	1.60	0.90
7. पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय	4.50	0.50
8. आन्ध्र प्रदेश	2.00	1.50
9. तमिलनाडु	2.25	1.00
10. मध्य प्रदेश	5.78	5.65
11. महाराष्ट्र	2.05	1.80
12. बिहार	3.50	1.50
कुल	32.75	20.15

बिहार और उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्रों को अनुदान

2754. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चलाये जा रहे कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्रों की संख्या कितनी है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान इन केन्द्रों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : यह सूचना इस प्रकार है :—

I. कुष्ठ केन्द्रों की संख्या

	बिहार	उत्तर प्रदेश
1	2	3
1. सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	1064	1036
2. कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें	68	69

1	2	3
3. शहरी कुष्ठ केन्द्र	48	61
4. अस्थायी अस्पतालीकरण वार्ड	28	17
5. जिला कुष्ठ अधिकारी	28	39
6. नमूना सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन यूनिट	4	1

II. वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान रिलीज की गई राशि

(लाख रुपये)

	1987-88			1988-89		(फरवरी, 1989 तक)
	नगद	सामग्री के रूप में	योग	नकद	सामग्री के रूप में (केवल तीन किस्त)	योग
बिहार	60.00	30.00	90.00	50.00	38.00	88.00
उत्तर प्रदेश	139.55	42.50	182.05	125.00	40.00	165.00

रात्रि के शिफ्टों में काम करने वाले मजदूर

2759. **श्री शांति धारीवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दो तिहाई भारतीय मजदूरों का स्वास्थ्य लगातार रात्रि की शिफ्टों में काम करने के कारण खराब रहता है;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य विकासशील देशों में रात्रि की शिफ्टें नाम मात्र की हैं; यदि हां, तो उन देशों में मजदूरों को औसतन कितने घंटे काम करना पड़ता है; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार करने और रात्रि की शिफ्टों में कमी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) माननीय सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के विशेष शीर्षक को नहीं बताया है । अत: इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है ।

(ख) रात्रि में काम करने की पद्धति विकासशील तथा विकसित दोनों देशों में विद्यमान है । अन्य विकसित देशों में मजदूरों की रात्रि कार्य की सीमा और कामकाज के घण्टों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारत में कर्मकारों के कामकाज के घन्टे संगत विधानों के अन्तर्गत विनियमित किए जाते हैं जिनमें साप्ताहिक छुट्टियों और प्रतिपूरक छुट्टियों के अलावा रात्रि शिफ्ट में विश्राम के लिये व्यवस्था है । कारखानों, खानों आदि में रात्रि शिफ्टों में महिलाओं का नियोजन प्रतिषिद्ध है ।

मुख्यतः तकनीकी, प्रचालनात्मक और आर्थिक पहलुओं के कारण ही रामि शिफ्ट पद्धति को अपनाना पड़ता है। रामि शिफ्ट के फलस्वरूप, कानून में आकस्मिक और प्रतिपूरक छुट्टियों के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

पोलिएस्टर कपड़े का आयात

[अनुवाद]

2756. श्री एस० सेमिलई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिएस्टर कपड़े के आयात से बाजार में स्वदेशी कपड़े की बिक्री में कमी आई है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). सामान्यतया पोलिएस्टर कपड़े के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत पोलिएस्टर फैब्रिक्स के निर्यात के बदले परिधान विनिर्माण के लिये आयात की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार पोलिएस्टर कपड़े का मामूली आयात किया जाता है और ऐसा नहीं लगता कि इससे बाजार में घरेलू उत्पादों की बिक्री में कोई बाधा पहुंचती है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वेक्षण करवाना उपयुक्त नहीं लगता।

खाद्यान्नों के लिए भण्डारण सुविधायें

[हिन्दी]

2757. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में खाद्यान्न का कितना सुरक्षित भंडार है और क्या सारा सुरक्षित भंडार पक्के गोदामों में है या वह खुले में भी पड़ा रहता है;

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान समुचित भंडारण की सुविधा न होने के कारण कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ;

(ग) निकट भविष्य में भन्डारण के लिये सरकार का किन-किन राज्यों में आरक्षित गोदाम निर्मित कराने का विचार है; और

(घ) क्या खाद्यान्न का भण्डारण गैर सरकारी गोदामों में किया जाता है और यदि हां, तो गैर-सरकारी गोदामों, सरकारी गोदामों और खुले में भण्डारित किये गये खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०एन० पटेल) : (क) केन्द्रीय पूल में 1.1.1989 की स्थिति के अनुसार 94.81 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक था जिसमें से भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े स्टाक की मात्रा 82.98 लाख मीटरी टन थी। कवर और प्लिथ (कैप) भण्डारण व्यवस्था में रखी गई 3.56 लाख मीटरी टन की मात्रा को छोड़कर, निगम द्वारा शेष सभी स्टाक ढकी हुई भण्डारण में रखा गया था।

(ख) 1987-88 में भण्डारण, मार्गस्थ तथा बहु-हैंडलिंग के दौरान वर्षा, बाढ़ों और तूफानों के कारण 0.61 लाख मीटरी टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुये थे। यह मात्रा भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गये औसत स्टाक का लगभग 0.46 प्रतिशत बैठती है। 1988-89 के लिए आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम निकट भविष्य में आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली में खाद्यान्नों के लिये भण्डारण क्षमता का निर्माण कर रही है/निर्माण करने का इरादा है।

(घ) स्वयं अपनी क्षमता का निर्माण करने के अलावा, भारतीय खाद्य निगम अन्य सरकारी एजेन्सियों और प्राइवेट पार्टियों से भी क्षमता किराये पर लेता है। 1.1.89 की स्थिति के अनुसार विभिन्न एजेन्सियों के पास भण्डारित भारतीय खाद्य निगम के स्टाक का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

निम्नलिखित में रखा गया स्टाक
(लाख मीटरी टन में)

	ढकी हुई क्षमता में	कवर और प्लिथ (कैप) व्यवस्था के अन्तर्गत	जोड़
(1) भारतीय खाद्य निगम की स्वयं अपनी क्षमता में तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्य सरकारी एजेन्सियों से किराये पर ली गई क्षमता में	61.04	0.91	61.95
(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राइवेट पार्टियों से किराये पर ली गई क्षमता में	18.38	2.65	21.03
	79.42	3.56	82.98

तिब्बती चिकित्सा पद्धति

[अनुवाद]

2758. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिये कलकत्ता में तिब्बती प्राकृतिक एवं जड़ी बूटी चिकित्सा पद्धति के एक स्थायी चैम्बर की स्थापना की है;

(ख) क्या चैम्बर द्वारा चिकित्सा और परामर्श निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लोगों के लिये इसी प्रकार के एक केन्द्र की स्थापना करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिये कलकत्ता में तिब्बती प्राकृतिक एवं जड़ी-बूटी चिकित्सा पद्धति के किसी चैम्बर की स्थापना नहीं की है। केन्द्र सरकार सिक्किम में इस प्रकार के किसी चैम्बर को खोलने के प्रस्ताव पर भी विचार नहीं कर रही है।

आवास परियोजनाओं के लिए "हुडको" की सहायता

2759. **श्री रत्नजीत सिंह गायकवाड़** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि में आवास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने हेतु हरियाणा शहरी विकास निगम द्वारा कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या पूर्व तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सातवीं योजना की अवधि के लिये आवास एवं नगर विकास निगम के लिए निर्धारित लक्ष्य 800 करोड़ रुपये है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त वर्षवार लक्ष्य तथा वास्तविक ऋण स्वीकृतियां निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक ऋण स्वीकृति (करोड़ रुपयों में)
1985-86	330.00	387.42
1986-87	345.00	392.02
1987-88	355.00	496.73
1988-89	390.00	454.73
(31.1.89 की स्थिति के अनुसार)		
1989-90	425.00 (अस्थायी)	—

(ग) जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि हुडको ने हमेशा ही ऋण स्वीकृति के अपने लक्ष्य का अतिक्रमण किया है तथा योजना लक्ष्य का पहले ही अतिक्रमण कर चुका है।

खाद्यान्न की मांग

[हिन्दी]

2760. श्री राम पूजन पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गेहूं, चावल, दालों और तिलहनों की मांग क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान इन वस्तुओं का आयात किया था; और

(ग) यदि हां, तो इन मदों में से प्रत्येक आयातित मद का मूल्य और मात्रा कितनी थी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) चूंकि मांग अनुमानों की त्रुटि, सहसंकरण की रफ्तार, बफर स्टॉक, वैकल्पिक वस्तुओं के मूल्यों आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है, इसलिए देश में खाद्यान्नों और तिलहनों की आवश्यकता के बारे में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). 1986-87 और 1987-88 के दौरान गेहूं और चावल का कोई आयात नहीं किया गया था। तथापि, 1988-89 के दौरान जहाज तक निष्प्रभार 243.36 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत पर 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं और जहाज तक निष्प्रभार 166.76 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत पर 6.84 लाख मीटरी टन चावल आयात किया जाना था। 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान क्रमशः 980 करोड़ रुपए, 383.78 करोड़ रुपए और 430 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर क्रमशः 8,44,680 मीटरी टन, 9,46,390 मीटरी टन और 9,01,054 मीटरी टन दालें आयात के लिए नेफेड के पास रजिस्टर्ड थीं। 1986, 1987 और 1988 के दौरान खाद्य तिलहनों का कोई आयात नहीं किया गया।

राज्यों में "एड्स सेलों" की स्थापना

[अनुवाद]

2761. श्री जी०जी० पाटिल :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्यों में "एड्स सेलों" की स्थापना करने हेतु निर्देश जारी किये गए थे; और

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों ने इस प्रकार के सेलों की स्थापना कर दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). जी, हां। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एड्स के लिए पहले ही कार्यक्रम अधिकारी निर्धारित कर लिए हैं।

रामूनगर केन एण्ड शुगर कम्पनी लिमिटेड का बंद किया जाना

2762. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में स्थित रामूनगर केन एंड शुगर कम्पनी लिमिटेड ने काम करना बंद कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे पुन: खोलने हेतु क्या प्रयास किये गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुए अन्तरिम पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मै० रामूनगर केन एण्ड शुगर कम्पनी वास्तव में बंद हो चुकी है और वह 1988-89 चीनी मौसम के दौरान काम शुरू करने नहीं जा रही है ।

पंजाब में दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम लागू करना

2763. **श्री कमल चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 तक पंजाब में दुकानों और प्रतिष्ठानों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर, जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पहले ही लागू है ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सूचना सहज उपलब्ध नहीं है । तथापि, 31.3.1988 को पंजाब में 363 दुकानों और प्रतिष्ठानों के 9934 कर्मचारी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते थे ।

आयातित चीनी की मांग

2764. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान आयातित चीनी की मांग का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख). 1989-90 के दौरान आयातित चीनी की आवश्यकता से संबंधित मूल्यांकन 1988-89 और 1989-90

के चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान सम्भावित चीनी के कुल उत्पादन और उसकी खपत पर निर्भर करेगा। चूंकि चालू चीनी वर्ष का मुख्य पिराई मौसम पूरे देश से चल रहा है और आगामी वर्ष में उत्पादन की प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए 1989-90 के दौरान आयात की हमारी जरूरतों, यदि कोई होती हैं, के बारे में स्पष्ट अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, चीनी के उत्पादन में इस समय की वृद्धि की प्रवृत्ति तथा पिछले बचे हुए स्टाक को देखते हुए देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में देशी चीनी उपलब्ध होगी।

"एड्स" बीमारी की अनिवार्य जांच

2765. **श्री बीलतसिंह जी अदेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों और विदेशियों में "एड्स" बीमारी होने के सम्बन्ध में जांच समान रूप से की जाती है ;

(ख) क्या सरकार का भारत में "एड्स" रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस जांच व्यवस्था को कड़ा बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). जी, नहीं। सभी विदेशी छात्रों का भारतीय विश्वविद्यालयों में उनके दाखिले से पहले एच० आई०वी० के लिए आज्ञापक जांच (मैंडेटरी स्क्रीनिंग) की जाती है। ऐसे विदेशियों को भी यह जांच करानी होती है जो भारत में एक वर्ष से अधिक अवधि तक रुकना चाहते हों।

अधिक जोखिम वाले समूहों से संबंधित भारतीयों, एड्स के लक्षणों वाले व्यक्तियों और रक्त दाताओं की जांच देश के 40 निगरानी केन्द्रों में की जा रही है।

(ग) प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) अधिक जोखिम वाले समूहों अर्थात विदेशियों, रक्तदाताओं, इतरलिंगकामी असंयमी पुरुषों और वेश्याओं में एच०आई०वी० संक्रमण का पता लगाने के लिए निगरानी कार्यक्रम।

(2) रक्ताधान प्रक्रिया में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रक्त और रक्त उत्पादों का परीक्षण।

(3) मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों में एस०टी०डी० क्लीनिकों को सुदृढ़ करना और उन्हें निगरानी केन्द्रों से सम्बद्ध करके परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

(4) चुने हुए प्रमुख अस्पतालों में एड्स के रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना।

दिल्ली में हैजा महामारी के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच की रिपोर्ट

2766. **डॉ० जी० विजय राघा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 1988 में दिल्ली में हैजा महामारी के बारे में भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट पर गौर किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का ऐसी भयानक घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में एक दूसरी विस्तृत जांच करवाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। दिल्ली-प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, तथा अन्य एजेंसियों ने प्रभावित क्षेत्रों में अतिसारीय एवं हैजे को फैलने से रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय किए थे।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारियों ने इस मामले की जांच करके आवश्यक कार्रवाई की।

उत्प्रवास की स्वीकृति

2767. श्री आर० एन० मोर्ये : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के लागू होने के समय से इसके अंतर्गत कितने भर्ती एजेंटों ने पंजीकरण कराया है;

(ख) जनवरी, 1989 के दौरान उत्प्रवास का आवेदन करने वाले कितने व्यक्तियों को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई; और

(ग) 31 जनवरी, 1989 को स्वीकृति दिये गये/अस्वीकृत किये गये अथवा लम्बित रखे गये आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) 6-3-1989 की स्थिति के अनुसार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन 1366 भर्ती एजेन्टों को पंजीकृत किया गया है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छात्रों को यौन रोगों के बारे में शिक्षा

2768. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में छात्रों को यौन रोगों के बारे में शिक्षा देने के समुचित प्रबन्ध किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा X-XII की पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए यौन संचारित रोगों पर शैक्षिक सामग्री तैयार की है।

फाइलेरिया के मामले

2769. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फाइलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए तथा इस रोग को नियंत्रित करने में सफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस रोग से प्रभावित हुए रोगियों/इसके कारण हुई मौतों की राज्य-वार, संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने फाइलेरिया नियंत्रण के बारे में अध्ययन करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) फाइलेरिया से कोई मौत होने की सूचना नहीं मिली है। फाइलेरिया रोगियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). केन्द्र में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय तथा राज्य स्वास्थ्य निदेशालय राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रचालन, कार्यकलापों, जो 203 नियंत्रण यूनिटों, 186 क्लिनिकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली तथा राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और कालीकट (केरल) और पांडिचेरी स्थित वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र भी क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के कार्य में लगे हुए हैं।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं—

—असर्वेदित क्षेत्रों में फाइलेरिया की समस्या का सीमा निर्धारण।

—ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों को युक्ति संगत बनाना।

—रोगियों का पता लगाने वाले और उपचार करने वाले दलों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान लार्वारोधी उपायों में सहयोग देना।

विवरण

फाइलेरिया रोगियों की राज्य-वार संख्या

राज्य	1985			1986			1987		
	जांचे गए रोगियों की संख्या	पाजिटिव रोगी	रोग दर %	जांचे गये रोगियों की संख्या	पाजिटिव रोगी	रोग दर %	जांचे गए रोगियों की संख्या	पाजिटिव रोगी	रोग दर %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	94980	3440	3.62	81494	5526	6.78	117351	5196	4.42
असम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	826	1	0.12	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गुजरात	57204	55	0.09	29267	41	0.14	26812	50	0.18
बिहार	59205	2705	4.56	64363	3455	5.36	99533	4305	4.32
कर्नाटक	12442	68	0.54	12871	1241	9.64	18837	1489	7.90
केरल	41122	446	1.08	34545	401	1.16	48579	664	1.36
मध्य प्रदेश	26401	352	1.33	26556	342	1.28	43278	457	1.05
महाराष्ट्र	84041	7997	9.51	399460	6481	1.62	368075	4600	1.24
उड़ीसा	6583	81	1.23	6060	279	4.60	4168	25	0.59
उत्तर प्रदेश	31196	2419	7.75	38149	1480	3.87	42833	1409	3 28
पश्चिम बंगाल	4682	314	6.70	2284	169	7.38	6438	780	12.11
गोवा	53736	47	0.08	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	36196	55	0.55
पांडिचेरी	8135	35	0.43	9774	14	0.14	6452	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9331	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
लक्षद्वीप	5904	8	0.13	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
तमिलनाडु	322461	1430	0.44	235041	1256	0.53	317642	789	0.24
योग	817423	19397	2.37	940694	20686	2.19	1136194	19819	1.74

अनुपलब्ध

वर्ष 1988 की वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से अनेक राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यूनिटों की 1988 की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

कन्नानोर, केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल

2770. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नानोर केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल की स्थापना की है जो कि सभी आवश्यक सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित है;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल में कितने रोगियों के इलाज की क्षमता है;

(ग) इस कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना में कुल कितना धन खर्च हुआ है; और

(घ) इस अस्पताल ने कब से कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) 50 पलंग।

(ग) लगभग 97.32 लाख रुपए।

(घ) 7 जुलाई, 1987।

क्षय रोग का उन्मूलन

2771. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 को क्षय रोगियों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) सरकार ने इसके उन्मूलनार्थ क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) क्षय रोग एक अधिसूचनीय रोग नहीं है इसलिए क्षयरोग से पीड़ित व्यक्तियों के राज्यवार सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण तथा बाद में देश के विभिन्न भागों में किए गए सीमित सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में क्षय रोग के रोगियों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा देश के प्रत्येक जिले में एक जिला क्षय रोग केन्द्र खोला जा रहा है ताकि जिले की समस्त सामान्य स्वास्थ्य संस्थाओं के सहयोग से समुदाय में एक विस्तृत जिला क्षय रोग कार्यक्रम आयोजित किया जा सके और रोगियों तथा समुदाय को नैदानिक, उपचार और रोग निवारक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध की जा सकें। देश में अब तक 374 जिला क्षयरोग केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 130 क्षय रोग केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं। आपाती, जटिल तथा जिन रोगियों को शल्य क्रिया की जरूरत होती है उनकी मांग को पूरा करने के लिए लगभग 46,000 क्षयरोग पलंग भी उपलब्ध हैं। एक निवारक उपाय के रूप में व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बी.सी.जी. वैक्सीन दी जा रही है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षयरोगरोधी औषध, एक्सरे मशीन/फिल्म रोल और उपकरण सप्लाई किए जाते हैं। क्षय रोग के रोगियों को औषधें निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं। उपचार की अवधि में कमी लाने के उद्देश्य से 194 जिलों में अल्पावधि केमोथिरेपी उपचार शुरू किया गया है।

लोगों को क्षयरोग के बारे में शिक्षित करने के लिए डी.वी. स्पाट्स, रेडियो स्पाट्स, समाचार-पत्रों में विज्ञापन तथा बुकलेट और पम्फलेट तैयार करके स्वास्थ्य शिक्षा देने पर बल दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुमानित आंकड़े (लाख में)	अनुमानित रोगी (लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	535.00	8.05
2.	असम	200.00	3.00
3.	बिहार	700.00	10.50
4.	गुजरात	340.00	5.10
5.	हरियाणा	130.00	1.95
6.	हिमाचल प्रदेश	40.00	0.60
7.	जम्मू और कश्मीर	60.00	0.90
8.	कर्नाटक	370.00	5.55
9.	केरल	255.00	3.80
10.	मध्य प्रदेश	520.00	7.80
11.	महाराष्ट्र	630.00	9.45
12.	मणिपुर	14.00	0.21
13.	मेघालय	13.00	0.20
14.	नगालैंड	8.00	0.12
15.	उड़ीसा	265.00	4.00
16.	पंजाब	170.00	2.55
17.	राजस्थान	340.00	5.10
18.	सिक्किम	3.00	0.05
19.	तमिलनाडु	485.00	7.25
20.	त्रिपुरा	20.00	0.30
21.	उत्तर प्रदेश	1110.00	16.65
22.	पश्चिम बंगाल	545.00	8.20
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.00	0.03
24.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	0.09
25.	चंडीगढ़	4.50	0.07

1	2	3	4
26.	दादरा और नगर हवेली	1.00	0.02
27.	दिल्ली	62.00	0.93
28.	गोवा	11.00	0.17
29.	लक्षद्वीप	0.40	0.01
30.	मिजोरम	5.00	0.08
31.	पांडिचेरी	6.00	0.09
	योग	6850.90	102.82

बीड़ी कामगारों का कल्याण

[हिन्दी]

2772. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य वार और वर्षवार, कितने बीड़ी कामगारों को उनके लिए बनाई गई आवास और बीमा योजनाओं से लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या बीड़ी कामगार इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बीड़ी कामगारों के लिए इन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकारों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना तथा "अपना मकान स्वयं बनाओ योजना" के अधीन बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रत्येक राज्य में स्वीकृत मकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-1)।

सहकारी समितियों माध्यम से बीड़ी कर्मकारों के लिए एक ग्रुप बीमा योजना 1-4-88 से शुरू की गई है।

17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 12 राज्यों में, जहां योजना को कार्यान्वित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन 21850 बीड़ी कर्मकारों को लाया गया है। वे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन देय सभी लाभों के पात्र हैं। एक विवरण संलग्न है (विवरण-2)।

(ख) और (ग). बीड़ी कर्मकार तथा उनके परिवार मौजूदा सुविधाओं का पहले ही लाभ उठा रहे हैं। तथापि, इन योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, "अपना मकान स्वयं बनाओ योजना" के अधीन 24-9-87 से ऋण की देय राशि को 4,000 रु० से बढ़ाकर 6,000 रु० कर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता की दर 3,000 रु० प्रति मकान से बढ़ाकर 5,000 रु० कर दी गई। मिट्टी की किस्म के अनुसार विकास प्रभार भी 800 रु० या 1,000 रुपये प्रति मकान की दर से देय है।

विवरण 1

बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकारों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना तथा "अपना मकान स्वयं बनाओ योजना" के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार तथा राज्य-वार) स्वीकृत मकानों की संख्या

वर्ष	राज्य	स्वीकृत मकानों की संख्या	
		बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना	*अपना मकान स्वयं बनाओ योजना
1985-86	आन्ध्र प्रदेश	484	5
	पश्चिम बंगाल	—	5
	कर्नाटक	—	17
	केरल	—	81
	महाराष्ट्र	—	17
1986-87	महाराष्ट्र	4,000	—
	राजस्थान	150	—
	आन्ध्र प्रदेश	—	1
	कर्नाटक	—	11
	केरल	—	2
1987-88	आन्ध्र प्रदेश	180	16
			5 (मरम्मत के लिए)
	महाराष्ट्र	—	41
	मध्य प्रदेश	—	4
	उड़ीसा	—	1
	पश्चिम बंगाल	—	29

विवरण 2

योजना के अन्तर्गत लाये गये बीड़ी कर्मकारों की क्षेत्रवार संख्या

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	बीड़ी कर्मकारों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,870
2.	असम	10
3.	बिहार	12,425

*आंकड़े केवल आस-पास के हैं।

1	2	3
4.	दिल्ली	शून्य
5.	गुजरात	100
6.	हरियाणा	शून्य
7.	कर्नाटक	395
8.	केरल	35
9.	मध्य प्रदेश	1,092
10.	महाराष्ट्र (बम्बई क्षेत्र)	शून्य
11.	पुणे क्षेत्र	2,600
12.	नागपुर क्षेत्र	1,542
13.	गोवा क्षेत्र	शून्य
14.	उड़ीसा	शून्य
15.	पंजाब	शून्य
16.	राजस्थान	90
17.	तमिलनाडु	569
18.	उत्तर प्रदेश	42
19.	पश्चिम बंगाल	56
	कुल	21,050

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

2773. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्ष 1987—90 के दौरान दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख). यह मामला दिल्ली विकास प्रशासन के विचाराधीन है ।

आवंटित सरकारी आवास बदलने सम्बन्धी आवेदन

[अनुवाद]

2774. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवंटित रिहायशी आवासों के बदले अन्य आवासों के आवंटन के लिए उनके द्वारा दिये गए कुछ आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1989 तक उनकी संख्या कितनी थी और क्या यह सच है कि उनमें से कुछ तीन वर्ष, दो वर्ष और एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के आवेदनों की संख्या क्या है और विशेषरूप से पहले दो श्रेणियों पर निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग). किसी विशिष्ट महीने की 19 तारीख तक बदली के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को उत्तरवर्ती महीने की बदली की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाता है और ऐसा कोई आवेदन पत्र जो बदली की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित थे, लम्बित नहीं हैं।

उच्चतर टाइप के क्वार्टरों के तकनीकी स्वीकृति के प्रति जो वस्तुतः कब्जे में नहीं होते हैं, की बदली के लिए भी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। उच्चतर किराये के भुगतान पर तकनीकी स्वीकृति के लिए किये गये अनुरोधों की आवंटन अनुभाग द्वारा पूर्ण रूप से पुष्टि किए जाने के बाद, ऐसे आवेदन पत्रों को बदली की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाता है। इन आवेदन पत्रों के कोई विस्तृत आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

चिकित्सा आधारों पर अथवा विशेष महत्वों पर तदर्थ बदली के लिए भी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे आवेदन पत्र भारी संख्या में समय-समय पर प्राप्त होते हैं तथा सम्बद्ध फाइलों पर इन पर कार्रवाई की जाती है। लम्बित पड़े मामलों के बारे में कोई समेकित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और न ही उनके निपटान के लिए कोई समय-सीमा बताना व्यवहार्य है।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पेड़ों की कटाई

2775. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई से इस क्षेत्र के पर्यावरण के साथ-साथ यहां के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में सरकारी वन भूमि में बड़े पैमाने पर वृक्षों के काटे जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, निजी भूमि में वृक्षों के काटे जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र में केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

बम्बई को केन्द्रीय सहायता

2776. **प्रो० मधु दंडवते** :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रधान मंत्री से सौ करोड़ रुपये अनुदान में से महाराष्ट्र सरकार को बम्बई में गंदी बस्तियों के सुधार सहित शहरी विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ख) शहरी विकास के उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिसके लिए धन राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) बम्बई की आवासीय और मलिन बस्तियों की विकट समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 100 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार को आज तक 30.00 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(ख) शहरी नवीकरण परियोजनायें : शुरू की गई 16 योजनाओं में से, 6 इमारतें पूर्ण की गई हैं। विनोबा भावे नगर, कुर्ला स्थित ट्रांजिट कैम्प में 742 टेनामेंटों में से, 336 टेनामेंन्ट पूर्ण हो गए हैं। 624 टेनामेंटों वाला एक और ट्रांजिट कैम्प भी शुरू किया गया है।

मलिन बस्तियों का उन्नयन

पता लगाये गये 43 मलिन बस्ती पाकेटों में से, 15 मलिन बस्ती पाकेटों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

धारवी विकास

पता लगाये गये 38 मलिन बस्ती पाकेटों में से, 12 पाकेटों में सामुदायिक विकास का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष पाकेटों में कार्य प्रगति पर है। जहां तक स्थल-भिन्न अधसंरचना का सम्बन्ध है, निधि नदी को गहरा करने तथा साफ करने का कार्य पूर्ण हो गया है।

एड्स के इलाज के लिए रोग प्रतिरोधी औषध का विकास

2777. डा० जी० विजय रामा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कैलीफोर्निया स्थित किसी जैव-प्रौद्योगिकी कम्पनी ने एड्स के इलाज के लिए एक रोग प्रतिरोधी औषध का विकास किया है और यदि हां, तो इसके सम्भावित उपयोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है; और

(ग) क्या "एड्स" के उपचार के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में भी कोई अनुसंधान किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खोपर्डे) : (क) जी हां। जेनेटेक इन्क० ने घोषित किया है कि इसने नैसर्गिक रूप में उपलब्ध एक प्रोटीन सी० डी० 4 के अणुओं को जी०पी०आई-20 नामक वायरल प्रोटीन के अणुओं के साथ सम्मिश्रित किया था। यह सम्मिश्रण एड्स के विषाणुओं को जकड़ लेगा और उसे श्वेत कोशिकाओं को नष्ट करने से रोक कर रखेगा।

आगे चलकर एक ऐसी औषध का निर्माण करना संभव हो सकेगा जो विषाणुओं को अहानिकर बनायेगी।

(ख) जी नहीं। तथापि विश्वभर में एड्स के इलाज के लिए औषध तैयार करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनकी पूरी-पूरी जानकारी रखी जा रही है और जब भी आशाप्रद चिकित्सीय और रोग निरोधक अभिकारक उपलब्ध हो जायेंगे तो भारत में परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे।

(ग) यह सच है कि एड्स के लक्षण कुछ सीमा तक ओजय से मिलते-जुलते हैं जिसका उल्लेख चरक संहिता में मिलता है लेकिन यह पुष्टि करना मुश्किल होगा कि एड्स ही ओजक्षय है।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद जो, आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ने एड्स पर कोई विशिष्ट अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया है।

महिला मजदूरों को दैनिक मजदूरी

[हिन्दी]

2778. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भवती भूमिहीन महिला मजदूरों को, उनसे बिना कोई काम लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब से कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्रम नियमों के अंतर्गत दायर किए गये मुकदमें

[अनुवाद]

2779. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बाल श्रम का निषेध करने वाले कानूनों अर्थात् फैक्टरी अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागान श्रम अधिनियम, 1951 बालक श्रम (प्रतिषेध और विनयमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कितने मुकदमें दायर किए गए;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय कानूनों के उल्लंघन के मुकदमों में हो रही प्रगति को मानीटर करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) कारखाना अधिनियम, 1948 बागान श्रम अधिनियम, 1951 और बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (उन प्रतिष्ठानों के बारे में जिनके लिए राज्य सरकारें समुचित सरकार हैं) के अन्तर्गत अभियोजन मामले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दायर किए जाते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार उन केन्द्रीय सरकार एजेंसियों द्वारा, जहां केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित सरकार है, दायर किए गए मामलों की प्रगति को मानीटर करती है। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दायर किए गए मामलों को उनके द्वारा मानीटर किया जाता है।

पटसन आधुनिकीकरण कोष

2780. **चौधरी खुर्शीद अहमद :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन मिलें "पोली जूट" करघों का आयात करके 150 करोड़ के पटसन आधुनिकीकरण कोष का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक पटसन आधुनिकीकरण कोष का दुरुपयोग करने के कौन-कौन से मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत चौदह एककों को सहायता स्वीकृत की गई है। इनमें से कोई भी प्रस्ताव सर्फुमर करघों के आयात से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के दुरुपयोग का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में अनधिकृत वाणिज्यिक काम्प्लेक्स

2781. **श्री एच० एम० मल्ले गौडा :**

प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में अनधिकृत रूप से तेजी से बढ़ते जा रहे वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इन काम्प्लेक्सों की जांच करने तथा इन्हें गिराने की कार्यवाही के कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) इन काम्प्लेक्सों का गैर-कानूनी ढंग से निर्माण करने के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार आगे क्या कार्यवाही करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). अनधिकृत वाणिज्यिक परिसरों की कोई आकस्मिक वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्टाफ द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को रोकना एक सतत प्रक्रिया है और जब भी इस प्रकार के मामले ध्यान में आते हैं, संबद्ध कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

स्मारक स्थापित करना

2782. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके कोई ऐसी वृहद योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत इंडियन नेशनल आर्मी तथा देश के विभिन्न भागों में हुए अन्य क्रांतिकारी आंदोलनों सहित स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध बहादुर सेनानियों तथा उल्लेखनीय घटनाओं, विशेषकर मातृभूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अपनी जान की बलि देने वाले शहीदों की याद में उपयुक्त स्मारक स्थापित किए जायें;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर तत्संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसे किस तारीख से लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना बनाई जाएगी और इसे कब से लागू किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). स्वतन्त्रता संग्राम के बहादुर सेनानियों की याद में एक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता स्मारक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस स्थिति में, जबकि परियोजना की संकल्पना पर सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ परामर्श/विचार-विमर्श किया जा रहा है, कोई सम्भावित तारीख नहीं बताई जा सकती।

नकली उत्पादों की बिक्री

2783. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नकली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गैस लाइसेंस धारकों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो को नकली मार्किंग की जा रही है और इस प्रकार इन मार्किंग के वास्तविक उपभोक्ताओं के हित का हनन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो नकली माल उत्पादकों तथा भारतीय मानक ब्यूरो के नकली मार्क का प्रयोग करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० एल० बैठा) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह का कपटपूर्ण प्रयोग करने वाले ऐसे नकली उत्पादों के कुछ विनिर्माताओं के मामले भारतीय मानक ब्यूरो की जानकारी में आए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह का कपटपूर्ण प्रयोग करने के मामले में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1-4-1986 से 17 विधिक मामले आरंभ किए गए हैं जबकि 10 मामलों में दंड दिया जा चुका है, 7 मामले अभी सम्बन्धित न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986, जिसे 1-4-1987 से लागू किया गया था, में अब उक्त अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत और अधिक दंड देने की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 11, धारा 12 या धारा 14 अथवा धारा 15 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे सक्षम न्यायालय द्वारा एक वर्ष तक की कैद दी जा सकती है या पचास हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्ग को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

2784. **श्री नरसिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन नगरों तथा शहरों में, जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू नहीं है, रहने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों को चिकित्सा राहत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : रेलवे और रक्षा विभाग को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों, जो सेवा के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र थे, को ऐसे किसी भी शहर में किसी भी औषधालय में अपने नाम दर्ज करने का विकल्प है, जहां यह योजना चल रही है, भले ही वे उस शहर में रहते हों या नहीं।

योग और प्राकृतिक चिकित्सा

2785. **डा० ए०के० पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा किन-किन रोगों के उपचार में सफल पाई गई है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में स्थित किन-किन योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार से सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान के निदेशक तथा केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक ने सूचित किया है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा संलग्न विवरण 1 में दिए गए रोगों के उपचार में लाभदायक हो सकती है।

(ख) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने योग के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 13 संस्थाओं को और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 15 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस परिषद द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के 2 कालेजों को भी वित्तीय सहायता दी गई थी। ऐसी संस्थाओं की सूची विवरण 2 और विवरण 3 में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में योग में अनुसंधान करने के लिए की गई थी। अनुसंधान, प्रशिक्षण और उपचार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पुणे में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोला जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विश्वायतनयोगाश्रम को योग में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अनुदान दे रहा है।

विवरण 1

बीमारियों की सूची जिनमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा लाभकारी पाई गई है।

योग

1. दमा
2. सन्धिशोथ
3. श्वसनी शोथ
4. कब्ज
5. प्रतिश्याय
6. मधुमेह
7. अतिसार
8. अग्निमांद्य
9. पेचिश
10. नेत्र रोग (कुछ खास किस्म के)
11. ज्वर
12. आध्मान
13. सामान्य दुर्बलता
14. गलगण्ड
15. सिरदर्द
16. उच्च रक्तचाप/अति रक्तदाब
17. दूरदृष्टिता
18. अपच
19. अनिद्रा
20. आंत्र शूल
21. नपुंसकता
22. चिड़चिड़ापन
23. पीलिया
24. निकटदृष्टिता
25. वृक्कशोथ
26. अपवृक्कता
27. स्थूलता
28. अस्थि संधिशोथ
29. लकवा
30. पार्किन्साता
31. बवासीर
32. पोलियोमाइलाइटिस
33. सोरियासिस
34. आमवात सन्धिशोथ व दर्द
35. गृध्रसी
36. साइनुसाइटिस
37. चर्म रोग
38. तुण्डिका शोथ
39. क्षयरोग
40. मूत्र की बीमारियां
41. उदर कृमि

प्राकृतिक चिकित्सा

दमा, सन्धिशोथ, रक्त चाप, श्वसनीशोथ, मधुमेह, छाजन, सोरियासिस और अन्य चर्म रोग, बृहदान्त्रशोथ सहित जठरांत्र विकार, कब्ज, स्थूलता, पोलियो, पीलिया, अपरंग आदि।

विवरण 2

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित योग स्कीमों की सूची तथा उनके आरम्भ तथा पूरा होने की तारीख

क्र० सं०	संस्थान का नाम	अनुसंधान स्कीम का नाम	आरंभ करने की तारीख	पूरा होने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	राजकीय यौगिक उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, बापू नगर जयपुर (पुरानी स्कीम)	1. श्वसनी दमा में योग थिरेपी का मूल्यांकन 2. चिरकारीक जरांत्र-शोथ विकारों में योग थिरेपी का मूल्यांकन	1.12.71	31.12.84
2.	शिवानन्द मठ और योगाश्रम संघ, गुवाहाटी (असम)	1. चिरकारीक पेप्टिक अल्सर 2. अति रक्तदाब 3. श्वसन क्षेत्र संक्रमण (नॉन-स्पैसिफक)	मार्च 73	31.12.84
3.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ योग एण्ड अलाइड साइंसिज, तिरूपति	क. मधुमेह, श्वसनी दमा और अति रक्तदाब के उपचार में योग के चिकित्सीय परिणाम	अप्रैल, 75	31.3.83
		ख. योग के प्रशिक्षणार्थियों में सामान्य स्वास्थ्य पहलुओं के संवर्धन तथा अनुरक्षण में योग की प्रभावकारिता का अध्ययन		
4.	प्रो० के० एन० उडुपा आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उ. प्र.)	योग के वैज्ञानिक आधार का अध्ययन	जनवरी, 76	31.3.88
5.	जी० बी० पंत अस्पताल, नई दिल्ली	उत्तेजनशील आंत्र संलक्षणों के उपचार के लिए योगासन	20.4.80	30.6.84

1	2	3	4	5
6.	वेमन्नायोग अनुसंधान संस्थान सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1. जैव रसायनों के परिवर्तन लाने वाले तंत्र का अध्ययन	1.1.82	31.12.84
		2. प्राणायाम का दमा पर प्रभाव का अध्ययन	1.3.82	28.2.85
7.	राजकीय यौगिक उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र बापू नगर, जयपुर (नई स्कीम)	कुछेक मनश्चिकित्सीय और मनः कायिक विकारों में योग थिरेपी का मूल्यांकन	1.1.83	31.12.85
8.	स्वामी दयानन्द शिक्षा सदन फतेहगढ़ (उ. प्र.)	उदर विकार एवं कब्ज रोगशैया परियोजना	5.6.83	4.6.85
9.	राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, जम्मू	पेप्टिक अल्सर तथा मुख्यतः तनाव के कारण दूसरे जठरांत्र विकारों में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और यौगिक क्रियाओं का प्रभाव	1.1.84	31.12.85
10.	योग अनुसंधान, संस्थान विजयवाडा (आंध्र प्रदेश)	चिरकारीक रोगों के उपचार में योगासन	1.2.84	31.1.87
11.	शिवानन्द मठ एवं योगाश्रम संघ, शिवानन्द यौगिक अस्पताल, कलकत्ता	इंसिमोनिया के लिए योग थिरेपी का मूल्यांकन	1.3.84	28.2.87
12.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर (राजस्थान)	चिरकालीक वृक्क पात के उपचार में डायलिसिस तथा गुर्दे के प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में स्रोत प्रक्षालन	1.3.84	28.2.87
13.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उ०प्र०)	योगिकष्टकर्मों के बारे में शरीर क्रिया वैज्ञानिक तथा चिकित्सीय अध्ययन	1.1.85	31.12.87

विवरण 3

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा चित्र योजित प्राकृतिक चिकित्सा स्कीमों की सूची जहां उनके आरंभ तथा समाप्त होने की तारीख

क्रम सं०	संस्थान का नाम	अनुसंधान योजना का नाम	योजना आरंभ होने की तारीख	योजना समाप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, जयपुर	स्वास्थ्यवर्धक, रोग हारक तथा रोग निवारक पहलुओं में प्राकृतिक क्रियाओं की प्रभावकारिता का सामान्य अध्ययन	16.12.81	15.12.84
2.	प्राकृतिक आरोग्याश्रम, राजगिर	बीमारियों विशेषकर पाचन क्षेत्र की बीमारियों में/गरम चश्मों के पानी, पादपों, जड़ी बूटियों तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव	10.12.81	9.12.84
3.	एस. डी. प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, अम्बाला कैंट	विभिन्न बीमारियों में प्राकृतिक चिकित्सा की प्रभावकारिता के बारे में सामान्य अध्ययन	1.5.82	30.4.85
4.	कस्तूरबा, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, शिवरामपल्ली	ज्वर तथा चर्म रोग	17.12.81	16.12.84
5.	श्री गोडे एग्रेरो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, काकीनाडा	विशेषकर चिरकारीक रोगों के उपचार में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रभाव	1.12.81	30.11.84
6.	प्राकृतिक चिकित्सालयम्, पेनीमोलुरु	आदर्श तथा स्वस्थ जीवन व्यापन में परम्परागत प्राकृतिक चिकित्सा विधियों में व्यावहारिक अनुसंधान	1.12.81	30.11.84

1	2	3	4	5
7.	काकतीय प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, वरंगल	चिरकारीक तथा अतिपाती रोगों पर हाइड्रोपैथी के शरीर क्रिया वैज्ञानिक तथा चिकित्सीय प्रभाव	1.12.81	30.11.84
8.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा तथा अनुसंधान कालेज, लखनऊ	रक्तदान में हाइड्रोपैथी	4.10.82	*बीच में ही छोड़ दी गई
9.	आनन्द निकेतन प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, बरेली	अतिपाती तथा चिरकारीक रोगों में विभिन्न क्रियाओं की प्रभावकारिता के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा में सामान्य अनुसंधान	1.12.81	30.11.84
10.	शान्तिकुटी प्राकृतिक चिकित्सालयम् गोपुरी, वर्धा	1. कुष्टरोग के कारण तथा प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार की सही दिशा 2. दमा, गाउट, पुरःस्थ ग्रन्थि, श्वेत प्रदर, चर्म रोगों का कारण और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उनके उपचार की सही दिशा	1.12.81	30.11.84
11.	राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, बीकानेर	दमा और पोलियो के कारणों तथा परिचर्या के बारे में अनुसंधान	1.1.82	30.12.84
12.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, असिडीह	मधुमेह और कुष्ट रोगों का उपचार	13.12.81	11.12.84
13.	कमला आरोग्य मन्दिर, यवतमाल	चर्मरोग	1.12.81	30.11.84
14.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल भी बरकत	क्षयरोग और कैंसर को छोड़कर श्वसन क्रिया रोगों	1.1.82	31.12.84 (और अनुसंधान के लिए

*मुख्य अन्वेषक की मृत्यु हो जाने के कारण।

1	2	3	4	5
	राम विद्यावती धर्मार्थ ट्रस्ट, जम्मू तवी	और जिगर तथा पित्ताश्मय सहित जठरांत्र रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रभाव का अध्ययन	स्कीम को 1.1.88 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।	
15.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, रानीपतरा	दमा, गाउट, पुरःस्थ ग्रंथि रोगों, मधुमेह, जठर-सोथ, तथा जठर अल्सर रोगों के "विशेष संदर्भ में" प्राकृतिक चिकित्सा के रोग निवारक, रोगहारक, पुनर्वास तथा स्वास्थ्य वर्धक मानदण्डों के प्रभावों का अनुसंधान	**	

प्रशिक्षण कालेज

1. गांधी प्राकृतिक चिकित्सा कालेज, बेगापेट, हैदराबाद — प्राकृतिक चिकित्सा में 4½ वर्ष का प्रशिक्षण
2. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा तथा अनुसंधान कालेज, लखनऊ। — प्राकृतिक चिकित्सा में 4½ वर्ष का प्रशिक्षण

चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने के बारे में अनुसंधान और विकास

2786. **श्री के० राममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने, कम लागत पर "स्प्रेड फैट", ब्लेंडेड (सम्मिश्रित) तेल, 'ट्रांसफि' पी० यू० एफ० ए० वनस्पति तेल निकालने के बाद बची खली के बारे में स्वीकृत की गई अनुसंधान और विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और पेड़ तथा वन सूल के पेड़ों से वनस्पति तेल प्राप्त करने के बारे में किन-किन नए संसाधनों का पता लगाया गया है;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पहले से ही पूरा कर लिया गया है और तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन के बारे में क्या स्थिति है; और

(ग) शेष योजनाएं कब तक पूर्ण और कार्यान्वित की जायेंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैठा) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

**स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण यह योजना शुरू नहीं की जा सकी। संस्थान से कहा गया है कि वह या तो इस योजना को आरम्भ करें अथवा इस प्रयोजन के लिए दी गई सहायता अनुदान की 26,700/-रुपये की पहली किस्त वापस करें।

विवरण

सरकार द्वारा प्रायोजित महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास योजनाएं नीचे दी गई हैं—

क्रम सं.	योजना का नाम	पूरा होने की नियत तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	"कम लागत के "स्प्रैड फैट" का उत्पादन", कलकत्ता विश्वविद्यालय।	मार्च, 1987	रिपोर्ट के अनुसार प्रयोगशाला स्तर पर कम लागत के "स्प्रैड फैट" के उत्पादन की प्रक्रिया विकसित कर ली गई है। योजना पूरी हो गई है।
2.	"वनस्पति तेलों तथा वसा से मक्खन जैसा उत्पाद तैयार करना", बम्बई विश्वविद्यालय	जुलाई, 1987	रिपोर्ट के अनुसार प्रयोगशाला स्तर पर वनस्पति तेलों तथा वसा से मक्खन जैसा उत्पादन तैयार करने की प्रक्रिया विकसित कर ली गई है। योजना पूरी हो गई है।
3.	'तेलों के सम्मिश्रण के बारे में अध्ययन", राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द।	दिसम्बर, 1985	खाद्य तेलों के कुछ संस्तुत सम्मिश्रणों के लिए भण्डारण स्थायित्व तथा उपभोक्ता स्वीकार्यता का अध्ययन किया गया। योजना पूरी हो गयी है।
4.	"तेलों का सम्मिश्रण", जी. एस. आर. एफ., दिल्ली	मार्च 1987	खाद्य तेलों के कुछ संस्तुत सम्मिश्रणों के लिए भण्डारण स्थायित्व तथा उपभोक्ता स्वीकार्यता का अध्ययन किया गया। योजना पूरी हो गई है।
5.	"खाद्य ग्रेड चावल की भूसी के तेल का उत्पादन", एच.बी.टी.आई., कानपुर	दिसम्बर, 1989	जारी

6.	बायो इंटरेस्टरीफिकेशन प्रोसेस फॉर दि प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसफ्री पी.यू.एफ.ए. वनस्पति एण्ड अदर वैल्यूएबल प्रोड्यूसर्स के बारे में अध्ययन" कलकत्ता विश्वविद्यालय ।	जनवरी, 1990	जारी
7.	"सीडकेकों का निराविषीकरण तथा उनका उपयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय	फरवरी, 1990	जारी
8.	"खाद्य तेलों तथा खली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अप्रधान वनमूल के तिलहनों का उपयोग करने हेतु अध्ययन" अलीगढ़ विश्वविद्यालय ।	अक्तूबर, 1989	जारी
9.	"केन्द्रीय हिमालय में जंगली तथा गैर-पारम्परिक तिलहन पौधों का सर्वेक्षण तथा विश्लेषण" शिमला विश्वविद्यालय	जून, 1989	जारी
10.	"वनस्पति तेल संसाधन उद्योग के अपशिष्ट का उपयोग", एच.बी.टी.आई. कानपुर ।	फरवरी, 1990	जारी
11.	"खाने के प्रयोजन के लिए अप्रधान तेलों का उपयोग" कलकत्ता विश्वविद्यालय	मार्च, 1990	जारी
12.	"खाद्य खली से प्रोटीन आधारित पृष्ठ सक्रियक (सर्फैक्टेंट) का विकास", आर.आर.एल., हैदराबाद ।	अप्रैल, 1989	वही
13.	"चावल की भूसी के तेल के यांत्रिक निष्कर्षण के लिए संसाधन प्रौद्योगिकी का विकास", आई.आई.टी., खड़गपुर ।	मार्च, 1990	वही

1	2	3	4
14.	"खाद्य ग्रेड चावल की भूसी के तेल के उत्पादन के लिए संभाव्यता पद्धतियों का विकास" जाधवपुर विश्वविद्यालय।	जुलाई, 1989	वही

इन योजनाओं का कार्यान्वयन कई बातों पर निर्भर करता है जैसे प्रयोगशाला/पायलट प्लांट अध्ययन तथा सदृश्य उत्पादों की तुलना में उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता।

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बन्दी बनाना

2787. **श्री के. राममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितने व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) अपेक्षित ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिए गए हैं, उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही, यदि कोई हो, का ब्यौरा तथा तत्संबंधी तथ्य उपलब्ध नहीं है । तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना सम्पूर्ण रूप से भेजते है । इस संबंध में वर्ष 1986 से वर्ष 1988 तक के तीन वर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या
1986	9124	4289
1987	7890	5355
1988	8024	5290

विवरण

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में 28. 2. 1989 तक चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत जिन व्यक्तियों को नजरबन्दी के आदेश दिए गए हैं, उनकी यथा-पूचित राज्यवार तथा वर्षवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिए गए उनकी संख्या				योग
		1986	1987	1988	1989 (28. 2. 89 तक)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17	30	28	6	81
2.	असम	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	4	3	—	—	7
4.	गुजरात	53	133	148	17	351
5.	मध्य प्रदेश	1	3	3	—	7
6.	महाराष्ट्र	4	3	1	—	8
7.	नागालैण्ड	—	—	1	—	1
8.	उड़ीसा	2	4	11	1	18
9.	राजस्थान	—	—	2	—	2
10.	तमिल नाडु	5	—	—	—	5
11.	उत्तर प्रदेश	—	3	5	—	8
	योग :	86	180	199	24	489

"पश्चिमी बंगाल में सामाजिक वानिकी योजनायें"

2788. डा० फूलरेणु गुहा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयनाधीन सामाजिक वानिकी योजनाओं के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पश्चिम बंगाल में सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण कार्यक्रम की वर्षवार प्रगति नीचे दी गई है :—

वर्ष	लक्ष्य (हैक्टेयर में)	उपलब्धियां (हैक्टेयर में)
1985-86	55,000	55,750
1986-87	70,000	70,8000
1987-88	70,000	69,554
1988-89	90,000	55,000 (दिसम्बर, 1988 तक)

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल में सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान किया गया कुल आवंटन 2460.72 लाख रुपए है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की जनसंख्या

2789. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1977 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के बाद से आज तक कितनी नई अनधिकृत कालोनियां बस गई हैं ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 को नियमित की गई कालोनियों की जनसंख्या के अलावा अन्य अनधिकृत कालोनियों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है ;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने अवैध निर्माण गिराए गए ; और

(घ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1988-89 के दौरान अवैध कब्जे से कितनी सरकारी भूमि मुक्त करायी गयी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख). 1977 की विच्छेद तिथि के बाद अनधिकृत कालोनियों और इस प्रकार की कालोनियों में जनसंख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10616 और दिल्ली नगर निगम ने 904 अनधिकृत निर्माणों/झुग्गियों को हटाया।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 20.25 एकड़ भूमि को साफ किया। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जैसे ही अनधिकृत निर्माण इसके ध्यान में आते हैं, वैसे ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और भूमि वापस ले ली जाती है।

"उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति"

[हिन्दी]

2790. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त निर्माण परियोजनाओं के प्रस्तावों का जिले-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) स्वीकृत किये गये, रद्द्द किए गए अथवा स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को लौटाए गए प्रस्तावों का जिले-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों को लौटाने/रद्द करने के क्या कारण हैं और इस संबंध में राज्य सरकार को क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). विवरण-1 संलग्न है।

(ग) इन परियोजनाओं को लौटाने/रद्द करने के कारण संलग्न विवरण-1 के कालम 3 में दिए गए हैं।

मन्त्रालय के उस पत्र की प्रति संलग्न विवरण-2 में दी गई है, जिसमें वन व पर्यावरणीय दृष्टि से मन्जूरी देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दी गई है।

विवरण 1

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	स्थिति
1	2	3
	जिला अल्मोड़ा	
1.	उत्तयन जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मामला पहली मार्च, 1989 को अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
2.	डन्गरोलिया जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मामला, पहली मार्च, 1989 को अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
3.	मेता गांव समूह जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मामला, पहली मार्च, 1989 को अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
4.	लालरी जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मामला, पहली मार्च, 1989 को अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
5.	वसूली सेरा जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मामला, पहली मार्च, 1989 को अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
6.	पन्त कोठली जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मन्जूर कर दिया गया।
7.	तकूलागणनाथ मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से 17.2.89 के पत्र द्वारा आवश्यक ब्यौरे देने के लिए अनुरोध किया गया।
8.	दफौट मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार ने 17.2.89 के पत्र द्वारा आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
9.	अलमिया ग्राम जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मन्जूर की गई।
10.	ओखली सिरोध जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मन्जूर की गई।
11.	रानीखेत दूरदर्शन टावर का निर्माण	मन्जूर की गई।
	जिला चमोली	
12.	सैमान गृहों और आवासीय गृहों का निर्माण	गुणदोष के आधार पर रद्द कर दिया गया।

1	2	3
13.	नन्द प्रयाग देवल खेत मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से 17.2.89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
14.	हरमानी पैनागढ़ पगडन्डी का निर्माण	राज्य सरकार से 17.2.89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
15.	पलेधी सारतोली मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से 23.2.89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
16.	जगरस राउलेक मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से 27.2.89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
17.	मक्कुपालदारी मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से 27.2.89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
18.	बालखिले अश्वपुल (बालखिले ब्रिज) का निर्माण	राज्य सरकार से 7-3-89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
19.	बाडेथ पिंडवाली मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से 6-3-89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
	जिला देहरादून	
20.	चांदरोटी बिस्ट गांव मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से 20-2-89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
21.	मंसूरी में नदियों से रेत, गोलपत्थर (बोउल्डर) इकट्ठा करना।	राज्य सरकार से 20-2-89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
22.	सिमलास नहर का निर्माण	मंजूर की गई।
23.	शिवालिक क्षेत्र में नदियों से रेत, गोल पत्थर इकट्ठा करना	राज्य सरकार से 10-1-89 के पत्र के तहत आवश्यक ब्यौरे देने के लिए कहा गया।
	जिला नैनीताल	
24.	जगरानी बांध का निर्माण	मुख्य वन संरक्षक (मध्य) लखनऊ से निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	जिला पौड़ी	
25.	सतसैन जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मामला अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
26.	चमगांव जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मंजूर की गई।
27.	कंडीला गांव जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मंजूर की गई।
28.	लैंड्सडॉन क्षेत्र में नदी से रेत, गोलपत्थर एकत्रित करना	मामला, अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।

1	2	3
29.	कैंडोरी गांव जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मंजूर की गई।
30.	बजवार जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मंजूर की गई।
31.	[illegible], खलीलाबाद मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से आवश्यक [illegible] देने के लिए कहा गया।
32.	[illegible] गांव का जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मंजूर की गई।
33.	[illegible] गांव जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	कार्यवाही की जा रही है।
	जिला पिथौरागढ़	
34.	तोला गांव जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	मंजूर की गई।
35.	[illegible] नहर का निर्माण	मंजूर की गई।
36.	गगोई नहर का निर्माण	राज्य सरकार से आवश्यक [illegible] देने के लिए कहा गया।
37.	मुनसिफ मैजिस्ट्रेट के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण	गुण दोष के आधार पर रद्द कर दिया गया।
38.	चम्पावत मंच तामली मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से आवश्यक [illegible] देने के लिए कहा गया।
	जिला बिजनौर	
39.	कोटेश्वर बांध का निर्माण	राज्य सरकार से आवश्यक [illegible] देने के लिए कहा गया।
40.	चांजी नहर का निर्माण	राज्य सरकार से आवश्यक [illegible] देने के लिए कहा गया।
41.	[illegible] नहर का निर्माण	मंजूर की गई।
	जिला उत्तरकाशी	
42.	विंगसरी नहर का निर्माण	अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण मामला रद्द कर दिया गया।
43.	[illegible] चट्टी मोटर मार्ग का निर्माण	राज्य सरकार से आवश्यक [illegible] देने के लिए कहा गया।

अनुबंध-2

संख्या जे—11015/14/82-इन्वा० 5/आई०ए०

भारत सरकार

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

पर्यावरण भवन,
सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली—110003

दिनांक 16 सितम्बर, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वानिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी।

वन और पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है। विद्यमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा की गई और शीघ्र निर्णय लेने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रिया तत्काल से अपनायी गई है।

2. पर्यावरणीय और वानिकी दृष्टि से मंजूरी देने का एकल केन्द्र

जब परियोजना के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन दोनों लेना हो तो दोनों के लिए प्रस्ताव इस मंत्रालय के सम्बन्धित प्रभागों को साथ-साथ भेजा जाये। इन पर एक साथ कार्यवाही की जायेगी तथा दोनों दृष्टियों से मंजूरी/नामंजूरी एक साथ दी जाएगी, भले ही प्रत्येक के लिए अलग-अलग पत्र भेजा जाये। यदि केवल पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता हो तो यह तभी की जायेगी जब परियोजना में वन भूमि का उपयोग न किया जाना हो और मामले पर पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कार्यवाही की जायेगी।

3. पर्यावरणी मंजूरी

3.1 पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रस्ताव सभी अनिवार्य ब्यौरों सहित मंत्रालय में परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त होने चाहिए। मंत्रालय ने पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों, प्रपत्रविलियों और चेकलिस्टों को पहले ही परिचालित कर दिया है जिनमें अनुसार अलग-अलग मदों की सूचना और विवरण दिए जाने हैं। यदि सभी विवरण, सूचना और कार्य योजनाएं उपलब्ध हों तो वे मंत्रालय प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के अन्दर उस पर निर्णय ले लेता है।

3.2 अक्सर यह देखा जाता है कि प्रस्तावों के साथ अनिवार्य ब्यौरे और सूचना नहीं भेजी जाती है। ऐसे मामलों में यह मंत्रालय परियोजना प्राधिकारियों से ब्यौरे और अप्राप्त सूचना को मंगाता है। इस समय ऐसी सूचना भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके फलस्वरूप, परियोजना अनिश्चित समय तक मंत्रालय में लंबित रहती है। ब्यौरे प्राप्त होने पर ही परियोजनाओं पर निर्णय लेने के लिए कार्यवाही जाती है।

3.3 अब से परियोजना प्राधिकारियों को अप्राप्त सूचना/कार्य-योजनाएं तीन माह के भीतर भेजनी अपेक्षित हैं। यदि तीन माह के भीतर अपेक्षित सूचना/कार्ययोजना को उपलब्ध कराया

जाता है तो मामले पर निर्णय लेने के लिए कार्यवाही की जायेगी, यदि तीन माह के भीतर पूर्ण सूचना/कार्ययोजनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो मामले को सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर कर दिया जायेगा।

3.4 अनिवार्य सूचना, कार्ययोजनाएं तथा अन्य ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात् तथा संबंधित पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति की टिप्पणी लेने के बाद जब भी आवश्यक हो, मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच की जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो मामले को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी जायेगी। फिर भी यदि मामला पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो, तो इसे गुण-दोष के आधार पर नामंजूर कर दिया जायेगा।

4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी

4.1 जैसा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1880 में अपेक्षित है, वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्तावों के मामले में सलाहकार समिति की सलाह लेकर विचार किया जाता है और सभी अपेक्षित सूचना आदि उपलब्ध होने पर सामान्यत: प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर निर्णय ले लिया जाता है। लेकिन अधिकांश मामलों में क्षतिपूरक वनरोपण के बारे में मानचित्र व ब्यौरों और अन्य पूरक ब्यौरों की आवश्यकता होती है तथा राज्य सरकारों एवं परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया जाता है। सूचना मांगी जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर यदि ब्यौरे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मामलों को बन्द कर दिया जाता है जिन पर सूचना उपलब्ध होने के बाद पुन: विचार किया जाता है।

4.2 अब से आगे यदि अपेक्षित सूचना के मंगाए जाने की तारीख से एक माह के भीतर उपलब्ध नहीं होती है तो प्रस्ताव को अनिवार्य सूचना उपलब्ध न होने के कारण नामंजूर कर दिया जायेगा।

4.3 यदि प्रस्ताव के साथ पूरे ब्यौरे भेजे गए हों तो प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के अन्दर मंत्रालय को निर्णय लेना होता है। सलाहकार समिति की सलाह से मामले पर विचार करने के बाद जब भी आवश्यक हो प्रस्ताव को गुण-दोष के आधार पर अनुमोदित/नामंजूर कर दिया जायेगा।

5. सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर किए गए मामलों पर फिर से विचार करना

5.1 सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर किए गए मामलों पर पुन: विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :

1. सभी अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई जाए।

2. सूचना भेजने में हुए विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाये।

3. कार्य क्षेत्र उद्देश्य और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में प्रस्ताव पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाए।

ह/-

(ए० सी० राय)

अपर सचिव

प्रतिलिपि :

सभी मंत्रालयों के सचिव, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव/पर्यावरण विभाग के सचिव।

सचिव, वन विभाग, सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र।

अ० शा० पत्र सं० 2-3/88-एफ० सी०
भारत सरकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय
पर्यावरण भवन,
सी० जी० ओ० काम्पलेक्स,
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 7 अक्टूबर, 1988

डा० ए० सी० राय
अपर सचिव

प्रिय श्री

अक्सर यह कहा जाता है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मामलों को देर से मंजूरी दिए जाने के कारण विलम्ब होता है। लेकिन वास्तव में यह पाया गया है कि मामलों पर कार्यवाही करने में विलम्ब राज्य सरकारों से अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त नहीं होने के कारण होता है।

2. मामलों पर शीघ्र कार्यवाही की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अब से आगे राज्य सरकारों से मंगाये गए अपेक्षित स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना और अन्य ब्यौरे एक माह के भीतर इस मंत्रालय को भेजना अपेक्षित है अन्यथा प्रस्ताव को अनिवार्य सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर कर दिया जायेगा। तथापि, इन प्रस्तावों पर फिर से विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :

(1) सभी अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई जाए,

(2) सूचना भेजने में हुए विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए; और

(3) कार्य क्षेत्र, उद्देश्य और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन न किया जाए।

3. इस बारे में इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गये दिनांक 16-9-1988 के का० ज्ञा० संख्या जे-11015/14/82-इन्वा०-5/आई० ए० की एक प्रतिलिपि संलग्न है (विवरण)

4. आपके राज्य के सभी मामले जो काफी समय से लंबित हैं, को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। यदि इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपेक्षित सूचना नहीं भेजी गई तो इन मामलों को सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर कर दिया जायेगा।

सादर,

आपका,
ह०/-
(ए० सी० राय)

मुख्य सचिव,
.....सरकार

इंडियन मेडिसन्स फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मोहान (उत्तर प्रदेश) का विस्तार

2791. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इन्डियन मेडिसन्स फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड मोहान (उत्तर प्रदेश) का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को वर्ष 1989-90 में मन्जूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). वर्ष 1989-90 के दौरान इंडियन मेडिसिन फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहान(उत्तर प्रदेश) का विस्तार करने का कोई विचार नहीं है।

उत्तर प्रदेश में माझोला-मोरनोला सड़क के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मन्जूरी

2792. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में माझोला-मोरनोला सड़क निर्माण को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी दिये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री सियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

मणिपुर में खरीफ कार्यक्रम

[अनुवाद]

2793. श्री एन० डोम्बी सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष के दौरान मणिपुर राज्य में धान के सरकारी खरीद मूल्य एवं फसल कटाई के मौसम में स्थानीय बाजार मूल्य के बीच भारी अन्तर होने के कारण धान/चावल की खरीद कार्यक्रम के कोई संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य में स्थानीय बाजार मूल्य के बराबर खरीद मूल्य को बढ़ाकर लाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) से (ग). सरकारी वसूली एजेंसियों द्वारा मणिपुर सहित देशभर में किसानों द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के आधार पर मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन धान की वसूली की जाती है। 1980-81 और 1981-82 के मौसमों में, मणिपुर में मामूली मात्रा में धान की वसूली की गई थी। उसके बाद राज्य में कोई वसूली नहीं की गई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर समस्त

देश के लिए धान का एक-समान समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। आशा है कि इस समर्थन मूल्य से उत्पादकों को उचित लाभ मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी।

आवासीय भूखण्डों की नीलामी पर प्रतिबन्ध

1994. श्री [illegible] प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय भूखण्डों की नीलामी करने और सहकारी समूह आवास समितियों को तब तक भूमि आवंटित करने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है, जब तक कि न्यू पैटेन हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत सभी पंजीकृत व्यक्तियों को अच्छे किस्म के बने हुए फ्लैटों का कब्जा न दे दिया जाए ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आवासीय भूखण्डों की नीलामी की गई, वे कहां-कहां स्थित हैं [illegible];

(घ) क्या यह भी सच है कि [illegible] के नाम उनके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम किसी अधिकृत कालोनी अथवा अनधिकृत कालोनी में कोई प्लॉट, भूखण्ड या घर नहीं होना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो मालिकाना अधिकार किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री [illegible] सिंह) : (क) और (ख): दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी प्लाटों की नीलामी पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सहकारी सामुहिक आवास समितियों को भूमि के आवंटन पर भी कोई औपचारिक प्रतिबन्ध नहीं है। 1961 में सरकार द्वारा अनुमोदित और दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और बिक्री की योजना में उच्चतर आय वर्गों को केवल नीलामी के माध्यम से प्लाटों के आवंटन पर विचार किया जाता है और पूर्व निर्धारित कीमतों पर इस वर्ग को प्लाटों के आवंटन पर इस योजना में विचार नहीं किया जाता है। नीलामी में प्लाटों के खरीदारों से प्राप्त बिक्री की प्राप्तियों का उपयोग रियायती कीमतों पर जो कि प्रचलित बाजार कीमतों से काफी कम है, निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को प्लॉट देने में परस्पर आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। मूल योजना में पूर्वनिर्धारित कीमतों पर सहकारी सामुहिक आवास समितियों को भूमि के आवंटन पर विचार किया जाता है। तथापि, इस समय इन समितियों को कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है।

(ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

क्र० सं०	अभिकरण का नाम	नीलाम किए गए प्लाटों की संख्या	कालोनी	दर
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	197	रोहिणी	2929 रुपये से 7812 रुपये प्रति वर्ग मीटर

1	2	3	4	5
2.	स्लम विंग दिल्ली विकास प्राधिकरण	86	शिवाजी एन्कलेव नजफगढ़ रोड शिवाजी कालेज और राजा गार्डन के समीप	1986-88 के दौरान 1850 रु० से 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर

(घ) जी, हां।

(ङ) प्लाट के बोलीदाता/खरीददार से इस आशय का वचन पत्र/शपथपत्र लेकर कि उसके पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में कोई प्लाट/फ्लैट नहीं है।

औषधियों के लिये श्रेणी-1 के अन्तर्गत शामिल करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

2795. **श्री राजकुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से 4 जून, 1987 को चौदह औषधियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए श्रेणी एक में शामिल करने की सिफारिश की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के लिए किन-किन औषधियों की सिफारिश की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). चौदह राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 60 औषधों की एक सूची तैयार की गई थी और उसे 4 जून, 1987 को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को भेज दिया जाता था। विवरण के रूप में सूची संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए रोगों के लिए अनिवार्य औषधें

1. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

1. रिफेम्पिलिन कैप्सूल	300 मि० ग्रा०
	150 मि० ग्रा०
2. क्लोफेजिमिन कैप्सूल	100 मि० ग्रा०
	50 मि० ग्रा०
3. डेप्सोन गोली	100 मि० ग्रा०
	50 मि० ग्रा०
	25 मि० ग्रा०
	10 मि० ग्रा०

2. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

1. इंजे० स्ट्रेप्टो माइसिन सल्फेट---(0.75 ग्रा०) वायल्स
2. आइसोनियाजिड (100 मि० ग्रा० और 300 मि० ग्रा० क्षमता) की गोली।
3. थायासेटाजोन (50 मि० ग्रा० और 150 मि० ग्रा० क्षमता) की गोली।
4. इथाम्बुटोल (200 मि० ग्रा० और 100 मि० ग्रा०) गोली।
5. सोडियम पास ग्रेन्यूल्स
6. रिफेम्पिसिन (150 मि० ग्रा०) कैप्सूल्स
7. पिरेजिनामाइड (0.5 ग्रा०) गोली
8. आई० एन० एच० का सम्मिश्रण+थयासेटाजोन (आई० एन० एच० 75 मि० ग्रा०+थयासेटाजोन 37.5 मि० ग्रा० और आई० एन० एच० 150 मि०ग्रा०+थयासेटाजोन 75 मि० ग्रा० की क्षमता वाली) गोली

3. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1. क्लोरोक्विन गोली	150 मि० ग्रा०
2. प्राइपाक्विन गोली	75 मि० ग्रा०
3. एमोडियाक्विन गोली	200 मि० ग्रा०

4. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

1. डाइथिपल कार्बेमरिन गोली	50 मि० ग्रा०

5. अतिसार रोगों की रोकथाम और उपचार का राष्ट्रीय कार्यक्रम

1. ओरल रिहाइड्रेशन नमक :	सोडियम क्लोराइड	3.5 ग्रा०
	सोडियम बाइकार्बोनेट	2.5 ग्रा०
	पोटाशियम क्लोराइड	1.5 ग्रा०
	ग्लूकोस	20 ग्रा०

प्रति लीटर

6. राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

1. एम्पिसिलिन कैप्सूल 250 मि० ग्रा० और 500 मि० ग्रा० में तथा इंजे० 500 मि० ग्रा०/शीशी।

2. बेंजाथिन पेन्सिलिन इंजे० 6,00,000, 12,00,000 और एक्यूओस बेनक्साथिके पेन्सिलिन-सी, 24,00,000, मि० ली०

3. टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल 250 मि० ग्रा० और 500 मि० ग्रा०

4. रिथ्रोमाइसिन गोली 250 मि० ग्रा० और 500 मि० ग्रा०

7. रोग प्रतीकरण का विस्तारित कार्यक्रम

1. डी०पी०टी०/डी० टी० वैक्सीन
2. टी० टी० (टेटनस टाक्साइड)

3. पोलियो वैक्सीन

4. बी० सी० जी० वैक्सीन

5. टाइफाइड वैक्सीन

8. मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. लौह और फालिक अम्ल गोली (फेरस सल्फेट 180 मि० ग्रा० + 60 मि० ग्रा० इलिमेंटल लौह + 0,5 मि० ग्रा० फालिक अम्ल)।

पीडिऐट्रिक आयरन (फेरस सल्फेट 60 मि० ग्रा० + 0,1 मि० ग्रा० फालिक अम्ल)

जो बच्चे गोली नहीं निगल सकते उनके लिए सिरप, 1 से 2 मि० ली०। पीडिऐट्रिक गोली।

2. विटामिन "ए" इन्जेक्शन 2,00,000 आई० यू०

3. ओरल रिहाइड्रेशन नमक (वि० स्वा० संगठन का सूत्र)

9. राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता कार्यक्रम

1. टेट्रासाइक्लिन/आक्सीटेट्रासाइक्लिन/क्लोरम्फायकोल नेत्र मरहम।

2. हाइड्रोकोर्टीसोन नेत्र मरहम—1 प्रतिशत और ड्राप्स

3. हेमोट्रोपिन साल्यूशन—2 प्रतिशत (हाइड्रोब्रोमाइड ड्राप्स)

4. पिलोकार्पिन साल्यूशन (हैल) अथवा निट्रेट—2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत

5. टिमोलोल मैलिएट 0.25 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत (मैलिएट) नेत्र ड्राप्स के रूप में।

6. एसिटाजोलमाइड गोलियां 250 मि० ग्रा०

7. विटामिन "ए" (कैप्सूल फार ओरल एडमिनिस्ट्रेशन) 2,00,000 आई० यू०

10. राष्ट्रीय मधुमेह कार्यक्रम

1. इंसुलिन इंजे० 40 आई० यू०/मि० ली० 80 आई० यू०/मि० ली०

इंटरमीडिएट एक्टिंग : इंसुलिन जिंक सस्पेंशन अथवा इसोफेन इंसुलिन 40 आई० यू०/मि० ली० और 80 आई० यू०/मि० ली०

2. टैलबुटामाइड गोली 500 मि० ग्रा० और 1 ग्राम

3. क्लोरप्रोपेमाइड गोली 250 मि० ग्रा०

11. राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम

1. डेक्सरयुबिसिन इंजे० 10 मि० ग्रा०/शीशी

2. मेथाट्रेक्सेट इंजे० 50 मि० ग्रा०/2 मि० ली० और गोली 2,5 मि० ग्रा०

3. बलूमाइसिन इंजे० 15 मि० ग्रा०/शीशी

4. साइक्लोफोएफेमाइड गोली 50, 100, 200, 500 मि० ग्रा०

राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम (जारी)

5. किस्टोसिल अराबिनोसाइड इन्जे० 100 मि० ग्रा०/500 मि० ग्रा० प्रति बॉक्स
6. 5-फ्लूओरोरेसिल इन्जे० 250 मि० ग्रा०/5 मि० ग्रा०
7. क्लोरैम्बुसिल टैबलेट्स 2 मि० ग्रा०/5 मि० ग्रा०
8. एल० एस्पाजीनिस इन्जे० 10,000 के० यू०/वायल
9. लोमसटीन कैप्सूल 40 मि० ग्रा० और 100 मि० ग्रा०
10. मिटोसाइक्लिन-सी इन्जे० 2 मि० ग्रा० 10 मि० ग्रा०/वायल
11. विंक्रिस्टाइन सल्फेट इन्जे० 1 मि० ग्रा०, 5 मि० ग्रा०/वायल
12. टाक्सिफोन सिट्रेट टैबलेट्स 10 मि० ग्रा० और 20 मि० ग्रा०
13. थॉयोटेपा इन्जे० 15 मि० ग्रा०/वायल
14. विनब्लेसटिन सल्फेट इन्जे० 10 मि० ग्रा०/वायल

13 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

1 डॉयजोपॉम टैबलेट 5 मि० ग्रा०, 2 मि० ग्रा०
2. क्लोरडायजी पॉक्साइड टैबलेट 10 मि० ग्रा०और 25 मि० ग्रा०
3. क्लोरप्रोमेजीन टैबलेट 50, 100 और 200 मि० ग्रा०
4. ट्राइफलुओपेराजीन टैबलेट 1 मि० ग्रा० और 5 मि० ग्रा०
5. फलुफेनोमजीन इनमेट इन्जे० 25 मि० ग्रा०
6. हैलोपीरिओडेल इन्जे० 5 मि० ग्रा०/1 मि० ग्रा० इन्जेक्शन और टैब० 5, 10 और 1.5 मि० ग्रा०
7. इमिप्रामाइन एच० सी० एल० टैबलेट 10 मि. ग्रा. 25 मि० ग्रा० और 75 मि० ग्रा०
8. एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट 25 मि० ग्रा०

13. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

1. इस कार्यक्रम के लिए अभी कोई औषध निर्धारित नहीं की गई है।

14. राष्ट्रीय वेचा नियंत्रण कार्यक्रम

आयोडीकृत नमक 35 भाग/मिलियन।

(यह औषध नहीं है, खाद्य पदार्थ है।)

"चिल्का झील पर पक्षियों का आना"

2796. श्री बृजमोहन पट्टनी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान उड़ीसा में चिल्का झील पर आने वाले पक्षियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पक्षियों के आने के क्षेत्र में किसी परिवर्तन का पता चला है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). उड़ीसा में चिल्का झील पर आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

विश्व बैंक द्वारा बंगलौर नगर के लिए सहायता

2797. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर नगर में सड़कें चौड़ी करने और ऊपरी पुलों का निर्माण करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक से सहायता के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की सहायता के लिए कहा गया है ;

(ग) कितने ऊपरी पुलों का निर्माण करने का विचार है और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(घ) क्या विश्व बैंक ने इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्तावित कर्नाटक विकास परियोजना नामक परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा भेजी है। परियोजना की प्रारम्भिक लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में दो उप परियोजनायें हैं नामतः आश्रय तथा जलपूर्ति परियोजना और बंगलौर शहरी परिवहन परियोजना। परिवहन परियोजना की लागत लगभग 200 करोड़ रुपये होगी और इसमें विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने तथा उनका सुधार करने के लिए (30 करोड़ रुपये) और उप-मार्गों, ऊपरी पुलों तथा भूगत रास्तों के लिये (10 करोड़ रुपये) का प्रावधान शामिल है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा परामर्शदाताओं को सौंपा गया है।

"चन्दन के वृक्षों में लगने वाली बीमारियां"

2798. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदन अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर में चंदन के वृक्षों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) केन्द्र में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्र पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ङ) केन्द्र द्वारा किए गए अनुसंधान का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और क्या वे इस केन्द्र को वित्तीय योगदान दे रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). चन्दन अनुसंधान केन्द्र बंगलौर द्वारा चन्दन के वृक्षों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में किए गए अनुसंधान के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वन आनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में विलय होने से पूर्व केन्द्र में स्वीकृत 39 कार्मिकों के स्थान पर 31 कार्मिक कार्यरत थे।

(घ) वन आनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में विलय होने से पूर्व, अप्रैल से जून 1988 तक इस केन्द्र पर 5.03 लाख रु० की राशि खर्च हुई। विलय होने के पश्चात व्यय को संस्थान द्वारा वहन किया गया।

(ङ) अनुसंधान के परिणामों की सूचना राज्य वन विभाग, चन्दन के पौधरोपण में इच्छुक अन्य संगठनों/व्यक्तियों को दे दी गई है। उपयोगकर्ता एजेन्सियों ने केन्द्र को कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया है।

विवरण

चन्दन अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर द्वारा अनुसंधान

चन्दन अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर (वन आनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में विलय होने से पूर्व) द्वारा चन्दन के वृक्षों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में किए गए अनुसंधान की महत्वपूर्ण मदें नीचे दी गई हैं :—

1. चन्दन में स्पाइक रोग के शरीर क्रियात्मक (फिजियोलॉजिकल) पहलुओं पर अध्ययन किए गए हैं। रोग से ग्रसित चन्दन के पौधों की पत्तियों की स्टार्च धारिता की जांच की गई है जो कि इस रोग की एक प्रमुख विशेषता है।

2. रोग के कारण, रोगाणु के संचरण व परपोषी-परजीवी के बीच सम्बन्ध पर अध्ययन करने के लिए रोगविज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान किए गए हैं।

3. रोग के नियंत्रण के उपायों का भी अध्ययन किया गया है। प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं :

(1) स्पाइक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव जैसे माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का पता लगाया गया है और ये जड़ों, तनों और पत्तियों के फोलेम अवयव में पाए जाते हैं।

(2) स्पाइक रोग से ग्रसित वृक्ष से इस रोग को स्वस्थ वृक्ष में अंतरित करने वाले **नेफोस्डा-ट्रीक्स बरेलिग्स** नामक कीट वेक्टर का पता लगाया गया है। अध्ययनों से एक से अधिक कीट वेक्टर पाए जाने का भी पता चलता है।

(3) इस रोग के संचरण के लिए चन्दन के परपोषी पौधों को भी उत्तरदायी होना पाया गया है।

(4) टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग और बेनलेट का पत्तियों में छिड़काव इस रोग को मुक्त करने के साथ-साथ निवारक होना पाया गया है।

भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी नीतियां

2799. **श्री कमल नाथ** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के स्थानीय सरकार तथा शहरी विकास मंत्रियों तथा केन्द्रीय स्थानीय सरकार परिषद और अखिल भारतीय मेयर परिषद के कार्यकारी सदस्यों की संयुक्त बैठक में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गई कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करके तथा भूमि भागीदारी प्रणाली लागू करके भूमि अधिग्रहण तथा भूमि के प्रयोग सम्बन्धी नीतियों को सरल और कारगर बनाया जाये ;

(ख) उक्त सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय शासन तथा नगर विकास राज्य मंत्रियों तथा अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक में दिये गये सुझावों की व्यापक रूप रेखायें इस प्रकार थी :

(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन तथा भूमि सहभागिता पद्धति आरम्भ करना ;

(2) नगर अर्थव्यवस्था तथा शहरी गरीबों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदी भू-उपयोग आयोजना; और

(3) गरीबों के लिये आधार भूत सुविधाओं और मकानों हेतु संसाधन उत्पन्न करने के लिये भूमि की सम्भाव्यता का उपयोग।

यह भी संकल्प किया गया कि भूमि के अकुशल उपयोग और सट्टेबाजी को रोकने के लिये सभी शहरी केन्द्रों में राज्य सरकारों द्वारा लेवी के लिए खाली भूमि पर कर लगाने पर विचार किया जाय और कर से प्राप्त आय का एक अंश आधार भूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु पालिका निकायों को दिया जाय।

(ग) संयुक्त बैठक में पारित संकल्प को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कृषि मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा गया है।

पौधों की लुप्तप्राय किस्मों का सर्वेक्षण

2800. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग को देश में पौधों की लुप्तप्राय किस्मों के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पौधों का पता लगाया गया है ;

(ग) ये पौधे सामान्यत: किन स्थानों पर पाए जाते हैं ; और

(घ) इन पौधों के संरक्षण और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) संकटापन्न समझी जाने वाली लगभग 1500 प्रजातियों में से संकटापन्न पौधों की 430 प्रजातियों का पता लगा लिया गया है। इन्हें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रैड डाटा बुक आफ इण्डियन प्लांट्स में दो खण्डों में सूचीबद्ध किया गया है जिसमें इन पौधों के स्तर, वर्णन, वितरण आदि के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) ये आमतौर पर हिमालय, पूर्वी घाटों, पश्चिमी घाटों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाये जाते हैं।

(घ) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अपने प्रयोगात्मक उद्यानों में अनेक संकटापन्न प्रजातियों का संवर्धन कर रहा है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में संकटापन्न प्रजातियों की कैप्टिव ब्रीडिंग की एक स्कीम शुरू की गई है।

उद्देश्य एवं अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (साइटस) के अंतर्गत संकटापन्न वनस्पतिजात और प्राणिजात के व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण।

— वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को लागू करना जिसके तहत उल्लंघन करने पर कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं।

— पौधों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनके विविध वासस्थलों की सुरक्षा के लिये 67 राष्ट्रीय उद्यान और 398 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं।

— "जीवमंडल रिजर्वों" के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए ऐसे स्थानों का पता लगा लिया गया है जिनमें कई प्रकार के सजीव संसाधनों का उनकी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षण किया जा सकेगा। इनमें से चार स्थानों अर्थात् नीलगिरि, नन्दादेवी, सुन्दरवन और ग्रेट निकोबार स्थापित किए जा चुके हैं।

गलगंड जैसी बीमारियों तथा विकृतियों का उन्मूलन

2801. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में गलगंड जैसी बीमारियों तथा विकृतियों का उन्मूलन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो छठी तथा सातवीं योजना के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे कदम उठाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जी, हां। घेंघा तथा आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य संबद्ध विकारों को रोकने के लिए आयोडीकृत नमक का उपभोग एक सरल और सबसे सस्ता तरीका है। सरकार ने देश में खाए जाने वाले नमक को चरणवार ढंग से व्यापक स्तर पर आयोडीकृत करने की योजना चलाई है जो 1992 तक पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन देश के स्थानिकपारी क्षेत्रों को, जिनमें पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं, आयोडीकृत नमक की पर्याप्त मात्रा सप्लाई की जा रही है।

"वनों पर आधारित उद्योग"

2802. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने देश में वन पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों हेतु सामान्य रूप से राज्यों और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सातवीं योजना के शेष वर्षों में ऐसी योजना के ऐसे कोई कदम उठाये जायेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शिवाजीरहुवान अन्सारी) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार देश में वनों पर आधारित उद्योगों को किसी भी प्रकार की विशेष सहायता या प्रोत्साहन नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्थित मूल्यवान वस्तुओं को तैयार करने वाले वन आधारित उद्योगों को इमारती लकड़ी पर 6 प्रतिशत रियायत तथा लाख और इससे बनी वस्तुओं पर बाजार मूल्य से 4 प्रतिशत अधिक रियायत दे रही है।

(ग) वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। अत: वन आधारित उद्योगों की स्थापना या उनका विस्तार करने के लिए विशेष प्रोत्साहन या वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

भागलपुर हथकरघा उद्योग में संकट

[हिन्दी]

2803. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविख्यात भागलपुर हथकरघा वस्त्र उद्योग संकट में है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस दिशा में सरकार ने अब तक कोई कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). हथकरघा क्षेत्र में प्रयुक्त यार्न विशेषतौर पर सूती तथा रेशमी यार्न की विभिन्न किस्मों की कीमतों में वृद्धि हुई है। देश में हथकरघा उद्योग जिसमें भागलपुर का हथकरघा उद्योग भी शामिल है, यार्न की कीमत वृद्धि की वजह से कुछ कठिनाई का सामना कर रहा है।

जहां तक हथकरघा क्षेत्र में प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल अर्थात सूती हैंक यार्न का सम्बन्ध है, कीमत-वृद्धि अधिकांशत: रुई की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप है। सरकार ने विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से यार्न की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) रेशेवाली रुई का निर्यात बन्द कर दिया गया है ;

(2) 60 तक के काउन्टों के हैंक यार्न का निर्यात बन्द कर दिया गया है ;

(3) अग्रिम लाइसेंस आधार पर सूती यार्न/सूती फैब्रिक तथा तैयार माल के निर्यात के बदले रुई के आयात की अनुमति दी गई है ;

(4) हथकरघा क्षेत्र को हैंक यार्न की सप्लाई के लिए इस यार्न के उत्पादन हेतु एक लाख गांठ रुई के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की गई है; और

(5) जनता कपड़ा पर आर्थिक सहायता दर 2.00 रु० प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 1.3.1988 से 2.75 प्रति वर्गमीटर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने कीमत स्थिरीकरण हेतु उपाय स्वरूप केन्द्रीय रेशम बोर्ड को चीन से 100 मे. टन कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दे दी है। इस प्रकार आयातित होने वाले इस कच्चे रेशम की आवश्यकता अभिज्ञात संगठनों के माध्यम से बुनकरों को वितरण और बुनकरों को आयातित कच्चे रेशम से होने वाले कीमत-लाभ पहुंचाने के लिए होगी। अब तक चीन से 26 मे० टन

कच्चे रेशम का आयात हो गया है और उसे केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने प्रयोक्ता अभिकरणों को वितरित कर दिया है।

सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलें

[अनुवाद]

2804. **श्री मल्लेश्वर तांती** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक कितनी रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने नियन्त्रण में लिया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मिलों को किन शर्तों पर अपने नियन्त्रण में लिया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). दिनांक 10.3.1989 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 15 वस्त्र मिलों के प्रबन्ध का अधिग्रहण किया है। प्रबन्ध अधिग्रहण की शर्तें संगत विधानिक अधिनियमों अर्थात् वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध का अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 और लक्ष्मीरतन तथा अदर्टन वैस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध का अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 में दी गई हैं।

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के लिए समिति

2805. **डा० गौरी शंकर राजहन्स** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों की समिति के बारे में 7 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3893 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में अब तक क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). समिति की सिफारिशें अभी भी दिल्ली प्रसासन के विचाराधीन हैं।

अस्पताल में बिस्तरों की मांग और उनकी उपलब्धता

2806. **डा० गौरी शंकर राजहन्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश के अस्पतालों में 30 लाख बिस्तरों की मांग के स्थान पर केवल 5 लाख बिस्तर ही उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या इनमें से 80 प्रतिशत बिस्तर केवल शहरों में ही उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस असन्तुलन को समाप्त करने हेतु कौन से कदम उठाये गये है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.1989 को देश के अस्पतालों में उपलब्ध पलंगों की कुल संख्या 6,27,859 है।

(ख) इनमें 78 प्रतिशत पर्वतीय नगरीय क्षेत्रों में हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों का एक जाल स्थापित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान 5,000 ग्रामीण जनसंख्या (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 जनसंख्या) के लिए एक उपकेन्द्र 30,000 जनसंख्या (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या) के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा 1-1.25 लाख जनसंख्या के लिए 30 पलंगों वाला एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना है। इस आधार पर 54883 उपकेन्द्र, 12,390 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,553 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था। 1.4.1988 तक 25054 उपकेन्द्र, 5,744 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 672 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा कैंसर उपचार केन्द्र की स्थापना

2807. श्री वयलार रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने केरल में एक कैंसर उपचार केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र की स्थापना के लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है; और

(घ) इस केन्द्र के कब तक काम प्रारम्भ करने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग). यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, उद्योग मंडल में कैंसर का पता लगाने वाले यूनिट ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है।

(घ) यह यूनिट इस महीने अर्थात् मार्च, 1989 से चालू हो गया है।

"एड्स" रोग न होने के झूठे प्रमाण पत्र के कारण भारतीयों का निर्वासित करना

2808. श्री वयलार पुरुषोत्तमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-लाइसेन्स शुदा प्राइवेट क्लिनिकों द्वारा "एड्स" रोग न होने के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे झूठे प्रमाणपत्र पेश करने वाले दो भारतीयों को एक विदेशी राष्ट्र ने हाल ही में निर्वासित कर दिया है क्योंकि दोनों भारतीय इस रोग से ग्रस्त पाये गए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में कार्यरत प्राइवेट क्लिनिकों को लाइसेंस जारी करने का विचार है जिससे कि ऐसे प्राइवेट क्लिनिकों में हो रही अन्धाधुन्ध वृद्धि को रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस समय एच० आई० वी० प्रतिपिण्डों की जांच की सुविधाएं स्थापित करने के लिए लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों के सहयोग से 30 शहरों में जांच सुविधाएं स्थापित कर दी हैं।

ईलूर (केरल) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल

2809. **श्री अक्कम पुअयोशन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ईलूर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है इसका उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है और कार्यकरण असन्तोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस अस्पताल के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) यह सूचित किया गया है कि ईलूर में क०रा०बी० अस्पताल में अनुमोदित मानदण्ड के अनुसार इस समय पूरा स्टाफ नहीं है। कुछ अन्य कमियां भी हैं।

(ख) चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देखरेख का प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, इसलिए इस मामले को केरल राज्य सरकार के ध्यान में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया है।

उड़ीसा में वनस्पति एकक

2810. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य तिलहन उत्पादनकर्ता सहकारी महासंघ ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से उड़ीसा में वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव रखे हैं;

(ख) क्या उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए एक आशय पत्र-जारी करने के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो आशय-पत्र कब तक स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग). उड़ीसा में वनस्पति संयंत्र की स्थापना के लिये उड़ीसा राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ को फरवरी, 1989 में एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

न्यूमोनिया के कारण बच्चों की मृत्यु

2811. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रतिवर्ष न्यूमोनिया से हुई बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह से राज्यवार कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या न्यूमोनिया शिशुओं की मृत्यु दर अत्यधिक होने का एक कारण है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसकी उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराने और बच्चों को असामयिक मृत्यु से बचाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). न्यूमोनिया के कारण प्रतिवर्ष मरने वाले बच्चों का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, मुख्यालय में मृत्यु के कारणों के बारे में किए गए नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1986 में चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले गांवों में न्यूमोनिया के कारण सूचित की गई मौतें कुल मौतों का 5.3 प्रतिशत हैं। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) उपचार की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में जिला/उप जिला स्तरीय अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और अन्य अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 1986 के दौरान राज्यों में न्यूमोनिया के कारण बच्चों की मौतों की सूचित संख्या

क्रम सं०	राज्य	न्यूमोनिया से कुल मौतें	एक वर्ष से कम	1-4 वर्ष	5-14 वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	—	2	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	26	11	6	3
4.	बिहार	81	30	34	10
5.	गोआ	37	11	11	2
6.	गुजरात	4	—	—	—
7.	हरियाणा	35	19	9	2
8.	हिमाचल प्रदेश	4	1	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	10	6	2	—
10.	कर्नाटक	11	2	5	—
11.	केरल	2	—	1	—
12.	मध्य प्रदेश	139	87	30	11
13.	महाराष्ट्र	171	93	52	14

1 2	3	4	5	6
14. मणिपुर	4	1	1	—
15. मेघालय	—	—	—	—
16. नागालैण्ड	—	—	—	—
17. उड़ीसा	19	9	1	2
18. पंजाब	56	19	8	3
19. राजस्थान	93	50	34	7
20. तमिलनाडु	8	2	3	3
21. त्रिपुरा	1	—	—	1
22. उत्तर प्रदेश	259	112	80	35
23. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—
24. दादरा व नागर हवेली	2	1	—	1
25. दिल्ली	—	—	—	—
भारत	965	454	279	94

मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण (ग्रामीण) 1986 भारत के महापंजीयक, बी० एस० प्रभाग, गृह मंत्रालय।

चीनी मिलों के श्रमिकों की हड़ताल

2812. **श्री राजाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1989 में लगभग छः लाख चीनी मिलों के श्रमिकों ने पूरे देश में काम रोक दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग . राष्ट्रीय चीनी कर्मकार समन्वय समिति ने अपनी मांगों के बारे में 15-2-89 को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया। ये मांगे मुख्यत: न्यूनतम मजदूरी की अदायगी, मंहगाई भत्ते की दर, गारन्टी शुदा न्यूनतम लाभ, प्रतिधारण भत्ते तथा फ्रिन्ज लाभों से सम्बन्धित थीं। केन्द्रीय सरकार ने चीनी मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट को राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों को उनके विचार जानने के लिए भेज दिया है जिनके प्राप्त होने पर ही यह इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकती है।

रोहिणी में सड़कों को पक्का बनाना

[हिन्दी]

2813, **श्री राजाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी कालोनी की विभिन्न पाकेटों की सभी सड़कें खराब हैं तथा जगह-जगह गहरे खड्डे हैं;

(ख) यदि, हां तो सड़क को पक्का न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). कुछ अलग-अलग स्थानों पर, जहां कार्य प्रगति पर है तथा कुछ क्षेत्रों में, जहां लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, सड़कें खराब हैं। सड़कों को अभी पक्का नहीं किया जा सकता क्योंकि गहराई में जल-निकासी व्यवस्था का कार्य निर्माणाधीन है। सड़क सतह उपलब्ध न होने के कारण इस समय सड़कों की मरम्मत का कार्य भी आरम्भ नहीं किया जा सकता है। अभी चल रहे कार्यों के पूरा होने पर ही सड़कों को पक्का करने और उनके निर्माण/मरम्मत का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

थार रेगिस्तान का विस्तार

2815. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने थार रेगिस्थान के राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की ओर फैलाव को रोकने के लिए विदेशी सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेगिस्तान का फैलाव रोकने में सफलता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किए गए समन्वित अनुसंधान और उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के विश्लेषण से यह ज्ञात नहीं होता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। लेकिन, मरुस्थल में उपलब्ध संसाधनों से इस क्षेत्र के कुछ भिन्न हैं कि वहां अत्यधिक दोहन और भूमि का अनुचित रूप से उपयोग किए जाने के कारण इनमें कमी हो रही है। भूमि को अवनमित होने से बचाने के लिए केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रोद्योगिकियों को विस्तार एजेंसियों द्वारा उस क्षेत्र में लागू किया जाता है।

हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र

[अनुवाद]

2816. **श्री सी० सम्बु** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करने का है;

(ख) क्या उन्हें धागा, रंग-सामग्री और रसायन आदि सामग्री रियायती दरों पर प्रदान की जायेगी; और

(ग) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में सी० ए० टी० सुविधाएं

2817. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी अस्पतालों में सी० ए० टी० सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ख) क्या सभी जिला अस्पतालों में ये सुविधायें उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली के निम्नलिखित अस्पतालों में सी० ए० टी० की सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(1) डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल ।

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।

(3) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ।

(4) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

घटिया किस्म की दवाओं के उपयोग के मामले

[हिन्दी]

2818. श्री जगदीश अवस्थी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली और देश के अन्य भागों में अस्पतालों, दवाखानों और डिस्पेंसरियों में घटिया किस्म की दवाओं के उपयोग के कितने मामले पकड़े गये; और

(ख) सरकार ने उन मामलों में क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय कपड़ा मिल, कानपुर में घाटा

2819. श्री जगदीश अवस्थी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत घाटे पर चल रही मिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन मिलों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) कानपुर स्थित एन० टी० सी० की निम्नलिखित मिलें घाटे में चल रही हैं :—

(1) म्योर मिल्स

(2) न्यू विक्टोरिया मिल्स

(3) स्वदेशी काटन मिल्स और

(4) एथरटन मिल्स और

(5) लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स

(ख) घाटे में चल रही मिलों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए एन० टी० सी० ने संस्थागत वित्त, उत्पाद सुधार और विविधीकरण आदि की सहायता से चुनिंदा आधुनिकीकरण पर आधारित एक नई व्यापक नीति तैयार की है।

बंजर भूमि का विकास

[अनुवाद]

2820. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बंजर भूमि के विकास पर वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) उस पर वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विगत तीन वर्षों (1985-86 से 1987-88 तक) के दौरान वनीकरण के माध्यम से परती भूमि विकास पर खर्च हुई राज्यवार धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए राज्यवार योजना परिव्ययों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि ऐसी आशा है कि 1989-90 के दौरान वनीकरण कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कुल आवंटन लगभग 725 करोड़ रुपए होगा ।

विवरण

वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान वनीकरण पर खर्च हुई राज्यवार धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपयोग की गई धनराशि		
		1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2004.59	3436.01	3172.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	329.48	386.56	396.77
3.	असम	1303.07	1616.51	1628.54
4.	बिहार	7633.56	2363.12	3841.96
5.	गोवा	100.68	110.35	112.20

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	2445.56	2997.31	2989.86
7.	हरियाणा	1337.58	1395.27	1343.43
8.	हिमाचल प्रदेश	1561.97	1675.47	1952.48
9.	जम्मू एवं कश्मीर	706.33	851.68	960.76
10.	कर्नाटक	2536.31	2259.54	1713.95
11.	केरल	928.82	1789.26	1703.55
12.	मध्य प्रदेश	2714.65	4650.82	4059.17
13.	महाराष्ट्र	2539.31	2158.63	3401.37
14.	मणिपुर	199.38	226.07	307.41
15.	मेघालय	518.32	413.88	623.59
16.	मिजोरम	363.74	531.49	535.48
17.	नागालैण्ड	337.64	387.13	492.86
18.	उड़ीसा	1340.46	2051.12	2538.51
19.	पंजाब	813.97	863.85	859.20
20.	राजस्थान	1536.80	3376.13	2847.84
21.	सिक्किम	182.26	171.06	199.20
22.	तमिलनाडु	2557.92	2703.21	3167.20
23.	त्रिपुरा	355.36	369.73	424.34
24.	उत्तर प्रदेश	3817.86	5582.39	6023.12
25.	पश्चिम बंगाल	1464.12	2796.26	2025.56
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	104.20	127.54	153.36
27.	चण्डीगढ़	26.85	21.25	23.55
28.	दादरा व नगर हवेली	54.06	52.09	97.97
29.	दिल्ली	43.78	100.35	88.10
30.	दमन एवं द्वीव	—	—	12.48
31.	लक्षद्वीप	3.28	7.98	6.56
32.	पांडिचेरी	22.18	36.82	43.63
	योग :	39884.09	45508.88	47746.03

काजू श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा के लाभ

2821. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में 1984 में संशोधन के परिणामस्वरूप काजू श्रमिक कुछ लाभों से वंचित हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें ये लाभ पुन: प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख). काजू कर्मकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के सीमा क्षेत्र में आते हैं और वे सभी लाभों के हकदार हैं बशर्ते कि वे निर्धारित अर्हक शर्तों को पूरा करते हों। तथापि, यह प्रतिवेदन किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के वर्ष 1984 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप केरल के काजू उद्योग में नैमित्तिक कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत बीमारी तथा प्रसूति लाभ से वंचित हो गए हैं क्योंकि ये सामान्यत: निर्धारित अर्हक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मामले की जांच करने और उचित उपचार का सुझाव देने के लिए एक उप समिति गठित की है। समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

"केरल में सिंचाई परियोजना की मंजूरी"

2822. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरियारकुट्टी-करापाड़ा सिंचाई परियोजना से वहां के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सियाशरण रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय की पर्यावरणी मूल्यांकन समिति ने अप्रैल, 1983 में परियोजना की जांच की थी। परियोजना में तीन जलाशय बनाने का विचार किया गया था। इस परियोजना से उस क्षेत्र के पश्चिमी घाट आर्द्र सदाबहार वनों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित जलाशयों में से एक अर्थात् कुरियाकुट्टी से अन्नामलाई मृगयारण्य (गेम सैंक्चुअरी) जो अपने जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, का 6 किलोमीटर लम्बा और 0,5 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। वनों के विनाश से उस क्षेत्र में जंगली हाथियों का वासस्थल भी प्रभावित होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ख) के कारण इसे पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई।

सरकारी भूमि के उपयोग के लिये कन्सर्टियम की स्थापना करना

2823. **श्री के० एल० राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी भूमि के उपयोग के लिए विकास निर्माण तकनीक (विनीत) नामक एक कन्सर्टियम की स्थापना करना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कन्सर्टियम की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख). इस मंत्रालय के अन्तर्गत तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात: राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवास एवं नगर विकास निगम ने स्वयं एक कन्सर्टियम के रूप स्थापना करके हुए पूर्वकों के रूप में आपसी तालमेल हेतु सरकार को एक ज्ञापन भेजा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कन्सर्टियम को भूमि एवं विकास कार्यालय से सम्बन्धित जिला केन्द्रों के विकासार्थ विचार किया जा सकता है। उनका अनुरोध विचाराधीन है।

भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

2824. **श्री दिनेश गोस्वामी** :

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फरवरी, 1989 के दौरान भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारी समूह आवास समितियों ने इस वृद्धि के प्रति विरोध प्रकट किया है, क्योंकि उनका निर्माण कार्य कुछ अवधि के लिए रुक गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने भवन निर्माण सामग्री के मूल्य नियंत्रित करके राहत देने और भवन निर्माण कार्यकलाप को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिटों" के समक्ष कठिनाइयां

2826. **श्री दिनेश गोस्वामी** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को "टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिटों" को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनकी जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार का इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ). हाल में ही कोई निश्चित समस्याएं मंत्रालय की जानकारी में नहीं लायी गयी हैं। फिर भी जब कभी आवश्यक होता है तो यथासंभव उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की चिकित्सा

[अनुवाद]

2827. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक राज्य में चिकित्सा करा रहे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति जिनमें अधिकतर बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और बहुत कम अथवा कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उनको कष्ट उठाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

थिरूवेपथी मिल्स, केरल को वित्तीय सहायता

2828. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्नानोज स्थित थिरूवेपथी मिल्स ने एकक के पुनरूद्धार के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार वस्त्र मिलों के पुनरूद्धार के लिए वित्तीय सहायता सीधे प्रदान नहीं करती है। इस एकक को प्रमुख संस्था (आई० आर० बी० आई०) द्वारा 48 लाख रु० की वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी। कम्पनी द्वारा इसका उपयोग यह कहकर नहीं किया गया था कि वह संवर्धनकर्ताओं के योगदान के लिए निधियां जुटाने की स्थिति में नहीं है।

गुजरात की कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

2829. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने गुजरात की कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस आधुनिकीकरण योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). एल० टी० सी० के अधीन वस्त्र एककों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। 30 सितम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार एल० टी० सी० गुजरात के अधीन मिलों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर 37.84 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई।

मिल कपड़े का उत्पादन

2830. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 में मिल-कपड़े के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). मिल कपड़े का उत्पादन 1987 के 3114 मिलियन मीटर से घटकर 1988 में 2859 मिलियन मीटर रह गया। इसके मुख्य कारण हैं मिलबंदी, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युतकरघा से प्रतिस्पर्धा और अन्य कारणों से क्षमता का कम उपयोग।

(ग) इस सम्बन्ध में उठाये गए मुख्य कदमों में शामिल है विविध वित्तीय रियायतें, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत सहायता, अर्थक्षम मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज, कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाना आदि।

पटसन की पैकिंग की सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

2831. **श्री बी० तुलसीराम** :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाट निर्माताओं और पटसन उत्पादक देशों द्वारा विकासशील देशों को सप्लाई के लिए पैकिंग की पटसन की सामग्री के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के कारण उन देशों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सामग्री के निर्यातकों और निर्माताओं ने ग्राहकों को अपनी वस्तुओं पर छूट देने की पेशकश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) अन्य देशों के साथ भारत के पटसन व्यापार में कितनी कमी आयी है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में निर्यात में वृद्धि करने और घाटा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). पिछले कुछ वर्षों में पटसन की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है। जिन विकासशील देशों के पास पटसन आधारित अथवा सिंथैटिक पैकेजिंग सामग्रियों की सप्लाई के अपने स्वयं के स्रोत हैं, उन्होंने आयातित पटसन पैकेजिंग सामग्री पर से अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम कर दी है।

(ग) सामान्यत: भारत में विनिर्माताओं/निर्यातकों को, विदेशी खरीदारों को किसी प्रकार की छूट देने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी निर्यात कीमत स्थिरीकरण निधि योजना के अन्तर्गत पश्चिम एशियाई/अफ्रीकी देशों द्वारा आरंभ किए गए विश्वव्यापी टेंडरों के तहत एस०टी० सी० चालू बाजार कीमतों पर छूट देने के लिए प्राधिकृत है।

(घ) पटसन माल का मूल्य वार निर्यात 1985-86 के 266.79 करोड़ रु० से घटकर 1987-88 में 226 करोड़ रु० हो गया है।

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :—

1. लगभग सभी पटसन उत्पादों पर सी० सी० एस० दिया जाता है। हाल ही में व्यापारी निर्यातकों को भी इस सुविधा के लिए पात्र बनाया गया है।

2. बाह्य विपणन सहायता की एक योजना लागू की गई है।

3. विश्वव्यापी टेंडरों को प्राप्त करने के लिए निर्यात कीमत स्थिरीकरण निधि की पुन: प्रतिपादित योजना लागू की गई है।

4. उत्तर अमरीका को निर्यात के लिए 50 : 50 घाटे की हिस्सेदारी के आधार पर एस० टी० सी०/पटसन उद्योग संयुक्त प्रबन्ध चल रहा है।

5. पटसन विनिर्माण विकास परिषद के दो विदेश स्थित कार्यालय पटसन उत्पादों के निर्यात संवर्धन में लगे हुए हैं।

बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी

[हिन्दी]

2833. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बीड़ी मजदूरों की मजूरी में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पामोलीन आयल का आयात

[अनुवाद]

2834. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न राज्यों को वितरित करने के लिए वर्ष 1989 में कितना पामोलीन आयल आयात किया गया ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों की कितनी मांग थी, कितनी मात्रा में उन्हें आबंटन किया गया था और उन्होंने कितनी मात्रा में पामोलीन आयल प्राप्त किया ;

(ग) आयातित पामोलीन आयल का अवतरण मूल्य क्या है और इसे विभिन्न राज्यों को किस मूल्य पर बेचा गया ;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उसका उचित खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ङ) विभिन्न राज्यों को किए गए आबंटन का मूलाधार क्या है ; और

(च) क्या केरल जैसे राज्य से कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि आबंटित मात्रा नितांत अपर्याप्त है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 1988 (1.1.1988 से 31.12.1988 तक) के दौरान सरकार की ओर से पामोलीन सहित लगभग 15.12 लाख मी० टन खाद्य तेलों का आयात किया गया है ।

(ख) खाद्य तेलों के लिए मांग तेल वर्ष के आधार पर प्राप्त होती है । तेल वर्ष 1987-88 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान आयातित खाद्य तेलों की राज्यवार मांग, आबंटन तथा उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ). सरकार की ओर से आयात किए गए तेल का हिसाब वित्तीय वर्ष के आधार पर रखा जाता है । वित्तीय वर्ष 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान खाद्य तेलों की कुल 11 लाख मी० टन के लगभग मात्रा का आयात किया गया है और इस अवधि के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों का यूनिट औसत लागत, बीमा व भाड़ा मूल्य लगभग 6565 रु० प्रति मी० टन था । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों को आबंटित किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों का निर्मम मूल्य तथा राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तेल बेचने के लिए किए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य निम्न प्रकार से नियत किए गए हैं :—

निर्मम मूल्य (रु० प्रति मी० टन)

अवधि	थोक	15 कि० ग्रा० के टीन
31.8.88 तक	11,000	12,500
1.9.88 से	13,150	14,500

संस्तुत अधिकतम खुदरा मूल्य (स्थानीय करों को छोड़कर)

	मैदानी क्षेत्रों के लिए थोक में	मैदानी क्षेत्रों के लिए 15 कि० ग्रा० के टीनों में	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 15 कि० ग्रा० के टीनों में
31.8.88 तक	13.05/- रु० प्रति कि० ग्रा०	14.40/- रु० प्रति कि० ग्रा०	14.90/- रु० प्रति कि० ग्रा०
1.9.88 से	15.40/- रु० प्रति कि० ग्रा०	16.60/- रु० प्रति कि० ग्रा०	16.60/- रु० प्रति कि० ग्रा०

(ङ) और (च). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, उनसे प्राप्त मांग, खुले बाजार में देशीय तेलों के मूल्यों, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध तेलों के स्टाक तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। इस समय देशीय खाद्य तेलों की आसान उपलब्धता तथा उनके मूल्यों में नरमी को ध्यान में रखते हुए आयात के स्तर में कमी कर दी गई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु आयातित खाद्य तेलों के आबंटन में उपयुक्त तौर पर कमी कर दी गई है। अनेक राज्यों, जिसमें केरल शामिल है, ने अधिक तेल आबंटित करने का अनुरोध किया है। मौजूदा स्थिति में, जबकि देशीय तेल काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, आयातित खाद्य तेलों के मासिक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

विवरण

तेल वर्ष 1987-88 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयातित खाद्य तेलों की मांग, उनका आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा

		1987-88		
क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांग	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,52,400	1,36,350	1,23,859.5
2.	असम	1,35,000	5,150	2,055
3.	बिहार	91,700	15,100	10,548
4.	गुजरात	2,94,000	1,70,050	1,62,682
5.	हरियाणा	30,000	19,750	6,344
6.	हिमाचल प्रदेश	18,360	16,400	9,757
7.	जम्मू तथा कश्मीर	प्रा०न०*	13,760	7,591
8.	कर्नाटक	1,92,000	72,800	71,227
9.	केरल	1,66,000	77,850	59,079
10.	मध्य प्रदेश	1,80,000	67,000	49,574
11.	महाराष्ट्र	2,43,000	1,91,650	1,94,099
12.	मणिपुर	प्रा० न०*	7,660	7,099
13.	मेघालय	9,600	5,350	4,294

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित आयातित खाद्य तेलों की मांग प्राप्त नहीं हुई है।

1 2	3	4	5
14. नागालैण्ड	12,000	6,540	5,499
15. उड़ीसा	प्रा० न०*	27,800	17,806
16. पंजाब	24,000	19,280	8,912
17. राजस्थान	60,000	28,480	13,103
18. सिक्किम	3,000	3,010	586
19. तमिलनाडु	2,70,000	1,11,650	96,211.5
20. त्रिपुरा	प्रा० न०*	4,460	1,429
21. उत्तर प्रदेश	1,02,000	62,260	27,342
22. पश्चिम बंगाल	2,22,000	1,37,500	1,36,116
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	प्रा०न०*	1,075	858
24. अरुणाचल प्रदेश	840	825	92
25. चंडीगढ़ प्रशासन	प्रा०न०*	2,140	1,342
26. दादरा तथा नगर हवेली	1,200	975	661
27. दिल्ली प्रशासन	50,000	50,500	40,782
28. गोआ	10,920	7,760	7,072
29. लक्षद्वीप	360	610	285
30. मिजोरम	6,000	5,170	2,781
31. पांडिचेरी	9,600	5,350	5,473
32. दमन	480	695	360
33. दीव	—	425	230
योग :	22,82,460	12,75,385	10,75,149

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित आयातित खाद्य तेलों की मांग प्राप्त नहीं हुई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए चावल और गेहूं का आबंटन

2835. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से दिसम्बर, 1988 तक देश के विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर आटा मिलों के लिये चावल और गेहूं की कितनी मांग थी, उन्हें कितना आबंटन किया गया और उन्होंने कितनी-कितनी मात्रा उठाई ; और

(ख) इस अवधि के दौरान कुल मांग का कितने प्रतिशत केन्द्रीय पूल के आबंटन से पूरा किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) : जनवरी से दिसम्बर, 1988 तक राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की मांग, आबंटन और उठान तथा उसी अवधि के दौरान केंद्रीय पूल से पूरी की गई मांग की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख मीटरी टन में)

जिन्स	मांग	आबंटन	उठान	मांग की तुलना में आबंटन की प्रतिशतता
चावल	152.69	92.15	84.37	60.35
गेहूं	129.31	89.24	72.22	69.01

रोलर फ्लोर मिल उद्योग को अक्तूबर, 1986 से लाइसेंस मुक्त कर देने के बाद राज्य सरकारों को रोलर फ्लोर मिलों की मांग को पूरा करने के लिए कोई आबंटन नहीं किए जाते हैं।

केरल को चावल का आबंटन

2836. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 से जनवरी, 1989 तक प्रति माह केरल राज्य की चावल की मांग, उसको किया गया आबंटन तथा उसके द्वारा उठाई गई मात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1988 की अन्तिम तिमाही के दौरान केरल को केन्द्रीय पूल से चावल के आबंटन में भारी कमी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

जनवरी, 1988 से जनवरी, 1989 तक केरल के सम्बन्ध में केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की मांग, आबंटन और उठान का ब्यौरा

(हजार मीटरी टनों में)

1988	मांग	आबंटन	उठान
	1	2	3
जनवरी	200.0	145.0	144.2
फरवरी	200.0	135.0	155.1

	1	2	3
मार्च	200.0	125.0	164.0
अप्रैल	200.0	125.0	149.5
मई	200.0	125.0	129.4
जून	200.0	125.0	133.5
जुलाई	200.0	125.0	135.5
अगस्त	200.0	125.0	158.6
सितम्बर	200.0	125.0	127.2
अक्तूबर	200.0	125.0	115.7
नवम्बर	200.0	125.0	117.1
दिसम्बर	200.0	125.0	113.3
जनवरी, 1989	200.0	125.0	105.9

कपड़े का उत्पादन

2837. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987, 1988 और 1989 को भारत में कपड़ा मिलों के कितने संयुक्त एकक थे ;

(ख) 1 जनवरी, 1987, 1988 और 1989 को भारत में कितनी कपड़ा कताई मिलें थीं ;

(ग) वर्ष 1987, 1988 और 1989 में संयुक्त एकक क्षेत्र की मिलों में कपड़े की विभिन्न श्रेणियों को कितने मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ ; और

(घ) वर्ष 1987, 1988 और 1989 में सभी प्रकार के कपड़ों के उत्पादन की तुलना में सूती कपड़े का कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) भारत में कताई तथा मिश्रित वस्त्र मिलें।

ब्यौरे की तारीख	**मिश्रित मिलें**	**कताई मिलें**	**कुल**
1.1.87	282	742	1024
1.1.88	283	751	1034
1.1.89	283	770	1053

(ग) और (घ). मिश्रित क्षेत्र की मिलों द्वारा कपड़े की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन तथा कुल उत्पादन में सूती कपड़े का प्रतिशत।

(मिलियन मीटरों में)

वर्ष	कपड़े का उत्पादन			कुल	कुल उत्पादन में सूती कपड़े का प्रतिशत
	सूती	ब्लैंडिड	100% गैर-सूती		
1987	2308	801	5	3114	74.12
1988	2073	781	5	2859	72.51
1989 (जनवरी)	169	61	1	231	73.16

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इंडिया यूनाइटेड मिल्स की देय धन राशि

2838. **प्रो मधु दंडवते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाई वर्क्स, उन पांच अन्य एककों के उत्पादों को प्रोसेस करता है जिसके प्रति 1.20 करोड़ रुपये से भी अधिक के प्रोसेस प्रभार बकाया पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अत्यधिक बकाया राशि के कारण कार्य की निरन्तरता पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या इन मिलों को घाटा होने का यह एक प्रमुख कारण है और जेट डाइंग तथा रोटरी वर्क के लिए तीन मशीनें जिससे फाइन तथा टेरीक्लाथ प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती, न खरीदना भी घाटे के कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). 31 जनवरी, 1989 को दो एन० टी० सी० एककों द्वारा इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाइ वर्क्स को 68.80 लाख रु० की राशि का भुगतान किया जाना था। बकाया राशि का स्तर बिल्कुल सामान्य है और इससे कार्य की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। परन्तु आधुनिकीकरण के अभाव में उत्पादन की क्वालिटी प्रभावित हुई है।

"पश्चिमी घाटों के पर्यावरण में सुधार"

2839. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम घाट के पर्यावरण में सुधार के लिए कोई कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी घाट के पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सिकाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ग). जी, हां।

(ख) और (घ). 1. योजना आयोग, भारत सरकार ने 1974-75 के दौरान पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में एक केन्द्रीय प्रायोजित पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है। पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कार्यक्रम का वित्तीय परिव्यय क्रमश: 20 करोड़ रु०, 76 करोड़ रु० और 116.05 करोड़ रु० था। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे :

1. पर्वतीय लोगों का आर्थिक कल्याण।

2. पारिस्थितिकीय संतुलन और आनुवांशिक विविधता के परिरक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित कर क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग।

3. मानवीय क्रियाओं से क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी की बहाली ; और

4. पारिस्थितिकीय अवक्रमण की उलझनों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और पारि-विकास स्कीमों में सक्रिय भागीदारी के लिए उनको शामिल करना।

भू-संरक्षण, बागवानी विकास और वनरोपण पर स्कीमें तैयार की जाती हैं और इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम में केन्द्र द्वारा राज्य को अपेक्षित धनराशि विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जाती है। यह सहायता राज्य योजनाओं को दी गई सहायता के अलावा है।

2. पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वर्ष 1983 के दौरान एक कार्य अभिमुख समन्वित पारि-विकास अनुसंधान विस्तार कार्यक्रम आरम्भ किया है और अब तक 3.2 करोड़ रुपए की लागत से इस क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की 90 परियोजनाओं को निधियां दी हैं।

3. उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी घाट में पर्यावरणीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाली, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, ग्रामीण जलावन की लकड़ी की पौधरोपण, वन सुरक्षा, परती भूमि विकास तथा जल और वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सें

2840. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के रोजगार कार्यालयों में 31 जनवरी, 1989 तक पंजीकृत बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सों की संख्या राज्यवार क्या है ; और

(ख) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कितनी बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सें पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश गईं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) उपलब्ध सूचना 31.12.1987 को देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नर्सों की संख्या से सम्बन्धित है, उनमें से यह अनिवार्य नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, जो संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उपलब्ध नहीं है।

विवरण

31.12.1987 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नर्सों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1146
2. अरुणाचल प्रदेश **	
3. असम	126
4. बिहार	514
5. गोवा	84
6. गुजरात	68
7. हरियाणा	215
8. हिमाचल प्रदेश	43
9. जम्मू और कश्मीर	16
10. कर्नाटक	105
11. केरल	2427
12. मध्य प्रदेश	518
13. महाराष्ट्र	1020
14. मणिपुर	80
15. मेघालय	8
16. मिजोरम	—
17. नागालैंड	—
18. उड़ीसा	171
19. पंजाब	104
20. राजस्थान	366
21. सिक्किम *	
22. तमिलनाडु	956
23. त्रिपुरा	5
24. उत्तर प्रदेश	293
25. पश्चिम बंगाल	356

1	2
संघ शासित प्रदेश	
1. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	
2. दादर और नागर हवेली **	@
3. चण्डीगढ़	325
4. दिल्ली	2709
5. दमन और दीव *	
6. लक्षद्वीप	@
7. पांडिचेरी	69
योग :	11724

नोट : 1. * कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ** आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

3. @ उपलब्ध नहीं है।

रेशम का उत्पादन

2841. **श्री बी० कृष्ण राव :**

श्री वीरेन्द्र पाटिल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में रेशम के उत्पादन में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक राज्य में शहतूत रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त की गई;

(घ) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके लिए आठवीं योजनावधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान रेशम उत्पादन में हुई वृद्धि नीचे दर्शायी गई है—

वर्ष	उत्पादन (टनों में)	वृद्धि (टनों में)
1985-86	7,855	——
1986-87	8,900	1,045
1987-88	9,498	598

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कर्नाटक रेशम उत्पादन विकास परियोजना, विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है और इसकी कुल लागत 101.13 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ). राज्य सरकारों के सहयोग से (कर्नाटक शामिल है) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देश में शहतूती कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना बनाई है। परियोजना, विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है। परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए एक विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर-नवम्बर, 1988 में भारत की यात्रा की। परियोजना के विवरण (संभावित सहायता सहित) को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम विचार विमर्श मार्च/अप्रैल, 1989 में करने का प्रस्ताव है।

विवरण

राज्य में रेशम पालन के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने निम्नलिखित अनुसंधान तथा विकास विस्तारण तथा प्रशिक्षण एकक स्थापित किए हैं :

1. एक केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान।
2. एक केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान।
3. उष्णकटिबंधीय रेशम पालन में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए 1 अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र।
4. एक रेशम परीक्षण प्रयोगशाला।
5. दो क्षेत्रीय रेशम पालन अनुसंधान केंद्र।
6. एक प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र।
7. दस अनुसंधान विस्तार केन्द्र।
8. चार मूल बीज कोसा फार्म।
9. पांच रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र।

इनके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कर्नाटक को निम्नलिखित योजनाओं के लाभ भी प्रदान किये हैं—

1. पूंजी मक्खी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान।
2. वर्षप्रज रेशम कीट पालकों और रीयरों को प्रोत्साहन बोनस की अदायगी।
3. नए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत शहतूत कार्टगो की रियायती दरों पर आपूर्ति।
4. सूखे से प्रभावित रेशम कीट पालकों को राहत प्रदान करने की योजना।
5. रेशम कीट पालकों को रोगाणुनाशकों/रसायनों की नि:शुल्क सप्लाई।

दिल्ली में कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि

2842. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कैंसर के उपचार के लिए दिल्ली के अस्पतालों में अपेक्षित सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) कैंसर फैलने के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). रोटरी कैंसर अस्पताल में स्थापित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की कैंसर रजिस्टरी परियोजना के अधीन जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्टरी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिल्ली में 1986 से कैंसर रोगियों का सर्वेक्षण किया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1986	
रोगात्मक कैंसर के कुल विश्लेषित आंकड़े	4047
दिल्ली में रह रहे कैंसर रोगी	780
1987	
रोगात्मक कैंसर के कुल विश्लेषित आंकड़े	11775
दिल्ली में रह रहे कैंसर रोगी	3100
1988	
रोगात्मक कैंसर के कुल विश्लेषित आंकड़े	12636
दिल्ली में रह रहे कैंसर रोगी	3500

(ग) और (घ). तम्बाकू को बहुत सारे व्यक्तियों में कैंसर रोग जैसे मुखीय गुहिका और ग्रसनी के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर आदि के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में निर्धारित किया जा चुका है।

गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर आमतौर पर जननांगों की सफाई न रखने और अनेक बार गर्भधारण करने के कारण होता है। कैंसर की रोकथाम और कैंसर का शुरू में पता लगाने सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम दूरदर्शन, फिल्मों, पत्र-पत्रिकाओं आदि के माध्यम से चलाये जाते हैं।

कैंसर उपचार की सुविधाएं, जिनमें रेडियोथिरेपी शामिल है, दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, और बतरा अस्पताल में उपलब्ध हैं। भारतीय कैंसर सोसायटी की नई दिल्ली शाखा बाबर रोड और सीमापुरी में कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्र चला रही है। प्रसवोत्तर पैपस्मीयर जांच यूनिटें जिनमें

कैंसर का शुरू में पता लगाने वाली सुविधाएं मौजूद हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली तथा मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में स्थापित की जा चुकी हैं।

केरल के पराम्बीकुलम वन्यप्राणी अभयारण्य में सड़क निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

2843. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पराम्बीकुलम वन्य प्राणी अभयारण्य से होकर गुजरने वाली सड़क के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). केरल में पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरने वाली सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हुडको द्वारा गुजरात में सहायता

2844. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको द्वारा गुजरात में वर्ष 1987 और 1988 के दौरान विभिन्न श्रेणियों को कितनी सामाजिक आवास योजनाओं का वित्त पोषण किया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) गुजरात में आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 1987-88 तथा 1988-89 (31-1-89 की स्थिति के अनुसार) गुजरात में प्रत्येक वर्ष हुडको ने 62 योजनाओं की वित्त व्यवस्था की है।

(ख) और (ग). गत तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए नियतनों की तुलना में ऋण स्वीकृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि ऋण स्वीकृति राज्य के लिए किए गए नियतन से सर्वथा अधिक रही है :

वर्ष	नियतन	ऋण स्वीकृति
	(रुपये करोड़ों में)	
1985-86	28.14	27.05
1986-87	27.74	40.85
1987-88	28.54	35.01

(आवास तथा शहरी विकास योजनाओं के लिए)

(घ) आवास तथा नगर विकास निगम ने विशेषकर गुजरात राज्य में और आमतौर से इस क्षेत्र में और योजनाओं के प्रतिपादन एवं वित्त-पोषण में सहायता करने के लिए अहमदाबाद में पहले ही एक क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया है। राज्य सरकार द्वारा उठाई गई विशेष आपत्तियों को हुडको द्वारा तत्काल निपटा दिया जाता है।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

2845. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम का गुजरात में अनुमानतः कितनी मात्रा में कपास खरीदने का विचार है तथा गुजरात में भारतीय कपास निगम कच्चे कपास के लिए प्रति क्विंटल कितना औसत मूल्य घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ख) क्या अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए सरकार का मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए कपास का निर्यात करने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). चूंकि चालू रुई वर्ष के दौरान बाजार कीमतें, न्यूनतम समर्थन कीमतों से अधिक बनी रही है, इसलिए भारतीय कपास निगम ने कोई कीमत समर्थन कार्य शुरू नहीं किया है और स्वयं को प्रचलित बाजार कीमतों पर केवल वाणिज्यिक खरीदारियां करने तक ही सीमित रखा है। इसके अतिरिक्त यह खरीदारियां निश्चित मांग पत्र प्राप्त होने पर निर्भर करता है। और इसलिए प्रस्तावित खरीदारियों का पूर्व अनुमान कर पाना संभव नहीं है। सरकार ने चार रुई वर्ष के दौरान अभी तक निर्यात के लिए बंगल देशी रुई की 1.01 लाख गांठों की मात्रा रिलीज की है।

चेकोस्लोवाकिया को सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

[हिन्दी]

2846. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत से सिले-सिलाए वस्त्र तथा सूती धागे का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) भारत-चेकोस्लोवाकिया व्यापार को बढ़ाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). हाल ही में चेकोस्लोवाकिया के किसी भी प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा नहीं किया लेकिन चेकोस्लोवाकिया, भारत से परिधानों और सूती यार्न का आयात करता रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से चेकोस्लोवाकिया को परिधानों और सूती यार्न के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	सूती यार्न	परिधान
1987	11.4 करोड़ रु०	1.48 करोड़ रु०
1988	24.6 करोड़ रु०	3.90 करोड़ रु०

सरकार ने वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं जिनमें शामिल हैं; नकद मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी, शुल्क की रियायती दर पर मशीनों का आयात, रियायती दर पर पैकिंग ऋण, निर्यात पर आय कर की छूट, आदि । ये उपाय चेकोस्लोवाकिया को निर्यातों पर भी लागू होते हैं ।

कपड़ा मिलों में श्रमिक विवाद

[अनुवाद]

2847. **डा० कृपासिंधु भोई :**

श्री हरिहर सोरन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा मिलों में श्रमिक विवादों के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय श्रमिक विवाद चल रहे हैं;

(ग) इन विवादों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख). नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार कपड़ा उद्योग में हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या 1987 के दौरान 323 की तुलना में 1988 के दौरान 239 थी । 31 दिसम्बर, 1988 को 18 हड़तालें और 13 तालाबन्दियां चल रही थीं ।

(ग) और (घ). सरकार देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति पर कड़ी और सतत निगरानी रख रही है । केन्द्र और राज्यों दोनों में औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र निवारक मध्यस्थता, संराधन और विवाचन के माध्यम से विवादों को हल करने तथा कामबन्दियां कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं । रुग्ण कपड़ा मिलों को पुन: चालू करने में सहायता करने के लिए सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए एक नोडल एजेन्सी भी गठित की है जो व्यवहार्यता अध्ययन करती है और वित्तीय संस्थानों के परामर्श से पुनर्वास पैकेज तैयार करती है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

2848. **श्री हरिहर सोरन :**

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी एककों द्वारा अपेक्षा के अनुरूप रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख). सातवीं योजना अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों, जिन्हें सृजित किए जाने की आशा है और जिन्हें

अब तक सृजित किया गया है, की संख्या उपलब्ध नहीं है । तथापि, योजना दस्तावेज के अनुसार, 1985-90 के दौरान रोजगार के कुल (सार्वजनिक एवं निजी) 403.6 लाख मानक व्यक्ति वर्ष* के सृजित किये जाने की आशा है ।

(*वर्ष में 273 दिन के लिए 8 घण्टे प्रतिदिन का कार्य)

उड़ीसा में पटसन मिलों की स्थापना

2849. **श्री हरिहर सोरन :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कुछ नई पटसन मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर नई पटसन मिलों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पंजाब से कपास का निर्यात

2850. **श्री कमल चौधरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान कपास का निर्यात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किए गये कपास की मात्रा और गुणवत्ता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्ष वार-ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) इन वर्षों के दौरान पंजाब में उगाई गई रुई का निर्यात किया गया ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पंजाब से रुई का निर्यात

वर्ष (सितम्बर-अगस्त)	किस्म	मात्रा लाख गांठों में	मूल्य करोड़ रु० में
1985-96	बंगाल देशी	0·31	8.89
1986-87	एफ-414	0,35	7.00
	बंगाल देशी	0.61	15,89
1987-88	बंगाल देशी	0.05	1.89

पंजाब में गंदी बस्तियों की सफाई के लिए केन्द्रीय सहायता

2851. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 और 1988 के दौरान पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए पंजाब के लिए कोई केन्द्रीय सरकार द्वारा धन का नियतन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए चुने गए कस्बों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सरकार की वर्तमान नीति उसी स्थान पर मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर बल देने की है, न कि उन्हें बड़े पैमाने पर उजाड़ने एवं पुन: बसाने की । शहरी मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपनी अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार उपयुक्त परियोजनायें प्रतिपादित करती हैं और उनको कार्यान्वित करती हैं। योजना के लिए निधियों की व्यवस्था राज्य की वार्षिक योजनाओं में की जाती हैं । यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग है । सातवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के तहत राज्य योजना क्षेत्र में पंजाब राज्य के लिए कुल वित्तीय नियतन 8.00 करोड़ रुपये है ।

पंजाब को अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई

2852. **श्री कमल चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1988 के दौरान चावल, चीनी, वनस्पति तेल और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्तु-वार कितनी-कितनी मात्रा का आबंटन किया गया;

(ख) क्या पंजाब को आबंटित की गई मात्रा कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त वस्तुओं की मांग की पूरी सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एच० बैठा) : (क) से (ग). वर्ष 1988 के दौरान पंजाब को चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल के आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

चावल (मी० टन में)

मांग	आबंटन
18,000	18,000

चीनी (मी० टन में)

लेवी चीनी का माहवार कोटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की किसी मांग के आधार पर नहीं बल्कि 1-10-1986 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा मुहैया कराने के एक समान प्रतिमान पर दिया जाता है ।

फरवरी, 1987 से पंजाब को आबंटित लेवी चीनी का माहवार कोटा 7945 मी० टन है ।

आयातित खाद्य तेल

आयातित खाद्य तेलों के आबंटन के लिए मांगें तेल वर्ष (अर्थात् नवम्बर से अक्तूबर) के आधार पर प्राप्त होती हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान पंजाब सरकार को आयातित खाद्य तेलों की मांग 24,000 मी० टन की थी। इस अवधि के दौरान किया गया आबंटन 15,890 मी० टन था (इसमें थोक तथा छोटे पैक शामिल हैं)।

आयातित खाद्य तेलों का आबंटन खुले बाजार में देशीय तेलों की उपलब्धता की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं।

मिट्टी का तेल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण, गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए आबंटन में उपयुक्त वृद्धि करते हुए किया जाता है।

ये आबन्टन, फिलहाल, सर्दी के ब्लाक (नवम्बर से फरवरी) के लिए 7.5% वृद्धि दर और गर्मी के ब्लाक (मार्च से जून) तथा मानसून ब्लाक (जुलाई से अक्तूबर) के लिए 7% की वृद्धि दर लागू करते हुए किए जाते हैं। 1988 के दौरान, पंजाब को मिट्टी के तेल की 2,87,480 मी० टन मात्रा आबंटित की गई थी।

गले के कैंसर के रोगियों में वृद्धि

2853. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कैंसर के मरीजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में गले के कैंसर के मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस रोग की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अनुमान है कि देश में किसी भी समय कैंसर के लगभग 15-20 लाख रोगी पाए जाते हैं और हर वर्ष लगभग 5 लाख व्यक्तियों को कैंसर रोग लग रहा है। राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) बंगलौर, बम्बई और मद्रास स्थित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों से पता चलता है कि बम्बई और मद्रास में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के रोगियों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जननांगों की सफाई न रखने तथा बार-बार गर्भधारण करने के कारण होता है।

(ग) 74 मेडिकल कालेजों में प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत पैप स्मीयरिंग यूनिटें हैं जिनमें रोग का पता लगाने के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं। 1988-89 के दौरान 16 और मेडिकल कालेजों में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुमोदन किया गया है।

रेडियो-थिरेपी सहित कैंसर के उपचार की सुविधाएं देश में 95 संस्थाओं में उपलब्ध हैं।

स्व:रोजगार योजनाएं

2854. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार युवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्व:रोजगार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ग) क्या ये लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं, यदि नहीं, तो इन्हें प्राप्त करने के लिए उठाये गये/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्व:रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्न योजनाए कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए रोजगार कार्यालयों/विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्रों को सुदृढ़ करना

यह रोजगार कार्यालयों में एक सैल के सृजन से सम्बन्धित स्टाफ योजना है, जो इस समय रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों में जागरूकता उत्पन्न करने, उन्हें स्व:रोजगार आरम्भ करने के लिए प्रेरित करने तथा स्व:रोजगार के उद्यम स्थापित करने लिए अपेक्षित विभिन्न स्रोतों से आवश्यक निवेश प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से 28 चुने हुए जिलों में संचालित की जा रही है। वेतनों पर होने वाला व्यय जो प्रत्येक जिले में 60,000 रु० वार्षिक तक सीमित होगा, जो केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष सभी व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमकारिता विकास (एस० टी० ई० डी०)

योजना का उद्देश्य अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अप्रयुक्त/कम प्रयुक्त संसाधनों पर आधारित संभावित अवसरों सम्बन्धी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी धारा से सम्बन्धित सम्भावित उद्यमियों को समन्वित सूचना और मार्ग-दर्शन प्रदान करना है। योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है और राज्य सरकारें केवल कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां हैं।

(3) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की सहायता करता है ताकि वे स्व:रोजगार उद्यम शुरू करके इस रेखा को पार कर सकें। इसका उद्देश्य जहां आवश्यक हो, लक्ष्य वर्ग परिवारों को अनुदान तथा संस्थागत ऋण सहित सहायता पैकेज के माध्यम से आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां तथा कार्यकारी पूंजी प्रदान करके इसे प्राप्त करना है। इस योजना पर होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर किया जाता है। स्व:रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्राइसेम) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०), आई० आर० डी० पी० के दो प्रमुख संघटक हैं।

ट्राइसेम का उद्देश्य ग्रमीण युवकों को तकनीकी कौशल प्रदान करना है ताकि वे स्व:रोजगार शुरू कर सकें। छात्रवृत्ति, मानदेय, कच्चे माल, टूल किट की सप्लाई आदि का खर्च आई० आर० डी. पी. आबंटन से किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम महिलाओं के लिए आय सृजनकारी क्रियाकलाप की व्यवस्था करने का पता लगाता है जिसके परिवार की आर्थिक तथा राष्ट्रीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक महिला वर्ग को एक बार 15,000 रु० का अनुदान दिया जाता है। जो भारत सरकार, राज्य सरकार तथा यूनिसेफ द्वारा समान आधार पर वहन किया जाता है।

(4) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व:रोजगार प्रदान करने की योजना

यह योजना एसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व:रोजगार प्रदान करने के लिए 1983 में शुरू की गई थी, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीण की है तथा जो 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों को मिश्रित ऋण प्रदान किए जाते हैं, जो औद्योगिक जोखिम के लिए 35000 रु०, सेवा जोखिम के 15,000 रु० तथा व्यापारिक (व्यावसायिक) जोखिम के लिए 15,000 रु० से अधिक नहीं है। स्वीकृत की गई 25 प्रतिशत सहायता के बराबर पूंजीगत सहायता लाभभोगियों को भारत सरकार से बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। कम से कम 30 प्रतिशत स्वीकृतियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

(5) शहरी गरीबों के लिए स्व:रोजगार कार्यक्रम (सेपए)

शहरी गरीबों के लिए स्व:रोजगार कार्यक्रम (सेपए) एक सितम्बर, 86 को आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक 300 आबादी (1981 की जनगणना) के लिए एक लाभभोगी को प्रत्येक शहरी केन्द्र से सहायता दी जाती है। जिन व्यक्तियों की कुल पारिवारिक आय 600 रु० प्रति माह से अधिक नहीं है, वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्रिया-कलाप आरम्भ करने के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। ऋण लेने वाला एक व्यक्ति 10 प्रतिशत वार्षिक दर के ब्याज पर अधिकतम 5,000रु० ऋण लेने का पात्र है। सहायता की 25 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। कोई समर्थक ऋणाधार या तीसरे पक्ष की प्रतिभूति या सीमांत पूंजी की आवश्यकता नहीं है।

(ख) ओर (ग). 7वीं योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विशेष रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई प्रगति

क्रम	कार्यक्रम	इकाई	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आई० आर० डी० पी०	लाभानुभागियों की संख्या लाख	1985-86	24·71	30·60
			1986-87	35·00	37·47

1	2	3	4	5	6
			1987-88	39.64	42·47
			1988-89	31·94	23·62*
			(दिसम्बर, 1988 तक)		
2.	ट्राइसेम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाख)	1985-86	लक्ष्य निर्धारित नहीं	1·78
			1986-87		1·85
			1987-88		1·95
			1988-89	,,	1·03
			(दिसम्बर, 1988 तक)		
3.	डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०	समूह (हजार)	1985-86	5·00	6·00
			1986-87	7·50	5·50
			1987-88	7·50	5·00
			1988-89	7·50	4·50
			(जनवरी, 1989 तक)		
4.	शिक्षित बेरोजगार युवाओं में स्व: रोजगार को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना	लाभानुभोगियों की संख्या (लाख)	1985-86	2·50	2·21
			1986-87	2·50	2·17
			1987-88	1·25	1·20
			1988-89	2·50	0·23
			दिसम्बर, 1988 तक)		
5.	सेप्स	वही	1986-87	5·00	लगभग 3·41
			1987-88	5·00	,, 3·82
			1988-89	5·00	,, 0·25*
6.	स्व: रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए रोजगार कार्यालयों/विश्वविद्यालयों रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों को सुदृढ़ करना।	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।			

1	2	3	4
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमकारिता विकास (एस० टी० ई० डी०)	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।		

* = अनंतिम

पंजाब में श्रम न्यायालय

2855. **श्री कमल चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने श्रम न्यायालय हैं; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार श्रम न्यायालयों में कितने मामले लम्बित हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) पंजाब में छह श्रम न्यायालय हैं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार पंजाब में श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या 5406 थी।

दिल्ली के अस्पतालों में लिपिकीय और अर्ध-चिकित्सीय कैडर में तदर्थ नियुक्तियां

2856. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में वर्ष 1986 से 1988 तक की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालय के माध्यम से तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों में लिपिकीय और परा चिकित्सीय कैडर में कितने व्यक्ति तीन वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) इन व्यक्तियों की सेवाएं नियमित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त किए गए लिपिकीय पदों पर 15 व्यक्ति और 4 अर्ध चिकित्सा व्यक्ति पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) लिपिकीय संवर्ग में चयन, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जाता है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। अर्ध-चिकित्सा संवर्गों में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि :

(1) इनमें से दो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद पर कार्य कर रहे हैं।

(2) एक व्यक्ति पदधारी के लम्बी छुट्टी पर चले जाने के कारण कार्य कर रहा है।

(3) एक व्यक्ति पदधारी के विदेश सेवा पर चले जाने के कारण कार्य कर रहा है।

अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के रिक्त पद

2857. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन्हें अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। तथापि, स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक के रिक्त पदों का कार्य सुपरटाइम ग्रेड स्तर के अधिकारी कर रहे हैं।

(ख) और (ग). स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक के रिक्त पद कुछ पात्र अधिकारियों की वरीयता को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण अब तक भरे नहीं गए हैं। वरीयता के मसले के तय हो जाने के पश्चात् इन पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

अस्पतालों में दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करना

2858. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों में कितने दिहाड़ी मजदूर किस-किस तारीख से कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान कितने दिहाड़ी मजदूरों को किन-किन पदों पर नियमित किया गया;

(ग) शेष दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) ऐसे मजदूरों की श्रेणी-वार संख्या क्या है जिन्हें नियमित किया जाना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 28.2.89 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कुल 303 दिहाड़ी मजदूर कार्य कर रहे हैं। उनकी संख्या और नौकरी की अवधि में संबंधित संस्थान की आवश्यकतानुसार कमी बेशी होती रहती है।

(ख) और (ग). यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो दैनिक मजदूर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित हो जाने के पात्र हो जाते हैं उन्हें जब भी रिक्ति होती है, नियमित कर दिया जाता है।

विवरण

अस्पताल का नाम	28.2.1989 की स्थिति के अनुसार दैनिक मजदूरों पर लगे कर्मचारियों की संख्या	1988 के दौरान श्रेणी वार नियमित किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या	जिन कर्मचारियों को अभी नियमित किया जाना है उनकी कुल संख्या
सफदरजंग अस्पताल	83	(क) नर्सिंग परिचर 11 (ख) स्ट्रेचर बेयरर 5 योग 16	समूह "ग"=83
राम मनोहर लोहिया अस्पताल	124	(क) स्ट्रेचर बेयरर =1 (ख) लाउन्ड्री हैल्पर=2 (ग) हैल्पर =3 (घ) नर्सिंग परिचर=3 (ङ) आया =1 योग 10	समूह "ग"=कुल समूह "घ" 124
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सुचेता कृपलानी अस्पताल	96	दैनिक मजदूर =6	समूह "घ"=96
	303		

अर्ध चिकित्सीय संवर्ग में प्रशिक्षण के बिना पदोन्नति

2859. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में अर्ध चिकित्सीय संवर्ग में कितने पदों को तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी (वर्ग "ग" और वर्ग "घ") के कर्मचारियों को पदोन्नत करके भरा जाता है;

(ख) इन संवर्गों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या पदोन्नत किये गये इन कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). वे कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं। तथापि, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, ऐसे कर्मचारियों को अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

विवरण

अर्ध-चिकित्सा संवर्ग

क्रम सं०	पद का नाम
1.	2.
	अस्थिभंग अस्पताल
1.	मोटर चिकित्सा का व्यावसायी
2.	व्यावसायिक चिकित्सा प्रशिक्षक
3.	प्रॉस्थेटिक और ऑर्थोटिक प्रशिक्षण अधीक्षक
4.	ऑर्थोटिक शिक्षक
5.	प्रॉस्थेटिक शिक्षक
6.	वरिष्ठ रेडियोग्राफी पर्यवेक्षक
7.	वरिष्ठ रेडियोग्राफी तकनीशियन पर्यवेक्षक
8.	रेडियोग्राफर पर्यवेक्षक
9.	वरिष्ट रेडियोग्राफर
10.	लिम्ब फिटर
11.	सफाई अधीक्षक
12.	इंस्ट्रक्टर प्रोस्थेटिक
13.	इंस्ट्रक्टर ऑर्थोटिक
14.	तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी)
15.	वरिष्ठ रेडियोथिरेपी तकनीशियन
16.	वरिष्ठ धातुकर्मी
17.	वरिष्ठ कठकार
18.	वरिष्ठ चर्मकार
19.	वरिष्ठ मोची
20.	वरिष्ठ डार्क रूम सहायक

1	2
21.	बॉबलट अटेन्डेंट
22.	डार्करूम सहायक

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल

1.	धुलाई घर निरीक्षक
2.	वरिष्ठ ई०सी०जी० तकनीशियन
3.	वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन
4.	प्रयोगशाला तकनीशियन
5.	प्रयोगशाला सहायक
6.	वरिष्ठ तकनीशियन (सी०टी० स्कैनर)
7.	रेडियोग्राफर
8.	रेडियोग्राफर (पर्यवेक्षक)
9.	रेडियोग्राफर (वरिष्ठ)
10.	वरिष्ठ डार्क रूम सहायक
11.	डार्क रूम सहायक
12.	वरिष्ठ तकनीशियन थियेटर
13.	थियेटर तकनीशियन
14.	थियेटर सहायक
15.	मेडिकल रिकार्ड तकनीशियन
16.	वरिष्ठ स्वागत अधिकारी
17.	वरिष्ठ दंत तकनीशियन
18.	चेयर साइड सहायक
19.	वरिष्ठ सी०एस०एस०आर० तकनीशियन
20.	सी०एस०एस० तकनीशियन
21.	सी०एस०एस० सहायक
22.	सफाई अधीक्षक
23.	केयरटेकर
24.	हवलदार
25.	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष
26.	स्टीवार्ड
27.	लिनेन मास्टर

1	2

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल

1. प्रयोगशाला सहायक
2. ओ०टी० सहायक
3. प्रयोगशाला तकनीशियन
4. तकनीकी सहायक
5. मेडिकल रिकार्ड तकनीशियन
6. एक्सरे तकनीशियन
7. तकनीकी सहायक एक्सरे
8. वरिष्ठ फार्मेसिस्ट
9. वरिष्ठ तकनीशियन ओ०टी०
10. शवागार तकनीशियन

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की बिक्री की अनुमति

2860. **श्री बलवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मूल आवंटितियो द्वारा फ्लैट बेचने के लिए अनुमति देने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) बिना अनुमति की बिक्री से सम्बंधित कितने मामले मन्जूर किये गये हैं तथा कितने फ्लैट नये खरीदारों को हस्तांतरित किए गये हैं;

(ग) कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं तथा इनके निपटान में विलम्ब होने क्या के कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार अनियमित सौदों को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की बिक्री एवं हस्तांतरण से संबंधित वर्तमान प्र क्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 132

(ख) 25 मामलों में, अनुमति दे दी गई है और दो मामलों में फ्लैट नए खरीददारों को अन्तरित कर दिए गए हैं।

(ग) 107 आवेदन-पत्र लम्बित हैं क्योंकि इच्छुक विक्रेताओं ने अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी नहीं की हैं।

(घ) जी, हां। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

सिक्किम में गलगण्ड रोग से पीड़ित जनसंख्या

2861. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में 25 प्रतिशत जनसंख्या गलगण्ड तथा आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से पीड़ित है;

(ख) क्या सरकार का सिक्किम में इस रोग के उन्मूलन हेतु कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की केन्द्रीय गलगण्ड सर्वेक्षण टीम द्वारा सिक्किम में किए गए न्यूना सर्वेक्षणों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 37.8 प्रतिशत जनसंख्या उन क्षेत्रों में रहती है जहां गलगण्ड और आयोडीन की कमी के कारण अन्य विकार हो जाते हैं। गलगण्ड और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य विकारों की रोकथाम करने के लिए आयोडीकृत नमक का उपयोग सबसे सरल और सस्ता तरीका है। सिक्किम में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सितम्बर, 1985 से आयोडीकृत नमक को छोड़कर अन्य प्रकार के नमक की बिक्री करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। सिक्किम राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई आयोडीकृत नमक की पूर्ति इस प्रकार है :—

1986	3.47 लाख मेट्रिक टन
1987	3.79 लाख मेट्रिक टन
1988	3.20 लाख मेट्रिक टन

इसके अलावा, राज्य को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और प्रचार करने तथा गलगण्ड नियंत्रण कक्ष आदि की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

सोवियत संघ को कपड़े का निर्यात

2862. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ को कपड़े के निर्यात की अच्छी संभावनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ को कपड़े के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम हुए हैं ;

(ग) क्या इस दिशा में भारत और सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से कोई प्रयास किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार सोवियत संघ में आयोजित प्रदर्शनियों में भारतीय निर्यातकों के भाग लेने के लिये और/या वहां क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने के लिये उदार सहायता देती रहती है। दोनों देशों के बीच अनेक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान किया गया जिन्होंने

अन्य बातों के साथ-साथ, [illegible] संघ को [illegible] निर्यात [illegible] से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ को भारत से कुल वस्त्र निर्यात निम्नलिखित रहे :

	(करोड़ रुपये)
1986	313.07
1987	294.37
1988	364.86

(स्रोत : [illegible] निर्यात संवर्धन परिषद्[illegible] वस्त्र निर्यात [illegible] एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद दोनों सरकार क्षेत्र के क्षेत्र में संयुक्त सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाती रही है। इस उद्देश्य के लिये एम०टी०सी० ने प्रतिकय व्यवस्थाओं के तथा[illegible] के लिए 200 घटल रहित करघों का आयात किया है। हाल ही में एक संकेत पद्धति [illegible] किए गए जिसके अनुसार सोवियत संघ भारत से कपड़ा खरीदेगा तथा सोवियत संघ को निर्यात के लिए इस कपड़े की पोशाकें भारत में ही बनायेगा।

[illegible] मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन की मांगें

2863. श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या [illegible] मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने 26 अक्तूबर, 1987 के अपने वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कई संकल्प पारित किये थे और उनकी एक प्रति सरकार को भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मांगों का तथा उन्हें पूरा करने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार कर्मचारी यूनियन मद्रास से प्राप्त दिनांक 16.10.87 के [illegible] की एक प्रति संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) और (ग). इस प्रस्ताव में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों की जांच की गई है।

इस ज्ञापन में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

प्रस्तावों का ब्यौरा

सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास-600 003 की कर्मचारी यूनियन की [illegible] वर्षगांठ [illegible] 16-10-87 को पारित संकल्प निम्नलिखित हैं—

संकल्प सं०-I

यह सम्मेलन महामहिम श्री आर० वेंकटरमन को राष्ट्रपति और श्री शंकर दयाल शर्मा को उप-राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई देती है।

संकल्प सं०-II

सम्मेलन भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन को "भारत-श्रीलंका समझौते" के लिए सहे दिल से बधाई देता है जिसके फलस्वरूप श्रीलंका में रहने वाले लाखों तमिलों के लिए शान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

संकल्प सं०-III

यह सम्मेलन भारत में पिछले 40 वर्षों से प्रजातंत्र बनाए रखने पर भारत के लोगों को बधाई देता है और हम विश्वास करते हैं कि यह प्रजातांत्रिक भावना सभी सम्बन्धितों के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में बनाई जाती रहेगी। हम भारत के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रजातंत्र के खाते पर चलने पर भी बधाई देते हैं।

संकल्प सं०-IV

यह सम्मेलन इंटक के संस्थापक नेताओं को तहे दिल से बधाई देता है जिनके कारण हम भारत के मजदूर वर्ग को रक्त की एक बूंद बहाए बिना विधि सम्मत अधिकार प्राप्त हुए हैं।

संकल्प सं०-V

सरकार से इस बात की पुरजोर संगठन की प्रगति के लिये तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करती है जो कि अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने में लगा हुआ है।

संकल्प सं-VI

भारत सरकार ने औषध उद्योग पर हाथी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सरकार से अनुरोध है कि बहुत पहले स्वीकार की गई इस सिफारिश को लागू किया जाए।

संकल्प सं०-VII

सरकार से अनुरोध है कि वह कारोबार की धीमी गति के वर्तमान रुझान को रोके और रेलवे, सी० जी० एच० एस० और केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों, गोदी ट्रस्ट, बी० एच० ई० एल०, एन० एल० सी० आदि जैसे सभी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के संस्थानों को निर्देश दे कि वे औषध और अन्य मदें सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन से ही खरीदें।

संकल्प सं०-VIII

तमिलनाडु सरकार से अनुरोध है कि वह सभी राज्य सरकारों के अस्पतालों और अन्य सम्बद्ध निकायों को अपनी जरूरत की दवाइयां और अस्पताली उपकरण केवल सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार से खरीदने का अनुरोध करे और उन्हें केवल वे ही मदें बाहर से खरीदनी चाहिए जिनके बारे में चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

संकल्प सं०-IX

संकल्प पारित किया गया कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि स्वदेशीय, वाष्पीकृत खाद्य, पीड़क जन्तु नाशक का उत्पादन करने के लिये कदम उठाए जाएं क्योंकि कनिष्ठ कॉपर की

संस्थापना के बाद अब अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जिसके लिए मौजूदा संघ जोर डाल रहा है। यह भी पारित किया गया कि मद्रास डिपो स्थित फार्मास्यूटिकल फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिए नियुक्त "विशेषज्ञ समिति" की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए क्योंकि तमिलनाडु सरकार केवल डिपो में निर्मित मदों के लिए योग पत्र भेजना चाहती है।

संकल्प सं०-X

यह पारित किया गया कि भारत सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह इस संघ के जे० सी० एम० में यथोचित प्रतिनिधित्व दे चूंकि यह संघ सभी श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है और सभी मानदण्ड पूरे करता है।

संकल्प सं०-XI

यह पारित किया गया कि भारत सरकार से अनुरोध किया जाए कि फैक्ट्री के प्रबन्ध में कार्यकर्त्ताओं को भी शामिल किया जाए तथा मजदूर संघों में दर्ज कार्यकर्ताओं के अनुपात में मान्यता प्राप्त संघों को प्रबंध में विशेष तौर पर कार्यालय परिषदों के मामले में यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

संकल्प सं०-XII

पारित किया गया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से अनुरोध किया जाए कि न्यूनतम आठवीं पास की अर्हता रखने वाले समूह "घ" कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिये 50 प्रतिशत लिपिकीय रिक्तियां रखी जाएं जैसा कि डाक व तार, रेल तथा दूसरे विभागों में व्यवस्था की गई है।

संकल्प सं०-XIII

पारित किया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि सहायक डिपो प्रबंधक के समान वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों को प्रादेशिक आधार पर बनाने के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन जारी किया जाए क्योंकि बाहर से वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की नियुक्ति से विभागीय उम्मीदवार प्रोन्नति पाने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

संकल्प सं०-XIV

पारित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया जाए कि रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे जाने के मामलों में फैक्टरी के कर्मचारियों के लड़कों/लड़कियों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाए।

संकल्प सं०-XV

गृह मंत्रालय के हाल ही के आदेशों के कारण यह डिपो एक वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर 3 प्रतिशत से अधिक नियुक्तियां करने में समर्थ नहीं है और पारित किया गया कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि इन आदेशों की समीक्षा की जाए और अनुकम्पा के आधार पर कम से कम 10 प्रतिशत रिक्तियां रखी जाए और जब तक मृत कर्मचारी के सगे सम्बन्धी को नियमित नियुक्ति नहीं मिल जाती, उन्हें दैनिक मजदूरी पर अवश्य रखा जाए जिससे मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत मिल सकेगी।

संकल्प सं०-XVI

पारित किया गया कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि डिपो के परिसर के पास खाली पड़ी भूमि पर डिपो के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टर निर्मित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

संकल्प सं०-XVII

पारित किया गया कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि जीव-विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख श्री डी० रमेश को फिर से नौकरी पर लिया जाए जिनकी सेवाएं अवैध आधार पर समाप्त कर दी गई हैं।

यह सम्मेलन मद्रास डिपो के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के स्टोर विंग के अधिकारियों के प्रति श्रीलंका में विपत्ति के समय दवाइयों आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में की गई मानव सेवा के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है और राष्ट्रीय हित में वर्तमान स्थिति में इसी प्रकार कार्य करने को वचनबद्ध है।

विवरण-2

सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार कर्मचारी यूनियन मद्रास के दिनांक 16.10.87 के ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न संकल्पों पर की गई कार्रवाई।

मुद्दे	की गई कार्रवाई
1	2
1. तमिलनाडु सरकार इडेंट देना धीरे-धीरे बन्द कर रही है और धीरे-धीरे सामग्री लेना बन्द कर दिया है।	मुद्दे 1 एवं 2 : चिकित्सा सामग्री भंडार सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, मद्रास से चिकित्सा सामग्री प्राप्त करने के बारे में तमिलनाडु सरकार और केन्द्रीय सरकार संस्था को राजी कर रही है। तथ्य यह है कि चिकित्सा सामग्री भंडार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसमें कोई मांगकर्ता अपनी आवश्यकतायें डिपो से लेने के लिए बाध्य हो।
2. केन्द्रीय सरकार के संगठन को अपनी आवश्यकताएं केवल सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार मद्रास से पूरी करनी चाहिए।	
3. डिपो की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का विस्तार/आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।	मद सं० 3 : फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए इस समय कोई नई स्कीम का विचार नहीं है।
4. चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन को सातवें प्लान क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।	मद सं० 4 : चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन को पहले ही सातवें प्लान क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत लाया जा चुका है।
5. सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार की कर्मचारी यूनियन को संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।	मद सं० 5 : इसकी जांच की गई लेकिन इस पर सहमति नहीं हुई।

1	2
6. हाथी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना।	मद सं० 6 : इसका कार्यान्वयन रासायनिक विभाग, उद्योग मंत्रालय पर निर्भर करता है।
7. प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी संकलिका	मद सं० 7 : इन मुद्दों की अनेक बार जांच की गई है और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के परामर्श से कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

संवर्ग पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

2864. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी संवर्ग पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या रिपोर्ट की सिफारिशों के विरुद्ध केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के सारांश में, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप-संवर्गों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर पर निम्नलिखित अतिरिक्त पदों की सिफारिश की है :—

(1) साधारण ड्यूटी (उप-संवर्ग)	29
(2) अध्यापनेतर विशेषज्ञ (उप-संवर्ग)	5
(3) अध्यापन विशेषज्ञ (उप-संवर्ग)	10

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों के सम्बन्ध में इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्रम दिवसों की क्षति

2865. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1988 के दौरान औद्योगिक असन्तोष के कारण कुल कितने श्रम-दिवसों की क्षति हुई ; और

(ख) यदि श्रम-दिवसों की इस प्रकार क्षति नहीं होती, तो कुल संभावित श्रम-दिवसों की तुलना में वर्ष-वार कुल कितने श्रम-दिवसों की क्षति हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख). उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर, हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों तथा कार्य के अनुसूचित श्रम दिवसों से नष्ट श्रम दिवस का अनुपात संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या तथा कार्य के अनुसूचित श्रम दिवसों से नष्ट हुए श्रम दिवस का अनुपात*

वर्ष	नष्ट हुए श्रम दिवस (दस लाख में)	अनुसूचित श्रम दिवसों की प्रतिशतता के अनुसार नष्ट हुए श्रम दिवस**
1986	32.75	1.47
1987	35.35	1.55
1988 (अनंतिम) (जनवरी नवम्बर)	29.30	उपलब्ध नहीं

* अनुमानित

** इसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन औद्योगिक ग्रुप ही शामिल हैं।

स्रोत—श्रम ब्यूरो, शिमला।

पश्चिम बंगाल के लिए खाद्य तेल

2866. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को उसकी मांग के अनुरूप खाद्य तेलों और खाद्यान्न की सप्लाई न किए जाने के कारण राज्य में, विशेषकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की दुर्दशा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पूरी मात्रा सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्न को पूरी मात्रा में सप्लाई हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों तथा खाद्यान्नों का आबंटन, सरकार के पास स्टॉक की समग्र उपलब्धता, मंडी में उसकी उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की स्थिति, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए माहवार-माह आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आयातित खाद्य तेलों तथा खाद्यान्नों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है तथा यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समस्त मांग को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है।

देशीय तेलों की अधिक उपलब्धता तथा उसके परिणामस्वरूप आयात में की गई कमी की मौजूदा स्थिति में आयातित खाद्य तेलों के मासिक आबंटन को बढ़ाना सम्भव नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार को फरवरी, 1989 के दौरान 7,600 मीटरी टन आयातित खाद्य तेलों का आबंटन किया किया गया था, जो कि अखिल भारतीय आबंटन का लगभग 20% है।

फरवरी, 1989 में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन को सुसंगत बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चावल के आबंटन में 20% की कमी कर दी गई है तथा गेहूं का आबंटन 5% बढ़ा दिया गया है। परिणामस्वरूप फरवरी, 1989 से पश्चिम बंगाल सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की 64,000 मी० टन मात्रा तथा गेहूं की 84,000 मी० टन मात्रा आबंटित की गई है।

"सुन्दरवन क्षेत्र का विकास"

2867. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित सुन्दरवन क्षेत्र में पर्यटन विकास और प्राकृतिक संसधान उपयोग की काफी सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं अथवा बनाने का विचार है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 में इस क्षेत्र के पर्यावरण और वन क्षेत्र में सुधार करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल स्थित सुन्दरवन क्षेत्र और वन्यजीव के परिरक्षण और विकास के लिए बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आता है। बाघ रिजर्वों की काफी पर्यटन सम्भावनाएं है।

(ग) और (घ). सुन्दरवन क्षेत्र में वनों के परिरक्षण और विकास के लिए 1989-90 में 14.11 लाख रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव है।

प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी

2868. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रबंध व्यवस्था में श्रमिकों की अधिक भागीदारी के साथ सभी के सहयोग से कार्य करने की एक नई पद्धति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में, औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को इस पद्धति को अपनाने पर दबाव डालने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) सरकार ने दिनांक 30-12-83 के संकल्प सं० एल-56011/1/83-डैस्क-I (बी) के तहत प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की एक व्यापक योजना अधिसूचित की थी और यह योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, भाग लेने वाले फोरम के मुख्य कार्यकलापों में से एक है।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित योजना मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू होती है। तथापि निजी क्षेत्र से भी इसी प्रकार की कार्रवाई करने की आशा की जाती है।

सरकारी कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नुस्खे पर दवाइयों की सप्लाई

2869. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए नुस्खे पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों में दवाइयां सप्लाई नहीं की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज हेतु पूर्व अनुमति देने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों से दवाई प्राप्त करने के हकदार होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक रेफरल अस्पताल है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों द्वारा सुझाई गई औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उस स्थिति में सप्लाई की जाती हैं जब वे पूर्व अनुमति लेकर उपचार कराते हैं।

ठेकेदारों को भुगतान

2870. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) कलकत्ता को इसके निर्माण कार्यों में संलग्न ठेकेदारों से निगम द्वारा अपनाई गई अनुसूचित लेखा-प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे प्रत्येक ठेके की शर्तों के पूरे भुगतानों को समायोजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) मैसर्स प्रोजेक्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन, कलकत्ता से ऐसा केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ). बताया जाता है कि सिविल निर्माण ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान संविदा की शर्तों के अनुसार होते हैं।

श्रीराम फूड एण्ड इण्डस्ट्रीज प्लांट, दिल्ली

2871. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम फूड एण्ड इण्डस्ट्रीज प्लांट, दिल्ली अपने क्लोरीन टैंक की समुचित सुरक्षा करने और उसे प्रदूषण से बचाने के उपाय नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राजा विजय भारद्वाज) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1985 में मैसर्स श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र से ओलियम गैस के रिसाव की घटना के उपरांत कारखाना निरीक्षणालय, दिल्ली प्रशासन ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40 (2) के अधीन उन सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टिक क्लोरीन संयंत्रों को बंद करने का आदेश जारी किया, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य एसिड आधारित संयंत्र बंद पड़े हुए हैं। तथापि, कास्टिक क्लोरीन संयंत्र और कतिपय अन्य यूनिटों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 1986 के अपने निर्णय के निर्देशानुसार बाद में पुन: आरंभ कर दिया गया था बशर्ते कि वे उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों को पूरा करते हों। कारखाना निरीक्षणालय द्वारा सुरक्षा उपायों और स्थापित उपकरणों के उचित कार्यकरण की सप्ताह में एक बार जांच पड़ताल की जाती है। प्रबंधतंत्र ने भी किसी प्रमुख दुर्घटना से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए संयंत्र के लिए कार्यस्थल आपातकालीन योजना तैयार की है। श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज लि०, दिल्ली में कास्टिक सोडा यूनिट, कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट और वनस्पति यूनिट के प्रारंभ में ही प्रदूषण के नियंत्रण के लिए समुचित उपचार संयंत्र भी विद्यमान हैं।

विदेशों में कराये गये दिल के आपरेशन के लिए हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति

2872. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को विदेश में दिल का आपरेशन कराने पर हुए पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई और कितने और किस-किस श्रेणी के अधिकारियों ने यह सुविधा प्राप्त की;

(ग) क्या यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ). 10 सितम्बर, 1986 से पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्या नियमों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किए गए पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था नहीं थी। तथापि, केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में एक संशोधन 10 सितम्बर, 1986 को अधिसूचित कर दिया गया था जिसके अंतर्गत किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को, जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट विशिष्ट रोगों (कुछ प्रकार के हृदय के आपरेशनों सहित) के किसी भी तरह के इलाज के लिए स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए भारत से बाहर डाक्टरी इलाज की सुविधा का उपयोग करने का इच्छुक है, आने और जाने के हवाई जहाज के किराए के साथ इलाज के पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह सुविधा उक्त नियमों के अंतर्गत आने वाली सभी श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 10.9.1986 से उपलब्ध है। तथापि इलाज और हवाई यात्रा किराए पर किया गया व्यय उस मंत्रालय/विभाग द्वारा वहन किया जाता

है जहां सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है। जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है उनकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भूमिका संबंधित मंत्रालयों/विभागों को, जहां सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहा है, विदेश में इलाज के लिए रोगी की सिफारिश करने तक सीमित है। इस प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उन रोगियों की सही संख्या की जानकारी नहीं है जिन्होंने इस सुविधा का वास्तव में उपयोग किया था। इसी प्रकार प्रतिपूर्ति की कुल रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस पर हुआ व्यय उस मंत्रालय/विभाग द्वारा वहन किया जाना है जहां सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है।

एसीकोन-88

2873. **श्री शांतिलाल पटेल :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ सर्जनस् आफ इंडिया के संगठन सचिव ने दिसम्बर, 1988 में एसीकोन-88 आयोजित किए जाने की अनुमति मांगी थी;

(ख) सम्मेलन में किन-किन देशों से और कितने विशेषज्ञों ने भाग लिया;

(ग) सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिए गए; और

(घ) इनमें से कितने सुझावों को स्वीकार किया है और कार्यान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन में 2000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें भारत के अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, नेपाल, और मध्यपूर्व के देशों के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ग) और (घ). इस सम्मेलन ने जो मुख्य सुझाव दिए वे इस प्रकार हैं—

1. सामुदायिक अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि करना ताकि रूटीन किस्म की शल्य चिकित्सा समस्याओं का समाधान वहीं किया जा सके।
2. शीर्षस्थ केन्द्रों, मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बीच निरंतर तालमेल से कार्य हो।
3. दो तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। एक प्रकार का प्रशिक्षण ऐसे सर्जनों के लिए हो जो शैक्षणिक कार्य करने में रुचि रखते हों और दूसरा प्रशिक्षण केवल नौकरी में रुचि रखने वालों के लिए हो।

ये सिफारिशें स्वीकार करने के उद्देश्य से औपचारिक रूप से सरकार को सूचित नहीं की गई हैं। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को इन पर उपयुक्त कार्रवाई करने के बारे में सूचित किया गया है।

कपास का सुरक्षित भंडार

2874. **श्री शांतिलाल पटेल :**

श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उचित मूल्यों पर आधारभूत कच्चा माल प्राप्त करने हेतु मिलों के लिए कपास का सुरक्षित भंडार बनाने के क्षेत्र की समीक्षा की है;

(ख) क्या भारतीय कपास निगम ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ). सरकार ने रुई का बफर स्टाक तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है और यह समझा गया कि कीमत स्थिरीकरण का उद्देश्य समुचित निर्यात/आयात करके प्रभावी ढंग से तथा कम लागत पर पूरा किया जा सकता है।

घटिया दवाइयां भेजना

2875. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नकली दवाइयों की भरमार के बारे में 2 नवम्बर, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, बम्बई द्वारा विभिन्न केन्द्रों को भेजी गई घटिया दवाइयों के मामले में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस निष्कर्ष के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, बम्बई से मिली रिपोर्ट से पता चला है कि प्रश्नाधीन सभी दवाइयां सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में विधिवत परीक्षण करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को सप्लाई की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे शिकायत का ब्यौरा भेजें।

यह भी बताया गया है कि सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, बम्बई द्वारा पुलिस अस्पताल, नायगांव, बम्बई को कोई घटिया औषधि सप्लाई नहीं की गई थी और उनसे भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक गोवा राज्य को दवाइयों की सप्लाई का सम्बन्ध है, औषध नियंत्रक, गोवा से प्राप्त पत्र से पता चलता है कि पिछले चार वर्षों के दौरान तीन नमूने मानक गुणवत्ता के नहीं पाए गए थे। पूरे निष्कर्षों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्य का मन्द पड़ना

2876. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्य में प्रशिक्षित नर्सों के उपलब्ध न होने और ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों से सम्बद्ध स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे कम मानदेय के कारण यह कार्य धीमा पड़ गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें संसाधनों की कमी के कारण इस कार्य में तेजी नहीं ला पा रही हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार अथवा महाराष्ट्र के जिला परिषदों की नर्सों ने केन्द्र से उन्हें दिए जाने वाले भत्ते को बढ़ाने की अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ). एक स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता को ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र के लिए स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न में शामिल किया गया है और इस कार्यकर्त्ता को 50/-रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता को देय मानदेय को अपने साधनों से बढ़ाने का निश्चय किया है और केन्द्रीय सरकार से स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए कहा है। केन्दीय सरकार के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

"आन्ध्र प्रदेश में पौध संसाधनों का सर्वेक्षण

2877. **श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने पौधों के स्रोतों का पता लगाने और उनके विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश में मौके पर जाकर सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के दक्षिणी परिमंडल ने 1956 में अपनी स्थापना के समय से आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में वनस्पति सम्बन्धी 77 खोज यात्राएं की हैं।

(2) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने आन्ध्र प्रदेश से पौधों की लगभग 2,025 प्रजातियां एकत्रित की।

(3) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने आन्ध्र प्रदेश से 15 नई पादप प्रजातियों का संग्रह किया और उनका वर्णन किया जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थी।

(4) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा आन्ध्र प्रदेश से आर्थिक और औषधीय पौधों की लगभग 575 प्रजातियों का संग्रह किया गया और उन्हें दर्ज किया गया।

(5) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने नृजाति-जैविकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत आन्ध्र प्रदेश में 73 पादप प्रजातियों को दर्ज किया जिनकी उपयोगिता पहले ज्ञात न थी।

उड़ीसा में बहु-उद्देशीय तिलहन परियोजनाओं की स्थापना

2878. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में एक बहु-उद्देशीय तिलहन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर क्या अनुमानित लागत आएगी;

(ग) इस परियोजना की स्थापना के लिए कौन-सा स्थान चुना गया है; और

(घ) इस परियोजना की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपये के लगभग है।

(ग) प्रस्तावित समेकित तिलहन तथा वनस्पति तेल परियोजना के तहत कालाहांडी, कोरापुट, फूलबनी तथा बालारगीर जिले आएंगे।

(घ) इस परियोजना के वर्ष 1989-90 के दौरान स्थापित होने की आशा है।

इन्टेंसिव स्कूल हैल्थ एजुकेशन योजना का कार्यान्वयन

2879. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने इंटेंसिव स्कूल हैल्थ एजूकेशन योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से फरवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए;

(ग) किन-किन एजेंसियों द्वारा इस कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी; और

(घ) क्या सरकार का स्कूली बच्चों के पाठ्यचर्चा के अनिवार्य अंग के रूप में उन्हें योग प्रशिक्षण देने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख). जी, हां। लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में ये शामिल हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गहन स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा स्कीम को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(2) यद्यपि इस स्कीम को चुने हुए दस राज्यों के दस जिलों में कार्यान्वित किया जाना है, तथापि दूसरे राज्यों द्वारा देश के शेष भागों में इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए इन दिशा निर्देशों को अपनाया जाना चाहिए।

(ग) उस परियोजना पर खर्च का बड़ा हिस्सा यूनिसेफ द्वारा पूरा किए जाने की आशा है जब कि शेष खर्च भारत सरकार द्वारा पूरा किया जा सकता है।

(घ) योग प्रशिक्षण को इस कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार नहीं किया गया है।

केरल में नारियल का तेल निकालने और उसे बोतल में भरने के लिए एककों की स्थापना

2880. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल का तेल निकालने और उसे बोतल में भरने के लिए सरकारी क्षेत्र के अधीन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसा सरकारी एकक केरल में पहले से ही चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) केरल से समेकित नारियल विकास के लिए सहकारी समितियों की सहायता के वास्ते केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, निष्कर्षण के लिए तीन संसाधन सुविधाएं तथा तैयार उत्पादों का विपणन करना भी शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) नारियल के उत्पादों के संसाधन तथा विपणन के लिए केरल राज्य नारियल विकास निगम, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के तहत दो यूनिटें पहले ही कार्य कर रही हैं।

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पर्यावरण (संरक्षण) पहला संशोधन नियम, 1989

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) पहला संशोधन नियम, 1989, जो 3 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 8(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०7517/89]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3692 के 22 अगस्त, 1988 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरों के बारे में श्री राम प्यारे सुमन, संसद्

सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3692 के 22 अगस्त, 1988 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० संख्या 7518/89]

12.01 म०प०

ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं। क्या करते हैं, राव साहब आप।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को अनुमति दी है। श्री इन्द्रजीत गुप्त के अलावा किसी की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं। जो समस्या पैदा हो गयी है, उसका समाधान निकालने के लिये आज सुबह आपने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की थी।

हम यह समझे थे कि आपने यह कहा था कि चूंकि आप सभा के संरक्षक हैं और यह देखना आपका कार्य है कि नियमों का पालन किया जाए तथा आपका विचार था कि जब तक सरकार ठक्कर आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखती तब तक आप इस मामले में अध्यक्ष की हैसियत से असहाय हैं। एक बार जब इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा और यदि इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है तो·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है तो इस पर चर्चा कराने में आपको कतई आपत्ति नहीं होगी। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे जांच आयोग अधिनियम में संशोधन करके जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था, यह विवेकाधिकार दिया गया है जिसके अनुसार वह किसी रिपोर्ट विशेष को सभा पटल पर रख सकती है अथवा नहीं रख सकती है; ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के साथ भी यही बात है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : राज्य सुरक्षा के लिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जंगा रेड्डी जी कृपा करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री भाटिया ने सुरक्षा सुरक्षा के हित में बिल्कुल ठीक कहा है कि इसे सुरक्षा के हित में सभा पटल पर नहीं रखा गया है। मेरे विचार से श्री भाटिया और यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या से अधिक सर्वोच्च सुरक्षा प्राथमिकता किसी अन्य प्रश्न अथवा मामले को नहीं दी जा सकती। कम से कम यदि उस पक्ष के सदस्य सोचते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इससे भी अधिक कोई महत्वपूर्ण मामला है तो वे उसे बता सकते हैं। कम से कम मैं नहीं सोचता और सभा में जब भी मुझे अवसर मिला मैंने यही कहा है कि यह ऐसा मामला है जिसमें हमें चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण देश तथा जनता इसके बारे में चिन्तित है।

एक माननीय सदस्य : कृपया प्रासंगिक बात कहें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं देखूंगा कि अपनी बारी में आप किस प्रकार प्रासंगिक बात करते हैं। इसलिये हमने अध्यक्ष की हैसियत से आपसे निवेदन किया था कि यदि आप उचित समझते हैं तो सरकार से निवेदन करें कि वह इस विशेष मामले में अपने विवेकाधिकार का इस प्रकार प्रयोग करें कि सभा इस रिपोर्ट पर चर्चा कर सके। उन्हें विवेकाधिकार प्राप्त है। वे ऐसा कर सकते हैं। यदि वे सभा के समक्ष आकर कहते कि समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है वे उसकी सच्चाई को चुनौती देते हैं तो वह अलग मामला है। वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं। परन्तु अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि समाचार पत्रों में मनगढन्त तथ्य छपे हैं। वे उसका सहारा ले सकते हैं। परन्तु उन्होंने वह भी नहीं किया है।

उन्होंने एक बात कही है कि न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में ही टिप्पणी की थी अथवा सिफारिश की थी कि वह अनुभव करते हैं कि जनहित में इसको गुप्त रखा जाना चाहिए। ठीक है, यदि उन्होंने ऐसा किया है तो महोदय, इस बारे में आपको संतुष्ट होना चाहिए। इसको गुप्त रखने या न रखने के बारे में न्यायाधीश ने जो कुछ कहा है, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसी सिफारिश की है तो मैं सम्मानपूर्वक कहता हूं कि उन्होंने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। ऐसी सिफारिश करना उनका कार्य नहीं है। उनका कार्य रिपोर्ट बनाकर सरकार को देना है। यह कहना न्यायाधीश का कार्य नहीं है कि इसे गोपनीय रखा जाए या नहीं। यह निर्णय करना सरकार का काम है।

इस प्रकार, हम ऐसी स्थिति में हैं जिसमें यह सुरक्षा का प्रश्न वास्तव में ऐसा हो गया है जैसे.....मैं क्या कहूं? मेरा अभिप्राय है कि जनता नहीं सोचती कि इससे किसी प्रकार की

सुरक्षा को खतरा है क्योंकि यह बात प्रकाशित हो चुकी है। परन्तु इस रिपोर्ट को इतना अधिक गोपनीय क्यों रखा गया है। यह समाचार पत्रों में 'लीक' हो सकती है, परन्तु यह कोई नहीं जानता कि यह किस प्रकार 'लीक' हुई। अब यह छप चुकी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति बनाए रखिये।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पूरी बात में मैं चाहता हूं कि जिस दिन उनकी हत्या हुई उसी दिन से गृह मंत्रालय इसके बारे में जांच करे। बहरहाल, मैं जानता हूं कि इन बातों से कुछ नहीं होगा। चूंकि इस मामले का प्रचार हो गया है, समाचार पत्रों में छापा जा चुका है तो क्या हम इसे इस प्रकार छोड़ सकते हैं ? क्या हम इसे इस तरह निपटा सकते हैं ? अब इस बारे में सम्पूर्ण देश को मालूम है और इस बारे में चर्चा हो रही है। हम इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। इसलिए, मेरे विचार से जनहित, सरकार के हित तथा उस व्यक्ति के हित में जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता परन्तु इस रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया है, यह अच्छा है कि देश में चर्चित सभी बातों को छिपाने के बजाए देश की सर्वोच्च संस्था अर्थात भारतीय संसद में इस पर उचित रूप से चर्चा करने की अनुमति दी जाए तथा सरकार को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं कि "हमें भी चर्चा के दौरान कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।" यदि वे जवाब देना चाहते हैं तो वे जवाब दे सकते हैं। यदि वे जबाब देना नहीं चाहते हैं तो उन्हें जबाब देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस तरह से कानून की तकनीकी खामी का बहाना बनाने से इसके गम्भीर राजनैतिक परिणाम होंगे कि हमने एक बार संशोधन पारित कर दिया है इसलिये अब हम इस पर किसी तरह विचार नहीं कर सकते। मैं कह सकता हूं कि इससे सरकार को आवश्यक मदद नहीं मिलेगी। **(व्यवधान)** सरदारजी, कृपया थोड़ा धैर्य रखिये। **(व्यवधान)** मैं जानता हूं कि इसके बाद आप अनेक बार बोलेंगे। मैं दुबारा नहीं बोलूंगा। **(व्यवधान)**

जी हां, यकीनन····· **(व्यवधान)** इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अनेक कार्य कर सकते हैं। आप अपने पद का प्रयोग उन्हें समझाने के लिये कर सकते हैं कि सभा में रिपोर्ट पर चर्चा होने दी जाये अथवा आप उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं जिसमें सरकार से निवेदन किया गया है कि वह रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे ताकि इसके बारे में चर्चा की जा सके।

सम्पूर्ण सुरक्षा की बात समाप्त हो गयी है। यह स्पष्ट है कि सरकार के सर्वोच्च पदों पर किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। रिपोर्ट कहां है ? हम नहीं जानते कि रिपोर्ट कहां है। परन्तु कोई व्यक्ति अवश्य जानता है, साधारणतया इन आयोगों की रिपोर्टें पुस्तकालय में रखी जाती हैं। अब उसे किसी अन्य स्थान पर रखा गया है। हम नहीं जानते कि वह रिपोर्ट कहां है ? क्या वह आपके पास है ? क्या उसे आपके पास रखा गया है ? हम चाहेंगे कि उसे आपके पास रखा जाये। यदि आप उसे पढ़ना न चाहें तो भी उसे आपके पास ही रखा जाना चाहिये परन्तु हम यह नहीं जानते कि यह रिपोर्ट है कहां। सम्भवतः हमें इसके बाद भी यह मालूम नहीं हो। चूंकि यह मामला एक असामान्य तरीके से सामने आया है इसलिये हमें यह जानकारी नहीं है—उस रिपोर्ट की एक प्रति उन व्यक्तियों के पास हो सकती है जोकि इसके बारे में चर्चा कराना नहीं चाहते—क्या उसमें कुछ और हेर-फेर भी की जायेगी। क्यों नहीं ? हम इस बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को सुरक्षित रखा जायेगा और उसे आपके पास रखा जाना चाहिये, और मामले को इस प्रकार

रोके रखने के बजाय आपको सदन के दोनों पक्षों के साथ एक ऐसा तरीका ढूंढने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए जिसके द्वारा इस मामले पर चर्चा की जा सके। यह एक विस्फोटक प्रश्न है। देश में किसी भी प्रधानमंत्री की इस प्रकार हत्या नहीं की जाती, जैसी कि यहां की गई है। इस देश का नागरिक होने के नाते, इस हत्या की परिस्थितियों, हत्या करने के षडयंत्र और उसके बाद की गई हत्या के बारे में कम से कम मैं भारी उलझन में अवश्य हूं। क्या आप यह समझते हैं कि ये बातें कभी भी सामने नहीं आयेंगी ? इसका क्या अभिप्राय है ? हम इस प्रकार के गोपनीयता में भागीदार नहीं होना चाहते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को संचालित करने दें। मैंने अत्यन्त धैर्य से श्री इन्द्रजीत गुप्त की बातें सुनी हैं ...

..... (व्यवधान) .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। मुझे सदन को संचालित करने दें.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं... ...कृपया बैठ जाइये.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठेंगे ? आप मेरी अनुमति के बिना भाषण नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

आप बैठिये तो सही। आप क्यों जिद्द करते हैं। मैंने आपको सुना अब तो मुझे कंडक्ट करने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अकेला कैसे सुनूंगा ?

[अनुवाद]

वे कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये। एक-एक करें तो मैं सुन सकता हूं, अगर 50 आदमी करेंगे तो मैं कैसे सुन सकता हूं।

[अनुवाद]

मैंने ऐसा ही किया है, और मैं यही कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा करने दें।

[हिन्दी]

अब आप आराम से बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात उन्होंने कही.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने चलाना है तो आप आ जाइये।

[अनुवाद]

आप बैठिये·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बैठने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है·····

·····**(व्यवधान)**·····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब ट्रुथ या अनट्रुथ का मैं क्या कहूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अपने कक्ष में निष्पक्ष रूप से एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने हेतु हमें अवसर प्रदान करने के लिये हम आपके आभारी हैं जिसने कल और आज भी सदन का ध्यान आकर्षित किया है। चर्चा बहुत स्पष्ट और सौहार्द्रपूर्ण थी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उन्हीं मुद्दों का उल्लेख किया है जिन्हें आपकी उपस्थिति में विरोधी पक्ष के नेताओं ने उठाया था। इस सम्मानित सदन की सूचना के लिये मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हम उन तीनों कारणों के बारे में समान रूप से स्पष्ट हैं जिनके आधार पर सरकार ने यह फैसला किया है कि इस रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता और इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : क्यों ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें शान्त रहना चाहिए। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

सरदार बूटा सिंह : कल जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तो मैं तीन मुद्दों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट था जैसा कि सदन के कार्यवाही-वृत्तान्त से देखा जा सकता है। पहला मुद्दा यह है कि जांच आयोग अधिनियम में संशोधन किया गया था। मुझे आज उस संशोधन को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कानून में संशोधन किया गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

सरदार बूटा सिंह : संशोधन को ध्यान में रखते हुए, हम कानून तोड़कर उससे परे नहीं जा सकते। दूसरे, एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने यह निर्णय किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता और उस अधिसूचना को इस सम्मानित सदन ने स्वीकृति दी थी जोकि इस सदन का एक निर्णय है। तीसरे, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह उल्लेख किया है कि न्यायाधीश महोदय ने स्वयं यह कहा है कि इसे सार्वजनिक नहीं बनाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने हमें यह बताया है।

सरदार बूटा सिंह : मैं समझता हूं कि जिस समय इस संशोधन के बारे में इस सदन में चर्चा की गई थी, उस समय सदन के इस पक्ष ने ऐसा उल्लेख किया था और यह भी इसका एक कारण है। यदि आप इस आयोग के निदेश-पदों को देखें तो वे निदेश पद पूर्व-जांच कार्यवाहियां हैं और वे बाध्य करते हैं कि सरकार को मामले की जांच करानी चाहिए। उन्होंने उस व्यक्ति के नाम का भी उल्लेख किया है जिसके बारे में सन्देह किया गया है और बहुत सी बातें लिखी गई हैं। एक विशेष दल द्वारा विस्तृत जांच की गई थी। जांच ने यह पता लगता है कि श्री आर०के० धवन श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से सम्बन्धित किसी भी अपराध या षड्यन्त्र में किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं थे। दल ने यह पुष्टि की है कि वे पूर्णतया निर्दोष है·····**व्यवधान**

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं अन्तिम मुद्दे का उत्तर देना चाहता हूं·····**(व्यवधान)** मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गये अन्तिम मुद्दे का उत्तर देना चाहता हूं जोकि इस मामले से संबंधित है·····**(व्यवधान)** मैं अन्तिम मुद्दे के बारे में सरकार का उत्तर देना चाहता हूं।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले यह बताने दें कि वे क्या कहना चाहते हैं·····मैं पता लगाऊंगा। उन्हें भाषण समाप्त करने दीजिये।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, अन्तिम मुद्दे में उन्होंने यह कहा है कि यह सरकार की स्वविवेकी शक्ति है; जिसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं·····**(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुनने दें। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री दिनेश गोस्वामी : नियम 370 के अन्तर्गत·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उन्होंने ही नाम का उल्लेख किया है·····**(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : आपने एक व्यक्ति कहा और आपने उस मुद्दे को उठाया। इसीलिये मैंने उत्तर दिया है·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले व्यवस्था के प्रश्न से निपटने दीजिये।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : वे इस सुझाव के बारे में सरकार का उत्तर जानना चाहते थे कि क्या सरकार अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करने को इच्छुक है·····**(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले उनकी बात सुनने दें। जब तक वे मुझे यह नहीं बतायेंगे तब तक मुझे पता कैसे लगेगा ? मैं उनकी बात को सुने बिना कैसे उनकी बात को रद्द कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब सरदार बूटा सिंह रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं; तो सदन को उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने का अधिकार है। वे रिपोर्ट का उल्लेख नहीं कर सकते·····**(व्यवधान)** जिस समय भी वे रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं····· **(व्यवधान)** मैं आपत्तियां कर रहा हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति देनी है अथवा उसे रद्द करना है। मुझे पहले उनकी बात सुनने दें।

श्री दिनेश गोस्वामी : यदि श्री बूटा सिंह रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं तो रिपोर्ट सदन की सम्पत्ति बन जाती है। उन्हे रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करना चाहिये और हमें अपनी बातें कहने का अधिकार है। आपको हमें अनुमति देनी चाहिए·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दें। मुझे पहले उनकी बात सुननी है और फिर निर्णय करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना मेरा काम है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कुछ कहना चाहता हूं तो आप बोल रहे हैं, पहले आप बोल लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : व्यवधान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायक, मैं आपकी बात को रद्द करता हूं। मैं उनकी बात सुन रहा हूं।

श्री शान्ताराम नायक : वे उल्लेख कर रहे हैं। वे किसी नियम को उद्धृत नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नियम 368 को उद्धृत किया है।

श्री शान्ताराम नायक : वे भाषण में विघ्न डाल रहे हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकार करने अथवा रद्द करने का काम मेरा है, आपका नहीं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं नियम 368 का उल्लेख कर रहा हूं इसमें कहा गया है :

"यदि कोई मंत्री सभा में ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो····· " **(व्यवधान)** अतः, यदि वे रिपोर्ट—जांच के बाद की रिपोर्ट का भी उल्लेख करते हैं—तो उन्हें अवश्य ही उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। अतः, जिस समय श्री बूटा सिंह ने इसका उल्लेख किया·····

सरदार बूटा सिंह : मैंने किसी रिपोर्ट को उद्धृत नहीं किया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर मुझे देना है । मैं केवल एक व्यक्ति को उत्तर दे सकता हूं । क्या मैं आप दोनों को एक साथ उत्तर दे सकता हूं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी तक श्री बूटा सिंह का कहना यह रहा है कि उस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें कहने दीजिए ।

श्री दिनेश गोस्वामी : अगर मेरे मित्र बीच में बाधा डालना चाहते हैं तो मुझे उन्हें बताने दीजिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, महोदय अगर मुझे अपनी बात कहने की अनुमति नहीं है यो फिर हम गृह मंत्री जी को अपनी बात कहने की अनुमति नहीं देगें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया है । अगर वह विषय का हवाला देते हैं .....

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : यह निश्चय आपने करना है कि क्या आप अनुमति देते हो या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कहना है कि अगर वह किसी विषय का हवाला देते हैं तो मैं उसे नोट कर लूंगा

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे व्यवस्था का प्रश्न तैयार करने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप पहले नियम पढ़ें मैं आप सब के लिये नियम पढ़ूंगा । मैं इस समय केवल नियम पढ़ रहा हूं । मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर रहा हूं; मैं केवल नियम पढ़ रहा हूं । नियम बताता है :

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज-पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा ।"

श्री वी०शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अब उन्हें इसे सभा पटल पर रखना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने उत्तेजित क्यों हैं ? आप प्रत्येक बात में जल्दी करते हो । यह नियम आगे बताता है :

"परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा ।"

अतः यही नियम बताते हैं । उस उपबंध के तहत यह देखा जाना है

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न बनाने दीजिये **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम बताया है और अब उन्हें कहने दीजिये ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, जो कुछ मैं कह रहा हूं मुझे पूरा कहने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, मैंने उन्हें अनुमति दी है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न करने दीजिए । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अब गृह मंत्री का यह कहना है कि रिपोर्ट·····(**व्यवधान**) क्या आप मुझे अपनी बात करने की अनुमति देंगे अगर गृह मंत्री जी द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती है, इसे सभा पटल पर रखा नहीं जा सकता, इस का अर्थ है कि रिपोर्ट के किसी भी हिस्से पर चर्चा नहीं की जा सकती । यह निषेध विपक्ष ने किया है । अगर उस निषेध को हटाया जाता है तो हम बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि फिर हम अपने स्रोत से उद्धृत करेंगे और इसे सभा पटल पर रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप हमें उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं । अगर आप हमें उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं तो फिर वही निषेध गृह मंत्री जी पर भी लागू किया जाना चाहिए गृह मंत्री जी वास्तव में उस रिपोर्ट का हवाला और किसी पूर्व जांच या बाद की जांच का हवाला नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न यह है·····

श्री दिनेश गोस्वामी : आपके दो तरह के मानदण्ड हैं एक विपक्ष के लिये कि हमें हवाला देने की अनुमति नहीं है और दूसरा सत्ताधारी पक्ष के लिये कि वे हवाला दे सकते हैं । अगर गृह मंत्री जी उद्धृत करते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी, आप कृपया मेरी बात सुनिये । मैंने इस बारे में सुना है । अब मुझे कुछ कहने दीजिए ।

पहली बात यह है कि आपने कहा था कि मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह गलत है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : जी नहीं, मैंने यह नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपने कहा है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : अगर मैंने यह कहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं । मैं कह रहा हूं कि आप इसे नियम के अधीन कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब, जल्दबाजी न कीजिए । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सदन में मेरी स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट किया है । मेरी बात भी सुनिये । तसल्ली रखिये । मुझे तसल्ली है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं । मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं । मेरा पहले जैसा निश्चय है·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए ।

श्री भवेश्वर तांती (कलियाबोर) : आपको पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पक्षपात करने का प्रश्न नहीं है। मैं पक्षपात क्यों सूंगा ?

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : महोदय उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापिस लेना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उन शब्दों को वापिस लीजिए.....आपको शब्द वापिस लेने चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मुझे सख्त आपत्ति है उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री तांती से पूछ रहा हूं क्या वह उन शब्दों को वापिस लेगें ?

सरदार बूटा सिंह : मुझे इस पर सख्त एतराज है। उन्हें शब्द वापिस लेने चाहिए इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन शब्दों को वापिस लेने के लिये माननीय सदस्य से पूछ रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : उन्हें पीठासीन से क्षमा मांगनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं अपने पार्टी के लोगों की तरफ से क्षमा मांगता हूं। **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : यहां किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिए और पीठासीन से क्षमा मांगनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, मैं इसे वापिस लेता हूं.....**(व्यवधान)**

12.27 म०प०

(तत्पश्चात श्री भद्रेश्वर तांती सभा भवन से बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय : वह सदन से बाहर चले गये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। वह सदन से बाहर चले गये हैं।

सरदार बूटा सिंह : नहीं महोदय, इसे सदन के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल लिया जाना चाहिए। उन्हें क्षमा भी मांगनी चाहिए। बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह चले गये हैं।

[हिन्दी]

अब रहने दीजिए। मैंने सुन लिया...

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने सदन से बाहर आकर सदन का अपमान किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी क्षमायाचना स्वीकार की है और वह सदन से चले गये हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : जब मैंने कहा कि आपने अनुमति नहीं दी मेरा अभिप्राय था कि आप कानून के तहत प्रतिबद्ध थे। आपने रिकार्ड करते हुए कहा था कि कानून आपको अनुमति नहीं देता है। मैंने आप पर कोई आक्षेप नहीं किया है। मेरा मतलब था कि कानून आपको अनुमति नहीं देता। आपने अपने चैम्बर में भी बताया था कि क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता, आप अनुमति नहीं दे सकते···(व्यवधान)

हम बराबर बताते रहे हैं कि जहां तक आपका सम्बन्ध है आपने हमारे साथ ठीक किया। मैं आपको यही बता रहा हूं अगर कानून हमें मामला उठाने की अनुमति नहीं देता तो कानून श्री बूटा सिंह को भी मामला उठाने की अनुमति नहीं देता है। अगर श्री बूटा सिंह इसे उठाते हैं तो फिर हमारा अधिकार है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम के अधीन अगर वह कहते हैं कि यह सार्वजनिक हित में है या कोई बात है। मैं इसे करने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन वह इसे उल्लेखित नहीं कर सकते। मैं केवल यह कह सकता हूं।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के अन्तिम सुझाव का उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (अडागरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यही बात है या कुछ और बात है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा अलग नियम है, नियम 370 है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी कुछ सुनने दीजिए।

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : सर, आपकी बेइज्जती की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बेइज्जती है तो मुझे करने दीजिए। मैंने एपोलोजी एक्सैप्ट कर ली है।

श्री निर्मल खत्री : यह रूल के खिलाफ वाक-आउट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वाक-आउट नहीं हुआ है रूल के खिलाफ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट मुझे सुनने दीजिए। मैंने सुन लिया है। मेरी बेइज्जती····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपोलोजी एक्सैप्ट कर ली है।

श्री निर्मल खत्री : उन्होंने अपोलोजी नहीं मांगी है। आपकी रूलिंग के खिलाफ वाक-आउट किया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी रूलिंग पर वाकआउट नहीं हुआ है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : वाकआउट किया है, सर। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अखेश्वर आंती : मैं उसे वापिस लेता हूं। गलती से मैंने यह किया है। मैं अब्स चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह स्वीकार किया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा विभिन्न नियम अर्थात् नियम 370 पर व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 370 कहता है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि यह केवल मेरे अधिकार में है कि मैं इसे स्वीकार करूं या अस्वीकार। यदि मैं इसकी अनुमति देता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, अगर आपने वह विनिश्चय किया है तो आपने अच्छा किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है मैं इसे स्वीकार करूं या अस्वीकार। यही मैं कह सकता हूं। मैं आपके या उनके कहने के अनुसार कार्यवाही नहीं करूंगा। मुझे नियमों के अनुसार अपना कार्य करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं श्री उन्नीकृष्णन को बोलने के लिए कहूं, मैं आपकी सूचना के लिए इस नियम को एक बार फिर उद्धृत करता हूं क्योंकि आपको इस नियम 370 के तहत कार्य करना होगा।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे व्यवस्था का प्रश्न तैयार करने दें। आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते···

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्वानुमान नहीं लगा रहा हूं। मैं तो उसी उद्देश्य के लिए इसे एक बार फिर पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि :

"यदि, कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान, किसी ऐसे परामर्श या राय को अकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो वह साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या उसका संक्षेप पटल पर रखेगा"

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह नियम पढ़कर मेरी मेहनत कम करने और इस बात का पूर्वानुमान लगाने के लिए कि मंत्री महोदय को क्या कहना है, मैं आपका आभारी हूं। हमें नहीं मालूम कि किन कारणों से या किन मजबूरियों के कारण वे एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने जांच दल की रिपोर्ट का हवाला देने का प्रयास किया है। यह पहले ही कार्यवाही वृतान्त में है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भाई आप शोर क्यों करते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने आदमियों को रोक लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जब तक मंत्री महोदय अब यह नहीं कहते कि वे उस वाक्य को वापिस लेना चाहते हैं जो पहले ही कार्यवाही वृतान्त में है। (व्यवधान) रिकार्ड में हेर-फेर या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह पहले से ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल है। उन्होंने पहले ही इसे उद्धृत किया हुआ है। यह पहले से ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल है। वे इसे टेप से भी सुन सकते हैं। जब तक मंत्री यह कहना न चाहें, "मैं गलत था" तब वह रिकार्ड में ही रहेगा। इसलिए मेरी नियमापत्ति यह है कि उन्हें विशेष जांच दल की रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यकता पड़ी तो यह रखी जा सकती है···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे दूसरी दलील देते हैं। उनके पास दो या तीन मार्ग हैं। एक तो यह है कि वे कह सकते हैं "मुझे खेद है मैं विशेष जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में की गई अपनी टिप्पणी वापिस लेता हूं।" या वे कह सकते हैं, "यह लोक हित में नहीं है।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उनको तो खत्म कर लेने दो भगवन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म करने देंगे ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसलिए मैं आपसे इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

उन्होंने पहले ही इसे उद्धृत किया है। यह रिकार्ड में है। अब यह रिकार्ड में है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कुछ और कहना है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हां, और मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी तक श्री उन्नीकृष्णन द्वारा की गई सारी नियमावलि जारी रखने योग्य नहीं है। इसका कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने अभी तक इसे जारी नहीं रखा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नियम 370 के अनुसार इसे जारी नहीं रखा जा सकता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वीकार करता हूं, मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मेरे पास एक महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए शांताराम जी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई नई बात है, श्री रेड्डी ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए चुप कर के दो मिनट।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : महोदय, आप बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनका काम है, वह करेंगे। अपना काम आप करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जिस वैधानिक प्रतिबंध का श्री बूटा सिंह हवाला दे रहे थे वह केवल ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर लागू होता है न कि जांच के बाद वाली रिपोर्ट पर.....इसलिए

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

जांच के बाद वाली रिपोर्ट जिसमें श्री यदव के अपराध में शामिल होने का आरोप है इस प्रतिबंध के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए जांच के बाद वाली रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह वही बात है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आपकी व्यवस्था क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकार किया जाता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने क्या अस्वीकृत किया है ? इसमें कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है, आपने परन्तुक का ठीक हवाला दिया है। किन्तु उन्होंने, जानते हुए भी, इसका कतई जिकर नहीं किया है...।

अध्यक्ष महोदय : जब समय आएगा, हम तब देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इसे पढ़ा है और विशेष जांच समिति की रिपोर्ट से उद्धृत किया है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं

[हिन्दी]

आपकी जल्दबाजी सारा काम खराब करती है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, दूसरी रिपोर्ट परन्तुक के अधीन नहीं हो सकती। (व्यवधान) महोदय, आपको इस पर सीधा निर्णय लेना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गए कुछ सवालों का जवाब दे रहा था। मैंने इसे विपक्षी नेताओं की ओर से लिया क्योंकि विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में जो कुछ संयुक्त बैठक में हमने चर्चा की थी यह हूबहू था; और वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि सरकार के पास विवेकाधिकार की शक्तियां हैं। इसी बीच मैंने उस आयोग के विचारार्थ विषयों के बारे में उल्लेख किया था जो इस सदन की सम्पत्ति है और यह इस सदन की कार्यवाही में पहले ही आ चुका है। मैंने किसी दस्तावेज या किसी रिपोर्ट से कुछ भी उद्धृत नहीं किया है। (व्यवधान) मैंने

केवल विचारार्थ विषयों का उल्लेख किया था; और विचारार्थ विषयों में से एक...(व्यवधान) नहीं; मुझे पूरा करने दीजिए...मैंने आपकी बात सुनी थी....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, हम आपके हाथ में हैं। आपने यह निर्णय लिया कि आप अपना सुविचारित मत देंगे और इसके बाद अपना निर्णय लेंगे। महोदय, हम आपके निर्णय से बंधे हैं। यहां आपके निर्णय की कोई अवज्ञा नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि विपक्षी नेताओं की भी यही अवस्था है। उस विचारार्थ विषय में मैंने यह उल्लेख किया था कि यह जांच से पहले की कार्रवाई थी जिसके लिये सरकार ने निर्देश दिया था। श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कही गई बात के संदर्भ में जो कुछ मैंने कहा था वह इस रिपोर्ट में दिए गए किसी व्यक्ति के नाम के बारे में था। (व्यवधान) और मैंने आपको जांच पूर्व सूचना दी जो कि मुझे पता थी, कि यह जांच दल...(व्यवधान)

इसलिए, अन्तिम मुद्दे पर...(व्यवधान) ठीक है; मैंने इसे रिकार्ड में रखा था। तब इसमें क्या हुआ ? (व्यवधान) महोदय, अन्तिम बिन्दु पर अर्थात् कि सरकार के पास विवेकाधिकार की शक्तियां हैं, हमने आपको यह स्पष्ट कर दिया था, और सदन में भी हम इस स्थिति में हैं, कि हम लोक हित में, हम इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रखेंगे और हम लोकहित में इस विषय पर कोई चर्चा कराने पर सहमत नहीं होंगे। (व्यवधान) महोदय सरकार का यह निर्णय है और हमने इसके बारे में आपको बता दिया था और हम इस निर्णय पर अडिग हैं। (व्यवधान) महोदय, स्थिति यह है। (व्यवधान)

डा० कुपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मुझे नियमापत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक को बुला लिया है तो आप जिद क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठा चुके हैं।

डा० कुपा सिन्धु भोई : यह संविधान के अनुच्छेद 75, उप-खन्ड 3 के अधीन है यह इस प्रकार है :

मंत्रि परिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूचि में इस प्रयोजन के लिए दिये गये प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

भाग दो इस प्रकार है :

"संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता का प्रारूप, 'मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा

[डा० कृपा सिन्धु भोई]

अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

उन्होंने शपथ का उल्लंघन किया है और गोपनीय बातों का रहस्योद्घाटन किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(व्यवधान)

श्री तथ्यन बॉनम (मवेलिकरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री बूटासिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर का स्पष्ट रूप से खण्डन नहीं किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे इसका खण्डन करते हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आज आपने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की थी (व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई : मेरे व्यवस्था के प्रश्न के बारे में क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। अस्वीकार किया जाता है। यह कुछ और है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की मांग की थी क्योंकि रिपोर्ट के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो बता दिया है, कोई नई चीज बताइए।

[अनुवाद]

अब मुझे पिछला हवाला देना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बारी-बारी-करेंगे। आपकी जब बारी आयेगी तब आप कहना।

[अनुवाद]

क्या आपको कुछ और कहना है ?

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे कुछ और भी कहना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी ने सब बातें कह दी हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : रिपोर्ट अब कहां है ? श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न किया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट के पास है। इसमें क्या पूछने की बात है।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : यह कहा गया था कि सदन ने अधिसूचना की विषय-सूची जाने बिना ही अधिसूचना के पक्ष में मत दिया था। यह वक्तव्य कल श्री अशोक सेन ने दिया था। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए तो अलग नोटिस देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

इसके लिए अलग नोटिस देने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो हो चुका है।

[अनुवाद]

आप जो कुछ कह रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है। मैं पहले ही इस बारे में सुन चुका हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने श्री वी० पी० सिंह के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

[अनुवाद]

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (इलाहाबाद) : उन्होंने और मेरे श्री ए० के० सेन के विरुद्ध एक विशेषाधिकार नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच करनी होगी।

[हिन्दी]

यह तो मैं अभी देखूंगा।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप नेता हैं आप ही गड़बड़ करते रहते हैं ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है उसमें आपने एक शब्द भी नहीं जोड़ा है ।

श्री वसुदेव आचार्य : आप कैसे जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके सदस्य पहले ही ऐसा कह चुके हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह देखना चाहिए कि आप और अधिक क्या कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं जानता हूं कि कानून क्या है । कानून इस सदन द्वारा अधिनियमित किया गया है । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह वही बात है ।

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार के पास स्वविवेक की शक्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : यह वही बात है । आप कितनी बार ऐसा कहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक पुनः प्रस्तुतीकरण है । आपने हर बार यही बात कही है ।

श्री वसुदेव आचार्य : रिपोर्ट.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बाबा, यह बात तो सुन ली मैंने ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सुनिये । क्या अब इसमें कोई नई बात है ?

श्री वसुदेव आचार्य : अब जनहित में रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बाबा, सुन ली पब्लिक इण्टरैस्ट की बात, बहुत अच्छा हुआ ।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस सदन के सदस्यों को चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम आपको यह लिख चुके हैं कि हमें रिपोर्ट में हेर-फेर होने की आशंका है। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट आपकी हिरासत में रखी जानी चाहिए।..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा पहले ही कहा जा चुका है।

श्री वसुदेव आचार्य : ताकि रिपोर्ट में हेर-फेर न हो सके।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से क्यों समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न को उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं.....

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री शान्ताराम नायक : वे नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं नियम 172 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। (व्यवधान) सरकार को आयोग की रिपोर्ट को गुप्त रखने का अधिकार देने के लिए इस सदन द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। अब, महोदय, यह सरकार उनका तर्क यह है कि लोकहित में वे कोई चर्चा नहीं कराना चाहते परन्तु वे इसे गुप्त रूप से बाहर निकाल रहे हैं (व्यवधान) मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

भानु प्रताप जी, ठहर जाइये।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे अपनी बात करने दीजिए। मेरे मुद्दा यह है यदि वे इस विषय पर चर्चा कराना नहीं चाहते हैं तो आपको यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सरकार की ओर से कर्तव्य में लापरवाही की गई है। यदि वे नहीं चाहते.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है इसे अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने यह कहा है हमने रिपोर्ट को लीक किया है। यह एक निरर्थक बात है। यह दुर्भावनापूर्ण बात है यह राजनीति से प्रेरित है। यह श्री आरिफ और उनके सहयोगियों का पूर्व विचारित षडयंत्र है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये । अपनी सीटों पर बैठ जाइये । मैं अपनी बात कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि श्री बूटा सिंह रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखते हैं तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए । **(व्यवधान)** यह कर्त्तव्य पालन में लापरवाही है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । अब मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली है । मैं ऐसा कर चुका हूं । अब प्रश्न यह है .....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब सारों की बात मैं नहीं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता इस बारे में भाषण दे चुके हैं रघुमा रेड्डी जी कृपया आप बैठ जाइये ।

[हिन्दी]

अब तुम ऐसा करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा ।

[अनुवाद]

मुझे केवल यह बात कहनी है । मैं इस सदन को सुचारु रूप से चलाना चाहता हूं ।

[हिन्दी]

अब बैठ जाइये, जैन साहब ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी, मैंने पहले आपको अनुमति दी थी ।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैंने जो कुछ कहा था उसे किसी ने नहीं सुना..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुना है ।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैंने अभी-अभी माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य सुना है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि आयोग की रिपोर्ट के अलावा एक अन्य रिपोर्ट भी है जिसे बाद की जांच रिपोर्ट कहा जाता है..... **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : नहीं । **(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी : आपने ऐसा कहा है·····(**व्यवधान**) वे सभा पटल पर एक ऐसी रिपोर्ट रखने के लिए आधारशिला रख रहे हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से आयोग की रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। महोदय मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं। (**व्यवधान**) हम उस बाद की जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित नहीं हैं, जिसके बारे में वे बातें कर रहे हैं। मैं यह मांग करूंगा कि आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए·····(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं संक्षेप में एक संगत बात कहना चाहूंगा·····(**व्यवधान**) क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूं ? ·····(**व्यवधान**) महोदय, माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्य किसी बाद की जांच रिपोर्ट, का उल्लेख कर रहे हैं। अब श्री बूटा सिंह ने कुछ ऐसे निष्कर्षों का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने जांच के बाद निकाला है। उन्होंने बाद की जांच रिपोर्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं की। वे सभा पटल पर किसी रिपोर्ट को रखने की आधारशिला नहीं रख रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कहने का उन्हें अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि श्री आर० के० धवन को इसमें सम्मिलित नहीं पाया गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यह सरकार का निष्कर्ष है जिसे उन्होंने उचित प्रकार से सभा में प्रस्तुत किया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है·····(**व्यवधान**) मैं आपके ध्यान में अधिसूचना के बाद पारित किये गये संकल्प को लाना चाहूंगा। इसमें उल्लेख किया गया है :

> "कि यह सभा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिनांक 15 मई, 1986 की अधिसूचना सं० का० आ० 260 (अ) का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि राज्य की सुरक्षा तथा लोकहित की दृष्टि से यह उचित नहीं है कि प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखे जायें ···।"

यह संकल्प सरकार की अधिसूचना को स्वीकृति देता है। यह सदन का निर्णय बन जाता है। यह कहना गलत है कि·····(**व्यवधान**) यदि हमारे पास स्वविवेक की शक्ति होती तो भी हम यह अनुभव करते हैं कि लोकहित की दृष्टि से प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। हम आपके इस अनुमान को स्वीकार नहीं करते कि सरकार रिपोर्ट में हेर-फेर करेगी। यह सब राजनीति-प्रेरित झूठा प्रचार है। यह सरकार ईमानदार है·····(**व्यवधान**) हम रिपोर्ट पर चर्चा करने अथवा उसे सभा पटल पर रखने का समर्थन नहीं करते हैं। सरकार की यह स्थिति है ·····(**व्यवधान**)

श्री भगवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ कहना है·····(**व्यवधान**) मैं बोलने वाला अन्तिम व्यक्ति हूं। मैं दो दिनों से देख रहा हूं।·····(**व्यवधान**) महोदय, मुद्दा यह है कि माननीय प्रधान मंत्री की हत्या के कारण 10 हजार निर्दोष लोग मारे गये। ···(**व्यवधान**) महोदय, एक विशेष समुदाय को·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं।

(**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, एक विशेष दल की निंदा करने के लिए यह पुनः एक प्रचार आन्दोलन है·····(**व्यवधान**) मैं इसका खंडन करता हूं। यह बहुत आपत्तिजनक है·····(**व्यवधान**) यह अत्यन्त आपत्तिजनक है·····(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य मित्रों ने मुझे कहा था और मैंने भी आज सवेरे बैठक बुलाई है। मेरी कामना यह है कि हमें इस सदन के कार्य को शान्ति पूर्वक तथा चर्चा करके चलाना चाहिए। यह मेरा निश्चय रहा है, अब भी है और रहेगा कि हर विषय पर उचित चर्चा हो और चर्चा के द्वारा ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। चाहे वह कुछ भी हो। किंतु मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने अभी स्पष्ट किया और श्री गुप्ता ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी धारणा यह है कि यदि रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती है और यदि आपने मांग की है तो स्वाभाविक ढंग से इस पर चर्चा करने की अनुमति देना मेरा कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं जिन पर आप चर्चा की मांग नहीं करते हैं। इन्हें निश्चित रूप से माना जाता है। फिर यह सभा की इच्छा है। सदन ही सर्वोपरि है ...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं हैं। मेरे बीच में क्यों बोलते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अब उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जैसा वे कर रहे थे। इसमें कोई अन्तर नहीं है। यह केवल समय का प्रश्न है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको शर्म नहीं आती है थोड़ा बहुत,

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

जब मैं बोल रहा हूं और सभा से कुछ कह रहा हूं, आप व्यवधान डाल रहे हैं। आप उचित ढंग से मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते हैं ? सभा में थोड़ी शालीनता तो होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र सिंह जी, आप तो भले आदमी हैं, आपको क्या हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में शान्ति बनाये रखिए ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप सदन में चिल्लाने का मंच कर सकते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरी अनुमति के बिना ही कह रहे हैं। और मेरी अनुमति के बिना यह कार्यवाही वृतान्त का अंग नहीं बन सकता है।

(व्यवधान)*

1·00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठ सकता हूं। मुझे अधिक सहनशक्ति है। मैं एक हिमशैल की भांति हूं; मुझे कोई परवाह नहीं है। किन्तु यह समय आपका है, यह सदन आपका है। मैं केवल आगामी सदस्यों तथा भविष्य के बारे में विचार कर रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जो लोकतन्त्र का आश्वासन देगी। मेरा कहने का यही तात्पर्य है। मैं किसी वर्ग विशेष का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मैं केवल समस्त सदन का उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि यह ज्यादा आपके हित में है कि आप इस सदन को कुछ इस प्रकार से चलाएं जो आपने मेरे लिए निर्धारित किया है। यदि मैं एक बार अपने आप को आप के बनाये उस सच्चे पथ से हटा दूं तब आप मुझे···कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार सदन में कहा है कि मैं आपके आगे उत्तरदायी रहूंगा। मैं इस सदन से क्षमा मांगता हूं कि मैंने गलती की है किन्तु यह मेरा इरादा नहीं था। यदि यही इरादा था तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। किन्तु मैं यह कह रहा हूं कि कल जो मैंने कोलाहल देखा और यदि हम ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो हम सबका क्या होगा ? हमें इस पर चर्चा करनी है। आप का विपक्ष है और सत्तारूढ़ दल है, जो भी है। आप चाहते हैं कि मैं सदन की कार्यवाही का संचालन करूं किन्तु आपने जो कुछ यहां नियम बनाए हैं, मैं कैसे इसका उल्लंघन कर

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

सकता हूं ? श्री गुप्त ने ठीक ही कहा कि नियमों के अन्तर्गत किसी चर्चा की अनुमति देने में मुझे कोई संकोच नहीं है । मैंने पहले भी ऐसा ही किया है और सदा ऐसा ही करूंगा । मैंने ऐसा किया है । अब तो मेरी स्थिति साधारण है कि मैंने एक प्रकार के प्रस्ताव को सभापटल पर रखने की अनुमति दी है, जिसके द्वारा हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या यह सदन अपनी सिफारिश कर सकता है कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अत: बात इतनी थी । आपने इसे स्वीकार नहीं किया । दूसरी स्थिति यह है कि सरकार स्वयं ही आगे आती है और इसे सभा पटल पर रखती है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिए, वह तो सरकार के हाथ में है और उन्होंने स्पष्ट रूप से सभा पटल पर न रखने का अपना निर्णय व्यक्त किया है । अत: ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं । आपने अपनी वेदना व्यक्त की है । आपने इसे सभा पटल पर रखवाने की अपनी चिन्ता व्यक्त की है । अब तो आप चर्चा से ही सदन के अन्दर या बाहर कुछ कर सकते हैं ऐसे नहीं कि आप आपस में लड़ते रहेंगे । अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बजट पर वाद-विवाद आरम्भ कीजिए जो अधिक महत्वपूर्ण है···

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? मैं असहाय हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके वश में हूं । आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं आपके वश में हूं । मैं वही कर रहा हूं जो आपने मुझे करने के लिए कहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी निस्सहायता व्यक्त की है । आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं नहीं···

(व्यवधान)

1·03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियम, 1985, पर्वतीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियम, 1987, अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर आदि के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियम, 1985

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7519/89**]

(दो) पर्वतीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियम, 1987

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7520/89**]

(2) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7521/89**]

(दो) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7522/89**]

(तीन) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा का 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7523/89**]

(चार) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7524/89**]

(पांच) दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7525/89**]

भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड नई दिल्ली, और ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद बम्बई के 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7526/89]

(3) (एक) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात सवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7527/89]

(5) (एक) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7528/89]

(7) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7529/89]

भारतीय परिचर्या परिषद् का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) भारतीय परिचर्या परिषद् के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय परिचर्या परिषद् के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7530/89]

केन्द्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) नियम, 1988

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एस० बैठा) : मैं भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) नियम, 1988, जो 23 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1196 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7531/89]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं श्री राधा किशन मालवीय की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रबन्ध सेवा एकक भर्ती विनियम, 1988, जो 29 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-12(11)-4/86-स्था० आई (ए) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) (संशोधन) विनियम, 1988, जो 19 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन/12/13/1/86-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7532/89]

1.04 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

61वां प्रतिवेदन

श्री एम० तम्बिदुराई (धर्मपुरी) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

कार्यमंत्रणा समिति

67वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं, कार्यमंत्रणा समिति का 67वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

1.04½ म० प०

वर्ष 1989-90 के लिए पंजाब बजट के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब के बारे में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, पंजाब सरकार का वर्ष 1989-90 के लिए बजट और 1988-89 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें संसद में 15 मार्च 1989 को पेश की जानी थी। वित्त मंत्रालय ने अब सूचित किया है कि कतिपय समस्याओं की वजह से जो कि पंजाब के लिए 1989-90 की योजना से संबद्ध हैं, बजट दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ है और इस प्रकार 15 मार्च 1989 को बजट पेश करना सम्भव नहीं होगा। बजट अब 17 मार्च 1989 को प्रस्तुत किया जायेगा.....

मैं आशा करता हूं कि आप और सभा इस बात से सहमत हैं। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मध्याह्न भोजन का समय है। सभा 2.05 म० प० पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.06 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.08 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.08 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपको जन्म दिन की बधाई हो।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप अलग से नोटिस दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, क्या आप मुझे अनुमति देंगे ? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने देने वाली ऐसी क्या बात है ? पहले ही हम इस मामले की चर्चा कर चुके हैं। पहले ही इसका फैसला हो चुका है। अब आप मुझ से क्यों चर्चा करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, इसके लीक होने की जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : रिपोर्ट को लीक करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : उन्हें 'सार्वजनिक हित' को परिभाषित करना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनें।

श्री वसुदेव आचार्य : जब तक आप नहीं सुनेंगे ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनिए और फिर आप बोल सकते हैं। बोलने से पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप यहां आइए और मैं वहां जाकर खड़ा होता हूं। मैं भी आपसे वही बात पूछूंगा जो आप कहना चाहते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पहले ही हम इस मामले पर सुबह चर्चा कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष ने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि रिपोर्ट रखी जाये और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे इसे सभा पटल पर नहीं रख सकते। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? आप कहते हैं कि आपको रिपोर्ट चाहिए, वे कहते हैं कि एक संकल्प पहले सभा में पारित किया गया था और वे इसे सभा पटल पर नहीं रख सकते । मैं क्या कर सकता हूं बताइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)*

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : हम जानना चाहते हैं कि यह नाजुक मामला प्रेस तक कैसे पहुंचा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप एक अलग नोटिस दीजिए । आप इसे यहां इस तरह नहीं उठा सकते । आप एक अलग नोटिस दीजिए ।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं देखा है । उसे देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा ।

अब ध्यानाकर्षण—श्री कुमार मंगलम ।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न ऐसे शोरगुल में नहीं कर सकता ।

महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सरकार ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पेश करने की स्थिति में नहीं है । मंत्री महोदय ने पहले घंटे के अन्त में अपने वक्तव्य में कहा था कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट जांच से पहले की रिपोर्ट थी, फिर जांच के बाद की रिपोर्ट भी है जिसमें श्री धवन को निर्दोष साबित किया गया है जिसका तात्पर्य है कि ठक्कर आयोग ने श्री धवन पर अभियोग लगाया है अर्थात गृह मंत्री अब स्वीकार करते हैं कि ठक्कर आयोग ने श्री धवन पर आरोप लगाया है जिसे जांच की बाद की रिपोर्ट ने निर्दोष साबित किया है और इसलिए उन्होंने गोपनीयता का अधिकार खो दिया है । चूंकि उन्होंने अब ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कतिपय जानकारियां सभा पटल पर रखी हैं और यह सभा की सम्पति हो चुकी हैं अतः हम इन पर चर्चा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न ऐसे विषय पर उठाया जाता है जिस पर हम सभा में चर्चा कर रहे हों । अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं । उसके सम्बन्ध में आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने इसे सुबह नहीं उठाया था । मैं इस मूल मुद्दे को अब उठा रहा हूं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न उस विषय पर उठाया जा सकता है जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हों । अब ध्यानाकर्षण विषय चल रहा है । यदि आप इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा । जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : यह एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय **(व्यवधान)**

2.15 **म० प०**

इस समय श्री सत्यगोपाल मिश्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहे । कृपया वापस अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले अपना स्थान ग्रहण करें और फिर जो कुछ आप उठाना चाहते हैं; उठायें ।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री दिनेश गोस्वामी ने कतिपय प्रश्न उठाये हैं । मैं उनका जवाब देना चाहता हूं····· **(व्यवधान)**

2.16 **म० प०**

इस समय श्री राजकुमार राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

2.25 म० प०

(व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठे छात्रों को गणित का प्रश्न-पत्र "पाठ्यक्रम से बाहर" आने के कारण हुई भारी कठिनाई

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठे छात्रों को गणित का प्रश्न-पत्र अपरम्परागत, गलत तथा "पाठ्यक्रम से बाहर" आने के कारण हुई भारी कठिनाई से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।" (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० लाही) : अखिल भारतीय सीनियर माध्यमिक स्तर के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च, 1989 को आरम्भ हुई। गणित की परीक्षा 3 मार्च, 1989 को हुई। इस परीक्षा के बाद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनेक शिकायतें तथा प्रत्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें निम्नलिखित आरोप लगाए गए थे ;

(एक) पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष का गणित प्रश्न-पत्र अधिक कठिन तथा लम्बा था ;

(दो) प्रत्येक प्रश्न के लिए अंकित अंक दोषपूर्ण हैं क्योंकि उनका योग 98 अंक बनता है जबकि प्रश्न पत्र में 100 अंक दिए गए हैं ;

(तीन) प्रश्न पत्र का कुछ भाग पाठ्यचर्या से बाहर है।

इन शिकायतों का उल्लेख समाचार-पत्रों में भी किया गया है।

2. इन शिकायतों के प्राप्त होने पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, जहां कहीं जरूरी हो उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए, इन शिकायतों की यथार्थता की जांच की है।

3. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रत्येक विषय के लिए प्रश्न पत्रों के तीन समानान्तर सैट बनाने की प्रथा है। यह परीक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। केवल एक ही प्रश्न-पत्र निर्धारक होता है जो प्रश्न पत्रों के सभी तीनों सैट तैयार करता है ताकि प्रश्न-पत्रों की योजना में एकरूपता को सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न-पत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसरण में तैयार किए जाते हैं। तत्पश्चात् एक प्रश्न-पत्र जांचकर्ता इन प्रश्न-पत्रों की जांच करता है। प्रश्न-पत्र निर्धारक और जांचकर्ता इन दोनों की नियुक्ति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शाखी बोर्ड द्वारा की जाती है।

4. गणित प्रश्न-पत्र से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने के बाद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ अन्य सुविज्ञ लोगों की राय प्राप्त करने के अलावा प्रश्न-पत्र निर्धारक से इन शिकायतों की

बैधता का पता लगाया। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाया कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष का गणित प्रश्न-पत्र यद्यपि कुछ अधिक कठिन है, परन्तु यह न तो अनुचित रूप से कठिन है और न ही इसका कोई भाग पाठ्यक्रम से बाहर है। प्रश्न-पत्रों के सभी तीनों सैटों में कठिनता का स्तर लगभग समान है। फिर भी यह पाया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अंकित अंक वितरण में दोषपूर्ण है क्योंकि उनका जोड़ 98 तक ही बनता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समिति ने इन शिकायतों की जांच करने के लिए 11-3-1989 को एक बैठक भी की। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निर्णय किया है कि प्रश्न-पत्र में अंकों के दोषपूर्ण आवंटन की प्रतिपूर्ति के लिए उन सभी विद्यार्थियों को दो अतिरिक्त अंक दिए जायेंगे जो 10 अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्वाभाविक रूप से इस बात को सुनिश्चित करेगा कि छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो।

5. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त शैक्षिक संगठन है जिसकी विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में कार्य को विनियमित करने की अपनी पद्धतियां हैं। देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों में इसकी ऊंची साख है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रारम्भिक कार्रवाई करता है और विशेषज्ञों की सहायता से परीक्षा आयोजित करता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। गणित प्रश्न-पत्र के सम्बन्ध में, इस आशय की आशंका का कोई कारण नहीं कि छात्रों के प्रति चिन्ता के अभाव के कारण उनके न्यायोचित हितों की हानि होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताएं कि क्या करना है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे जारी रखने दिया हालांकि यह मामला देश भर के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से सम्बन्धित है। उन्हें विद्यार्थियों या जनता से कोई हमदर्दी नहीं है·····(व्यवधान) मुझे यह देखकर बेहद दुख हुआ है कि ऐसे अभागे विद्यार्थियों से आपको कोई सरोकार नहीं है जिन पर अत्याचार हुए हैं·····(व्यवधान) दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र न केवल शालीनता छोड़ बैठे हैं बल्कि वे अपनी अंतरात्मा भी खो बैठे हैं। उन्होंने इनको बांध कर घर में रख दिया है·····(व्यवधान) उनके लिए निजी स्वार्थों की पूर्ति ही राजनीति है। (व्यवधान) महोदय, केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 मार्च, 1989 को ली गई परीक्षा में·····(व्यवधान)··· विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र दिए गए थे·····(व्यवधान) ·····उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि सभा में कुछ व्यवस्था बनाए रखी जाए ? मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का एक मामला उठा रहा हूं जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा से सम्बन्धित है और विशेषतौर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लाखों विद्यार्थी इसका शिकार हुए हैं·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों विरोध कर रहे हैं ? यदि आप सभी निर्णय करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर पहले ही विचार कर चुके हैं। आप रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं और वे नियम उद्धृत करके इंकार कर रहे हैं। संविधान की सीमा में रहते हुए, जो भी आप चाहें मैं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूं। आपको अपनी इच्छानुसार कोई भी मामला उठाने का अधिकार है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां उपस्थित अधिकांश सदस्य सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हैं परन्तु आप ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। यदि आपकी रुचि नहीं है तो आप सदन से जा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए या सदन से बाहर चले जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाकर वहां से मुद्दा उठा सकते हैं लेकिन यहां से नहीं। जब तक आप यहां खड़े हैं, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन से बाहर चले जाइए अन्यथा मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों के अनुसार कार्य करना है। यदि आप नहीं जायेंगे तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। यही एकमात्र विकल्प है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों के नाम ले रहा हूं जो कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

(व्यवधान)

3.03 म० प०

सभा की सेवा से सदस्यों के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों को 15 मार्च, 1989 को उनके द्वारा सभा में किए गए ऐसे अभद्र व्यवहार के लिए जो कि सदस्यों के लिए पूर्णतया अशोभनीय है, इस सप्ताह के शेष दिनों के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए :

श्री सी० माधव रेड्डी

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव

श्री ई० अय्यपू रेड्डी

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी

श्री श्रीहरि राव

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी

डा० श्रीमती टी० कल्पना देवी

श्री जी० भूपति

श्री एम० रघुमा रेड्डी

श्री मानिक रेड्डी

श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वरराव

श्री पी० अप्पालानरसिंहम

श्री सी० सम्बू

डा० जी० विजय रामा राव

श्री एच० ए० डोरा

श्री बसुदेव आचार्य

श्री अजित कुमार साहा

श्री बाजु बन रियान

श्री हन्नान मौल्लाह

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी

श्री सैयद मसुदल हुसैन

श्री जायनल अबेदिन

श्री अजय विश्वास

श्री सत्यगोपाल मिश्र

डा० सुधीर राय

श्री अनिल बसु

श्री मतिलाल हंसदा

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक

श्री एस० जयपाल रेड्डी

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर

श्री राम बहादुर सिंह

श्री तम्पन थामस

श्री विजय कुमार मिश्र

श्री इन्द्रजीत गुप्त

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री विजय कुमार यादव

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

श्री दिनेश गोस्वामी

श्री भद्रेश्वर तांती

श्री एम० आर० सैकिया

श्री पलास बर्मन

श्री सनत कुमार मण्डल

श्री चरनजीत सिंह वालिया

श्री त्रिलोचन सिंह तुर

श्री सी० जंगा रेड्डी

डा० ए० के० पटेल

श्री अमर राय प्रधान

श्री चित्त महाता

डा० ए० कलानिधि

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया

श्री डी० बी० पाटिल

श्री आरिफ मोहम्मद खां

श्री राज कुमार राय

श्री राम धन

श्री राम पूजन पटेल

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री मानवेन्द्र सिंह

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह **(व्यवधान)**

उन्होंने इसके लिए बाध्य किया है। वह इसे आमंत्रित कर रहे हैं। उनका व्यवहार संसद सदस्यों जैसा नहीं है। वे राजनैतिक बाजीगरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा की बैठक 3.30 म० प० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

3.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 3.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.47 म०प०

लोक सभा 3.47 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा की सेवा से सदस्यों के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच० के० एल० भगत ने कुछ सदस्यों के निलम्बन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं अब प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न है :—

"कि निम्नलिखित सदस्यों की 15 मार्च, 1989 को उनके द्वारा सभा में किए गए ऐसे अभद्र व्यवहार के लिए जोकि सदस्यों के लिए पूर्णतया अशोभनीय है, इस सप्ताह के शेष दिनों के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए :

श्री सी० माधव रेड्डी

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव

श्री ई० अय्यपू रेड्डी

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी

श्री श्रीहरि राव

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी

डा० श्रीमती टी० कल्पना देवी

श्री जी० भूपति

श्री एम० रघुमा रेड्डी

श्री मानिक रेड्डी

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वरराव

श्री पी० अप्पालानरसिंहम

श्री सी० सम्बु

डा० जी० विजय रामा राव

श्री एच० ए० डोरा

श्री वसुदेव आचार्य

श्री अजित कुमार साहा

श्री बाजुबन रियान

श्री हन्नान मौल्लाह

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी

श्री सैयद मसुदल हुसैन

श्री जायनल अबेदिन

श्री अजय विश्वास

श्री सत्यगोपाल मिश्र

डा० सुधीर राय

श्री अनिल बसु

श्री मतिलाल हंसदा

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक

श्री एस० जयपाल रेड्डी

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर

श्री राम बहादुर सिंह

श्री तम्पन थामस

श्री विजय कुमार मिश्र

श्री इन्द्रजीत गुप्त

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री विजय कुमार यादव

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

श्री दिनेश गोस्वामी

श्री भद्रेश्वर तांती

श्री एम० आर० सैकिया

श्री पलास बर्मन

श्री सनत कुमार मण्डल

श्री चरनजीत सिंह वालिया

श्री त्रिलोचन सिंह तुर

श्री सी० जंगा रेड्डी

डा० ए० के० पटेल

श्री अमर रायप्रधान

श्री चित्त महाता

डा० ए० के० कलानिधि

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया

श्री डी० बी० पाटिल

श्री आरिफ मोहम्मद खां

श्री राज कुमार राय

श्री राम धन

श्री राम पूजन पटेल

श्री विद्याचरण शुक्ल

श्री मानवेन्द्र सिंह

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उन्हें अनुगृहीत कर रहा हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सदस्य सभा से निलम्बित होना चाहते हैं । श्री नारायण चौबे और कुछ अन्य सदस्य निलम्बित होना

[श्री एच० के० एल० भगत]

चाहते हैं। वास्तव में, वे सभी निलम्बित होना चाहते हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उन्हें निलम्बित किया जाए। मैं उन्हें अनुगृहीत करना चाहता हूं। वे निलम्बन चाहते हैं। उन्हें निलम्बित किया जाए।

हम सभी को निलम्बित नहीं करना चाहते थे। आप सभी राजनैतिक कारणों से निलम्बित होना चाहते हैं। इसलिए, मैंने कहा, "ठीक है।"

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निम्नलिखित सदस्यों को 15 मार्च, 1989 को उनके द्वारा सभा में किये गये ऐसे अभद्र व्यवहार के लिए, जो कि सदस्यों के लिये पूर्णतया अशोभनीय है, इस सप्ताह के शेष दिनों के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये :

(1) श्री सोमनाथ चटर्जी

(2) श्री सैफुद्दीन चौधरी

(3) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

(4) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

(5) श्री नारायण चौबे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"कि निम्नलिखित सदस्यों को 15 मार्च, 1989 को उनके द्वारा सभा में किये गये ऐसे अभद्र व्यवहार के लिए, जो कि सदस्यों के लिये पूर्णतया अशोभनीय है, इस सप्ताह के शेष दिनों के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये :

(1) श्री सोमनाथ चटर्जी

(2) श्री सैफुद्दीन चौधरी

(3) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

(4) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

(5) श्री नारायण चौबे

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.55 म०प०

श्री एच० के० एल० भगत : श्री आरिफ मोहम्मद खां ने एक महिला मंत्री पर प्रहार करने का प्रयास किया। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपने मुझे निलम्बित नहीं किया। मैं इस भेदभाव का विरोध करता हूं। **(व्यवधान)** मैं स्वयं को निलम्बित मानता हूं।

3.56 म० प०

(इस समय श्री सैयद शाहबुद्दीन सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री एच० के० एल० भगत : हम उन्हें निलम्बित नहीं करना चाहते थे, परन्तु वे राजनैतिक लाभ उठाने के लिए निलम्बन की मांग कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : निलम्बन सम्बन्धी इस प्रस्ताव से, उनका होली का त्यौहार खराब न किया जाए। निलम्बन के बावजूद, उन्हें दैनिक भत्ते का हक होना चाहिए। **(व्यवधान)** मैं इस पर श्री एच० के० एल० भगत की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मुझे खेद है कि इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा सका और हम भारी संख्या में सदस्यों का निलम्बन देख रहे हैं। निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव के विरोध में, मैं इस सभा से बहिर्गमन करता हूं।

3.57 म० प०

(इस समय श्री जी० एम० बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री हकभाई मेहता (अहमदाबाद) : मैं नहीं जानता कि श्री माधव रेड्डी तथा अन्य अनेक सदस्यों को क्यों निलम्बित कर दिया गया है, जिन्होंने भाग नहीं लिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया स्पष्ट करें।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने यह स्पष्ट कर दिया था। पहले मेरा प्रस्ताव उन सदस्यों के निलंबन के बारे में था जो सदन के बीचोंबीच लगातार खड़े रहे।

4.00 म० प०

मैंने सभी को निलम्बित करना नहीं चाहा। परन्तु जिन्हें निलंबित किया गया है वे निलम्बन के इच्छुक थे। उन्होंने कहा, "हम सबको निलम्बित कर दिया जाये"···**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनिये। कुछ हद तक स्थिति बचाने के लिये···**(व्यवधान)** वे ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए चाहते थे। वे ऐसा ही चाहते थे। उन्होंने निलम्बन हेतु एक प्रयास किया। वे राजनीतिक लाभ चाहते थे। मुझे विश्वास है कि इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं हो सकता···**(व्यवधान)** इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। उनमें से अधिकांश निलम्बन चाहते थे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : उन्हें उनके निवेदन पर ही निलम्बित किया गया है।

4.01 म० प०

सदस्य की भर्त्सना के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वे ऐसा चाहते थे। इसलिए उन्हें निलम्बित किया गया है। अब मैं एक और प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। यह मामला बड़ा गम्भीर है। यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री आरिफ मोहम्मद खां ने महिला मन्त्री श्रीमती शीला दीक्षित के साथ हाथापाई करने तथा उनसे कागज छीनने का प्रयास किया

(व्यवधान) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा श्री आरिफ मोहम्मद खां, संसद सदस्य की संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्रीमती शीला दीक्षित के साथ हाथापाई करने और उनसे पत्र छीनने का प्रयास करने के लिए घोर भर्त्सना करती है।" (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ? ऐसा नहीं है कि वे यह चाहते थे। वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं। परन्तु हमें सहृदयतापूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें दैनिक भत्ता मिलता रहे।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं और क्या कर सकता हूं ? वे यही चाहते थे। अन्यथा वे वाक आउट नहीं करते तथा अनेक समस्यायें पैदा नहीं करते। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कहता हूं कि निलम्बन के बावजूद भी उन्हें दैनिक भत्ता मिलता रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : उनमें से अधिकांश ने ऐसा करने के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री सेवा सिंह सिल्ल (खुखराना) : यह लोकतांत्रिक कार्यवाही नहीं है। बड़े पैमाने पर निलम्बन कोई लोकतांत्रिक कार्यवाही नहीं है। कुछ सदस्य पीछे बैठे हुए थे, उन्हें भी निलम्बित कर दिया गया। यह गलत है। वास्तव में जिस व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया था उसे ही निलम्बित किया जाना चाहिए था (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : वे सब निलम्बन के लिए कह रहे थे। (व्यवधान) तथापि आज नियमों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया और अनेक सदस्यों ने अनेक तरीकों से इसमें सहयोग दिया (व्यवधान) वह माननीय सदस्य यहां आकर चिल्लाने लगे। उनमें अनेक सदस्य थे। (व्यवधान)

श्री सेवा सिंह गिल : यदि कोई सदस्य आपसे निलम्बन के लिए कहे तो क्या आप निलम्बित कर देंगे ? यह नियमों का खुला उल्लंघन है। जिन्हें निलम्बित किया गया है वे अपनी सीटों पर बैठे थे। यह पूर्णतः गलत और अलोकतांत्रिक है।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने इसके लिए कहा था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनिये। जब सभा की कार्यवाही चल रही थी तो अनेक सदस्यों ने मेरे पास आकर मामला उठाया। मैं सभा की कार्यवाही न चला सका। इसलिए श्री एच० के० एल० भगत ने सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव रखा। अन्य सदस्यों भी ऐसा ही चाहते थे। वे निलम्बित होना चाहते थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे भी आये। मैंने उनसे कभी बाहर जाने के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने यहां आकर ऐसा चाहा तो श्री एच० के० एल० भगत ने शेष सदस्यों के नामों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव रखा। केवल वे यहां आये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने इसे पेश किया तो वे इस पर आपत्ति कर सकते थे। उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की ? जब मैं उनके नाम ले रहा था और निलम्बन के लिए सदस्यों के नामों का उल्लेख कर रहा था तो उन्होंने आपत्ति नहीं की। बात यह है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एच० के० एल० भगत द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सभा के मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री आरिफ मोहम्मद खां, संसद सदस्य की, संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्रीमती लीला दीक्षित के साथ हाथापाई करने और उनसे पत्र छीनने का प्रयास करने के लिए, घोर भर्त्सना करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री शमिंदर सिंह (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह डिक्टेटरशिप है ।···(**व्यवधान**) आपके रिकार्ड में कोई एक बात भी दर्ज है ?···(**व्यवधान**)···डिप्टी स्पीकर साहब, (**व्यवधान**) आप इस आर्डर को वापस लीजिए।

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल : हमें उन सदस्यों के नाम बताये जाने चाहिए जिन्हें निलम्बित किया गया है। क्या किसी का नाम है ? अध्यक्ष पीठ ने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है। उन्हें निलम्बित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री एच० के० एल० भगत : आप उनका वकील बनना चाहते हैं, जो सस्पैण्ड होना चाहते हैं।···(**व्यवधान**)···अगर नहीं करते तो नहीं निकलते। यह तो उनका कहना था कि सबको निकालो।

[अनुवाद]

वे निलम्बित होना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री शमिंदर सिंह : आपके पास रिकार्ड में एक लाइन भी है ?

[अनुवाद]

श्री सलीम आई० शेरवानी (बदायूं) : वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। वे निलम्बित होना चाहते थे। (**व्यवधान**)

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : जो सदस्य उपस्थित नहीं थे वे उन्हें भी निलम्बित कराना चाहते थे।

श्री मेवा सिंह गिल : हमें उन सदस्यों के नाम बताये जायें जिन्हें निलम्बित किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : कितनी गलत राजनीतिक पैंतरेबाजी है। (**व्यवधान**) वे निलम्बित होना चाहते थे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री मेवा सिंह गिल : यह लोकतांत्रिक कदम नहीं है···(**व्यवधान**) यदि सभी का निलम्बन किया गया है तो हमारे पास वाकआउट के अलावा कोई चारा नहीं है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ? आप मुझे बताइये। जब मैंने नामों का उल्लेख किया तो उन सदस्यों ने भी आपत्ति नहीं की जो उपस्थित थे। उसका मतलब है कि उन्हें यह स्वीकार था। बस। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह : यह आपने रूल्स की वायलेशन की है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह : रूल्स की वायलेशन हुई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मेवा सिंह गिल : हम उन सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिये हैं। मैं दुबारा नहीं बता सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह : छः महीने की बात है। एक बार एलेक्शन कराकर देखो, सब खत्म हो जायेंगे। (**व्यवधान**) हम वाकआऊट करते हैं।

[अनुवाद]

4.07 म० प०

(इस समय श्री मेवा सिंह गिल और श्री शमिन्दर सिंह सभा भवन से बाहर चले गये)

4.07 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण (जारी)

12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठे छात्रों को गणित का प्रश्नपत्र "पाठ्यक्रम से बाहर" आने के कारण हुई भारी कठिनाई—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम बोलेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि कम से कम दो घन्टे बाद तो मुझे यह बताने का अवसर मिला·····(व्यवधान) मैं आभारी हूं कि दो घन्टे के अशोभनीय व्यवहार तथा अशिष्ट तरीके के कार्य के बाद, जिसमें हमने हाथापाई करने के प्रयास भी देखे, कम से कम अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने का अवसर मिला। यह वास्तव में हृदय विदारक है कि हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में जो छात्र बैठे उन्होंने परीक्षा की पूरी तैयारी की थी परन्तु प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम तथा प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभा से भी बाहर था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस भूल की शिकायत कुछेक छात्रों ने नहीं बल्कि हजारों छात्रों ने की है। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, "जी हां, प्रश्न पत्र कुछ कठिन हो सकता है तथा विगत वर्षों से अधिक कठिन हो सकता है परन्तु यह न अत्यधिक कठिन है और न ही इसका कोई भाग पाठ्यक्रम से बाहर है।" ठीक है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने माना है कि प्रश्न पत्र अपरम्परागत था तथा इसे हल करने के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता थी। मुझे आश्चर्य है कि यह उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा थी अथवा आडम्बर और मजाक था जिसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करना चाहता था।

महोदय, मैं विशेषत: बताना चाहता हूं कि गणित के प्रश्न पत्र का प्रश्न 8 (क) और 7 (क) पाठ्यक्रम से नहीं थे। वे पाठ्यक्रम के बाहर थे तथा अधिकांश प्रश्न मेधावी छात्रों की प्रतिभा से काफी बाहर थे।

वास्तव में गणित चिन्हों वाले प्रश्न उन प्रश्नों से भिन्न थे जो पुस्तकों में दिये गये हैं तथा उन प्रश्न पत्रों से भी भिन्न थे जो पहले एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा निर्धारित किये जाते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि यद्यपि यह मामला केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार के ध्यान में लाया गया है, परन्तु मन्त्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्तशासी शैक्षिक संस्था है जो अपने कार्यक्षेत्रों में अपनी प्रणालियों द्वारा कार्य विनियमन करती है और उसकी बहुत विश्वसनीयता है। मुझे खेद है कि आज यह विश्वसनीयता बड़ी विवादास्पद बन गई है।

यदि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य शैक्षिक संस्थायें इसी प्रणाली को अपनायेंगी तो निसन्देह ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जिसमें हम देखेंगे कि ऐसी परीक्षाओं में लोगों की योग्यता की परीक्षा नहीं ली जाएगी बल्कि उनसे विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या स्नातक की परीक्षा में बैठने के लिए कहा जायेगा। प्रश्न पत्र का स्तर नि:संदेह स्कूल छोड़ने वाले छात्र का न होकर बी० एस० सी० के छात्र का था।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा का उपहास करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कठित परीक्षा समिति के ज्ञापनों के आधार पर ईश्वर जाने इनमें क्या समाविष्ट है, यह निर्णय लेने का दुस्साहस किया है कि प्रश्न पत्र में अंकों के त्रुटिपूर्ण आबंटन की प्रतिपूर्ति के लिए दस या अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को दो अंक दे दिए जायें। मैंने अपने 37 वर्षों के जीवन काल में यह कभी नहीं सुना कि 100 अंकों वाले प्रश्न पत्र को 98 अंकों वाला बना कर 2 अंक अनुग्रह के रूप में दिए गये हों। वे प्रश्नों के लिए अंक भी निर्धारित नहीं कर सकते। वे प्रश्नपत्र कैसे तैयार करते हैं ?

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : यह नहीं लिखा कि उसको सैसपैंड करेंगे या नहीं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या मालूम है, उसको प्रमोट किया हो।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : जिसकी गलती हो, उसके बारे में तो लिखें।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरे दोस्त ने जो कहा है वह सही है। परन्तु हम यह जानते हैं कि जिसने यह प्रश्न पत्र बनाया है और अंक दिए है उसे सम्भवत: पदोन्नित मिलेगी। बोर्ड की यही कार्य प्रणाली है।

आश्चर्य की बात यह है कि 2 अंक प्राप्त करने के लिए वे 10 अंक लेने आवश्यक क्यों हैं। स्पष्ट है कि परीक्षा समिति ने स्वयं ही सोचा होगा कि एक सामान्य विद्यार्थी 10 अंक ही प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि 2 अतिरिक्त अंक रख रहे हैं। वे 10 अंकों में से ही मूल्यांकन क्यों नहीं करते ? हमें 90 अंक छोड़ कर उन्हें 90 अनुग्रहांक देकर पूरी परीक्षा प्रणाली को एक मजाक बना देना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि मानव संसाधन राज्य मन्त्री जी ने इस सभा में यह वक्तव्य दिया है कि इस बात की आशंका का कोई कारण नहीं है कि विद्यार्थियों के उचित हित उनके प्रति चिन्तन के अभाव में प्रभावित होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर उन्होंने यह वक्तव्य दिया है और सभा में यह आश्वासन दिया है।

बेशक केवल दो अंक बढ़ाये गये हैं। अधिकांश विद्यार्थी जिन्होंने दिल्ली में गणित की परीक्षा दी है—हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए—जिनके पास भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित विषय हैं और आगे जिनका लक्ष्य वैज्ञानिक बनना है वे सभी प्रवेशी परीक्षाओं में रह जायेंगे। यहां तक कि उन्हें घटिया से घटिया महाविद्यालयों में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा ही होगा और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। मेरे विचार में यह स्थिति निम्नलिखित कदम उठाने से सुधर सकती है।

सर्वप्रथम, जिस व्यक्ति ने प्रश्न पत्र तैयार किये हैं और जो व्यक्ति निर्णायक था उसके विरुद्ध केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। जब तक कि मार्गनिर्देश नि:सन्देह पाठ्यक्रम से बाहर जा सकने के न हों। फिर जिस बोर्ड ने भी पाठ्यक्रम की रूप रेखा तैयार की हो उसे बरखास्त कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बोर्ड का कोई काम नहीं है।

दूसरे तत्काल यह हिसाब लगाया जाना चाहिए कि कितने अंकों के कितने प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर हैं। मैंने यह काम किया है और पाया है कि कम से कम 24 अंक या तो पाठ्यक्रम से बाहर हैं या बहुत ही मेधावी छात्र की क्षमता से भी बाहर हैं—यदि मैं अपने एक अन्य मित्र को उद्धृत करूं। मैं यह महसूस करता हूं कि प्रत्येक छात्र को कम से कम 20 अनुग्रहांक दिये जाने चाहिये। अन्यथा छात्रों के साथ यह धोखाधड़ी होगी।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : यह कोई तरीका नहीं है। आप ग्रेस मार्क्स क्यों मांग रहे हैं। इस पेपर का फिर से एग्जामिनेशन होना चाहिए। आप बच्चों की जिन्दगी के साथ खेल रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इन्हें बोलने का मौका तो दो।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही मामूली प्रस्ताव है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : दुर्भाग्य यह है कि ऐसा लगता है कि आरिफ जी ने मेरे प्रस्ताव को पूरा न करने देने के लिए मेरे दोस्त को प्रभावित कर दिया है।

[हिन्दी]

मुझे सेन्टेन्स तो पूरा करने दो। (व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : यह गलत बात है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बहस न करें।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मुझे अपने मित्र श्री जयप्रकाश अग्रवाल के लिए खेद है क्योंकि दूसरे सदस्य की बात सुनने का भी उनमें धैर्य नहीं है। आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिये और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा करना रीति बन गई है।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : ये दिल्ली के बच्चे हैं। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम क्या करें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरे बच्चे भी यहां पढ़ते हैं। मुझे पता नहीं, आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : मेरे भी यहीं पढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : बात यह है कि यदि आप परीक्षा फिर से नहीं करा सकते.....

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : वे फिर से क्यों नहीं करा सकते ? (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : वे फिर से परीक्षा क्यों नहीं करा सकते ? उन्होंने मन्त्री से गलत वक्तव्य दिला दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मन्त्री जी द्वारा दिया गया उत्तर नहीं है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं । वह एक सदस्य है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने दीजिए ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम यह नहीं होने देंगे ।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : एजूकेशन पालिसी आप इसमें ला रहे है ।·····**(व्यवधान)** लोगों का गला काट रहे हैं । यह गलत बात है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें ।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, इन्हें संभालिए । उन्हें क्या हो गया है ? मैं सुरक्षा चाहता हूं क्योंकि श्री जयप्रकाश अग्रवाल शायद मेरी बात सुने बिना ही मुझ पर हमला कर दें । मुद्दा यह है कि वक्तव्य में माननीय मन्त्री ने बेशक यह कहा है कि पुनः परीक्षा आयोजित करना सम्भव नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि तकनीकी कारणों से—उदाहरण के तौर पर मैं जानता हूं कि वह यह कह सकते हैं कि दूसरी परीक्षा आयोजित करने के लिए समय नहीं है—यह सम्भव नहीं है तो मेरा सुझाव यह है कि उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई तरीका निकालिये । यही कारण है कि मैं एक विशेष सुझाव दे रहा था ताकि ये छात्र अन्य छात्रों से प्रतियोगिता में पिछड़ न जायें । अग्रवाल जी, यही कारण है कि मैं ऐसा कह रह था । दुर्भाग्यवश मेरे कुछ दोस्तों को यह आदत है और पिछले दो घन्टों से उन्होंने हम सबको भी प्रभावित किया है । मैं उन्हें दोष नहीं देता ।

हमारे सामने मुद्दा यह है कि दिल्ली में 12000 विद्यार्थी हैं । वास्तव में, यहां तक कि मद्रास में भी—कल के "हिन्दू" समाचार पत्र में देख सकता है—छात्रों ने यह शिकायत की है कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर बनाया गया है । इस तकनीक और प्रणाली को रोका जाना चाहिए । छात्रों की कल्पना शक्ति की परीक्षा नहीं ली जा रही है । यह वस्तुतः हजारों छात्रों के जीवन से खेलना है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अफसरों को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि लोगों और छात्रों का पक्ष लेंगे । कुछ मंत्रियों की यह प्रवृति कि अफसरों द्वारा कही गई बात को ही प्रस्तुत करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है···**(व्यवधान)** मेरा आशय बिल्कुल स्पष्ट है । पूरे देश में छात्र हैं यहां तक कि तमिलनाडु में भी हैं जिन्होंने इस प्रश्न पत्र में क्षति उठाई है और यह निवेदन किया गया है कि पुनः परीक्षा आयोजित की जाए । यदि ऐसा नहीं किया जाता है, वास्तविक कारणों के लिए, उदाहरण के तौर पर प्रवेश के लिए अन्तिम तिथि निकली जा रही है और लोग अयोग्य हो जायेंगे, फिर मेरा निवेदन है कि उन्हें पुनर्मूल्यांकन द्वारा इतने पर्याप्त अंक अवश्य प्रदान किये जायें जितने उनके

अन्य उत्तरों के अनुरूप हों। अन्यथा, उन्हें हानि होगी। आपको प्रश्न पत्र में से वे प्रश्न निकालने होंगे अथवा आपको अंक देने होंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तव में यह होगा कि युवा पीढ़ी में विद्रोह भड़केगा और भारी संख्या में कटु स्वभाव वाले, निराश तथा ऐसे लोग हो जायेंगे जिनका इस व्यवस्था से विश्वास उठ जायेगा। मैं नहीं जानता कि प्रश्न पत्र बनाने वाले अध्यापक के मन में यह उद्देश्य था या नहीं। परन्तु यह बिल्कुल सम्भव है।

मैं इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि अपने उत्तर में मंत्री महोदय केवल यही विश्वास नहीं दिलायेंगे कि 'गणित के प्रश्न पत्र के सम्बन्ध में इस बात की आशंका निर्मूल है कि छात्रों के लिए चिन्ता के अभाव में उनके न्यायोचित हितों की हानि होगी।' वक्तव्य से ही मुझे भारी आशंका हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि सरकार इसी बात पर अडिग रही तो उन्हें हानि होगी। इसलिए, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें अपने उत्तर में हमें यह गारन्टी तथा विश्वास दिलाना चाहिए कि या तो वह पुनः परीक्षा करायेंगे या वह स्वयं इस बात को अपने ऊपर लेंगे कि उन विद्यार्थियों जो गणित की परीक्षा में बैठे थे, जो कोर्स वे मांग रहे हैं, वही मिलेगा। यदि वह मुझे विश्वास दिला सकते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन साज।

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ अध्ययन किया है और यह महसूस करता हूं कि मेरे लिए यह ऐसा अवसर है जबकि मैं श्री साही, जिनका मैं आदर करता हूं, द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत सारहीन और नीरस वक्तव्य से असहमत हूं। यदि यह बोर्ड से मिली रिपोर्ट के आधार पर है तो मुझे कहना पड़ेगा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माननीय मंत्री के साथ अन्याय किया है। उन्होंने स्वायत्तता का जिक्र किया है। मैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वायत्तता को मानता हूं—परन्तु संसद से ऊपर कुछ नहीं है। यह आम जनता की आवाज का सबसे ऊंचा मंच है। मैं इस प्रश्न पत्र की आंशिक रूप से पाठ्यक्रम से बाहर, कठिन तथा अधिकांश छात्रों की समझ से बाहर होने के कारण निन्दा करता हूं—जिसे देख कर अधिकांश छात्रों को पसीना आ गया और वे हक्के-बक्के रह गए। इसने विद्यार्थी वर्ग में तबाही मचा दी। बोर्ड के अध्यक्ष डा० सिंहा ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए था··· **(व्यवधान)**···यदि मंत्रालय आपको वह बताये कि बोर्ड स्वायत्त है तो आप उन्हें बता दीजिए कि संसद के समक्ष प्रत्येक संस्था जवाबदेह है क्योंकि संसद जनता की आवाज का सर्वोच्च मंच है। संसद उसे बदल सकती है, बना या बिगाड़ सकती है। अतः वे स्वायत्तता का जिक्र क्यों करते हैं ? मुझे इस पर आपत्ति है। इस स्वायत्तता की आड़ में उन्होंने माननीय मंत्री को गुमराह किया है।

श्री हरभाई मेहता (अहमदाबाद) : स्वायत्तता का अर्थ तानाशाही नहीं है। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं डा० सिंहा का आदर करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका विरोधी नहीं हूं। डा० सिंहा ने स्वयं भी यह स्वीकार किया है कि यह लीक से हटकर तैयार किया गया प्रश्न पत्र है और जब शिक्षा मंत्री से हमारे समक्ष उत्तर दिलाते हैं तो वे वक्तव्य में केवल यही बात कह सकते हैं।

यद्यपि मैं आपका सम्मान करता हूं परन्तु मैं इस वक्तव्य को नहीं मानता। बोर्ड ने अनुचित कार्य किया है। उन्हें मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए था और मंत्रालय के लोगों को मंत्री

[श्री० सैफुद्दीन सोज]

महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मंत्री महोदय को हमारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। वह अब भी अपनी स्थिति छिपाते हैं। यह नहीं कहते कि यह अपरम्परागत प्रश्नपत्र था। अनेक सम्पादकीय लिखे गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति ने उद्धृत किया है कि यह अपरम्परागत था। इस वक्तव्य में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। आप अपने स्तर से क्यों नहीं कहते कि यह कठिन था ? कोई छात्र इसे तीन घंटे में हल नहीं कर सकता। यद्यपि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ छात्रों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से समाचार पत्रों का जवाब दे सकती थी उन्होंने यह बताते हुए दो या तीन पत्र दिये कि यह उच्चस्तरीय प्रश्न पत्र था यद्यपि अनेक पत्रों में इसके विपरीत कहा गया। प्रधानाध्यापकों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित अध्यापकों की शिकायत है कि यह प्रश्न पत्र कठिन था। यह अपरम्परागत था। बोर्ड ने इसे प्रतिष्ठा का मामला बना दिया है। उनका कहना है कि बोर्ड की छवि खराब हो जायेगी। यह खराब नहीं होगी बल्कि जब वे छात्रों को उपद्रव और अनुशासनहीनता फैलाने के लिए विवश कर देंगे तो छवि खराब हो जाएगी। अनुशासन सकारात्मक होना चाहिए।

श्री जवाहर लाल नेहरू के समय के दौरान इस सभा में अनेक बातें हुई परन्तु उन्होंने क्षमा मांगी। वह मना भी कर नहीं सके। उन्होंने व्यावहारिक लोकतन्त्र को जन्म दिया। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही किया था। हमारे प्रधानमंत्री की तुलना में श्री सिंघा की क्या स्थिति है ? उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है वह मंत्रालय से कहते हैं कि यदि दुबारा परीक्षा करायी जायेगी तो बोर्ड की प्रतिष्ठा कम हो जायेगी। यदि वह अध्यापक होते तो कहते कि बोर्ड सामान्यतः कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है परन्तु यह प्रश्न पत्र बनाने वाले की गलती है तथा संचालक की दोहरी गलती है। परन्तु डा० सिंघा प्रश्न पत्र बनाने वाले के लिए जवाबदेह नहीं हो सकते वह उसे दंड नहीं दे सकते परन्तु उन्हें यह कहना चाहिए कि यह अच्छा प्रश्न पत्र नहीं है और वह दुबारा परीक्षा करा सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया गया ? आखिरकार आपकी परीक्षा पद्धति दोषपूर्ण हो सकती है आप यह नहीं कह सकते कि आप सैकड़ों वर्षों तक दुबारा परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। आपको कुछ दिनों में दोबारा परीक्षा करानी पड़ेगी क्योंकि आपके प्रश्न पत्र बनाने वाले ने गड़बड़ की है। मंत्री महोदय का बड़ा अनुभव है। जैसा कि वह जानते हैं कि एक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यक्रम संक्षेप में है और पाठ्यचर्या विस्तार में है। अध्ययन के पाठ्यक्रम और विषय की एक पुस्तक है। बोर्ड ने यही पाठ्यक्रम अपनाया है। बोर्ड ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं इसके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। यद्यपि यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है परन्तु उनके 'अध्ययन का विषय' बहुत व्यापक है। यह गलत था। उन्होंने उसमें यह स्पष्ट किया है कि आप किस प्रकार पढ़ेंगे तथा किस प्रकार मूल्यांकन करेंगे। तत्पश्चात् वे पुस्तक प्रकाशित करते हैं। वे आपको प्रश्न पत्रों का नमूना देते हैं कि अध्ययन के पाठ्यक्रम और विषयों के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वे मेधावी छात्रों से कहते हैं कि छात्रों को दस वर्षों के सर्वोत्तम उत्तरों पर गौर करना चाहिए ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सकें कि उत्तर किस प्रकार दिया जाता है, तत्पश्चात पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का सुझाव दिया जाता है, वे उन्हें संस्तुत पुस्तकें कहते हैं। उन्होंने एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा निर्धारित तीसरी, चौथी और पांचवीं पुस्तक की संस्तुति की है। इसके अतिरिक्त लुगानी अरोरा तथा मनजीत सिंह आदि लेखकों की पुस्तकें हैं। ये बहुत उच्च स्तरीय पुस्तकें हैं। क्या

अध्यक्ष मंत्री महोदय के समक्ष यह सिद्ध कर देंगे कि एक भी प्रश्न एन० सी० ई० आर० टी० अथवा अरोरा, खुराना और मनजीत सिंह की पाठ्य पुस्तकों अथवा किसी उस पुस्तक में से था जो उन्होंने निर्धारित तथा प्रकाशित की है। ये अध्ययन के पाठ्यक्रम और विषय हैं। आप कहते हैं कि यह अपरम्परागत प्रश्न पत्र था तथा छात्र को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके पास तीन घंटे का समय है, उसे वे सवाल हल करने हैं। जो उसने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में दो सालों में किये हैं। उसके पास कल्पना शक्ति का प्रयोग करने के लिए समय नहीं है क्योंकि आप इस स्तर पर उसे विद्वान बनाना चाहते हैं। कुछ छात्र विद्वान बनने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि वे कितना कंठस्थ करते हैं तथा उनकी कितनी क्षमता है। उनकी अवस्था में मैं इन छात्रों के समान योग्य नहीं था। परन्तु आप 12 वीं कक्षा के छात्रों से गणितज्ञ होने की आशा नहीं कर सकते। मनजीत सिंह, अरोरा तथा खुराना अथवा एन० सी० ई० आर० टी० की पुस्तकों में से एक भी प्रश्न नहीं है।

प्रश्न पत्र बनाने वाले ने अपनी योग्यता दिखानी चाही। निजी तौर पर आपको अध्यक्ष को बताना चाहिए कि जिस गणित के अध्यापक ने यह प्रश्न पत्र बनाया है वह अध्यापक होने लायक नहीं है। अध्यापक और संचालक दोनों ने दिल्ली में परेशानी पैदा कर दी। यदि मुझे अधिकार होता तो मैं कहता कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। उन्हें सम्पूर्ण समय यह देखने में व्यतीत नहीं करना चाहिए कि छात्रों को किस प्रकार परेशानी में डाला जाए। वे हमारा भविष्य हैं। आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दिल्ली में अधिकांश मेधावी छात्र रो रहे थे क्योंकि वे अच्छा नहीं कर पाये। आप विगत दस वर्षों के प्रश्न पत्रों में से भी एक प्रश्न नहीं पा सकते। इस प्रकार वह विद्वान हो सकता है और वह अपने घर पर अपनी विद्वता दिखा सकता है परन्तु उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए।

माता-पिता, पब्लिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों का सबका मानना है कि 24 अंकों के प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे। इसके बारे में भी आमराय है कि प्रश्न पत्र काफी बड़ा था जो तीन घंटों में नहीं हो सकता था तथा यह औसत छात्र की क्षमता से बाहर था। इसलिए पर्याप्त प्रतिपूर्ति की जाए। प्रतिपूर्ति करने का सुझाव देने से पहले मैं उपाध्यक्ष महोदय से प्रश्न पत्र के उन प्रश्नों का उल्लेख करना चाहता हूं जो बहुत कठिन थे या वे पाठ्यक्रम में नहीं थे और पाठ्य पुस्तकों में नहीं थे।

उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 4 (ख) थोरम के बारे में है। इसकी भाषा पूर्णतः भिन्न है। तत्पश्चात वेक्टरों के बारे में प्रश्न है। एन० सी० ई० आर० टी० की पुस्तकों समेत किसी भी पुस्तक में ऐसा प्रश्न नहीं है। यह 2 अंकों का है। अगला प्रश्न संभाव्यता (प्रोबेबिलिटी) के सम्बन्ध में है। यह परम्परागत प्रश्न नहीं है तथा इसकी भाषा अस्पष्ट है। $Y = E^{xs}$ की डेल्टा विधि द्वारा अवकलन (डिफरेंशिएसन) का प्रश्न बड़ा कठिन है जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है।

इसी प्रकार कोरडिनेट ज्योमेट्री तथा मैक्सिमा—मिनिमा के सम्बन्ध में है। मेरे पास काफी जानकारी है जिसके द्वारा मैं सिद्ध कर सकता हूं कि 24 अंकों के प्रश्न अधिकांश मेधावी छात्र हल नहीं कर सके। यदि किसी व्यक्ति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर की योग्यता प्राप्त कर ली है तो मैं उसे अच्छा समझता परन्तु आम मेधावी छात्रों के लिए 24 अंक के इन प्रश्नों को हल करना बड़ा कठिन था क्योंकि वे किसी पुस्तक में नहीं थे।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

दिल्ली स्कूलों में गणित के अध्यापकों ने कहा है कि छात्रों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए तथा मेरे साथी जी कुमारमंगलम भी चाहते थे कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। नेशनल कांग्रेसिव कांफ्रेंस ने भी चाहा कि मुआवजा दिया जाए और वे चाहते थे कि मुआवजे के रूप में दुबारा परीक्षा आयोजित की जाए। इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। मैं अपने साथी श्री कुमारमंगलम से इस बात पर असहमत हूं कि यदि आप मुआवजा देना चाहते हैं तो आप उन्हें विकल्प नहीं दे सकते।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिए। मथुरा रोड, संस्थान से छात्र हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि हजारों छात्र महत्वपूर्ण हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। अध्यक्ष ने आपको यह नहीं बताया कि दिल्ली में आई०एस० सी०ई० और दिल्ली बोर्ड दो संस्थायें और हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसकी अनुमति किस प्रकार दी जा रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई है। अन्यथा इस तरह की अनुमति नहीं दी जाती। हम देश में सभी छात्रों के लिये समान स्तर की व्यवस्था क्यों नहीं करते। यदि आप स्थिति का सामना करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि संविधान के अनुसार हमारा समाजवादी राज्य है। एक बार मैंने एक विधेयक पेश किया कि कोई भी पब्लिक स्कूल तथा प्राईवेट स्कूल नहीं होने चाहिए। सभी स्कूल सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए और इन स्कूलों में समान स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। सम्पूर्ण देश में एक समान परीक्षायें होनी चाहिए। अभी तक कोई समानता नहीं है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली बोर्ड के छात्र शत प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रश्न पत्र सरल तथा परम्परागत था। उच्च शिक्षा के कुछ संस्थानों के अपने स्तर हैं, वे कुछ प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। परन्तु दिल्ली इंजीनियरिंग कालिज जैसी कुछ दूसरी संस्थाओं ने 80 प्रतिशत अंकों का मानदंड निर्धारित कर दिया है। छात्र नकल अथवा अन्य कोई तरीका अपना सकते हैं लेकिन 80 प्रतिशत अंक आने पर वे दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों में प्रवेश पाने के योग्य माने जाते हैं। आई० सी० एस० आई० के छात्रों और दिल्ली बोर्ड के छात्रों को अब सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी बोर्ड के छात्रों के मुकाबले वरीयता मिल जाएगी। अध्यक्ष इसका क्या उत्तर देंगे? सी०बी०एस०ई० के जिन छात्रों को इस वर्ष गणित की कठिन परीक्षा में बैठना पड़ा निश्चय ही उन्हें नुकसान हुआ।

मेरा अनुरोध है कि आपको उसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी। किन्तु आप उन्हें कुछ अनुग्रहांक देकर उनकी प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते। यह सचमुच दुःख की बात है कि प्रश्न पत्र अंकों के हिसाब से ठीक नहीं था और कुल जोड़ में 2 अंक कम थे। क्या इन दो अंकों की क्षतिपूर्ति उचित प्रतीत होती है? छात्रों ने इस प्रश्न पत्र को पढ़ने और अंक जोड़ने में अवश्य समय गंवाया होगा। क्या अनुग्रहांक देकर उनकी जिज्ञासा की प्रतिपूर्ति की जाएगी? क्या अध्यक्ष के अपने बच्चे नहीं हैं? क्या उन्हें स्थिति का आभास नहीं है? मेरा कहना है कि सी०बी०एस०ई० के छात्रों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

जहां तक आगे प्रवेश पाने का सम्बन्ध है, उन्हें कठिन प्रतियोगिता में बैठना है। हमारे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए। पहले ही से यहां बेरोजगारी है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। क्या हम इस तरह की बातों से उनका भविष्य उजाड़ना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने अधिकारों का प्रयोग करें और बोर्ड को कहें कि वह इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और इस परीक्षा को पुनः कराए। यदि ऐसा किया जाए तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तथा पिछले 10 वर्षों से जिस प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, उसी आधार पर तैयार करना होगा।

यदि इसमें कुछ परेशानी है तो मैं आपको एक अन्य सुझाव देना चाहूंगा। मंत्री महोदय को बोर्ड समिति की बात ही नहीं माननी चाहिए। अन्ततः वह समिति है क्या? यह अध्यक्ष द्वारा ही नाम निर्देशित है और अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं जा सकती? बोर्ड को मंत्री महोदय की स्थिति समझनी चाहिए क्योंकि अन्ततः सभी बातें संसद में आ ही जाती हैं जो कि सर्वोच्च निकाय है। यदि मंत्री जी पुनः परीक्षा कराए जाने से सहमत नहीं हैं अथवा वह मुझे यह आश्वासन नहीं दे सकते कि वह बोर्ड से पुनः परीक्षा कराने के लिए कहेंगे, तो मैं उन्हें 24 अंक दिए जाने के लिए नहीं कहूंगा, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विशेषज्ञों की एक समिति बनाएं और इस परीक्षा के बारे में जानकारी हासिल करें। निश्चय ही यह प्रश्न अधिकांश छात्रों की समझ से बाहर था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस प्रश्न पत्र में 24 अंकों के प्रश्न या तो पाठ्यक्रम से हटकर थे अथवा सामान्य पद्धति के अनुसार नहीं थे। मैं नहीं जानता आप अंक कैसे जोड़ेंगे प्रतिपूर्ति के तरीके के बारे में निर्णय लेने से पूर्व आपको प्रश्न पत्र की जांच के लिए अपनी समिति बनानी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें हस्तक्षेप करके शासन करना चाहिए। हमें अपने सभी संस्थानों को स्वायत्तता देनी चाहिए। डा० सिंह अपने राज्य के राजा हो सकते हैं और मैं उन्हें शुभ कामना देता हूं। लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है, तब केवल संसद ही हस्तक्षेप कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रत्येक मंत्री और प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री को स्वतन्त्रता दी थी। लेकिन जब कुछ गलत घटता है, तब उनकी नीति हस्तक्षेप करने की थी। इस मामले में आपको हस्तक्षेप करके पुनः परीक्षा करानी होगी। आप अपनी विशेषज्ञ समिति बनाइये और इसमें शहर के या देश के विभिन्न भागों के विशेषज्ञ शामिल कीजिए तथा आप उनके सुझाव लीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो अपने मित्र श्री जय प्रकाश जी अग्रवाल को भी बोलने का चांस दिया जाये, आपसे यह अनुरोध करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मामले को इस हाउस में, गवर्नमेंट के संज्ञान में और मैम्बर्स के संज्ञान में लाने का काम उन्होंने किया और जिस तरह से एंग्जायटी दर्शाई कि अब हम लोग इसको इस सदन में और सदन के बाहर भी महसूस करने लग गए हैं कि वास्तव में लड़कों के साथ बहुत ज्यादती हुई है।

शाही साहब का मैं बड़ा आदर करता हूं, अदब करता हूं। मेरी जितनी कुल उम्र है उससे ज्यादा समय से वह पब्लिक लाइफ में हैं। बिहार में जब वह मंत्री थे, उस समय से उनकी एक रैपुटेशन है, एक इज्जत है लोगों के दिलों में, लोग यह जानते हैं कि वह एक बहुत ही अच्छे प्रशासक

[श्री हरीश रावत]

है और यहां भी उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को अच्छी तरह से हैण्डल किया है, उसके लिए उनके प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है। हमने कालिंग अटेंशन डाला तो उसके बाद जो उत्तर हमको देखने को मिला, हम इस उम्मीद में थे कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में दो बातें साफ तौर पर बताएंगे एक तो जिस व्यक्ति ने न केवल सलेबस से बाहर का पेपर सैट किया बल्कि टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन भी इस तरह से रख दिया कि एक क्लियर कट फास्ट उसमें था, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन इनीशिएट किया गया है, यह तो साफ तौर पर बतायेंगे? दूसरे, लड़कों को जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसको रैक्टीफाई करने के लिए, जो गलती की गई है, उसको दरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाया गया है, उसको बतायेंगे? मैं माननीय शाही जी के प्रति पूरा सम्मान जताते हुए बड़े दुख के साथ इस बात को रिकार्ड करवा चाहता हूं, इस बात को कहना चाहता हूं कि इस उत्तर को देखने के बाद मैं अपने आपको सबसे ज्यादा निराश व्यक्ति महसूस कर रहा हूं और मेरी दृष्टि से यह बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, यदि यह उत्तर इसी तौर पर जिन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको पढ़ने को मिलेगा और उसके गार्जियंस को पढ़ने को मिलेगा तो वह हमारे विषय में और हमारी गवर्नमेंट के विषय में क्या सोचेंगे। इसलिए, माननीय मंत्री जी, जिन लोगों ने आपसे यह गलत उत्तर दिलवाया है, जिन्होंने यह गलत जानकारी दी है, उनकी निन्दा करते हुए आपके इस उत्तर को बड़े दुख के साथ मैं फाड़ना चाहता हूं। आपसे यह कहलवाने की चेष्टा की गई है कि :

[अनुवाद]

"प्रश्न पत्र पहले के वर्षों के प्रश्न पत्र की अपेक्षा कठिन था लेकिन यह कठिन था..."

[हिन्दी]

क्या होता है, यह मैं नहीं समझ पाया। एक तरफ सारे प्रधानाचार्य करीब-करीब एक राय के हैं, आप हमको मेहरबानी करके बतायें, कितने प्रधानाचार्यों ने आपको लिखा है, डायरैक्टली गवर्नमेंट को और कितनों ने बोर्ड को लिखा है कि पेपर न केवल सलेबस से बाहर का है बल्कि 24 प्रतिशत मार्क्स, 100 में से 24 मार्क्स का पेपर तो बी० एस० सी० के स्टैण्डर्ड का है, इंजीनियरिंग के स्टैण्डर्ड का है और आई० आई० टी० के स्टैण्डर्ड का है, 24 प्रतिशत ऐसा है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, उसको टीचर भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग पढ़ाते हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। नेशनल प्रोगेसिव स्कूल्स कान्फ्रेंस ने साफ तौर पर सिन्हा साहब को लिखा, उन्होंने स्टेटमेंट भी किया है, उनसे यह नहीं कहा कि नहीं, आपने गलत कहा है, उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, पेपर ऐसा आ गया है। एक तरफ तो बाहर उस बात को स्वीकार किया गया है, सारे प्रैस में निकला है, सब जगह बात जगजाहिर हो गई है और आप से पार्लियामेंट के सामने कहलवाया जा रहा है

[अनुवाद]

"प्रश्न पत्र पहले के वर्षों के प्रश्न पत्र की अपेक्षा कठिन था।"

[हिन्दी]

इससे ज्यादा आपको एम्बैरैस करने वाली, गवर्नमेंट को एम्बैरैसिंग पोजीशन में रखने वाली कोई बात नहीं हो सकती, कोई चीज नहीं हो सकती इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि

जिन लोगों ने इस तरीके का उत्तर आप से दिलवाया है, इस तरह की इन्फार्मेशन फीड करने की कोशिश की है, पार्लियामेंट को, उन लोगों के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाना चाहिए··· चाहे वे मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रैट्स हों या सी० बी० एस० ई० के लोग हों। इसमें सवाल एक-दो या दस बीस का नहीं है, सवाल इसमें बैठे हुए 10-12 हजार लड़कों के भविष्य का है। उन लड़को में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को इस उम्मीद से पढ़ाया होगा कि हमारा लड़का अच्छा परसेंटेज लाएगा, उसके बाद आई० आई० टी० या इंजीनियरिंग कालेज में उसको एडमीशन मिल जायेगा। अब उनका परसेंटेज कम आया है जिसमें उनका कोई फाल्ट नहीं है। अगर उन्होंने कम पढ़ा होता या कम मेहनत की होती और वह समव्हाट मोर डिफीकल्ट पेपर हीं होता, आउट आफ सिलेबस, आउट आफ कोर्स नहीं होता तो हम मान लेते कि उन्होंने मालप्रयक्टी की, नहीं पढ़ा इसलिए ऐसा हुआ लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की, सब कुछ किया उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी ? उनके लिए क्या कम्पेसेशन है आपके पास ? क्या मात्र शब्दों में दुःख जाहिर करके आप उन्हें सांत्वना दे पायेंगे ? आप उनके मां-बाप के आंसुओं को पोंछ पायेंगे जिन्होंने रातदिन जाग करके अपने बच्चों को मेहनत करवाई होगी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत से बच्चों के पैरेन्ट्स खुद रात भर जागकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा निकलेगा आई० आई० टी० वगैरह में भर्ती होगा, किसी नौकरी में लग जाएगा और इस तरह से उसका भविष्य बन सकेगा।

इन्होंने एक सैम्पल सर्वे भी करवाया है उसमें भी यह सिद्ध हो गया है कि पेपर बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट था, जिसने बनाया है उसने जानबूझकर बच्चों को हैरस करने के लिए इस काम को किया है। मुझे शंका हो रही है कि जबसे हमने वोटिंग-एज० लोअर करके 18 साल की है सबसे बहुत सारे एलिमैन्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरी जगह यूथ को भड़काना चाहते हैं। यह बात केवल दिल्ली में ही नहीं हो रही, दूसरी जगहों भी हो रही हैं। यूनिवर्सिटीज में हो रही है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो मंगर जैनरेशन को आपके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने की साजिश हो सकती है। दिल्ली में आप चैक कर लीजिए जिसने यह पेपर सैट किया होगा और हो सकता है जो बैयरमैन हैं उनका सम्बन्ध भी बी० जे० पी० के साथ हो, किसी ऐसी पोलिटिकल पार्टी के साथ हो और उसके इंफ्लूएन्स में आकर कहीं ऐसा काम न करवाया गया हो जोकि पागलपन का काम है, ताकि दस हजार बच्चे नाराज हों, नौजवान पीढ़ी नाराज हो, उनके गार्जियन्स नाराज हों, माननीय अग्रवाल जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं जो कि आंसुओं से भरे हुए हैं उनकी एंग्जायटी को मैं समझ सकता हूं। वे गुस्से से भरे हुए हैं और वे समझते हैं कि उन बच्चों को कितनी दिक्कत में और कितनी मुसीबत में डाल दिया गया है। (व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : लोग गालियां दे रहे हैं। आप सोचते नही इस बात को। आप 15 हजार बच्चों की जिन्दगी के साथ खेलना चाहते हैं। लिखा क्या है उसमें, वह आप पढ़ें तो सही उन्होंने एग्जामिनेशन में यह नहीं जानना चाहा कि बच्चे क्या जानते हैं बल्कि यह जानना चाहा कि बच्चे क्या नहीं जानते हैं। इसे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी ? क्यों खेलना चाहते हैं उनकी जिन्दगी के साथ ये ? क्यों कहा जाता है कि हम एजूकेशन को बढ़ाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री हुकम राम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सीधे-सीधे तीन प्रश्न हैं। पेपर-सेटर कौन है, उसने क्या गलती की है, उसको आप क्या सजा देने जा रहे हैं—मैं उसकी बात नहीं करता। मैं उस

[श्री हरीश रावत]

चेयरमैन की बात करना चाहता हूं जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी इस बात की है, उस चेयरमैन ने सैम्पल-सर्वे करवाने के बाद, सारे प्रेस में क्रिटिसिज्म निकलने के बाद, प्रिंसिपल्स द्वारा रेप्रेजेन्ट किए जाने के बाद, टीचर्स द्वारा रेप्रेजेन्ट किए जाने के बाद कोई पाजिटिव एक्शन क्यों नहीं लिया ? उसने ऐसी कोई चीज क्यों नहीं की, कोई कदम ऐसा क्यों नहीं उठाया जिससे बच्चे और उनके मां-बाप संतुष्ट हो जाते ? जो गलती की गई उसको दुरुस्त किया जा सकता था। ऐसे चेयरमैन के खिलाफ आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं और क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के सामने इस तरीके के नाजुक विषय में इतने वाहियाद टाइप से उत्तर दिलवाने की जिन्होंने कोशिश की है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

तीसरी बात यह है कि री एग्जामिनेशन हो—जिसके लिए सारी दिल्ली की जनता की भावनायें लगी हैं तो वह री-एग्जामिनेशन करने के विषयों में, इस पेपर के विषय में आप क्या करने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, अब कृपया श्री जयप्रकाश अग्रवाल को अनुमति दीजिए। (व्यवधान) महोदय, कृपया उन्हें मौका दीजिए। आप इसे सभा के समक्ष रखकर निर्णय कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। मैं नियमों का अनुसरण कर रहा हूं। मैं इस तरह अनुमति नहीं दे सकता। इस तरह से तो कई बोलने वाले हो जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : चूंकि दो सदस्य उपस्थित नहीं हैं, आप श्री अग्रवाल को कुछ समय दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव : उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० संफुद्दीन सोज : हम इस विषय पर विस्तार में चर्चा करना चाहते हैं। हम इस अड़चन के कारण इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मिनिस्टर साहब जब यह सवाल उठा और दिल्ली के प्रिंसिपल ने इस सवाल को उठाया तो हमारे उठाने से

पहले उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया ? क्यों नहीं इस बात को सोचा ? जब हमने कौलिंग अटैंशन मोशन यहां पर दिया, अब आप उसका जवाब लेकर आ रहे हैं। आपको पहले ही सोचना चाहिए था, उनकी जिन्दगी के साथ क्यों खेला गया ? आप को पहले कहना चाहिए था कि रि-एग्जामिनशन करेंगे। आपको कोई हक नहीं है, उनकी जिन्दगी के साथ खेलने का। यह बहुत गलत रवैया है। फिर आप यह मत कहिए कि आप एजूकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे बच्चे जो 20-20 घण्टे पढ़ाई करते हैं, आप उनकी जिन्दगी के साथ खेलते हैं। आप उनको जान से मारना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। ऐसा आप मत करिए। सारे हिन्दुस्तान में पेपर सही हैं। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, आप उन आदमियों को बन्द करिए। क्या बात है।..... (व्यवधान)..... मैं आपकी जगह होता, तो मैं इस्तीफा दे देता। क्यों आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते है। .....(व्यवधान).....

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि जहां पर भावनायें इतनी तीव्र गति से उठ रही हों, इतनी तेज गति से चल रही हों, तो मुझे ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। जो बातें हमारे सामने यहां पर रखी गई हैं, वे यह हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और आउट-आफ-कोर्स थे। जहां तक आउट-आफ-कोर्स के होने का सवाल है, प्रोफेसर साहब आप भी पढ़ाते लिखाते हैं और जो भी सज्जन इसमें इन्टरैस्ट लेते हों उनके साथ, दिल्ली के दो-एक प्रिन्सिपल्स के साथ और दो-एक मैथेमैटिक्स के प्रोफेसर के साथ बैठ कर मैं भी दिखवाने को तैयार हूं कि अगर क्वैश्चन आउट-आफ-कोर्स हैं तो उन लड़कों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बात इतनी है, जो खबर हमने मंगवाई है, उसमें जो मुझे अभी तक मालूम कराया गया है, वह यह है कि 20 नम्बर के सवाल तो बहुत आसान थे, 14 नम्बर के सवाल ऐवरेज डिफिकल्टी के थे और बाकी 14 या 16 नम्बर के, 14 नम्बर ही अभी कहा जाएगा, क्योंकि 98 का पेपर है, वे काफी डिफिकल्ट थे। यानी एवरेज से भी ऊपर विद्यार्थी के लायक थे। इतनी बात है। अब इस के क्या उपाय हो सकते हैं। इसके दो उपाय हो सकते हैं। एक उपाय तो यह हो सकता है कि दस हजार लड़के जहां एपीयर हुए हैं, उनमें दो परसैंट-तीन परसैंट का हम एंटरैंडम रोल नम्बर उठा लें और उनकी कॉपियां पहले दिखवा लें। उसमें हम यह देखें कि एक से 32, 32 से 45, 45 से 50, 51 से 60, 60 से 74, 75 से 90 तक और 90 से 100 तक कितने अंक आए हैं और पिछले वर्षों में किस तरह से अंक लोगों को आए हैं। इसका कम्पैरीजन हो सकता है ..... (व्यवधान) ..... आप पहले सुन लीजिए। पहले सुन तो लें। एक यह हो सकता है। दूसरी बात जो कही गई है दिल्ली वालों के सवाल दूसरी जगहों से ज्यादा डिफिकल्ट थे, इसलिए दिल्ली के बच्चों का डिसएडवाटेज ज्यादा बढ़ गया है।.....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : दिल्ली और मद्रास।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जहां भी सी०बी०एस०ई० का है।

श्री एस० पी० शाही : सी०बी०एस०ई० के स्कूल विदेशों में भी है। सी०बी०एस०ई० के स्कूल दिल्ली में भी हैं और सी०बी०एस०ई० के स्कूल दिल्ली के बाहर भी हैं तथा दिल्ली के भी कुछ स्कूल हैं, जो बाहर वालों के साथ अपनी परीक्षायें देते हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : तीनों के पेपर अलग होते हैं।

श्री एस० पी० शाही : यही तो मैं भी कह रहा हूं। आप ही कहिए, तो मैं बैठ जाता हूं। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ही कह डालूं। आप सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं नहीं कहूंगा।..... व्यवधान ..... एक तो यह है कि सौ नम्बर के बदले 98 नम्बर के ही सवाल आए। यह सैटर की गलती हो सकती है और प्रिन्टर की भी गलती हो सकती है। उसके बाद उनकी गलत हो सकती है जो सैट होने के बाद या एक बात यह भी है कि प्रिन्ट के बाद क्वैश्चन एग्जामिनेशन हाल में खोले जाते हैं, बीच में नहीं खोले जाते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह मैथेमैटिक्स का पेपर है।

श्री एस० पी० शाही : मैथमैटिक्स का ही पेपर है। 100 नम्बरों के बदले 98 हो गया, तो अगर कहीं दो जगह 5, 5 नम्बरों के बदले 4, 4 लिखा गया, तो 98 नम्बर हो गये, लेकिन यह गलती है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : जो मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन लेते हैं, उनकी कैलकुलेशन में यह गलती है।

श्री एस० पी० शाही : मैंने जो कहा, वह आपने सुना नहीं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : पार्लियामेंट में जवाब देते वक्त भी शिक्षा मंत्री जी को यह मालूम नहीं पड़ा कि गलती कहां हुई है, तो यह अफसोस की बात है। पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई स्थान नहीं है। यह नहीं मालूम हो पाया है अभी तक कि किस की गलती है।

श्री एस० पी० शाही : प्रिन्टिंग की भी गलती हो सकती है।

अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति में क्या किया जाए। एक तो यह है कि इस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी एपिअर हुए हैं, उनके सवाल अगर सी०बी०एस०ई० के दूसरे स्ट्रीम से भरती हैं, तो इस का कम्पेरीजन हो सकता है। एक प्रेमिज तो यह हुआ और दूसरा प्रेमिज यह हुआ कि 14 नम्बर का सवाल हो या 24 नम्बर का सवाल है, जैसा आप कहते हैं, अगर वह आउट आफ कोर्स है, तो डेफनीटली यह गलती है और उसके लिए हम आवश्यक उपाय करेंगे। आपके साथ बैठ कर भी हम इस बारे में बात कर सकते हैं और कम्पेयर करके देख लें और अगर आउट आफ कोर्स है, तो उसका निराकरण किया जा सकता है। मैं इस बारे में विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। विद्यार्थियों के डिजक्टेड और डेस्पेरेट होने की जो बात कही गई है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सी०बी० एस०ई० के सिस्टम में एक एग्जामिनेशन कमेटी है और एक रिजल्ट कमेटी है। एग्जामिनेशन कमेटी जब क्वेश्चन सेट कराती है और कापी दिखवाती है, तो उसके बाद वे उसके पास चली आती है लेकिन जब कैलकूलेशन की स्टेज आता है, तो रिजल्ट कमेटी के सामने वह चली जाती है और रिजल्ट कमेटी ने ऐसा काम पिछले दिनों भी किया है कि वह मिलाकर देखती है कि अगर किसी विषय में अब कम आ रहे हैं और वर्षों की अपेक्षा या और विषयों की अपेक्षा, तो उसको वह रिव्यू करती है और रिव्य करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। एक दरवाजा तो यह खुला हुआ है। मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि फिर से देखने के बाद अगर यह पता चलता है कि कोई क्वैश्चन आऊट आफ कोर्स है, तो देखकर उसका निराकरण किया जाए।

दूसरी बात यह है कि अगर एक स्ट्रीम के विद्यार्थियों के अंक और सालों की अपेक्षा कम आए हैं और दूसरी स्ट्रीम के लोगों की अपेक्षा कम आए हैं, तो रिजल्ट कमेटी से रिव्यू कराकर, विद्यार्थियों की जो दिक्कत होगी, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें एजीटेटेड होने की बात नहीं है और मैं आपके साथ भी इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यदि आप दिल्ली बोर्ड के प्रश्न पत्र और सैन्ट्रल बोर्ड के प्रश्न पत्र की तुलना करें तो आप देखेंगे कि दिल्ली बोर्ड का प्रश्न पत्र बहुत आसान है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : 98 पर सेन्ट प्रिसिपल्स ने इसके बारे में लिखकर भेजा है। (व्यवधान) आपको अपने जवाब में यह कहना चाहिए कि इसका री-एग्जामिनेशन करोगे। आप उनकी जिन्दगी से खेल रहे हैं। 40 प्रिंसपिल्स ने लिखकर दिया है कि यह पेपर आऊट आफ कोर्स है। तो इसका री-इग्जामिनेशन कराने में क्या हर्जा है। जिन्होंने ऐसा पेपर बनाया है, उनकी ब्लैक-लिस्ट करना चाहिए।

4.58 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

(एक) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वसई तालुका में नलासोपाड़ा (पूर्व) तथा बम्बई के मलाड (पूर्व) के कुरूर गांव में डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री अनूपचन्द साहू (बम्बई उत्तर) : मैं संचार मन्त्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ डाक घर खोले जाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं।

मलाड (पूर्व) बम्बई, के कुरूर गांव में तुरन्त एक नया डाक घर खोले जाने की आवश्यकता है क्योंकि मलाड (पूर्व) स्थित वर्तमान डाकघर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। वहां डाक नियमित रूप से और समय पर नहीं पहुंचाई जाती क्योंकि वहां नए आवासीय काम्पलैक्स और झुग्गी झोंपड़ियों बन गई हैं। कुरूर गांव के लोगों को अपनी डाकीय जरूरतों के लिए 4 किलोमीटर रास्ता तय कर दूसरे डाकघर जाना पड़ता है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वसई ताल्लुक में नलासोपाड़ा (पूर्व) में भी तुरन्त एक नया डाक घर खोलने की आवश्यकता है क्योंकि बम्बई के लोग नलासोपाड़ा, वसई और विरार में घर बदल रहे हैं। नलसोपाड़ा में बहुत से नए आवासीय भवन और काम्पलैक्स बन गए हैं।

[श्री अनूपचन्द शाह]

अत: मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को विभाग को ये निर्देश देने चाहिए कि वह कुरूर गांव और नलासोपाड़ा में नए डाक घर खोलने के प्रस्ताव पर विचार करे।

(दो) अहमदाबाद में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने को ध्यान में रखते हुए वहां कुछ वैसी ही विशेष रियायतें, जैसी कि पिछड़े जिलों को दी जाती हैं, दिए जाने की आवश्यकता

5.00 म०प०

श्री हुकमाई मेहता (अहमदाबाद) : अहमदाबाद शहर की अर्थ-व्यवस्था मुख्यत: वस्त्र उद्योग पर निर्भर है। अहमदाबाद में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें बन्द होने के कारण तथा सहायक उद्योगों पर इसके फलस्वरूप पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण अहमदाबाद की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर बहुत असर पड़ा है।

कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के कारण करीब 30,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। सहायक उद्योगों के कार्यों में लगे कई कारखाने भी बन्द हो गए हैं। अहमदाबाद एक प्रमुख शहर होने के कारण पिछड़े जिलों को प्राप्त होने वाली विशेष रियायतें पाने का पात्र नहीं है। जिसके परिणाम-स्वरूप अहमदाबाद शहर की अर्थ-व्यवस्था निरन्तर खराब होती जा रही है।

अत: मेरा अनुरोध है कि अहमदाबाद की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार इसे विशेष रूप से अपवाद माना जाना चाहिए और इसे पिछड़े जिलों को औद्योगिक क्षेत्र में मिलने वाली सभी रियायतें पाने के योग्य माना जाना चाहिए।

(तीन) पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर को अधिक धन राशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : भारत सरकार भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत इच्छुक है। जम्मू-कश्मीर सरकार भी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत इच्छुक है। जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन की क्षमता बहुत अधिक है। प्रति वर्ष काफी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां आते हैं। जम्मू, पूंछ, राजौरी और ऊधमपुर जिलों में कई पर्यटन स्थल हैं जैसे पूंछ में नून छम्ब, राजौरी जिले में डेहरागली, तत्ता पानी, कालाबॉट, और अन्य कई स्थल, जम्मू जिले में सुरीसर और संसार झीलें तथा ऊधमपुर जिले में सलाल, पटनीटाप, संसार, मानतलाई आदि। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पर्यटकों की रुचि के इन सभी स्थलों का सर्वेक्षण कराएं और इन स्थानों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए धनराशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

(चार) बिहार में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की एक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाला एक अग्रणी उपक्रम है। इन्होंने बड़ी संख्या में आधुनिक मशीनों का अविष्कार और निर्माण किया है जिससे की आयात प्रतिस्थापन में बड़ी मदद मिली है।

पिछली दो सदियों से बिहार में किसी प्रमुख उद्योग की स्थापना वहां एक मजबूत ढांचा/आधार होने के बावजूद नहीं की गई है। इसलिए यह निवेदन है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की एक इकाई को बिहार में शीघ्रता के साथ स्थापित किया जाए।

(पांच) भाखड़ा और पौंग बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों का शीघ्र पुर्नवास किए जाने तथा पुलों और सड़कों का निर्माण किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : भारत के आर्थिक विकास में भाखड़ा बांध और ऐसी अन्य योजनाओं के निर्माण को मील का पत्थर कह कर सराहा गया है। लेकिन जिन लोगों को यहां से हटाया गया है और जो क्षेत्र पानी में समा गया है उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण मुक्त भोगियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है और यदि केन्द्र सरकार उनकी उच्च स्तर पर सहायता नहीं करती है तो उनके पुर्नस्थापन की भी कोई संभावना नहीं है। भाखड़ा बांध और हिमाचल प्रदेश में स्थित पौंग बांधों के विस्थापितों को अपने उचित पुर्नस्थापन के लिए न्याय मिलना बाकी है।

हांलाकि गोविन्द सागर नहर और उसके आसपास के क्षेत्रों की स्थिति और भी गम्भीर है इस नहर में कई सड़कें और पुल समा गये हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों के लिए रास्ता ज्यादा लम्बा हो गया है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार और भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड से निवेदन करूंगा कि वह हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता मंजूर करे जिससे कि सड़कों और पुलों का जैसे कि सतलुज नहर पर बांध पुल और बिलासपुर और ऊना जिलों में लूनखेरखाड पुलों का निर्माण किया सके।

विस्थापित लोगों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय कोष की स्थापना भी जल्द ही की जानी चाहिए।

(छः) बिहार के मधुबनी जिले के हथकरघा बुनकरों को दिये गए अल्पावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदले जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, बिहार राज्य के मधुबनी जिले में बुनकरों की सबसे अधिक संख्या है। जिनके गुजारे का एकमात्र साधन करघा उद्योग है। बुनकरों को सहुलियत देने के लिये भारत सरकार ने नेबार्ड के जरिए केन्द्रीय सहकारिता के द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की है। पिछले दो वर्षों के बाद एवं भूकम्प से प्रभावित होने के कारण इस पर लगे लोगों को काफी क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त बिक्री में आम जनता के अन्दर खरीद की ताकत न होने के कारण मार्किटिंग में काफी गिरावट आई है। समितियां आर्थिक संकट से प्रभावित हैं और दूसरी ओर बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी को वापिस करने के नोटिस दिए जा रहे हैं तथा अदा न करने पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जिसके फलस्वरूप बुनकर समितियों के पदाधिकारियों में एक बेचैनी सी पैदा हो गई है और आम बुनकर बेकारी के कगार पर खड़े हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का सरकार द्वारा सरकारी धन की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही करना किसी प्रकार से उचित नहीं है।

[श्री अब्दुल हन्नान अंसारी]

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र का अधिक कर्ज व्यवस्था करने वाले नेबार्ड को आदेश दिया जाए कि वो अल्पकालीन ऋण को दीर्घ कालीन ऋण में परिवर्तित कर दे। जो कानूनी धर-पकड़ समितियों के साथ की जा रही है, उसे तुरन्त रोक दिया जाए।

सामान्य बजट 1989-90 सामान्य चर्चा (जारी)

[अनुवाद]

उपसभापति महोदय : अब हम सामान्य बजट 1989-90 पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : मैं बजट 1989-90 का समर्थन करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री को एक संतुलित और व्यहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं यह एक गरीबों की मदद वाला, धनी विरोधी, विकास को बढ़ाने वाला बजट है और जिसमें ईमानदारी के साथ गैर योजना खर्चों को और घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। मुझे आशा है इससे मंहगाई को भी नियंत्रण में रखा जा सकेगा।

यह वर्ष आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने कहा था।

> "एक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति राष्ट्रीय आय में अत्यधिक वृद्धि से ही हो सकती है और हमारी आर्थिक नीति का निर्धारण उचित और समान वितरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए।"

हमने पिछले चार सालों में यह देखा। यहसास किया है कि खराब मानसून के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने इतनी क्षमता विकसित कर ली है कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि पिछले साल इस सदी के सबसे भयंकर सूखे के बावजूद हमने 3.6 प्रतिशत की दर में वृद्धि दर प्राप्त की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमने जो सूखे का सामना किया है, वह प्रशंसनीय है। यह साबित हो गया है कि आर्थिक राष्ट्र के रूप में हमारा आधार मजबूत है और हम किसी भी आपदा का विश्वास के साथ सामना कर सकते हैं।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 65-66, 66-67, और 79-80 में इससे कम भयंकर सूखे में हमारी आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक थी और मुद्रा स्फीति की दर क्रमशः 11 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 15 प्रतिशत थी। इससे यह साबित होता है कि सही नीतियां अपनाने से हम इस देश में आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में रखने में सफल हुए हैं। यह इसलिए संभव हो सका है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे ढांचे ने अच्छे परिणाम दिये हैं। औद्योगिक नीति में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने से, निवेश की स्थिति सुधरी है और युक्ति संगत नियंत्रण, लाईसेंस मुक्त प्रणाली और बचत की हमारी चारित्रिक भारतीय विशेषता से स्थिति में सुधार आया है।

मुझे विपक्ष के नेताओं की टिप्पणियां सुनकर आश्चर्य होता है। हालांकि बजट के प्रस्तुतीकरण के समय वह गैर हाजिर थे, शायद भारतीय संसद में यह दूसरी बार हुआ है। यह बड़ी हैरानी की

बात है कि उन्होंने टिप्पणी की है यह बजट अर्थव्यवस्था को स्थिर कर देगा। यदि कोई चीज स्थिर रहने वाली है तो वह विपक्षी पार्टियों की बुद्धि उनका दृष्टिकोण और उनकी विचारधारा है यह सब उन्होंने इसी सत्र में राष्ट्र की गंभीर समस्याओं की तरफ गैर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपना कर और ऐसे राजनैतिक मुद्दों को जिससे राष्ट्र का राजनैतिक माहोल और देश में स्थितियां खराब हों उठकर कर कई बार दर्शाया है।

इस देश में विपक्षी पार्टियों की भूमिका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं।

आर्थिक विकास ही मात्र एक कारण नहीं है। मात्र आर्थिक प्रगति से गरीबी और आर्थिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। हमें आर्थिक न्याय और समानता को भी हासिल करना है तभी गरीबी की समस्या से निपटा जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें ऐसा बजट बनाना चाहिएं जिससे गरीब और अमीर वर्ग के बीच की आर्थिक असमानता को आर्थिक विकास के माध्यम से दूर किया जा सके। तभी हम निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के साथ न्याय कर पायेंगे। यदि हम आजादी के चालीस वर्षों पश्चात् भी राष्ट्र की कुछ परिसम्पत्तियों को देखें तो पाएंगे कि इनमें से 60 प्रतिशत परिसम्पत्तियां 10 प्रतिशत उच्च वर्ग के लोगों के पास हैं और निम्न वर्ग के 10 प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय सम्पत्ति का मात्र दो प्रतिशत हिस्सा है। जब तक कि इसे कम नही किया जाता तब तक हम इस देश से गरीबी को नहीं हटा पायेंगे। यद्यपि कार्ल मार्क्स 20वीं सदी के अंत में प्रासंगिक नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था और यह आज भी प्रासंगिक है कि आर्थिक न्याय एक पैसंजर गाड़ी की तरह है जो कि हमेशा देर से पहुंचती है। हमने इस सच्चाई को अपने देश में साबित होते देखा है।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाए गए हास के सिद्धान्त, जिसमें यह सोचा गया था कि सामाजिक विकास से इस देश की गरीबी को दूर किया जा सकेगा वह समाज सबसे नीचे के तबके तक नहीं पहुंच पाया है। वह एक सीमा से आगे नहीं जा सका है। दुर्भाग्यवश हमारे अमीर शहरी व्यावसायिक और योजना आयोग और उत्तरी ब्लाक में बैठे अन्य लोग ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं से बहुत दूर हैं और ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं से बहुत दूर हैं। इसी कारण हम इस देश से गरीबी दूर करने का ईमानदार प्रयास करने में असफल रहें हैं। इस देश से गरीबी दूर करने के लिए श्रीमती गांधी ने पहली बार 1980 में सीधी शुरूआत की थी जब वह समेकित ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत की थी जिससे की देश से गरीबी को दूर किया जा सके। हमने यह देखा है कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल होते यदि इनको असरदार तरीके से लागू किया जाता। यदि आप देखें तो मात्र ऋण देने से आर्थिक सहायता देने से आप गरीबी की रेखा के नीचे की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को गरीबी के ऊपर नहीं ला सकते। एक समेकित रास्ता अपनाना पड़ेगा और यही सोचा गया था जब समेकित ग्रामीण विकास योजना को लाया गया था।

आर्थिक विकास के ढांचे को गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों से जोड़कर और उनको इसमें सम्मिलित करके, ग्रामीण दस्तकारों के हुनर को बढ़ा कर, उन्हें उच्च तकनीक प्रदान करके और मूल्य लागत में उनकी भागीदारी से और उन्हें आर्थिक सहायता के साथ संस्थागत वित्त प्रदान करके गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकता है। यही ग्रामीण दस्तकारी की समेकित विकास योजना है। कमजोर वर्गों के लिए और ग्रामीण दस्तकारों के लिए और ग्रामीण विकास की एक समेकित योजना बनाकर यदि ऐसा किया जा सके तभी समेकित ग्रामीण विकास योजना सफल

[श्री दिग्विजय सिंह]

होगी। महात्मा गांधी ने कहा था। "मनुष्य को हमेशा आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु में होना चाहिए।" हर उस घर में और प्रत्येक उस परिवार में धन सम्पत्ति को लाना होगा जो गरीबी की रेखा के नीचे है। तभी समेकित ग्रामीण विकास योजना सफल हो सकती है। इस देश में उपलब्ध अनेकों मानव संसाधनों के बावजूद जिन्हें एक लाभकारी अंग के रूप में बदला जा सकता था हम ऐसा करने में असफल हुए हैं। हालांकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अलग से एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की है लेकिन यह एक शिक्षा विभाग बनकर रह गया है। मानव विकास के लिये और विशेषकर उन लोगों के लिए जो अशिक्षित हैं लेकिन जिनके पास कुशलता है जैसे कि ग्रामीण दस्तकार, उनके विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए हैं। ग्रामीण दस्तकारों की कुशलता को बढ़ाने के लिए ना तो कोई सुविधाएं हैं और न ही कोई संस्थान है। अशिक्षित ग्रामीण भूमिहीनों के लिए न तो कोई संस्थान है और न ही कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक गरीबी को दूर करना हमारे लिए एक दूर का सपना बनकर रह जायेगा।

महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और भूमिहीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मिला देने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी बेरोजगारी हो गई थी और निचले स्तर पर लेखा व्यवस्था के लिए भी बड़ी समस्या हो गई थी। लेकिन ग्रामीण भूमिहीन को मात्र धन देना ही काफी नहीं है। यहां भी योजना का क्रियान्वयन निष्प्रभावी था। ग्रामीण भूमिहीन का घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। हमने फील्ड स्तर पर जाकर यह सुनिश्चित नहीं किया कि केवल भूमिहीन ग्रामीणों जिन्हें इस योजना से लाभ पहुंचना है को इस काम में लगाया जावे। इन ग्रामीण भूमिहीनों की कोई पहचान स्थापित नहीं की गई। जब तक आप इन निर्धनों के परिवारों का पता नहीं लगा लेते तो आप इन लोगों की एक वर्ष में 200 दिन रोजगार प्रदान करने के हमारे कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित कर पाएंगे। महोदय, मैं प्रत्येक गांव में भूमिहीन ग्रामीणों के परिवारों, जिन्हें नई योजना में रोजगार दिया जाना है, का पता लगाने पर जोर दूंगा और मैं माननीय वित्त मंत्री को नेहरू रोजगार योजना को प्रस्तुत करने के लिए बधाई दूंगा जिसे कि 120 जिलों में लागू किया जाना है।

महोदय, 120 जिलों का चयन करना एक बहुत विकट समस्या है। अलग-अलग प्रकार के मत हो सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत ही सावधानी-पूर्वक उन्हें 120 जिलों का चयन करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको यह तय करना चाहिये कि वे कौन से जिले हैं जहां फालतू भूमिहीन ग्रामीण हैं। जहां लोग न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम करते हैं, जहां लोग काम की तलाश में अभी भी अपने घर-द्वार छोड़ कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। 'नेहरू रोजगार योजना' के लिये इसी प्रकार के जिलों का चयन आपको करना है।

महोदय, मेरे जिले राजगढ़ से, जो मध्य प्रदेश में है और जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं, आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बावजूद करीब 25,000 से 30,000 लोग प्रतिवर्ष काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि कृषि मंत्रालय अथवा इस कार्य को करने वाला जो भी मंत्रालय हो, वह यह सुनिश्चित करे कि रायगढ़ जिले को 'नेहरू रोजगार योजना' में सम्मिलित

किया जाये। महोदय, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन सम्बन्धी गांधीवादी आर्थिक विचार-धारा अभी भी इस देश के लिये बहुत उचित है। ग्रामीण अथवा कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार किये जा सकने वाली सभी मदों का उत्पादन हमें कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित करना चाहिए। और बड़े तथा मध्यम उद्योगों पर उन वस्तुओं को तैयार करने पर रोक लगानी चाहिए जो कि गांव में स्थानीय लोगों द्वारा तैयार किये जा सकते हैं।

महोदय, महात्मा गांधी का चिन्ह अथवा साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक 'अम्बर चरखा' है जो कि सूत कातने के काम आता है। यह वह चीज है जो सच्ची भावना से और सच्ची नीति के अन्तर्गत लागू किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने में बहुत काम आ सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय वस्त्र मंत्री से बात करें कि मोटे सूत को सिर्फ हस्त करघे उद्योग के लिए ही सुरक्षित करना चाहिए। आज सुदास्फीति ने इस देश के गरीब लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना का प्रबल समर्थन करता हूं। जब तक हम यह नहीं करेंगे हम अपना फर्ज पूरा नहीं कर पायेंगे।

महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उर्वरक उद्योग अथवा चीनी और खाद्य तेल को दी जाने वाली राजसहायता को भारी मात्रा को देखते हुए हैं, हमें गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इससे प्रभावकारी ढंग से गरीबों को सहायता मिलती हैं। मेरे विचार से इससे उचित सहायता नहीं मिलती है। (व्यवधान) उर्वरक उद्योगों को दी जाने वाली राज-सहायता अधिकतर उन कृषकों को मिलती है जो अब अपेक्षाकृत धनी हैं और आधुनिक तकनीकों और सिंचाई द्वारा वे उर्वरकों के लिये अधिक मूल्य दे सकते हैं। इसलिये यही उर्वरक सम्बन्धी राजसहायता वितरण स्तर पर छोटे और सीमान्त किसानों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को दी जा सकती है। और उसी प्रकार, चीनी तथा खाद्य तेल भी जन-वितरण प्रणाली द्वारा दिया जा सकता है। खाद्य तेल को पर्याप्त मात्रा में जारी करके तथा तिलहन के तकनीकी अभियान की सफलता के कारण भी खाद्य तेल के मूल्यों में गिरावट आयी है। वनस्पति उद्योग से खाद्य तेल को, जिसको सरकार राजसहायता दे रही थी, अपने पृथक कर लेने के कारण भी मैं सरकार को बधाई देता हूं; इससे भी खाद्य तेलों की कीमतों में कमी हुई है और गरीबों को कुछ राहत मिली है। राजसहायता की इन मिलों को वापस लेकर होने वाली बचत को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना में लगाया जा सकता है, जो कि अब आवश्यक हो चुका है।

महोदय, उचित विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के कारण हमारे रक्षा व्यय में कमी आयी है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। इस रक्षा व्यय को सीमित रखकर, जो कि वृद्धि के कारण प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा था, इसने बहुत साहसिक कदम उठाया है।

हम लोग आसानीपूर्वक गैर-योजनागत खर्च को दो हिस्सों में बांट सकते हैं—गैर-योजनागत खर्च जो विकास कार्यों पर नहीं हुआ और गैर-योजनागत खर्च जो विकास कार्यों पर किया गया अर्थात इन वर्षों में तैयार आस्तियों के रख-रखाव पर किया गया खर्च। गैर-विकास कार्यों पर किये गये गैर-योजनागत खर्च में कमी का, जिसके लिये हम प्रयास भी कर रहे हैं, मैं प्रबल समर्थन करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, माननीय प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि

[श्री दिग्विजय सिंह]

सभी मंत्रालयों को ऐच्छिक रूप से अनुत्पादक और गैर-योजनागत खर्च को कम करने का निर्णय लेना चाहिए और चालू योजनाओं की समीक्षा भी करनी चाहिए। विभिन्न विभागों द्वारा अनेक ऐसी योजनायें चलायी गई हैं जो अपनी सम्बद्धता खोकर अनुत्पादक और बेकार हो चुकी हैं। इन सभी मंत्रालयों को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना है कि क्या कार्यान्वित की गयी योजनायें वास्तव में प्रभावकारी हैं ; क्या आर्थिक विकास और लक्ष्य को पूरा करने में वे वास्तव में सहायक रही हैं। मैं नहीं जानता कि किसी भी मंत्रालय ने इसके लिए सतत प्रयास किया है अथवा नहीं, लेकिन हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में इसका उल्लेख नहीं है। किसी भी मंत्रालय ने प्रयास नहीं किए.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं दो या तीन मिनट और लूंगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें पुनः भुगतान की वृद्धि के बारे में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बाजार से ऋण और विदेश व्यापार में असंतुलन भविष्य की एक गंभीर समस्या है और यह अपेक्षित ऋण भार निकट भविष्य में एक वास्तविकता बनने जा रहा है।

महोदय, वर्षों से आयात-निर्यात में असंतुलन बना हुआ है। हम विदेशों से ऋण के द्वारा विदेश व्यापार में संतुलन बनाए हुए हैं। इस तरह हम कब तक कर सकते हैं ? एक समय ऐसा आयेगा जब हम बाह्य बाजार से ऋण लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। निर्यातकों को हमने बहुत प्रोत्साहन दिया है। लेकिन अभी और भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। आयात को उदार बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हर किसी की मनचाही वस्तु के आयात की अनुमति है। आयात की सूची में सिर्फ भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं का ही काम होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि उद्योगों को दी जाने वाली पूंजीगत राजसहायता आवश्यक नहीं है। उद्योग स्थापित करने वाले लोग सम्पन्न वर्ग के होते हैं। आप उन्हें पूंजीगत राजसहायता दे रहे हैं जो आवश्यक नहीं है। आप उन्हें थोड़ा ऋण दे सकते हैं जिसे वे आसानी से लौटा सकते हैं। इस देश में औद्योगिक रुग्णता का मुख्य कारण राजसहायता है जो हम नए उद्योगों को दे रहे हैं। इस देश में 2 लाख रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं और उनमें से अधिकांशतः न तो ऋण लौटाने की स्थिति में हैं और न ही उन्हें पुनः शुरू किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसे समाप्त कर देना चाहिए और इस प्रकार की गई बचत से प्राप्त हुई रकम को ग्रामीण कारीगरों की तकनीकी दक्षता में सुधार के लिए ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दे देनी चाहिए।

इस देश में उच्चतर प्रत्यक्ष कराधान की भी गुंजाइश है। इस देश में कुल स्थानीय उत्पादन के 18.5% का ही अंशदान प्रत्यक्ष कर द्वारा होता है जबकि अन्य देशों के कुल स्थानीय उत्पादन का 35 से 50% भुगतान प्रत्यक्ष कर द्वारा होता है। अतः इसकी गुंजाइश है। अधिभार का समापन और सिर्फ 8% को लागू करने का अर्थ उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त 8% लेवी लगाना है। प्रत्यक्ष कर की अतिरिक्त लेवी के लिए गुंजाइश है। निर्गमित इकाइयों को पूर्णतया छोड़ दिया गया है। यह उन क्षेत्रों में एक हो सकता है जहां आप अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि एक स्वागतपूर्ण कदम है। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाकर 1500 रु० प्रतिमाह किया जाना चाहिए। वर्तमान पेंशन पर्याप्त नहीं है।

अन्त में, बहुत ही व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के लिए बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। इस बजट का उद्देश्य उत्पादकतापूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबों के उपभोग स्तर को बनाए रखना, विशेष-रूप से आयात को बढ़ावा देने वाले गैर-अनिवार्य विलासिता की उपभोग वस्तुओं को निरुत्साहित करना, मध्यम वर्ग के आयकरदाताओं को कुछ राहत देना, औद्योगिक आधुनिकीकरण की गति बनाए रखना तथा विकास और वर्ष 1989-90 के लिए बजट के घाटे को नियंत्रित रखना है।

बजट पर चर्चा करने से पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ बोलना चाहूंगा। पिछले वर्ष अत्यधिक सूखे की स्थिति तथा बाढ़ के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास रुक गया था और जी० डी० पी० की वृद्धि के अनुसार यह सिर्फ 3.6% था। इस वर्ष यह बढ़कर 9% होने जा रही है।

कृषि के क्षेत्र में खराब मानसून के कारण पिछले वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 138 मिलियन टन था जबकि इस वर्ष यह 166 मिलियन टन से भी अधिक होगा। उद्योग के सम्बन्ध में पिछले चार वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन लगभग 8% की दर से बढ़ा और विद्युत की संयंत्र भार क्षमता 1984-85 में 50.1% से बढ़कर 56.5% हो गई। रेलवे ने गत 10 वर्षों के कुल भार जितना माल पिछले तीन वर्षों में ढोया। पिछले वर्ष की तुलना में इस्पात के उत्पादन में 10.1%; सीमेंट में 12% ; नाइट्रोजन उर्वरक में 26.2% ; तथा फास्फेटिक उर्वरक में 64.5% तक की वृद्धि हुई। मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार के अन्तर्गत 179 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने पिछले वर्ष की तुलना में 59.79 करोड़ रुपये के लाभ की बजाय इस वर्ष 694.19 करोड़ रुपये का कुल लाभ दिया।

यह वर्ष हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मशती वर्ष है। माननीय वित्त मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नई योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। यह शत प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजना है और इसके लिए धनराशि अगले वर्ष से 8% की दर से उन आयकर दाताओं से जुटाई जाएगी जिनकी आय 50,000/- रुपये से अधिक है।

मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि देश में उन 120 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार दिया जाएगा तथा जहां रोजगार की उपलब्धता बहुत कम है और लोगों को बेहतर रोजगार नहीं मिल पाते है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजनाओं में से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही शतप्रतिशत केन्द्रीय योजना थी और अब इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। मेरा कटु

[श्री के० प्रधानी]

अनुभव यह है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए पहले समतुल्य अनुदान नहीं दिया गया और इस कारण उन्हें उनके आबंटित हिस्से से वंचित रखा गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, जो कि पूर्णतया केन्द्रीय अनुदान के रूप में थी, को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया है और यह शर्त रखी गई है कि केन्द्र सरकार की 75% अनुदान राशि जारी होने से पूर्व राज्य को कम से कम 25% राशि जमा करानी है। यदि इन योजनाओं को अलग रखा जाए और यदि 1,211 करोड़ रुपये में से 600 करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के लिए आबंटित किए जाते हैं और 611 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आबंटित हों तो यह पूर्व शर्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के लिए गरीब राज्यों को पूर्ण नहीं करनी पड़ेगी।

गाडगिल फार्मूला, योजना आयोग के पास है। जो भी राज्य अपनी योजना में अधिक योगदान करेगा, वह केन्द्र सरकार से अधिक धनराशि प्राप्त कर सकता है। यह भी वही फार्मूला होगा जो राज्यों पर लागू किया जाता है। कुछ गरीब राज्य अधिक योगदान करने में असमर्थ हैं। वे अपनी आबंटित राशि को लेने से वंचित हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें और ऐसा किये जाने को सुनिश्चित करें।

अगले वर्ष के दौरान प्रस्तावित परिव्यय 7,344 करोड़ रुपये के घाटे सहित 82,161 करोड़ रुपये हैं। 82,161 रुपये की यह राशि पिछले वर्ष के बजट प्रावधान से 11.7% अधिक है तथा 1988-89 के संशोधित प्रावधान से 8.4% अधिक है। 7,337 करोड़ रुपये का घाटा 1988-89 के 7,484 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान और 7,940 करोड़ रुपये के संशोधित प्रावधान से कम है।

इस बजट में संचार के लिए प्रस्तावित व्यय में वृद्धि की गई है अर्थात् पिछले वर्ष दूर-संचार के लिए 2,200 करोड़ रुपये थे, जिसे अब बढ़ाकर 2,700 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले वर्ष ऊर्जा क्षेत्र के लिए 9,100 करोड़ रुपये थे और इसे इस वर्ष बढ़ाकर 11,227 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, पारेषण के लिए पिछले वर्ष 5,515 करोड़ रुपये थे, जो इस वर्ष 6,296 करोड़ रुपये हो गए हैं।

गैर-योजना परिव्यय भी इस वर्ष बढ़कर 54,345 करोड़ रुपये हो गया है जिसमें पिछले वर्ष की 48,877 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में 5,470 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। ब्याज की अदायगी के रूप में मुख्य गैर-योजना व्यय के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपये है। रक्षा के लिए 13,000 करोड़ रुपये हैं। खाद्यान्न, उर्वरकों तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज सहायता के रूप में 7472 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। खाद्यान्न पर राज सहायता के बारे में मैं कहता हूं कि मैं एक आदिवासी क्षेत्र से हूं। यह खाद्यान्न पर राजसहायता तो वहां रह रहे लोगों की आजीविका के लिए है। इस राजसहायता के माध्यम से आदिवासियों को रियायती दर पर खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इसे वहां पर रह रहे लोगों को उनकी उत्पत्ति अर्थात आदिवासी या गैर-आदिवासी अथवा अनुसूचित जाति को देखे बगैर ही वितरित किया जाता है। इसे हरेक व्यक्ति को दिया जाता है। जो भी व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों में रह रहा है, वह इस रियायती दर के खाद्यान्न को प्राप्त करता है, आदिवासी लोग इस रियायती अन्न पर निर्भर हैं, क्योंकि उनकी आय बहुत कम है। उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती

है। प्रतिदिन केवल 3-4 रुपये मजदूरी दी जाती है। यदि वे यह रियायती दर का अन्न प्राप्त न करें तो उनके जीना अत्यंत कठिन हो जाये। आदिवासी क्षेत्र में अनेक बीमारियां हैं क्योंकि आदिवासी लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। उन्हें पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। इसलिए इस राजसहायता से उन्हें अत्यधिक मदद मिली है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री आदिवासी लोगों को और अधिक मदद देने के लिए आदिवासी क्षेत्र में इस रियायती खाद्यान्न को बढ़ाने पर विचार करेंगे।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दी गई छूटों का उल्लेख करूंगा। अनेक रियायतें दी गई हैं। उन्होंने मुर्गी-पालन क्षेत्र के लिए कुछ छूट देने की घोषणा की है। मुर्गी-पालन से होने वाली आय का 33⅓ प्रतिशत कर से मुक्त रहेगा। इसी प्रकार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी कुछ राहत दी गई है। विधवाएं भी 33⅓ प्रतिशत की छूट प्राप्त करेंगी अर्थात उन्हें 12000 रुपये तक आयकर से छूट रहेगी। कम मात्रा में आयकर देने वाले करदाताओं को भी रियायत दी गई है। 18000-25000 रुपये तक आय वाली श्रेणी के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह स्वागत योग्य प्रस्ताव है। खाद्य प्रसंस्करण उपकरण तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को भी कर में रियायत मिलेगी।

महोदय, इस्पात, लोहा, सिगरेट तथा शीरे पर कुछ कर लगाया गया है। शीरे का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा, देश के अन्दर हवाई यात्रा पर मूल किराए के 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। विदेश यात्रा के सम्बन्ध में पड़ौसी देशों की यात्रा के लिए 50/- रुपये के कर को बढ़ाकर 150/- रुपये प्रति टिकट कर दिया गया है। अन्य देशों के लिए यह राशि 100/- रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति टिकट कर दी गई है। विलासिता के सामान, जैसे कार, कूलर, टेलीविजन आदि पर करों में कुछ वृद्धि की गई है। सरकार यह सुनिश्चित करने की बड़ी इच्छुक है कि गरीब लोगों के लाभ के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए अमीर लोगों पर कर लगाया जाए। वे कर लगाने का लाभ ले सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं साधारण तथा मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने वाला सन्तुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यह बजट श्रमिक-उन्मुख तथा कृषि के पक्ष में है। मैं पिछले 10 वर्षों से यहां का सदस्य हूं। इस बजट में कुछ रियायतें कृषि क्षेत्र तथा सामान्य लोगों को दी गई हैं। मेरे विचार से आयकर की सीमा थोड़ी और बढ़ा दी जाए अर्थात् इसे बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया जाए क्योंकि 2000 रुपये प्रति माह कोई अधिक आय नहीं है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

दक्षिण भारत विशेषकर मेरे राज्य केरल में लोग बिजली की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य को और अधिक धनराशि आवंटित की जाए ताकि अधिक योजनाएं कार्यान्वित हो सके। केरल में नकदी फसलें उगाई जा सकती हैं। कुछ परियोजनाएं केन्द्र के पास लम्बित पड़ी हैं। राज्य सरकार कहती है कि इसके लिये केन्द्रीय मंजूरी की जरूरत है। तथा इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि वहां अधिक संख्या में शिक्षित लोग नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले, उनका ध्येय नौकरी पाने के लिये मध्य-पूर्व के देशों में जाना था। लेकिन अब लोग नौकरी

[श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल]

के बगैर मध्य-पूर्व से वापस आ रहे हैं। अतः केरल में नौकरी पाना अत्यधिक कठिन समस्या बन गया है। कृपया और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएं और केरल में और अधिक केन्द्रीय उद्योग लगाएं।

आप जानते हैं कि केरल में जनशक्ति की बहुतायत है लेकिन वास्तव में लोगों को नौकरी पाने के लिए भी कड़ा प्रयास करना पड़ रहा है। स्नातक, स्नातकोत्तर वैज्ञानिक तथा इंजिनियर राज्य में नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे नौकरी के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेश भी जा रहे हैं। कृपया इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, हम पहले खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य हेतु अधिक रियायतें देते थे। नकदी फसलों की काफी अच्छी सम्भावना है और विशेषकर लम्बी-अवधि की नकद फसलों जैसे नारियल, रबड़ आदि की अच्छी सम्भावना है। यदि इनकी सिंचाई अच्छी तरह से हो तो उनके पकने की अवधि कम होगी और अधिक आय होगी। अब हम रबड़ आयात पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। इनकी सिंचाई करके हम विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। यदि आप इलायची की अच्छी तरह सिंचाई करें तो आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं और इस प्रकार, हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। मेरा यह अनुरोध है कि सिंचाई के लिए अधिक धनराशि दी जाए, ताकि हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें तथा अधिक विदेशी मुद्रा बचा सकें। मेरे राज्य में जनसंख्या की तुलना में राजमार्गों की संख्या कम है। परिवहन मंत्री ने कोचीन नेशनल हाइवे के बारे में घोषणा की है। परन्तु उनके लिए बहुत कम धनराशि की व्यवस्था की गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इसके लिए अधिक धन राशि आवंटित की जाए ताकि केरल राज्य अन्य राज्यों की बराबरी पर आ सके।

हमारे देश में पर्यटन की अच्छी गुंजाइश है। सिलोन और स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश भी बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन से बहुत सा धन कमाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए हमें पर्यटन के लिए अच्छे होटलों और अच्छे वाहनों की व्यवस्था करनी चाहिए। कृपया इसके लिए अधिक धनराशि आवंटित कीजिए। अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए केरल में पहाड़ियां अच्छा समुद्र तट, बन्दरगाह और हवाई अड्डे हैं। यदि आप केरल के लिए अधिक धनराशि आवंटित करते हैं तो हम पर्यटन से करोड़ों रुपये कमा सकते हैं।

ग्रामीण टेलीफोनों के बारे में यह बात है कि लोग टेलीफोन कनैक्शन के लिए काफी लम्बे समय से इन्तजार कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग बहुत सा धन खर्च करते हैं। क्योंकि वे धनवान व्यक्ति हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के लिए आपको सहानुभूति रवैया अपनाना चाहिए और वहां अधिक रियायतें देनी चाहिए।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री पड़ोसी देशों से अच्छे सम्बन्ध कायम रख रहे हैं। इस प्रकार हम रक्षा व्यय में बहुत सा धन बचाते हैं। और हम उस धन का उपयोग एन०आर०ई०पी० जैसी अधिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा देश तेजी से प्रगति करे अपने पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार अच्छे सम्बन्ध कायम रखने की नीति के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं।

मैं आपका अधिक कीमती समय नहीं लेना चाहता। मैं बजट का समर्थन करता हूं। एक सन्तुलित बजट देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री के०एस० राव (मछलीपनटम) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे खुशी है कि इस बार राष्ट्र और लोगों के प्रति वचनबद्धता और सत्यनिष्ठा रखने वाले व्यक्ति श्री चव्हाण ने बजट प्रस्तुत किया है। मैं जानता हूं कि वे विभिन्न वर्गों के दबावों के सामने कभी भी हार नहीं मानेगें।

बजट प्रस्तावों की मांग करने पर मुझे पता लगा कि यह बजट समाजवाद और उचित विवरण के सिद्धान्तों के अनुकूल है। परन्तु जब मैंने विरोधी पक्ष के सदस्यों को भाषण देते हुए सुना केवल इस बार ही नहीं अपितु पहले के बजटों में भी तो मुझे पता चला कि वे केवल बजट की आलोचना करने पर तुले हुए हैं और कोई ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मैंने कराधान, धनराशि के आबंटन और बजट के लिए संसाधनों को बढ़ाने के बारे में उनके विचारों को नहीं सुना है। परन्तु वे केवल आलोचना करते हैं। सम्भवत: वे केवलअ नुभव करते हैं कि उनका कार्य केवल आलोचना करना ही है। समाधान के लिए पूछने पर भी उनके पास कोई समाधान नहीं मिलता।

हमारी विचारधारा समाजवादी है। समाजवाद से हमारा अभिप्राय गरीबी बांटना नहीं है, समाजवाद से हमारा अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ इस देश के सबसे गरीब लागों को भी मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम यह अनुभव करते है कि निजी क्षेत्र में उत्पादित अधिकांश धन देश के कुछ विशेषाधिकारप्राप्त लोगों के हाथों में जा रहा है तब हम सरकारी क्षेत्र स्थापित करने के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हमने यह सोचा था कि उनमें अर्जित धन को जनता अथवा राज्य में बांटा जायेगा। परन्तु दुर्भाग्य से जब हम यह देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र कार्य निष्पादन, जिसके लिए मैं आपको उत्तरदायी नहीं ठहराता, यह रहा है कि सरकारीक्षेत्र में लगाई गई 65,000 करोड़ रुपये की धनराशि से एक भी रुपया अर्जित नहीं हो रहा है यद्यपि कागजों में हम 2800 करोड़ अथवा 2900 करोड़ रुपये की धनराशि दिखा सकते हैं जोकि नियंत्रित मूल्यों के माध्यम से केवल तेल क्षेत्र से ही अर्जित की जा रही है। अत: जब तक हम आप जैसे निष्ठावान और दक्ष और इस देश के विचारधारा के अनुकूल व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्त करके सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर ध्यान नहीं देते तब तक सरकारी क्षेत्र में सुधार करने का कोई समाधान नहीं है।

इसे ध्यान में रखते हुए जब तक हम सरकारी क्षेत्र को सर्वोच्च स्थान पर नहीं रखते कागजों पर इसी प्रकार की बातें करते हैं और सरकारी क्षेत्र में हानियां होने देते हैं तब तक हमें सदैव संसाधनों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मेरी यह कहने की इच्छा नहीं है कि सरकारी क्षेत्र होना ही नहीं चाहिए परन्तु एक ऐसे सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता है जो धन अर्जित करके उसे गरीब लोगों में वितरित कर दे। मेरा यह विचार है कि वित्त मंत्री महोदय यह कहकर सरकारी क्षेत्र पर कुछ नियन्त्रण लगा सकते हैं कि वे उन्हें और अधिक बजट के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें विस्तार और प्रतिवर्ष लाभ दिखाने के लिए स्वयं धन कमाना चाहिए।

मूलत: उत्पादन ही राष्ट्र की समस्या का समाधान करता है अथवा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। कर ढांचे, राजस्व, उत्पादन आदि के बारे में प्रस्तुत किये गये प्रत्येक प्रस्ताव से लोगों को काम करने और बचत करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। मैंने देखा है कि 50,000 रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर 8 प्रतिशत अधिभार लगाया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। मैं नहीं समझता कि इस बारे में व्यापारी लोग चिन्तित हैं। परन्तु क्या आप इसबारे में भी एक बार विचार करेंगे कि आपने आयकर से छूट की सीमा को 18,000 रुपये ही रखा है? सरकारी क्षेत्र के 220 लाख से अधिक और निजी क्षेत्र के लगभग 70 लाख कर्मचारी 25 हजार रुपये अथवा

[श्री के० एस० राव]

लगभग 27 हजार रुपये से कम की इस सीमा के अन्तर्गत आते हैं। सीमित आय वाले उन कर्मचारियों से जिनकी आय प्रत्येक व्यक्ति जानता है इस कर को एकत्रित करने में कितना खर्चा आता है। मैं नहीं समझता कि यह व्यय 400 करोड़ रुपये अथवा 500 करोड़ रुपये से कम होता है और राजस्व भी सम्भवत: इस राशि से अधिक नहीं होगा। अत: क्या आप आयकर में छूट की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाने के बारे में विचार नहीं कर सकते ताकि राजकोष में अधिक हानि भी न हो और आपका ऐसा प्रभाव बने कि आप वास्तव में यथार्थवादी हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वर्ग के अन्तर्गत अदायगी करने वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए और रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सकारात्मक रूप में विचार किया जाये। यह एक वास्तविक अनुरोध है। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री महोदय क्यों इस सीमा को बढ़ाने से जी चुरा रहे हैं, जिसे बढ़ाने से न तो हम समाजवाद से बाहर जायेंगे और न ही अपने पूर्व नेताओं द्वारा स्थापित सिद्धान्तों से बाहर जायेंगे।

महोदय मैंने संसद में और संसद से बाहर बहुत से लोगों से बातचीत की है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि उत्पादन पर नियन्त्रण से ही यह आफत आती है। अब आपने सीमेंट और एल्यूमीनियम पर से नियन्त्रण हटा लिया है। आप बहुमात्रा में उपभोग की बहुत सी अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में भी ऐसा क्यों नहीं करते ? अनुभव से भी यही जाहिर होता है कि जब भी आपने किसी वस्तु के नियन्त्रण को हटाया है उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसकी कीमतों में कमी आई है। एक बोरा सीमेंट 85 रुपये में बेचा जाता था जिसे आजकल 50 रुपये प्रति बोरा बेचा जा रहा है। इस्पात सहित कई अन्य मदों के बारे में भी यही स्थिति होगी। यदि इस्पात उत्पादन में आप बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को आने की अनुमति दें तो निश्चितरूप से इसकी कीमतों में कमी आयेगी।

महोदय, सीमेंट और एल्यूमिनियम पर से नियंत्रण को हटाने के लिए आपको बधाई देते समय मैं यह कामना करता हूं कि आप इस्पात, चीनी, उर्वरक और यदि आवश्यक हो तो विद्युत उत्पादन में भी ऐसा ही करें। हमें और आपको इस बात की जानकारी है कि सरकार विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी अनुभव कर रही है। ये संसाधन कहां से जुटाये जाते हैं ? ये संसाधन मानव के कठिन परिश्रम से ही जुटाये जाते हैं। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि यदि इस देश के 8000 लाख व्यक्तियों में से 3000 लाख व्यक्ति भी कुशलतापूर्वक कार्य करें तो उन्हें 10 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त लाभ देते हुए आपको 90,000 करोड़ रुपये वार्षिक प्राप्त होंगे। यह एक सामान्य बात है। एक कुशल कढ़ई के लिए आपको 70 रुपये प्रतिदिन अदायगी करनी पड़ेगी जबकि साधारण कढ़ई 20-30 रुपये प्रतिदिन में काम कर देगा। इसमें कितना अन्तर है ? प्रत्येक व्यवसाय में यही स्थिति है। इस देश में ऐसे कुशल श्रमिकों, कुशल तकनीशियनों और ऐसे विशेषज्ञों की कमी है जो अध्ययन के बाद समस्याओं से बाहर आकर धन अर्जित कर सकें और सरकारी रोजगार पर निर्भर न रहें। इसके लिये यह आवश्यक है कि मानव संसाधन विकास के लिए अधिक संसाधन आबंटित करें। आपने इस कार्य के लिए केवल 832 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। यह एक आवश्यक मद है। आपको इसके लिए अधिक धन आबंटित करना चाहिए।

जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में भी यही स्थिति है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार कैसे इस बात को भूल रही है कि इस अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि से कितनी तबाही हो रही है। मैंने मंत्रालय और प्रधानमंत्री महोदय को भी यह सुझाव दिया है कि यदि आप आज ऐसे एक व्यक्ति को 3

हजार रुपये देते हैं जो अपने परिवार को एक बच्चे तक सीमित करने के लिए तैयार है और यदि आप एक करोड़ व्यक्तियों को यह अदायगी करते हैं तो इससे बजट में 300 करोड़ रुपये का व्यय बढ़ेगा। यह आश्वासन कि आज जमा किये गये 3000 रुपये, लड़के की आयु 25 वर्ष होने तक एक लाख रुपये बन जायेंगे यह वचन दीजिए कि आप 25 वर्षों के बाद बच्चों को एक लाख रुपये देने जा रहे हैं—प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को सीमित करने के लिए यह एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। लड़के के 25 वर्ष की आयु का होने पर एक लाख रुपया एक सुनिश्चित धनराशि है जिससे पिता को विश्वास प्राप्त होता है। अन्य तरीकों पर व्यय करने का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। 3 हजार रुपये बहुत बड़ी धनराशि नहीं है और इसका मिश्रित प्रभाव पड़ेगा जिससे आप 20 वर्षों से कम समय में जनसंख्या वृद्धि को जीरो पर ला सकेंगे। महोदय आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि इन कार्यों के लिए संसाधन कहां से आयेंगे। मैं कहता हूं कि आप रेलवे, दूर संचार, विद्युत उत्पादन, रसायनिक पदार्थ, उरर्वकों और नागर विमानन के लिए धन की व्यवस्था करते हैं ? आप उन मन्त्रियों से क्यों नहीं कहते कि वे अपने लिए धन उत्पन्न करें। यदि उनके पास धन की कमी है तो उन्हें बांड जारी करने की अनुमति दीजिए। उन्हें पूंजी पर ब्याज का भुगतान करने की जिम्मेदारी उठाने दीजिए। उन पर भी जिम्मेदारी आने दो। उन्हें यह मत समझने दो कि वे बजटीय समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और अकुशल होकर भी बने रह सकते हैं। उन्हें यह मत समझने दो कि वे बजटीय समर्थन की आशा करते रह सकते हैं और उन्हें स्वयं धन उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊपर बोझ क्यों बढ़ाते हैं ? इस बोझ को बांटते क्यों नहीं। मेरा विचार है कि आप कल्याण कार्यों जैसे मानव संसाधन विकास, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास में लगे मन्त्रालयों को छोड़कर अन्य मन्त्रालयों को पूछने की बात पर विचार करेंगे।

मैं आपको निश्चितरूप से इस बात पर बधाई देता हूं कि हमारी सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों ने निरन्तर तीन वर्ष सूखा पड़ने के बावजूद हमारी सहायता की है। कुदरत के अलावा हमारी सरकार की नीतियों ने खाद्यान्नों के उत्पादन को 138 मिलियन टन से बढ़ाकर 170 मिलियन टन करने में सहायता दी है—24% के लगभग बढ़ोतरी। जब एक वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन में 24% की वृद्धि हो सकती है, तो क्या आप उन्हें लाभकारी मूल्य देकर तथा फसल बीमा के लिये आवंटन बढ़ाकर कृषक समुदाय को अधिक आश्वस्त करने के विषय में नहीं सोच सकते ? तब अधिक से अधिक व्यक्ति जोखिम उठा सकते हैं। बेहतर प्रोत्साहनों के साथ अधिक से अधिक व्यक्ति काम करके धन कमा सकते हैं—यदि प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत नहीं, तो कम से कम जो पहले था उससे अधिक तो होना चाहिये।

आप खाद्य तेलों सहित अनेक मदों के आयात पर अत्यधिक धन व्यय करते रहे हैं। आप किसानों को लाभकारी मूल्य दें। खाद्य तेल का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीनी के बारे में हमारा अपना अनुभव यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देकर, हम न केवल आत्मनिर्भर हो गये हैं अपितु हम अन्य देशों को उसका निर्यात करने की भी स्थिति में हैं।

अब, मैं निगमित क्षेत्र में कराधान के विषय पर आता हूं। निगमित क्षेत्र में 50 से 55 प्रतिशत तक प्रभावकारी कराधान के बाद भी आपके विधान के अन्तर्गत यह केवल 27 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी हालत में अन्य किसी देश की तुलना में अधिक कर

[श्री के० एस० राव]

नहीं लगा रहे। इस प्रकार हमें कर की दरों में वृद्धि की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि आप चाहते हैं तो आप छूट वापिस ले सकते हैं और दरों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तक कम कर सकते हैं।

मेरे विचार में बचत कम हो रही है, यद्यपि सीमांत रूप से। किन्तु ग्रामीण व्यक्तियों को कुछ अन्य प्रोत्साहन देकर बचत बढ़ाई जा सकती है क्योंकि घरेलू बचत बाह्य बचत से कहीं बेहतर होती है। किन्तु बाह्य बचत को बढ़ाने से रोजगार में कमी हो रही है। हमारे देशवासियों को रोजगार नहीं मिलता। यदि आप घरेलू उधार में वृद्धि भी कर दें तो यह देश में ही रहेगा। ऋण की कोई भी मात्रा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। किन्तु मैं समझता हूं कि बाह्य ऋण लगभग 55000 करोड़ रुपये है। कृपया इस पर रोक लगाने की ओर ध्यान दें।

मैं बजट घाटे को 7940 करोड़ रुपये से कम करके 7337 करोड़ रुपये तक लाने के लिए आपको बधाई देता हूं। लोगों को घाटे के बजट का डर होता है। मेरे विचार में घाटे की वित्त व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जिसके लिये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक घाटे की वित्त व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण में हैं, अर्थात मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से कम है और घाटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2-3 प्रतिशत तक है, हमें विपक्षी दलों की आलोचना से परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार 7500 करोड़ रुपये से अधिक राज-सहायता दे रही है। आप केवल उर्वरकों पर 3000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 400 करोड़ रुपये की राजसहायता देने पर अथवा प्रति किलो पर दो रुपये की सहायता और आंध्र प्रदेश में धोती पर मुफ्त के प्रचार के साथ राजसहायता से क्या मुख्य मंत्री लोगों का दिल जीत लेंगे ? उर्वरकों पर 3500 करोड़ रुपये की राजसहायता जो किसानों को मिल रही है, उसका प्रचार नहीं हो रहा। किसानों अथवा निर्धन व्यक्तियों पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम निर्धन व्यक्तियों तथा कृषक समुदाय पर हजारों, करोड़ों रुपए खर्च करके भी देश में किसी पर रौब नहीं डाल रहे। किन्तु मैं चाहता हूं कि फैक्ट्रियों को दिया जाने वाला 3000 करोड़ रुपया बन्द कर दिया जाए तथा ये धन सीधे ही किसानों को दिया जाये ताकि उर्वरकों के निर्माताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़े और इस प्रकार किसानों को यह अहसास दिलाया जाये कि भारत सरकार उनका कल्याण चाहती है।

6.00 म० प०

उपसभापति महोदय : आधे घन्टे की चर्चा का समय हो गया है। अतः आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री के० एस० राव : अन्त में मैं मंत्री जी को व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। यदि इसमें सुधार के कोई सुझाव हों तो उन्हें सहृदय भाव से काम नहीं लेना चाहिए, उन्हें उन पर विचार करके सम्भव सीमा तक स्वीकार करना चाहिए।

6.01 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

जम्मू और कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों के शरणार्थियों को वित्तीय सहायता

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में जम्मू और कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों के शरणार्थियों को वित्तीय सहायता के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 713 के 27 फरवरी, 1989 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न बातों पर चर्चा की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री जनकराज गुप्त (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक सवाल 27 फरवरी के बारे में माननीय गृहमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके बारे में मैंने यह आधे घन्टे की चर्चा मांगी और आपका मैं मशकूर हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके लिए इजाजत दी। अगर यह तारांकित प्रश्न होता तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यह मसला उन गरीब, बेबस शरणार्थी लोगों का है जो 1947 के विभाजन के समय, जब देश के बहुत से हिस्सों में काफी दंगे फसाद हो रहे थे, हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के उस समय के कुछ दरिन्दों ने हमला किया और उस खूबसूरत वादी कश्मीर को तबाह करके वहां पर रहने वाले मजलूम और सादे लोगों की जायदाद लूटी, उनको मजबूर किया : कि वे अपनी बहू-बहनों को खत्म करें। अत: वहां के लोगों को मजबूर होकर अपने घर छोड़ने पड़े और रियासत के दूसरे हिस्सों में आना पड़ा। जम्मू-कश्मीर के जो शरणार्थी हैं, यह एक जंग के नहीं, बल्कि तीन जंगों का शिकार उन्हें होना पड़ा है। 1947 में ये लोग विभाजन से और वैस्ट पाकिस्तान से बेघर होकर आये, क्योंकि वह बोर्डर एरिया है इसलिए इन्हें वहां पनाह लेनी पड़ी। दूसरे वे थे जो 1965 में छम्ब की लड़ाई में पाकिस्तान ने हमला किया तो वे बेघर हो गये, तीसरे शरणार्थी वे थे जो 1971 में भारत से लड़ाई में पाकिस्तान के दरिन्दों ने जो हमला किया तो उनको बेघर होकर यहां आना पड़ा। इसमें दो राय नहीं हैं और मैं दाद देता हूं कि उस वक्त की भारत सरकार ने जो मदद की हमारे उन लोगों की मदद की जो बिल्कुल बेसहारा थे। उनके पास न तो खाने के लिए कुछ था, न पहनने के लिए कपड़े थे और न रहने के लिये कोई जगह थी। उन्हें जहां भी जगह मिली कैम्पों में रखा गया : कुछ नगरोटा में और कुछ योल कैम्प में, और कुछ दूसरी जगहों पर भी। उनके खाने का इन्तजाम भी किया गया, रहने के लिये शैल्टर दी गयी और कुछ दूसरी इमदाद की गयी। उसके बाद ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, उनके रिहैबिलिटेशन या बसाव के इन्तजाम भी किए। लेकिन 1947 के वे रिफ्यूजी थे जो पार औक्यूपाइड एरिया ऑफ कश्मीर से आये थे, उनकी तादाद 31 हजार फैमिलीज के करीब थी, जिनमें से 26,300 फैमिलीज जम्मू-कश्मीर में रहीं और 5 हजार से कुछ अधिक फैमिलीज जम्मू-कश्मीर से बाहर, हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेट्स में आकर बस गये, कुछ दिल्ली में भी बस गये। इनमें से 22,700 लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर कम्यूनिटी से ताल्लुक रखते थे और 3500 के करीब ऐसे थे जिन्होंने अर्बन एरियाज में रहना पसन्द किया, जो बिजिनैस कम्यूनिटी के थे। उनके रिहैबिलिटेशन के बाद एप्रौक्सिमेटली 21,100 फैमिलीज को जमीन एलॉट की गयी और 1600 फैमिलीज को जमीन एलॉट नहीं हो पायी। इस तरह तकरीबन 8904 फैमिलीज ऐसी थीं, जिनकी डैफिशियेंसी रही। उन्हें एक लाख 30 हजार केनाल जमीन सरकार ने देनी थी ताकि उनकी डैफिशियेंसी को पूरा किया जा सके। इसमें से कुछ जमीन तो उन लोगों की थी जो उस रियासत से

[श्री जनकराज गुप्त]

माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गये थे और कुछ स्टेट लैंड थी। उन्हें 1585 के करीब घर भी एलॉट किए गये, 698 के करीब प्लाट्स भी दिये गये, वगैरह-वगैरह। उस वक्त जमीन देने का जो स्केल मुकर्रर किया गया वह था 4 एकड़ परती कैनाल या इरीगेटिड और 6 एकड़ अन-इरीगेटिड लैंड। उसके बाद, उन रिफ्यूजीज के कुछ लीडर्स और डैलीगेशन आये, बहुत से हमारे नेतागण भी आये, जिनमें हमारे अयूब साहब भी शामिल थे, नामग्याल साहब भी शामिल थे, मैं उस वक्त डिप्टी स्पीकर था, और कुछ दूसरे साथी वहां से आये और यहां के कन्सर्न्ड मिनिस्टर्स के साथ मिले और बातचीत की। चूंकि यह इंसानी मसला था, हर आदमी, मिनिस्टर और ऑफीसर की यह ख्वाहिश थी कि उनकी मदद की जाये, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाये ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। लेकिन उसके बाद आज तक सिर्फ बातें ही होती रहीं, किसी भी निर्णय को अमली जामा नहीं पहनाया गया और उन्हें कोई खास इमदाद नहीं दी गई। अब मसला यह था कि 1947 के जो रिफ्यूजी हैं, जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, उसके बाद 1971 के जो रिफ्यूजी थे, हमें खुशी है, हम गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया के मशकूर हैं और प्रधानमंत्री जी के उन्होंने 1971 के जो रिफ्यूजी जो छम्ब क्षेत्र को छोड़कर आए थे, उनको रिहैबिलिटेट कर दिया। 696 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मंत्री जी ने अपने जवाब में माना है उनके केस पेंडिंग हैं क्योंकि डेफिश्येंसी आफ लैंड है। स्टेट में लैंड नहीं है। जो 1947 के रिफ्यूजी हैं उनका भी यह कहना है कि जो 1971 के लोग थे उनको जमीन, हाउसिंग प्लाट, 4-6 एकड़ जमीन मिली। शॉप्स के लिए नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को प्लाट्स मिले, एडहॉक ग्रांट 300 से 800 रुपए पर फैमिली, साइज आफ फैमिली के हिसाब से मिली और 100 से 500 रुपये मिले। 5 हजार रुपये पर फैमिली फॉर कंस्ट्रक्शन आफ हाउस ग्रांट मिली। पक्का हाउस के लिए 10 हजार रुपये तक मिले। इसके अलावा एक हजार रुपया ग्रांट फ़ार रिहैबिलिटेशन मिली। उनके मवेशियों के लिये, चारे के लिये 2 हजार रुपया और 600 से 1900 रुपये उनके मवेशियों के लिये, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट के लिये 500 रुपये, 300 रुपए पर एकड़ इरीगेटेड लैंड और 300 रुपए पर एकड़ अनइरीगेटेड लैंड के लिये और बहुत-सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो उनको मिलीं। जो बिजनैस करते थे, उनको 5 हजार रुपये पर फैमिली लोन मिला फॉर इन्वेस्टमेंट आफ बिजनैस। उसके लिये हम मशकूर हैं क्योंकि वे भी हमारी रियासत के बाशिंदे हैं और उस वक्त उनको जरूरत थी। हालांकि जितना उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनकी गुजर-बसर चल रही है। जो 1947 के रिफ्यूजी थे जो अर्बन एरिया में रहते थे उनको 3500 रुपए और एक रेजीडेंशयल प्लाट मिला। ऐसी 1780 फैमिलीज थीं। रूरल वालों को एक हजार रुपया और जमीन मिली। इसलिये उनका यह कहना है कि हमें भी इस काबिल बना दो। इस ढंग से दे दो जिससे हम अपना कारोबार कर सकें। अपने बच्चों को पाल सकें और अपना मकान बना सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कहीं उस इलाके में चले जाएं जहां ये बस्तियां हैं, तो आपको मालूम होगा कि जैसे आपकी दिल्ली के स्लम्स हैं, वे इनसे कोई बैटर नहीं हैं। कुछ लोग तो उस वक्त, जम्मू-सियालकोट रेल बंद हो गई थी उस रेल की पटरी पर ही अपना घर बना कर रहने लगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रेल की पटरी पर कितनी जगह होती है और वहां कितना बड़ा घर बन सकता है। वहां हालत यह है कि एक-एक कमरे में एक-एक फैमली रहती है। कुछ लोग टीलों पर घर बना कर रहने लगे जहां पर न पानी की व्यवस्था है और न कोई और सुविधा है। लेकिन उन्हें कोई गम नहीं है। वे खुश हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि उनकी हालत

बेहतर करने के लिए जमीन, रोजगार करने के लिए रुपए दे दिए जाएं, तो उनकी हालत बेहतर हो सकती है। इस वक्त आप जानते हैं कि अनएम्पलॉयमेंट हर जगह है। वहां भी यह प्राब्लम है। इसके बाद जब हमने बहुत-सी डिमांड्ज की तो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने मान लिया कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने यह भी माना कि ज्यादा नहीं तो कुछ ऐसी स्कीम बनाई जाए, जिसको स्पेशल इकनामिक स्कीम फार रिहैब्लिटेशन आफ 1947 रिफ्यूजीज सैटल्ड इन जम्मू-कश्मीर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी है जिससे उनको फायदा हो सके।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन गरीबों की हालत को देखते हुए, और एक मसला 1947 से चल रहा है, इन 42 सालों के उन शरणार्थियों को पुरुषार्थी बनाएं ताकि सारी उम्र वे शरणार्थी ही न कहलाएं, हम कहते हैं कि उनको पर फैमिली 12 हजार रुपए एज ग्रांट-इन-एड और 12 हजार रुपए लोन दिला दीजिए बैंक से ताकि वह अपना कारोबार कर सकें अपने मकान बना सकें। अब ऐसी पासिब्लिटी तो है नहीं कि वह दूसरी जगह जा सकें।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसकी तरफ तवज्जह देंगे। प्लानिंग कमीशन के साथ हमारी स्टेट गवर्नमैंट के आफिशियल्स की मीटिंग हुई और फिर एक कमेटी बनी शेख साहब के समय एम०एल०एज० की जिन्होंने यहां आकर सारा केस एक्सप्लेन किया। अभी भी हमारे चीफ मिनिस्टर फारूख अब्दुल्ला काफी इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं, इस मसले को हल करने के लिए काफी हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने 2 करोड़ रुपया इस साल के बजट में भी रखा है ताकि यह जो पैकेज डील है 12 हजार रुपए पर फैमिली का वह इस साल नहीं तो दो-तीन सालों में हल हो जाए। लेकिन वह 2 करोड़ रुपया ऐसा ज्यादा एमाउन्ट नहीं है, वह बहुत मीगर सम आफ मनी है इसमें 15 करोड़ रुपए का कुल खर्चा है और 15,20 करोड़ रुपया गवर्नमैंट आफ इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो इस मसले को हल करना चाहिए ताकि उनकी हक-तलफी न हो और उनको उनका हक मिले।

वहां पर कुछ और रिफ्यूजीज वैस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं। उनके बारे में पहले कई बार यहां पर चर्चा हो चुकी है और हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू-कश्मीर ने भी एक कमेटी बनाई थी एम०एल०एज० को ताकि वह उनके मसले को स्टडी करके उनके बारे में भी बात करें। यह कोई ज्यादा फैमिलीज नहीं हैं, ये 4,250 फैमिलीज हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जम्मू, कठुआ और राजोरी हैं। ये वे लोग हैं जो पार्टीशन के वक्त वहां आए और सैटिल हो गए। बार्डर खाली था और उनको यकीन दिलाया गया कि वे यहीं रहें, यहां से कोई निकालेगा नहीं। अब उनकी पोजीशन यह है कि इसमें दो राय नहीं है कि उनको काश्त के लिए जमीन भी मिली है और मकान भी मिले हैं रहने के लिए, लेकिन न तो उनको वोट का हक है और न ही उनके बच्चों को वहां पर नौकरी के लिए किसी कम्पीटीशन में बैठने का हक है, वह वहां नान-स्टेट सबजैक्टेड हैं जम्मू और कश्मीर में हमारा कांस्टीट्यूशन दूसरा भी है इसलिए उसके मुताबिक उनको यह हक नहीं है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि वह उनके बारे में कुछ सोच-विचार करें। उनको वहां पर नौकरी पाने का राइट प्राप्त नहीं हैं, सिटीजनशिप राइट प्राप्त नहीं है। इस कारण उनको जमीन व मकान देने के बाद उनके बच्चों के लिए कुछ कोटा फिक्स करे ताकि वह भी अपने आपको भारत का नागरिक समझें।

मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान नेता श्री राजीव गांधी जी जो कि देश के नेता और प्रधान मंत्री हैं, वह इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार करेंगे। मैं जानता हूं कि उनके दिल में

[श्री जनकराज गुप्त]

गरीबों के प्रति बड़ी हमदर्दी है और वह गरीबी दूर करने के लिए और गरीबों व जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जब भी कहीं सूखा पड़ता या बाढ़ आती है तो उन इलाकों का वह खुद दौरा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता इसकी तरफ अवश्य ध्यान देंगे। वह खुद भी इस मसले से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उनके नोटिस में बहुत दफा यह मामला लाया गया है। इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मंत्री जी इसकी तरफ पूरी तरह तवज्जह देंगे और इस मसले को हल करने के लिए हमारी मदद करेंगे।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। विषय वही है जो इस सदन में तथा केन्द्र सरकार के साथ पहले भी विभिन्न सदस्यों तथा जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाया जा चुका है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि भारत सरकार ने पहले भी समाधान के लिए कदम उठाए हैं। कुल 52000 परिवारों में से 26300 जम्मू और कश्मीर में हैं और 5300 जम्मू और कश्मीर से बाहर है; 3600 जम्मू और कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में हैं तथा 22700 परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए हैं। प्रति शहरी परिवार को 3500 रुपए तथा प्रति कृषक परिवार को 1000 रुपए का अनुग्रह पूर्वक भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को 2 से 3 एकड़ सिंचित क्षेत्र अथवा 4 से 6 एकड़ असिंचित क्षेत्र भी आवंटित किया गया था। जैसा कि पहले हमारे उत्तर में कहा गया है छम्ब क्षेत्र के लगभग 696 परिवारों को भूमि नहीं दी जा सकी। इस मुद्दे पर जब केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो, हमने 1961 में इस मुद्दे पर विचार किया और प्रत्येक एकड़ की कमी के लिए 600 रुपये स्वीकृत किए किंतु दुर्भाग्यवश राज्य सरकार ने किन्हीं कारणों से, जो उन्हें ही ज्ञात होंगे इसका उपयोग नहीं किया। संभवतः उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा ठीक ही कहा गया है, बाद में भी इस पर उच्च स्तर पर विचार किया गया था और इन परिवारों के पुनर्वास के लिये एक निगम की परिकल्पना की गई थी। भारत सरकार ने कहा वे इस प्रयोजन के लिए ऋण दे सकते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार ने कहा कि वे ऋण लेने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि वे अनुदान चाहते हैं। यह स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि हमने महसूस किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद ये लोग पहले ही बस चुके हैं और अब उन्हें देश के अन्य नागरिकों की भांति माना जाना चाहिए और जैसा कि माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया उन्हें अन्य नागरिकों की भांति अनुदान और ऋण दिए जाने चाहिए। किन्तु हम अनुदान मंजूर करने की स्थिति में नहीं है। किन्तु यदि जम्मू कश्मीर सरकार अपने लिए निगम स्थापित करने के लिए आगे आती है तो हम निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे कि उन्हें पुनर्वास प्रदान करने के लिए हम उन्हें अधिक से अधिक कितना ऋण दे सकते हैं।

इस मामले पर राज्य सभा की याचिका समिति में विचार किया गया था, जहां हमारे सचिव (पुनर्वास) ने अपना मत व्यक्त किया था किन्तु हमारा दृष्टिकोण अब भी सहानुभूतिपूर्ण है बशर्ते राज्य सरकार कार्यवाही योजना तैयार करके निश्चित योजना सामने लेकर आये। तब हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे; किन्तु हम अपनी ओर से कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि कोई विशेष मंजूरी प्रदान की जाएगी। किन्तु हम गरीब लोगों के हित की रक्षा कर रहे हैं। केन्द्रीय

सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं और राज्य सरकारों को धन दिया जाता है। मुझे आशा है कि वह इन लोगों को सहायता देने के लिए आगे आएंगे।

माननीय सदस्य ने 425 परिवारों के मताधिकारों का प्रश्न उठाया है। जम्मू और कश्मीर का अपना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का पालन केवल संसदीय चुनावों के लिए करते हैं जिसके अनुसार स्थायी और अस्थायी निवासियों को मतदान करने की अनुमति दी जाती है। किन्तु जो लोग स्थायी निवासी नहीं हैं उन्हें राज्य विधान सभा चुनावों में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि यह निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। किन्तु चूंकि माननीय सदस्य ने इस मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इसे मुझे लिखित रूप में दें। मैं यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाऊंगा; किन्तु इस बारे में निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। किन्तु हम यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाएंगे।

जहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा हम अब किसी अनुदान के लिए मंजूरी देने की स्थिति में नहीं हैं; किन्तु यदि कोई निगम स्थापित किया जाता है तो हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर): महोदय, मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि, केन्द्रीय सरकार ने छम्ब जोरियां क्षेत्र से 1965 में विस्थापित हुए तथा बाद में 1971 में विस्थापित हुए शरणार्थियों के साथ अलग तथा 1947 में विस्थापित हुए लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया है। 1947 में विस्थापित हुये लोगों तथा 1965 में विस्थापित हुए लोगों के साथ किये गए व्यवहार में अन्तर है। अतः हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ भी न्याय किया जाना चाहिए जो 1947 में विस्थापित हो गये थे।

हम आपसे और कुछ नहीं चाहते; किन्तु हम आपसे न्याय चाहते हैं। आप उन लोगों के साथ अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं जो पहले विस्थापित हुये और जिन लोगों ने इस देश की आजादी की खातिर अपना सब कुछ गंवाया और बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। आपका उन लोगों के साथ व्यवहार अलग है जो बाद में बर्बाद हुए।

मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर): डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं एक दो बातें ही कहना चाहता हूं, ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं। इन रिफ्यूजीज की हालत बड़ी दयनीय है, ये लोग रेलवे ट्रैक पर रहते है, टीलों पर रहते है और सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि जमीन काफी नहीं है इसलिये हम उन्हें नहीं दे पाते हैं तो आखिर ये बेचारे कहां जायेंगे।

मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि यह स्टेट सबजैक्ट है और स्टेट कोई कारपोरेशन बना दे तो हम मदद करने को तैयार हैं। मेरी यही गुजारिश होगी कि अलिएस्ट अपोर्चुनिटी पर स्टेट गवर्नमेण्ट्स से इस बारे में बात की जाय क्योंकि यह ह्यूमन प्राब्लम है। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, वह एरिया पाकिस्तान ने जबरदस्ती हड़प लिया, चाहे 1947 की लड़ाई में हो, चाहे 1965 की

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

लड़ाई में हो, चाहे 1971 की लड़ाई में हो और लोग बेघरबार हो गये। बंगलादेश से जो लोग आये थे, पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आये थे उनमें से काफी लोग यहां बस गये और अपना जीवन ठीक से बिता रहे हैं। पंजाब से भी जो लोग आये थे वे भी काफी समृद्ध हो गए बल्कि ज्यादा समृद्ध हो गए—उतने समृद्ध पाकिस्तान में भी नहीं रहते—तो फिर इन लोगों ने क्या गल्ती की है जो ये इतनी दुःखद हालत में हैं। मैं सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि ह्यूमेनिटेरियन प्वाइन्ट आफ व्यू से क्या वे इस मसले पर गौर करेंगे ताकि जो अपनी आवाज उठा नहीं सकते हैं, उनकी आवाज हमने संसद में उठाई है, उनकी जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : राहत और पुनर्वास सहायता देने का विषय समवर्ती सूची में आता है अर्थात् प्रविष्ठि 27, जो इस प्रकार है :

> "भारत और पाकिस्तान स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना के परिणामस्वरूप अपने निवास के मूल स्थान से विस्थापित हुए लोगों को राहत और पुनर्वास"

अब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी स्थिति में यह राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। गुप्त जी ने ठीक ही कहा है कि इन शरणार्थियों को पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। युद्ध के समय हम युद्ध पीड़ितों की कई प्रकार से मदद करते हैं। युद्धपीड़ित शरणार्थियों की भी इसी प्रकार सहायता की जानी चाहिए। अब, इतने वर्षों के बाद यदि आप उन्हें कोई सहायता देते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती। या तो इसके लिए केन्द्र जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है। क्या कोई संवैधानिक उपबन्ध है या राज्य सरकार का रवैया ही ऐसा है जो उन्हें पर्याप्त सहायता देने में आड़े आता है ? क्या केन्द्रीय सरकार, इन्हें मतदान अधिकार देकर अपनी ओर से कोई परिवर्तन कर रही है या भविष्य की कोई और योजना है ? राज्यों और केन्द्र के बीच वर्तमान मूलभूत मतभेद क्या हैं ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, दो प्रकार के रेफ्यूजीज हैं जम्मू कश्मीर के—एक तो 1947 के हैं और दूसरे 1971 के बाद जो लोग आए हैं वे हैं। 1971 के बाद वालों के साथ स्थिति तो ठीक है जो कि छम्ब जोरियां से आए हैं, उनकी तो स्टेट गवर्नमेन्ट ने थोड़ी सी मदद की है लेकिन जो 1947 में आए थे उनकी हालत इतनी बदतर है जैसे कि श्री जनक राज जी ने यहां पर बताई है। स्थिति यह है कि आर्टिकल 373 के कारण न तो वे जमीन एक्वायर कर सकते हैं और न उनको जमीन दी जा सकती है और यदि उनके पास प्रापर्टी नहीं है, जमीन नहीं है तो बैंक्स भी कोई लोन उन्हें नहीं दे सकते हैं। तो पहली बात यह होनी चाहिए थी कि आर्टिकल 373 उन पर लागू न होती और यदि मान लिया कि लागू होती है उन पर, और स्टेट गवर्नमेन्ट कुछ नहीं नहीं कर पा रही है उन बेचारों के लिए, तो आप उनको दूसरी स्टेट्स में बसाइए। आप उनके लिए कुछ तो करिए, आखिर नेशनल रेस्पांसिबिलिटी हमारी ही है। इतने वर्षों से वे पड़े हैं उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे हो गए हैं, वे लोग महसूस करते हैं कि हम हिन्दुस्तान के नागरिक है लेकिन वे इतनी दयनीय दशा में हैं कि उनको बेसिक राइट्स और बेसिक एमिनिटीज कुछ भी नहीं

मिल पा रही हैं। मैं समझता हूं यह हमारी नेशनल प्राइड के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेन्ट को आगे आकर उनके विषय में पहले तो स्टेट गवर्नमेन्ट से बात-चीत करनी चाहिए और अगर स्टेट गवर्नमेन्ट कोई हेजिटेशन शो करती है तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को अपनी रेस्पांसिविलिटी मानकर दूसरे राज्य में उनको बसाने के लिए पहल करनी चाहिए और दूसरी जो भी कोई सुविधाएं दी जा सकती हैं, जैसे कि आपने कारपोरेशन बनाकर देने की बात कही है, तो वह भी करना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जो लोग बाद में एक बार 1965 में तथा फिर 1971 में आए उन्हें सहायता दी गई। किन्तु हमें इस बात की दाद देनी चाहिए कि वह लोग वापस जाकर पुन: बसना चाहते थे। वह यहां रहने के इच्छुक नहीं थे। 1971 में प्रति परिवार 13,500 रुपये की राशि दी गई। इसके विपरीत 1948 में 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि दी गई थी और शहरी क्षेत्रों में 3500 रुपए दिए गए। इसलिए धन की मात्रा तथा 1971 और 1948 में रुपये की कीमत को देखते हुए मेरे विचार से कोई अधिक अन्तर नहीं था।

दूसरा प्रश्न जो उठाया जो रहा है वह मतदान अधिकारों के बारे में है। यह एक नाजुक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त : उसके लिए हम आपके शुक्र गुजार हैं कि आपने उनकी मदद की है। आप उनको ग्रांट दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मैं इस बात से सहमत हूं। मैंने कहा है कि यदि कोई निगम बनाया जाता है तो हम मदद करने को तैयार हैं। जितनी सहानुभूति आपको है उतनी हमें भी है। हम उनकी सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री के स्तर पर एक बैठक की गई थी और यह सुझाव दिया गया था कि एक निगम बनाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से राज्य सरकार आगे नहीं आई। हम यह मामला उनके साथ उठाएंगे।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त : हम चाहते हैं कि आप उनको लोन की जगह ग्रांट दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : देश के अन्य भागों में लोगों ने ऋण लिए हैं और हाल ही में जब वित्त आयोग की रिपोर्ट आयी, देश भर में शरणार्थियों के कुछ ऋण माफ कर दिए गए। इसलिए, कोई भेदभाव नहीं है। विगत में भी राहत और पुनर्वास के लिए दिया गया तमाम धन अनुदान के रूप में नहीं दिया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों—क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां से 50 से 60 प्रतिशत पूर्वी बंगाल के शरणार्थी आए—को ऋण दिए गये न कि अनुदान। यहां हमने प्रारम्भ में अनुदान और ऋण दिए थे। आप यह नहीं कह सकते कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दुर्भाग्य से भूमि उपलब्ध नहीं थी और तमाम प्रयत्नों के बावजूद उन्हें भूमि नहीं दी जा सकी। इसलिए, हम जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ अन्याय करेंगे क्योंकि भूमि के लिए

[श्री संतोष मोहन देव]

वहां के स्थानीय लोगों की मांग भी है और यह वहां पर काफी गंभीर मामला है। किन्तु प्रयत्न किये गये थे। शेख अब्दुल्ला के समय में एक प्रस्ताव आया था और हमने 600 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा दिया था। किन्तु दुर्भाग्य से वह वितरित नहीं किया गया। मैं कारण नहीं जानता। उन्हें वह धन बांटना चाहिए था। इससे उन्हें फायदा होता।

जहां तक मताधिकारों का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने कहा, जम्मू कश्मीर में मतदान करने का मामला एक ऐसा मामला है जिसके लिए वह सर्वोच्च न्यायालय तक गए और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बारे में निर्णय करना जम्मू और कश्मीर राज्य का काम है। यदि मुझे ठीक तरह से याद है—यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो उसे ठीक किया जायेगा—मेरे इस मंत्रालय में आने के बाद भी हमने एक ज्ञापन के आधार पर राज्य सरकार को एक पत्र लिखा। अब हमें हाल ही में अच्छे लक्षण दिखाई दिए हैं। वह कह रहे हैं कि वह इसकी छानबीन कर रहे हैं। उनका रवैया अब कुछ बदल गया है। देखें क्या होता है। हम इस मामले को आगे बढ़ाकर कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। एक प्रकार के शरणार्थी और दूसरे प्रकार के शरणार्थी के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। भारत सरकार ने हमेशा ही सकारात्मक रवैया अपनाया है। अभी हाल ही में जब चकमा के शरणार्थी त्रिपुरा आये तो भारत सरकार ने उनकी सहायता की। भारत हमेशा ही शरणार्थियों की मदद करेगा। जब तिब्बत के शरणार्थी यहां आये तो हमने उनकी मदद की। इसलिए एक प्रकार के शरणार्थी और दूसरे प्रकार शरणार्थी के बीच भेद करने का कोई कारण नहीं है। इस विशेष मामले में, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह बात मानेंगे कि हालांकि यह केन्द्र का विषय है किन्तु भूमि राज्य का विषय है; हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। हम उनसे केवल अनुरोध कर सकते है।

श्री शान्ताराम नायक कह रहे थे कि जब यह केन्द्रीय विषय है तो यह क्यों नहीं किया जा सकता। जब तक हमें राज्य सरकार से हरी झण्डी नहीं मिलती हम इसे नहीं कर सकते।

किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं जम्मू कश्मीर के संसद सदस्यों से विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि वह यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाएं। यदि प्रस्ताव उस ढंग से आता है, जैसा कि हमने सुझाव दिया है तो हमें सहायता करके प्रसन्नता होगी और श्री गुप्त ने पहले भी कहा है कि उनकी रुचि इस बात में है कि कुछ किया जाये और हमारे मंत्रालय द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस बात का आश्वासन दे सकते हैं।

6·39 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, 16 मार्च 1989/25 फाल्गुन 1910 (शक) के बारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867 चौराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006